

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

अष्टम् सत्र

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026
(फाल्गुन 27, शक सम्वत् 1947)

[अंक 13]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{सभापति महोदय, (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, गुरु गुड़ रह गये और चले शक्कर हो गये ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय नेता जी, मुझे पता चला है कि आपके वहां नेता लोग ही नहीं आये थे ? आपके प्रदर्शन में बोल रहा हूँ ।

डॉ.चरणदास महंत :- गये थे भई सब ।

श्री केदार कश्यप :- लखमा जी को कुर्सी देना था, लखमा जी को गोदी में बिठाकर रखे थे ।

डॉ.चरणदास महंत :- जो टिन लगाये थे ना उसको बजा-बजा के आये थे।

श्री केदार कश्यप :- आप लोगों ने भगा दिया था ।

सभापति महोदय :- श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ।

बालोद जिले में जम्बूरी आयोजन में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 2570) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट गाईड परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? क्या राज्य के शिक्षा मंत्री को ही पदेन अध्यक्ष बनाए जाने संबंधित कोई स्थाई आदेश/निर्देश है? यदि हां तो आदेश/नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) जम्बूरी आयोजन को बालोद में कराए जाने संबंधित निर्णय कब व किसके द्वारा लिया गया? क्या इस आयोजन को पूर्व में रायपुर में कराए जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो स्थल परिवर्तन करने के पीछे का कारण क्या है? पारित प्रस्ताव अथवा लिए गए निर्णय की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) जम्बूरी आयोजन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी किसे बनाया गया? आयोजन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई? आबंटित राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया? राशि व्यय करने के लिए कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? जानकारी प्रदान करें? (घ) क्या राशि व्यय

करने में अनियमितता अथवा नियम के पालन नहीं होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट गाईड परिषद के पदेन अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन हैं। जी हां। नियमावली की प्रति **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) बालोद में राष्ट्रीय रोवर रैंजर जंबूरी आयोजन का निर्णय राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 14.11.2025 को लिया गया। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न नहीं उठता। (ग) जम्बूरी आयोजन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी जिला शिक्षा अधिकारी बालोद को बनाया गया। आयोजन हेतु रुपये 5.00 करोड़ (रुपये पांच करोड़ मात्र) आबंटित की गई। आबंटित राशि का उपयोग एरीना निर्माण, शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास हेतु टेंट, कार्यक्रम हेतु डोम, बेरिकेट, भोजनालय एवं प्रिंटिंग आदि कार्यों में किया गया है। राशि व्यय करने के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम में निहित प्रक्रिया अपनाई गई। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में (क) में यह आया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री भारत स्काउट गाईड के पदेन अध्यक्ष हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से पहला सवाल यह है कि क्या कंडिका 17.1 में उप नियम भारत स्काउट गाईड का है उसमें शिक्षा मंत्री को पदेन करने के लिये क्या संशोधन किया गया है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति माननीय सदस्य ने भारत स्काउट गाईड के संबंध में प्रश्न उठाया है, मैं इस पर 4 पंक्तियों में बोलने की अनुमति चाहता हूँ-

वफा जानता जब मैं तुम्हे समझा पाता
प्रेम में कितना समर्पण था मेरे
यह तुझे मैं बता पाता
बार-बार विघ्न है कि अपनी
कितना भरोसा दिलाया मेरे हमदम
रूठ कर बैठ जाते हर बार
कैसे मनाऊं ए हमदम
जानते हो तुम बेदाग है हम
तुम्हारी इस महफिल में
फिर भी इतने सवाल है
जेहन में तुम्हारे क्यों आते हैं हमदम ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्व. श्री

अजीत जोगी रहे हैं और तत्कालीन प्रथम शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी रहे हैं। चूँकि हम मध्यप्रदेश से अलग ईकाई बने, अलग ईकाई बनने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया कि यदि स्काऊट गाइड स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, उसका चुनाव होना चाहिये। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के अनुमोदन के पश्चात् पहली बार चुनाव हुये। उस पहली बार चुनाव में सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष स्काऊट गाइड के यदि बने तो श्रद्धेय सत्यनारायण शर्मा जी बने हैं और प्रथम राज्य मुख्य आयुक्त श्री तरुण चटर्जी बने।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है..।

श्री गजेन्द्र यादव :- यदि प्रश्न है तो पूरा सुन लीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मैं तो पूछ रहा हूँ कि...।

एक माननीय सदस्य :- प्रश्न काल है, टाईम पास मत कीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- टाईम पास नहीं है आपने प्रश्न किया है और तीन दिन बाद फिर पता चलेगा कि कोई इस प्रश्न लगाया है तो मैं उसे डिटेल्स पर बता दूँ, उसके बाद वह प्रक्रिया लगातार चली है। डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब तक वह प्रक्रिया लगातार चली है। माननीय सभापति महोदय, सत्ता में परिवर्तन हुआ और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि चुनाव न होकर राज्य मुख्य आयुक्त का पद और राज्य अध्यक्ष का पद जो स्काऊट गाइड के कंडिका 17 जो नियम है, उस नियम को माननीय भूपेश बघेल जी के अनुरोध पर भारत स्काऊट गाइड नेशनल हेड क्वार्टर में एक अलग से कंडिका जोड़ा गया और तब से उसमें यह तय किया गया कि स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे वह पदेन अध्यक्ष रहेंगे और राज्य मुख्य आयुक्त, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी अनुमोदित करेंगे उसको ही उसका राज्य मुख्य आयुक्त बनाया जाएगा। यह कंडिका क अलग से जोड़ा गया और उसको नेशनल हेडक्वार्टर ने अनुमोदित किया।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री जी, 10 तारीख को जो आपका पहला टेंडर हुआ है, उसके अलावा एक चिट्ठी है जो 13-12-2025 की है। 13-12-2025 को आपको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मनोनीत किया गया। 10 तारीख का जो टेंडर निकला, उसके पहले वह कौन सी समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे जिनके आदेशानुसार जंबूरी में होना तय माना गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की बात कही गई थी या सिर्फ जंबूरी में करने की बात कही गई थी? नंबर एक, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। दूसरा, जब आपकी नियुक्ति इस पत्र के अनुसार 13-12-2025 को हुई है तो उसके पहले जो 10 तारीख का टेंडर हुआ, वह किसकी अध्यक्षता में कौन से परिषद की बैठक हुई जिससे ये आदेश आया कि ये जंबूरी में होनी है और 10 तारीख को टेंडर निकाला गया।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, दो अलग-अलग विषय हैं। पहला टेंडर के संबंध में है, टेंडर के लिए एकदम स्पष्ट है कि....।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मंत्री जी, शायद आप मेरे प्रश्न में कन्फ्यूज हो गए, मैं उसको स्पेसिफिक प्रश्न कर देता हूँ। आदेश के अनुसार आपकी नियुक्ति 13-12-2025 को हुई, टेंडर 10 तारीख को निकला। नंबर एक, जो भारत सरकार की 11.04.2025 की चिट्ठी है, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है। क्या 11.04.25 में जंबूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी? नंबर एक। नंबर दो, जब आपकी नियुक्ति 13.12.25 को हुई तो 10 तारीख के पहले कौन से परिषद की बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ये जंबूरी में होगा और किसके आदेशानुसार ये टेंडर निकाला गया? मेरे दो स्पेसिफिक सवाल हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस संबंध में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। न तो जंबूरी स्थल मेरे हिसाब से हुआ, न राज्य अध्यक्ष के हिसाब से हुआ है। जंबूरी का जो निर्णय हुआ, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रैंजर जंबूरी के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक, जो कार्यक्रम प्रशिक्षण देखते हैं, उनके द्वारा 08-11-2025 को छत्तीसगढ़ के दोनों अलग-अलग स्थलों को, रायपुर और बालोद, दोनों स्थलों को देखने आए। चूंकि पहली बार राष्ट्रीय रोवर रैंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रैंजर समागम में उनकी कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, वॉटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए कन्हार भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए, एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए जिसमें अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था हो। जब नेशनल का संयुक्त निदेशक जगह देखने आए तो उन्होंने नया रायपुर की जगह को भी देखा और बालोद की जगह को भी देखा। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहां पर करेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे या नहीं देंगे? 08.11.25 को मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वह जगह तय कर लिया गया था। मैं बता देता हूँ, इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद अलग होता है। राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्य आयुक्त होते हैं, उन्होंने 19.11.2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उस बैठक में फिर उसका अनुमोदन लिया कि यह आयोजन बालोद दूधली में होगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूँ कि 10 तारीख के पहले टेंडर कौन से परिषद में पास हुआ और किसके आदेशानुसार निकला? मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, टेंडर की बात, टेंडर मेरे कहने पर नहीं हुआ। टेंडर राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने छत्तीसगढ़ शासन के DPI स्कूल एजुकेशन को चिट्ठी लिखा कि छत्तीसगढ़ में जो टेंडर प्रक्रिया है, जेम्स के माध्यम से जो टेंडर में भर्ती होती है...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय मैं समझ गया, लेकिन उस समय 10 तारीख के पहले अध्यक्ष कौन था ? मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपकी नियुक्ति चूंकि 14 तारीख को हुई है।

श्री गजेन्द्र यादव :- ना, ना नियुक्ति 14 को नहीं हुई है, आप उसको गलत पढ़ रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, 13.12.25 को नियुक्ति हुई है, उसकी चिट्ठी है। क्रमांक जेम्स 21/1335/2025/3 राज्य शासन एतद् द्वारा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ उपनियम 17 कंडिका एक अनुसार श्री गजेन्द्र यादव जी, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को पदेन राज्य अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के पद पर मनोनीत किया जाता है, यह 13.12.2025 की चिट्ठी है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, 13.12.25 को राज्य शासन ने चिट्ठी लिखी, टेंडर हमने नहीं लगाया है। टेंडर जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर ले लगाया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, मैं वही पूछ रहा हूं, 10 तारीख के पहले कौन से परिषद की बैठक हुई, उसका अध्यक्ष कौन था जिसमें इस टेंडर का आदेश हुआ ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, राज्य कार्यकारिणी के आधार पर वहां पर टेंडर हुआ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, 10 तारीख के पहले कोई तो बैठक हुई होगी, जिसमें इस टेंडर के लिए आदेश हुआ होगा?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, उसके पहले बैठक हुई। जिसमें राज्य के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यह बैठक कौन से दिनांक को हुई है और किस दिन यह आदेशित किया गया कि वहां बैठक होगी और यह टेंडर लगने की प्रक्रिया हुई?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं आपको उसकी कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मेरा यही तो बेसिक सवाल है कि 10 तारीख के पहले ऐसी कौन सी बैठक हुई कि 10 तारीख को एक टेंडर लगता है, 13 तारीख को मंत्री जी नियुक्त होते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करके 23 तारीख को सारे मानक को कम करके 90 से 52 पर लाकर वहां पर री-टेंडरिंग होती है।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बात बोल रहे हैं तो टेंडर प्रक्रिया शासन के जिला कलेक्टर के अंडर में थी। किसी के पद में रहने या नहीं रहने से कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं वह बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि जब वहाँ पर परिषद ने कोई निर्णय लिया होगा तो परिषद की कोई तो बैठक हुई होगी? परिषद की बैठक के बाद ही टेंडर और जगह का निर्धारण होकर आगे प्रक्रिया हुई होगी।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं उसको ही बता रहा हूँ कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हो चुका था। राज्य परिषद की बैठक एक बार होती है, लेकिन राज्य कार्यकारिणी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि बैठक कौन से दिनांक को हुई है और किसकी अध्यक्षता में हुई है?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैंने वही तो बताया है कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 19.11.2025 को राज्य मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। चूंकि स्काउट गाइड के प्रमुख राज्य मुख्य आयुक्त होते हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। जिस दिन से वह स्कूल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं, उस दिन से पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे स्कूल शिक्षा मंत्री बनने के बाद शासन ने एक विधिवत चिट्ठी जारी की है। इसके पहले कोई भी चिट्ठी शासन ने जारी नहीं की थी। जो स्कूल शिक्षा मंत्री बनते थे, वह पदेन अध्यक्ष माने जाते थे। चूंकि आयोजन में कोई बात न उठे, इसलिए राज्य शासन ने एक अलग से पत्र लिखा। टेंडर की भी जो बात है तो मैंने आपको बताया कि टेंडर का जो अप्रूवल है, राज्य कार्यकारिणी है, जिसके राज्य मुख्य आयुक्त अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही बालोद के लिए इस टेंडर के लिए अनुमति दी गई। टेंडर हमने जारी नहीं कि, बल्कि टेंडर जिला प्रशासन ने जारी किया। जिला प्रशासन की अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति है, उनके नेतृत्व में टेंडर हुआ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने इस बात को स्वीकार लिया है कि राज्य समिति द्वारा यह टेंडर जारी हुआ था। पहला टेंडर 10 तारीख को होता है, जिसको निरस्त कर दिया जाता है। जिसमें मिनिमम 90 प्वाइंट्स की मार्किंग थी और आपको इतने-इतने क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, उसमें 90 प्वाइंट्स रहेंगे। उसके बाद उसको 52 पर ले आया जाता है और उस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर कर दिया जाता है। उसको 52 करने के बाद 4 तारीख को वह खुलता है। मैं जानता हूँ कि न्यूजपेपर कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन 4 तारीख के पहले जिस किराया भंडार को दिया गया है, हर जगह वहाँ पर दिख रहा है कि उसने काम शुरू कर दिया है। 4 तारीख को टेंडर खुलता है और तीन दिन के अंदर 9 तारीख तक वहाँ पर सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। यह कैसे पॉसिबल है? आदरणीय, यह बहुत बड़ा विषय है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह वैसे ही संभव है जैसे बोरे बासी दिवस पर और भेंट मुलाकात में होता है। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सुशांत जी, प्लीज आप डाइवर्ट मत कीजिये। बोरे बासी का प्रश्न नहीं लगा हुआ है। यदि आपको डाइवर्ट करना है तो प्लीज मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो सच है, उसका उल्लेख करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप बोरे बासी को यहां पर मत लाइये। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- भाई, यह बोरे बासी कहां से आ गया? आप बैठिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप डाइवर्ट मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बोरे बासी को क्लियर बताइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- बोरे बासी ला खाके आना है। गर्मी बढ़ गेहे। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- यह बहुत गंभीर विषय है। आप डाइवर्ट मत कीजिये। इसमें बोरे बासी कहीं पर नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यह डाइवर्ट करने का प्रश्न नहीं है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, वह बोरे बासी को जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं।

सभापति महोदय :- उन्होंने बोरे बासी बोल दिया, वह ठीक है। मंत्री जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आपका अंतिम प्रश्न है।

श्री दिलीप लहरिया :- आप चाउमिन वाले हैं। आप बोरे बासी नहीं खाते हैं तो क्या चाउमिन खाते हैं?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सर, छत्तीसगढ़ में बोरे बासी ही चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- भाई, बोरे बासी कहीं पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, भेंट मुलाकात के नाम पर भेंट मुलाकात का आवरण ओढ़ने वालों से मैं बात कर रहा हूँ। सभापति महोदय, इस विषय का जवाब दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, बोरे बासी कांटे और चम्मच से नहीं खाते हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- मंत्री जी को जवाब देने दीजिये। आप बैठ जाइये।

श्री दिलीप लहरिया :- दीदी, छत्तीसगढ़ में बोरे बासी नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- हमो मन बोरे बासी खाथन, लेकिन कांटा-चम्मच से नहीं खावन। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- इसमें करोड़ों रुपये खा रहे हैं। करोड़ों रुपये की बासी एक ही दिन में खा गये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह तरीका थोड़ी होता है। (व्यवधान)

श्री ललित चंद्राकर :- अइसे थोड़ी होथे जी कि एके दुकान में दो-दो काउंटर होथे। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तुंहर तो 3 काउंटर चलत हे। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप इसको क्लियर कीजिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- तो फेर ओखरे चर्चा करा लेथन। प्रश्नकाल के मतलब का होही? (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- आप लोग भी प्रश्न लगा लीजिये और प्रश्न कर लीजिये, मंत्री जी उसका जवाब देंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी, आपका अंतिम प्रश्न है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, मेरा अंतिम प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। वह यह है कि 10 तारीख को एक टेंडर होता है जिसमें 90 प्वाइंट्स रहते हैं, उसको कम करके उस टेंडर को निरस्त किया जाता है और उसको 52 प्वाइंट्स पर ले आया जाता है। उसके बाद काम पहले शुरू हो चुका है, यह बात सर्वविदित है। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि टेंडर के पहले काम शुरू होने की जो प्रक्रिया हुई है, क्या आप उसकी विधायक दल की समिति से जांच करायेंगे?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस विषय में पहले एक बार और सेम सवाल पूछा गया था और उसका जवाब भी दिया गया था और आज आपने दूसरी बार प्रश्न लगाया है। लेकिन आप घूम फिरकर उसी में जा रहे हैं। पहली बात, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यह जो स्काउट गाइड का कैंप था, वह छत्तीसगढ़ राज्य का ही नहीं था। वह नेशनल लेवल का था।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपने वह सब बता दिया है। वह जो पूछ रहे हैं, आप उसमें जवाब दे दीजिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह जो बोल रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, टेण्डर की प्रक्रिया में प्वाइंट कम करके उसको किसी दूसरे को देकर टेण्डर खोलने के पहले काम कराने का जो विषय आया है, क्या आप विधायक दल की समिति से उसकी जांच करायेंगे ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मेरा ऐसा कहना है कि अभी वहां विधायकों का दल जाकर क्या जांच करेगा ? जिस समय आयोजन हुआ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, वहां पर जितने न्यूज पेपर में उस डेट के पहले काम शुरू होने की खबर आ चुकी थी, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो सकती ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है और मैंने बताया है कि यह नेशनल लेवल का कार्यक्रम था। उसमें नेशनल का पार्ट अलग था, हमारा पार्ट अलग था। हमारा जो टेण्डर था,

वह 4 तारीख को कम्प्लीट हो गया था। हमारा जो काम था, वह 10 तारीख के बाद का था। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि पहले जब हमने टेण्डर प्रक्रिया की, उसमें हमने 90 अंकों को मानक माना और उन 90 अंकों में यह बोला गया था कि जिसने राष्ट्रपति लेवल का, प्रधानमंत्री लेवल का, केंद्रीय मंत्री लेवल का या मुख्यमंत्री लेवल का काम किया है, वही वेंडर उसमें भाग ले सकता है।

सभापति महोदय :- श्री सुनील कुमार सोनी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, इसी में मेरा भी सवाल है और मेरा प्रश्न भी लगा है।

सभापति महोदय :- आपका प्रश्न इसमें नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, 25 नंबर में मेरा प्रश्न लगा है।

सभापति महोदय :- 25 नंबर के प्रश्न का इसमें जवाब नहीं आयेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न भी जंबूरी के विषय में ही लगा है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, इसमें मेरा एक सवाल है।

सभापति महोदय :- आपने कहा कि अंतिम प्रश्न है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जंबूरी के विषय में ही लगा है और यह मेरे जिला का मामला है।

सभापति महोदय :- देखिये, आप यह बोलेंगे कि आपका प्रश्न 25 नंबर में लगा है और मंत्री जी उसका जवाब दें, तो मंत्री जी उसमें जवाब नहीं देंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न इसी विषय पर लगा है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, जांच का सीधा विषय यह है कि क्या टेण्डर के पहले काम शुरू हो गया था ? बार-बार यह शिकायत आ रही है और प्रश्न आ रहा है। क्या आप इसमें जांच करायेंगे ? आप सीधे हां या ना में इस बात का जवाब दे दीजिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, जांच वहां होती है जहां कोई भ्रष्टाचार हो या कोई बहुत बड़ा गोलमाल हो और यहां पर स्पष्ट है। यह नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। सारे बच्चे ..।

सभापति महोदय :- श्री सुनील कुमार सोनी जी।

श्री ओंकार साहू :- सभापति महोदय, इसमें 5 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। 5 करोड़ रुपये छोटी-मोटी राशि नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, इसी में मेरा भी प्रश्न है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय सभापति महोदय, इसमें लगातार शिकायत आई है कि टेण्डर के पहले काम शुरू हो चुका था तो मंत्री जी उसमें जांच क्यों नहीं करा रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप पूछ रहे हैं और मैंने पूछने की अनुमति दी है लेकिन जो जवाब आ रहा है, उसके अनुसार प्रश्न आगे नहीं बढ़ रहा है इसीलिए मैंने सुनील कुमार सोनी जी को आवाज दिया ।

श्री ललित चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बोरे बासी में 8 करोड़ रुपये का मामला था।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति महोदय, धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सुनील कुमार सोनी जी से निवेदन करते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज के प्रश्नोत्तर में विपक्षी दलों के बहुत सारे प्रश्न लगे हैं। यह मामला लगातार दो-दो बार आ चुका है।

सभापति महोदय :- मैं आपसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, सुनिये ना।

सभापति महोदय :- मैं आपसे केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूँ। यह प्रश्नकाल है और बहुत सारे सदस्यों के प्रश्न लगे हुए हैं। क्या यह संभव है कि जो प्रश्न लगे हैं, उन सब का जवाब मंत्री जी इसी प्रश्न में देंगे ? और ऐसा होता भी नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरा इसी प्रश्न में सवाल है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मंत्री जी जवाब दें।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह जी, आप यदि यह बोलेंगे कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है और मुझे एक प्रश्न करना है तो मैं आपको अवसर दे दूंगा। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि 25 नंबर में आपका प्रश्न लगा है और मंत्री जी उसका जवाब दें तो मैं मंत्री जी को 25 नंबर के प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं बोलूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, वैसा मत करिये लेकिन जो जो..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, इसी में मेरा प्रश्न लगा है और यह मेरे क्षेत्र का मामला है।

सभापति महोदय :- यदि आपके क्षेत्र का मामला है तो आप एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। सभापति महोदय, टेण्डर प्रक्रिया में बीट खोलने की तारीख 20 दिसंबर थी लेकिन उसके पहले ही संबंधित ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे दी जाती है और सीधे तौर पर मैं यही कहूंगा कि बिना बीट खोले उक्त ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ किया जा सकता है ? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह राशि क्या सीधे डी.ई.ओ. के खाते में जमा की जा सकती है ? मैं इस संबंध में जवाब चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, पहली बात, मैं यह स्पष्ट कह रहा हूँ कि किसी को भी पूर्व में काम करने की कोई अनुमति नहीं दी गयी। दूसरी बात, माननीय सदस्य जो टेण्डर प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। राज्य शासन स्वतंत्र है, वह किसी भी इकाई से अपना टेण्डर करा सकती है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यही सब का जो आरोप है, वह आप पर व्यक्तिगत नहीं है लेकिन यही आरोप है कि प्रशासन द्वारा टेण्डर खुलने के पहले वहां पर काम किया गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप सारे फोटोग्राफ्स को लेकर उसकी जांच करवा दीजिये कि ठेकेदार ने पहले काम किया है कि नहीं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं पहले से कह रहा हूँ। माननीय सदस्य समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप स्काउट गाइड को समझिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप तो एक बात समझिये कि कम से कम जिस दिन टेण्डर खुला है, उसके एक दिन पहले यदि वही एजेंसी वहां पर काम कर रही थी तो आप उसकी जांच करवा दीजिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं। यह आधार है। आप कहेंगे तो मैं पटल पर रख सकता हूँ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, उसकी जांच तब करायेंगे जब कोई भ्रष्टाचार हो, उसमें कोई विषय आये, अधिक भुगतान हो, कोई अन्य बात हो तब समझ में आता है। यदि कोई शिकायत ही नहीं है और रहा सवाल जो आयोजन हुआ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यदि टेण्डर खुलने से पहले वहां पर ठेकेदार काम शुरू कर दे रहा है तो हमारे पास उससे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण क्या है ?

श्री शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, टेण्डर खुलने से पहले वहां पर काम शुरू हो गया था।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ।

सभापति महोदय :- अब आप यह बताइये कि मंत्री जी आपके प्रश्न का जवाब दें कि कुंवर सिंह जी के प्रश्न का जवाब दें। उस हिसाब से मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, दोनों के प्रश्न एक ही है।

सभापति महोदय :- दोनों का प्रश्न एक ही है ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, दोनों का प्रश्न एक ही है।

सभापति महोदय :- चलिये मंत्री जी, जवाब दे दीजिये।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि नेशनल का काम अलग प्रकार था, हमारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ और नेशनल हेडक्वार्टर का एम.ओ.यू. हुआ था। जो उनके वर्क थे वह 4 दिसंबर से चालू हो गये थे। चूंकि उनकी जम्बूरी आलरेडी लखनऊ में थी, लखनऊ से सीधा उनका टेंडर हुआ था। वह अपने वेंडरों को लाकर काम किये हैं। और हमारे पार्ट का जो

काम था, वह 10 तारीख से चालू होने का था और 4 तारीख को हमारा टेंडर खुला और टेंडर खुलने के बाद हम उसमें काम किये। कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यक्तिगत मिलेंगे तो मैं और अच्छे से आपको स्पष्ट कर दूंगा।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, टेंडर खुलने के पहले काम शुरू हो चुका था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल स्पेसीफिक प्रश्न किया है कि क्या डी.ओ. के खाते में पैसा डाला जा सकता है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, डी.ओ. के खाते में पैसा नहीं डालेगा तो किसके खाते में पैसा डालेगा, आप जरा बतायें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, प्रयोजक तो स्काउट एवं गाइड है तो कैसे सीधे डी.ओ. के खाते में पैसा डाला जा सकता है?

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय सभापति महोदय, पिछले समय भी जब प्रश्न आय था तो भी स्पष्ट जवाब नहीं आया था और आज भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी जान-बूझकरके उत्तर को बदलना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए हम आप लोगों को नमस्ते करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय

11.21 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में।

(डॉ. चरणदास मंहत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं का युक्तियुक्तकरण

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 960) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितनी शालाओं का युक्तियुक्तकरण विगत वर्ष में किया गया है? रायपुर जिले की विकासखंडवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) युक्तियुक्तकरण के पश्चात उनकी आधारभूत संरचनाओं यथा रिक्त भूमि, रिक्त भवन इत्यादि के विषय में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए? जानकारी प्रदान करेंगे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्ष पूरे प्रदेश में 10538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। रायपुर जिले की विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र¹ अनुसार है। (ख) युक्तियुक्तकरण के पश्चात शालाओं की आधारभूत संरचनाओं यथा रिक्त भूमि, रिक्त भवन इत्यादि को शासकीय कार्यों में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरा प्रश्न स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के संदर्भ में है। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद में स्कूल के जो भवन खाली हुए हैं उसका उत्तर आया है कि उसका शासकीय कार्यों में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा। एक वर्ष में जहां-जहां स्कूलें खाली हुई हैं, मर्ज हुई हैं, उसका उपयोग आपने क्या किया ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, स्कूलों का युक्तियुक्तकरण इसी साल हुआ है, जो पिछला सत्र गया था। आप सब जानते हैं कि युक्तियुक्तकरण की पूरी कार्रवाई होती है, आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो चार्ज नहीं लिये हैं, मामला कोर्ट में है, बहुत सारे विषय हैं। जो युक्तियुक्तकरण हुआ, हमने लगभग 10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया है जिसमें 10,372 जो स्कूल हैं, एक ही परिसर में मर्ज किये गये हैं। उसमें मात्र 166 स्कूल ही ऐसे हैं जिसकी बिल्डिंग का हम अभी उपयोग नहीं ले पाये हैं। चूंकि अब नये सत्र से हम उसमें प्लान करेंगे कि उसको नये स्कूल में दे सकते हैं, प्राथमिक शाला के लिये कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं या हम वहां बालवाड़ी चालू कर सकते हैं। दूरियों को देखकर जहां जो उपयुक्त होगा, सारे जो हमारे खाली 166 भवन हैं, उसमें हम उपयोग में लेंगे।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, विभाग की तरफ से एक उत्तर आया था जो रिक्त भवन में कम्प्यूटर कक्ष, लैब कक्ष, लाइब्रेरी आदि विभाग बनाने का दावा किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलें मर्ज हुई हैं, उसके बाद में आपने दो चीजें कहा, एक चीज कहा कि जो बेहतर कंडीशन की स्कूल हैं, उसमें हमने मर्ज किया है। आज जो स्कूलें मर्ज हुई हैं, वहां पर आप क्या बनायेंगे ? क्या विवेकानंद की तर्ज पर स्कूल बनायेंगे ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि 166 भवन हैं, कहीं 02 कक्ष का भवन है, कहीं 04 कक्ष का भवन है। अब ये तय करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, हमारी टीम जायेगी कि कौन से भवन का उपयोग हम किसमें कर सकते हैं। दूसरी बात जो स्मार्ट क्लास, ई-क्लास की बात कर रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हुए हैं, जहां हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी भी है, उसमें मर्ज है तो उसमें बहुत आसानी से उसको स्मार्ट क्लास, ई-क्लास बनायेंगे ही।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, राजधानी है। यह फोटो मेरे पास में है। मैं आपको बता देता हूं कि इस राजधानी में आप मठपुरैना स्कूल, गणपत सिंधी स्कूल महापायापारा,

¹ परिशिष्ट "दो"

आर.डी. तिवारी स्कूल आजाद चौक का देख लीजिए। ये स्कूल इतने जर्जर हालत में हैं, हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं और विकसित छत्तीसगढ़ की मुख्य पहचान शिक्षा और स्वास्थ्य होती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर स्कूल के भवन अच्छे नहीं हैं, जहां गिर भवन गिर रहे हैं, उन भवनों का मैंने अपने पहले भी उल्लेख किया है, क्या आप इन स्कूलों के भवनों का नवीनीकरण करने के लिये पैसा देंगे या नवीनीकरण करेंगे?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां मरम्मत की आवश्यकता है, नवीन भवन की आवश्यकता है, अहाता की आवश्यकता है, प्राथमिकता में एक लिस्टिंग करके जहां प्रतिनिधि के द्वारा, विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो मांग आती है, उस मांग के अनुरूप पहले हम प्राथमिकता में वहां भी राशि जारी कर रहे हैं। अभी कन्टीन्यू है। मांग के अनुसार हम राशि जारी करेंगे और उन स्कूलों को दूरस्त करेंगे।

श्री सुनील कुमार सोनी :- अभी तक के कितनी राशि जारी कर दिये ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी तक लगभग 1200 प्राथमिक शाला को हमने स्कूल जारी किया है, 507 हमने...।

श्री सुनील कुमार सोनी :- राजधानी में कितने स्कूल हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह लिस्ट में आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

सभापति महोदय :- आप उपलब्ध करा देना । अजय चंद्राकर जी ।

श्री सुनील कुमार सोनी :- माननीय सभापति महोदय, प्राईमरी और मिडिल स्कूल में भवन एवं कक्षाओं की संख्या बढ़ी है । आप केवल मिडिल स्कूल के बच्चों की उस स्कूल के अंदर में अनुदान दे रहे हैं, संख्या बढ़ी, आपने अनुदान कम कर दिया । इसका उदाहरण है कि तिल्दा विकासखंड के अंदर में स्कूल है, मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूं तो क्या उसके अंदर में आप ऐसे अनुदान भी बढ़ायेंगे ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, उसमें फिक्स है । राज्य शासन से राशि फिक्स है, प्राईमरी के लिये कितना देना है, मिडिल के लिये कितना देना है, हाईस्कूल के लिये कितना देना है और हॉयर सेकेण्डरी के लिये कितना देना है। प्रति बच्चों की संख्या के हिसाब से कितने अतिरिक्त कक्ष बनेंगे उसके आधार पर हम उसमें राशि जारी करेंगे ।

सभापति महोदय :- अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, टीचर्स का युक्तियुक्तकरण किया गया या स्कूल का युक्तियुक्तकरण ? तो स्कूल के युक्तियुक्तकरण से अभिप्राय क्या है, कितने स्कूल और उसके लिये आपने क्या नीति बनायी और जो स्कूल खाली हुए उसमें क्या-क्या परिसंपत्तियां थीं, किस तरह की परिसंपत्तियां थीं और उसके उपयोग के लिये क्या कार्यक्रम बनाये हैं जिसको आप कब तक क्रियान्वित करेंगे ? क्योंकि यदि आप तत्काल निर्णय नहीं लेंगे तो वह परिसंपत्तियां तो नष्ट होंगी ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं । हमने दो अलग-अलग चरणों में किया है, एक स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है और एक शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, सुनिये न । माननीय सभापति महोदय, आपने टीचर्स का किया है । स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से आपका अभिप्राय क्या है ? टीचर्स को मत, जो विषय है हम उसी में चलें न और उसमें जो परिसंपत्ति है उसके उपयोग के लिये भी आपने कोई युक्तियुक्त किया तो आपने बिंदु तय किये रहे होंगे कि जो परिसंपत्तियां हैं, हम उसका कैसे उपयोग करेंगे ? वह क्या किया था, वह कुल कितनी परिसंपत्तियां हैं और उसको कब तक क्रियान्वित करेंगे ? बहुत स्पेसिफिक है, उसी में चलें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमने स्कूलों का युक्तियुक्तकरण इसलिये किया कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि एक परिसर में 4 अलग-अलग स्कूल चलते थे । प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाईस्कूल-हायर सेकेण्डरी, एक बच्चा उसी परिसर में प्राथमिक से पूर्व में जा रहा है, पूर्व से हाई में जा रहा है और हाई से हायर सेकेण्डरी में तो बार-बार उसको टी.सी. लेना पड़ रहा है फिर उसको टी.सी. से दूसरे स्कूल में दाखिला तो एक तो इससे बच्चों के स्कूल छोड़ने की संख्या बढ़ रही थी । दूसरा कारण, एक स्कूल में कहीं मिडिल स्कूल है वहां पर्याप्त टीचर हैं और उसी परिसर में कोई प्राइमरी स्कूल है वहां टीचर नहीं हैं तो मिडिल स्कूल के टीचरों को यह लगता था कि मेरा क्या काम है, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं, मैं वहां पढ़ाऊंगा नहीं तो हमने उसकी प्रशासकीय व्यवस्था यह की कि जब एक बिल्डिंग, एक परिसर है तो एक प्रिंसिपल रहेंगे, उसके अधीनस्थ सभी स्कूल उसके अंडर में रहें । जहां जैसे विज्ञान के शिक्षक मान लो हाईस्कूल में हैं, मिडिल में नहीं हैं तो वह शिक्षक को वहां भेजकर पढ़ा सकें । मिडिल में कोई शिक्षक है, प्राइमरी में उसको पढ़ा सकते हैं । व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये यह युक्तियुक्तकरण किया गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं कि युक्तियुक्तकरण करने के बाद कितनी परिसंपत्तियां आपकी खाली हुईं, उन परिसंपत्तियों के उपयोग के लिये समयबद्ध कार्यक्रम, कब तक उसका उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे क्योंकि वह सारी परिसंपत्तियां तो आपके लॉक बुक में है ? दूसरे विभाग करेंगे, आप करेंगे, क्या करेंगे उसके लिये आपके कोई नीति-कार्यक्रम हों और उसको कब तक क्रियान्वित करेंगे ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही बताया कि हमने 10,538 युक्तियुक्तकरण किया जिसमें 10,372 एक ही परिसर का किया गया । एकमात्र 166 स्कूल ऐसे हैं जो अलग से हैं, वह शिक्षा विभाग के अंडर में हैं, अभी हम स्कूलों का क्या उपयोग ला सकते हैं, प्लान कर रहे हैं । नया सत्र में जब स्कूल खुलेगा, उसके पूर्व उनकी उपयोगिता क्या है ? उसको तय करेंगे और तय करके उसको प्रारंभ करेंगे ।

सभापति महोदय :- राजेश मूणत । आप भी प्रश्न कर लें, मंत्री जी एक-साथ जवाब दे देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर भी कोई स्पष्ट अभिमत उन्होंने नहीं बताया, केवल शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की बात हमने सुनी थी । इस प्रश्न के माध्यम से पहली बार यह उद्घाटित हो रहा है कि स्कूलों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है । स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने से आपकी कितनी शालाएं बंद हुईं ? कौन से स्तर की शालायें बंद हुईं ? प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, कितने स्कूल बंद किये गये हैं? और उसके टीचर्स कितने थे जिसको आपने नियोजित किया ? आप केवल संख्या भर बता दीजियेगा कि हमने इन्हे टीचर्स नियोजित किये हैं और इतने स्कूल बंद किये हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो वही बता रहा हूँ ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, युक्तियुक्तकरण में कितने स्कूल बंद हुए ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, 10,372 स्कूलों को हमने युक्तियुक्तकरण किया जिसमें पूर्णतः एकमात्र 166 स्कूल ही बंद हुए हैं, जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यहां 166 स्कूल बंद हुए हैं। प्रायमरी, मिडिल, हाईस्कूल स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल की संख्या...।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं सब मिलाकर बता रहा हूँ। हाईस्कूल स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल का युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ है। हम सिर्फ प्रायमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में ही युक्तियुक्तकरण हुआ है। पूरे प्रदेश में 166 स्कूल हैं जिसका हमने उपयोग नहीं किया। हम नये सत्र से उसका उपयोग करेंगे।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मेरा भी प्रश्न लगा हुआ है।

सभापति महोदय :- क्या है। ऐसा संभव नहीं है कि एक प्रश्न में सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न के लिए समय दिया जाये। इतना समय नहीं है। यह रायपुर का मामला है इसलिए माननीय सदस्य राजेश मूणत जी, आप प्रश्न कर लें।

श्री रोहित साहू:- माननीय सभापति महोदय, मैं युक्तियुक्तकरण की बात बात कर रहा हूँ। फिंगेश्वर में युक्तियुक्तकरण में 500 से ज्यादा संख्या कन्या स्कूल का था तो उसी के लिए निवेदन था कि उसको बालक शाला में मर्ज कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत आन्दोलन भी हुआ है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी को आप यह लिखकर दे दीजिए।

श्री रोहित साहू:- माननीय सभापति महोदय, यह अलग-अलग परिसर में है। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वहां उस युक्तियुक्तकरण को निरस्त करके, कन्या स्कूल को अलग किया जाये।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर 10 हजार 300 से ज्यादा युक्तियुक्तकरण हुआ है।

सभापति महोदय :- माननीय राजेश मूणत जी, आप लोग लिखकर दे दीजिए। माननीय राजेश मूणत जी, आप प्रश्न कर लें। यह रायपुर का मामला है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। यह राजधानी का मामला है। माननीय मंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश का विस्तार से बता दिया है। केवल रायपुर जिले में 167 स्कूल हैं जिनका युक्तियुक्तकरण किया। आपकी उसकी कार्ययोजना क्या है ? उसका पहले सर्वे हुआ। कौन-कौन से स्कूलों में कितने-कितने विद्यार्थियों हैं, उनको किन-किन स्कूलों में शिफ्ट किया ? क्या वहां पर भरपूर स्टाफ है, क्या वहां पर पूरा सेटअप है? क्या वहां बैठने के लिए बिल्डिंग है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि रायपुर नगर निगम के माध्यम से 3 करोड़ रुपये की एक बिल्डिंग बनी है। आपने मिडिल स्कूल शिफ्ट कर दिया तो वहां पर बैठने के लिए दरी तक नहीं थी। मैंने आपके डी.ई.ओ. और डायरेक्टर को लिखकर भेजा और फिर आपको भी आकर बताया। मैंने खुद जाकर वहां दरी खरीदकर दी। अगर राजधानी में युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों की यह स्थिति है तो क्या आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि राजधानी के जितने भी स्कूल हैं, अगर इन स्कूलों में फर्नीचर की आवश्यकता है, लैब की आवश्यकता है या टीचर की आवश्यकता है। आपने युक्तियुक्तकरण किया, आपने दो युक्तियुक्तकरण किया। पहला आपने टीचर का युक्तियुक्तकरण किया। अगर कहीं पर टीचर उपलब्ध नहीं है और आज भी जिनका अटैचमेंट है तो क्या आप उनका अटैचमेंट खत्म करेंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने युक्तियुक्तकरण किया।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य आप दोनों पूछ लीजिए। पहला आप टीचर का पूछ लीजिए और दूसरा बिल्डिंग का पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह दोनों प्रश्न है और रायपुर शहर में राजधानी के लिए जो बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव थे, आपने खुद ने बुलाया और हमसे कहा कि आप बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। 5 महीने हो गये। 5 महीने में एक छोटा सा काम नहीं हुआ। यह कब जारी होगा। मार्च महीना खत्म हो जाएगा। यह वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा और आपने खुद बुलाकर बोला है कि आप हमें प्रस्ताव दे दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय जी ने जो विषय कहा है। यहां पर बिल्डिंग मरम्मत के लिए क्रमशः सब जारी हो रहा है, बहुत सारा जारी हो गया है। यहां पर इसकी मांग आ रही है और यह जारी हो ही रहा है। 30 मार्च के पहले-पहले सारे स्कूलों के लिए बिल्डिंग जहां पर आवश्यकता है...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, उसको सुनिश्चित करें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है कि इस रायपुर में कितने हैं, आप केवल यह बता दीजिए? माननीय सुनील सोनी जी का प्रश्न केवल रायपुर का है। हम प्रदेश का नहीं पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय :- वह रायपुर का ही प्रश्न है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, हम केवल रायपुर का ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि रायपुर में कितने स्कूल ऐसे हैं ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमने रायपुर में 389 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपने युक्तियुक्तकरण किया। यहां ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनकी संपत्ति है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, रायपुर में 389 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है, जिसमें एक ही परिसर में 385 स्कूलों को समायोजित किया है। यहां केवल 4 स्कूल ऐसे हैं, जिनकी बिल्डिंग खाली है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग अच्छी है, जहां बच्चों की संख्या कम है। अभी हम स्वामी विवेकानंद आदर्श स्कूल ला रहे हैं हम सारे ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर रहे हैं। सभी स्कूलों में जहां बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे नहीं हैं उनको मॉडल स्कूल के तहत में जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल चला है उसी पैटर्न पर हम इस सत्र से 150 विवेकानंद आदर्श स्कूल चालू करने वाले हैं। इससे व्यवस्था अच्छी हो जाएगी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपको जो चिट दे रहे हैं आप उसमें बोल रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं चिट को देखकर नहीं बोल रहा हूँ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आपके डायरेक्टर, आपके सेक्रेटरी को मैंने खुद लिखकर भेजा है, उस स्कूल का एक बार भी परीक्षण करने नहीं गये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप राजधानी के स्कूल का परीक्षण करने के लिए निकलेंगे क्या ? मैं केवल इतना ही चाहता हूँ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यहां हम सब जगह परीक्षण करवा लेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, आप वहां चलेंगे क्या ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हां, मैं वहां खुद जाऊंगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, समय ला व्यर्थ मत गवावव। तुमन युक्तियुक्तकरण करे बर दस्तखत करय हव। ए सरकार निर्णय ले हे तेमे सब विधायक मन सम्मिलित हव। ए सत्तापक्ष के विधायक सब मन मिलकर युक्तियुक्तकरण करे हे । आज ए मन सब होशियारी मारत हे। हमन ला गोठियान नइ देवत हव। सब मिलके करे हौ, सरकार हा।

श्री ललित चन्द्राकर:- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि युक्तियुक्तकरण का नियम संपूर्ण राज्य में एक जैसा या फिर जिलेवार, संभागवार अलग-अलग है। चूंकि दुर्ग जिले का मामला आया था और प्रधान पाठक के ...।

सभापति महोदय :- यह रायपुर का मामला है, दुर्ग का मामला कैसे आएगा ?

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, दुर्ग ग्रामीण का मामला है ।

सभापति महोदय :- यह रायपुर का प्रश्न है ।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, उसे से संबंधित है ।

सभापति महोदय :- आप पूछिए न, मंत्री जी बताईए ।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, दुर्ग जिले के मामले में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है । प्रधान पाठक द्वारा अपने को लाभ दिलाने से संबंधित विषय है ।

श्री गजेन्द्र यादव:- आपको जानकारी दे जाएगी ।

सभापति महोदय :- आप उनको अलग से जानकारी उपलब्ध करा देना ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप लोग आजू-बाजू वाले हो, कभी भी पूछ लेना, क्या दिक्कत है ।

श्री ललित चन्द्राकर :- नहीं मिलथे, तभी तो पूछथों गा।

सभापति महोदय :- आप लिखकर दे दीजिए न, मंत्री जी आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, स्पेशिफिक प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- स्पेशिफिक की बात नहीं है । सुनील सोनी जी के द्वारा रायपुर का प्रश्न पूछा गया था । आप दुर्ग की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप लिखकर दे दीजिए, मंत्री जी उपलब्ध करवा देंगे ।

राज्य के जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 2298) श्री बघेल लखेश्वर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य के जिलों में अद्यतन स्थिति में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं ? जिले के नाम सहित विषयवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) क्या इन अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए प्रावधानित राशि पूरे राज्य में समान है अथवा अलग-अलग? पृथक-पृथक होने की स्थिति में जिलेवार प्रावधानित मानदेय की राशि बतावें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र² अनुसार है। (ख) जी हाँ समान है। प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को 20 हजार रूपए निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होता है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, आप जो वेतन दे रहे हैं, क्या वह सभी जिलों में समान है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, बिल्कुल समान है, सभी जिलों में समान है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, 2024 से अब कि कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया ? किसी भी जिले का विज्ञापन निकाला गया है तो उसकी जानकारी दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अभी हमने कोई भी नया अतिथि शिक्षक भर्ती नहीं किया है । जो पुराने हैं, उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण के लिए विभाग कोई योजना बना रहा है क्या ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, ऐसी कोई योजना नहीं है । चूंकि वे अतिथि शिक्षक हैं । हम तो रेग्युलर शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनका नियमितिकरण होगा ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, हमने कहीं नहीं का था । राज्य में कहीं भी अतिथि शिक्षक को नियमितिकरण करने की बात नहीं की थी ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सभापति महोदय, आपने कहा था, हमारे पास मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था । आपने कहा था कि अतिथि शिक्षक की नियमितिकरण हमारी तरफ से होगा, यह आपने कहा था ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या ? आपने गारंटी दी थी तो क्या उनको नियमित करेंगे ?

² परिशिष्ट "तीन"

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि अतिथि शिक्षकों को 20 हजार रूपए प्रतिमाह देते हैं। साथ में यह भी कहा कि अटेंडेंस के आधार पर देते हैं। या तो प्रति माह 20 हजार सही होगा या वह राशि प्रतिदिन होगी तो पहले उसको क्लीयर कर दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कालेजों में एडहाक के रूप में अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही वहां की जो शाला विकास समिति है, विषयवार शिक्षकों की हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र है, वहां अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, सीधी बात है या प्रतिमाह है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसमें पूरक प्रश्न करिए इसलिए मैं जवाब दे रहे हूं। उसमें स्थानीय स्तर पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है। उन्हें शासन को 20 हजार रूपए महीना देना है। 20 हजार रूपए महीने के वेतन में अगर शिक्षक 15 दिन नहीं आएगा तो उसको 20 हजार रूपए नहीं दे सकते। वह 20 हजार रूपए माह का फिक्स है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इसका मतलब है कि वह प्रतिदिन है।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, हां तो वह प्रतिदिन हो गया न।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, 20 हजार प्रतिदिन नहीं है, वह 20 हजार रूपए माह है। उसको अटेंडेंस के हिसाब से पेमेंट करते हैं।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है, वह प्रतिमाह के हिसाब से है। यदि कोई शिक्षक एक दिन नहीं आएगा तो उसका कितना पेमेंट कटेगा ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, जोड़ घटाना कर लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। आपके मोदी जी की गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितिकरण करेंगे। वह नियमितिकरण आप कब करेंगे और नहीं करेंगे तो आप स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नियमितिकरण नहीं करने वाले हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, नियमितिकरण उस कर्मचारी का किया जाता है, जो दैनिक वेतन भोगी रहते हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण की कोई बात नहीं की गई है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैंने तो आपको स्पष्ट जवाब कर दिया कि वे डेली वेजेट हैं क्योंकि आप उनको प्रतिदिन दे रहे हैं। यही तो मैंने कहा कि प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं। प्रति माह के हिसाब से नहीं दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, डेली वेजस में पीडब्ल्यूडी, एरीकेशन के होते हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जो नियमित कर्मचारी होता है, उसकी छुट्टी भी तय होती है, उसका पेमेंट नहीं कटता है। आप अटेंडेंस के हिसाब से पैसा काटते हैं, वह डेली वेजेस की तरह की आपके यहां काम कर है इसलिए आप उसको नियमितकरण करेंगे या नहीं करेंगे और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है, क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे ? सिर्फ इतना बता दीजिए।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मोदी जी की सारी गारंटी पूरी हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, कब करेंगे ? समय सीमा बताईए।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी कब करेंगे, उनकी ओर से जवाब नहीं आ रहा है। आप असत्य कथन कह रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यावसायिक शिक्षा मण्डल में जो भर्ती होए रिहीस हे, गरीब आदमी से लाखों रूपया ले रिहीन हे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने मोदी जी गारंटी की घोषणा की थी, उसे पूरा करवा दीजिए। आप उनको नियमित करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- वे अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- हर गरीब आदमियों की बददुआ ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी असत्य गारंटी है। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- आप सभी लोग बैठिये। मैं बोल रहा हूँ, आप (श्री उमेश पटेल, सदस्य) बैठिये न।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये तो सही।

एक माननीय सदस्य :- यह ग्यारह महनी की वारंटी है, यह कोई गारंटी नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- इसलिए हम लोग इस जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन करते हैं।

समय

11.41 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

रायपुर संभागान्तमर्गत स्थापित किये जा रहे सोलर संयंत्र

[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (*क्र. 2674) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-(क) राज्य में सोलर प्लांट स्थापना हेतु क्या नीति है ? रायपुर संभाग में अब तक कितनी-कितनी क्षमता के सोलर संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं ? उपरोक्त सोलर संयंत्रों को कितनी शासकीय और निजी भूमि किस दर पर लीज पर प्रदान की गई है ? संयंत्रवार, आबंटित भूमि, निजी भूमि, लीज दर एवं लीज अवधि की जानकारी जिलावार प्रदान करें? (ख) सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु किसानों से निजी भूमि को किस दर पर लीज पर लेने का प्रावधान है ? (ग) सोलर संयंत्र स्थापना में अनियमितता की कितनी शिकायतें वर्ष 2025 में प्राप्त हुई हैं ? उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ? जानकारी संयंत्रवार, जिलावार बताएं ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) राज्य में सोलर प्लांट स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017-30 लागू की गई है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। उक्त सौर ऊर्जा नीति के तहत प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को औद्योगिक नीति में निहित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत सोलर संयंत्रों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। रायपुर संभाग में विभिन्न क्षमता के 14 सोलर संयंत्रपुस्तकालय में रखेप्रपत्र स एवं द में दर्शित स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं। सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त स्थापनाधीन सोलर संयंत्रों में से एक इकाई मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड को ग्राम-जंगलबेडा, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय भूमि राशि 4,82,300 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 99 वर्ष की लीज पर प्रदान की गई है। किसी भी सोलर संयंत्र हेतु निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। शासकीय भूमि पर स्थापनाधीन उद्योग की जानकारी पुस्तकालय में रखेप्रपत्र-स तथा निजी भूमि पर स्थापनाधीन उद्योग की जानकारी पुस्तकालय में रखेप्रपत्र-द अनुसार है। (ख) सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु किसानों से निजी भूमि लीज में शासन द्वारा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, जिला-महासमुंद से प्राप्त जानकारी अनुसार सोलर संयंत्र मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड, ग्राम-जंगलबेडा, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुंद की स्थापना के सम्बन्ध में अनियमितता की 03 शिकायतें वर्ष 2025 में प्राप्त हुई हैं, शिकायत तथा उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्री हा अपन लिखित जवाब में बताय हावय कि सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली ..।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, वह बहिर्गमन होने के बाद भी उनका प्रश्न चल रहा है। मतलब उनसे होकर हमारे में आ गए हैं क्या ?

सभापति महोदय :- रोहित जी, आप बैठिये। प्रश्नकाल में उनको प्रश्न करने दीजिये। आप अपना प्रश्न पूछिये, उधर मत देखिये। चातुरी नंद जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय उद्योग मंत्री हा जवाब दे हावय कि सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली जिला महासमुन्द मा 102.93 हैक्टेयर शासकीय जमीन ला मात्र 4,82,300/- मा 99 बरस बर लीज मा देय गय हे। 102.393 हैक्टेयर यानी लगभग 253 एकड़ जमीन कारखाना के क्षमता बढ़ाय बर बहुत ज्यादा हावय। सोलर प्लाण्ट के लिए इतना ज्यादा जमीन के जरूरत के निर्धारण ..।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं मोर प्रश्न आवत हव। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहत हव कि सोलर प्लाण्ट बर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करे गय हावय ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, सोलर प्लाण्ट के लिए जमीन के जो आवंटन हे, ओखर मांग के अनुसार जमीन आवंटन किये गय हे। मैं पूरा डिटेल मा बताना चाहू। मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ने दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 में निवेश आमंत्रण पर अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा में जमीन दिए जाने की दिनांक 30 सन् 2024 को दिये गये सामान्य सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से दिया गया है। जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इतना अधिक जमीन कैसे दिया गया तो जैसे-जैसे उद्योग के विस्तार की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार जमीन आवंटित की जाती है। उनको पूरा जमीन नियमानुसार आवंटित की गई है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, कृपया यह बताय के कृपा करय कि रायपुर संभाग मा मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला जंगलबेड़ा मा जो जमीन उपलब्ध कराय गय हे, 10 फरवरी, 2025 को उपलब्ध कराय गय हे, मैं एखर बर पूछना चाहत हव कि का जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम-कानून ला ताक मा रखके करे गय हे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, जमीन का आवंटन पूर्व के नियमा प्रक्रिया के तहत हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगी तो मैं उनको डिटेल में बता देता हूं कि किस

तारीख को कलेक्टर की अनुमति हुई, कैसे सी.एस.आई.डी.सी.में आया, कैसे उद्योग विभाग के पास आया और फिर जमीन आवंटित हुआ। मैं उनको पूरा तारीखवार बता देता हूँ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी कहत हावय कि कलेक्टर के आदेश के तहत ये आवंटन होय हावय। तो कलेक्टर के आदेश के तहत जो आवंटन होय हावय , ओ आवंटन के बात ये मन नियम के तहत करत हावय, जो सरासर असत्य और सदन ला गुमराह करने के बात हावय। कलेक्टर महासमुन्द हा उद्योग विभाग ला औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना बर जमीन देहे रहिस हे। न कि कोनो विशेष औद्योगिक प्रयोजन के तहत एला दे रिहीसे। नवा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के जगह कोनो इकाई विशेष ला जमीन आवंटन करे बर शासन से का अनुमति लिए गे रिहीसे?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैं डिटेल में बता देता हूँ। गोदावरी इस्पात 4 दिसंबर, 2024 को निमंत्रण अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगलबेड़ा की जमीन को दिए जाने की दिनांक 30 दिसंबर, 2024, ग्राम पंचायत सामान्य सभा द्वारा कलेक्टर, महासमुंद के द्वारा एन.ओ.सी. दी गई। 102 हेक्टेयर शासकीय भूमि, 25 फरवरी, 2025 को कलेक्टर के द्वारा उद्योग विभाग को जमीन दी गई। 6 मार्च, 2025 को उद्योग विभाग महासमुंद द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. को दी गई। 22 मई, 2025 को सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा जमीन गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को दी गई। इस तरह से जमीन का आवंटन पूरी प्रक्रिया के तहत में हुआ है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय कलेक्टर महासमुंद के आदेश मा स्पष्ट तौर पे उल्लेखित हावे - माननीय मंत्री जी के पास हमर कलेक्टर साहब के आदेश के कॉपी तो होबेच करही, ओमे पहली कंडिका में ये लिखाय हावे कि ये जो जमीन है, ये औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना बर दिये जात हे और अगर एकर से हट के कोनो दूसरा प्रयोजन एमे होही तो ये जो लीज डीड है, ये स्वतः निरस्त हो जाही ये अइसे लिखाय हावे। (शेम-शेम की आवाज) लेकिन ओकर बावजूद सी.एस.आई.डी.सी. के अधिकारी मन कौन से नियम के तहत निजी संयंत्र ला शासकीय जमीन पर लीज दे हावे?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत अब मैंने पहले ही डिटेल में बताया है कि कलेक्टर ने उद्योग विभाग को दिया, उद्योग विभाग ने सी.एस.आई.डी.सी. को दिया, सी.एस.आई.डी.सी. ने गोदावरी इस्पात को दिया और पूरा औद्योगिक नीति के तहत में आवंटन किया गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी जिला से हूँ। एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 5 और 6 लाख में आपने आवंटित किया। कौन सी नीति के तहत आप आवंटित किए

हैं? उस कंपनी को ऐसी क्या व्यवस्था है कि 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 6 लाख रूपए में..।

श्रीमती चातुरी नंद :- 4 लाख रूपए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कौन सी नीति के तहत आप दिए हैं, बताइये?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, जमीन जो 102 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट उद्योग हेतु प्रीमियम 4,82,300 प्रति हेक्टेयर की दर से 99 वर्षों के लीज पर दिया गया है, जिसका साल का 4 करोड़ 77 लाख रूपया होता है। उसी तरह प्रति वर्ष निर्धारित समय पर शासन को 28,99,654 रूपया वार्षिक लीज रेंट भुगतान भी करना होगा।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक मिनट। टोटल एक वर्ष में वे कितना जमा करेंगे ?

श्री दिलीप लहरिया :- 28 लाख और 99 वर्षों में?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आप 28 लाख जमा करेंगे बोल रहे हैं। मैं प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं, किस प्रक्रिया के तहत इतनी कम दर पर आप जमीन आवंटित किए हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- ये प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दर जमा करना होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप प्रति वर्ष बता दिए, लेकिन इतनी कम दर पर कौन सी प्रक्रिया के तहत आप उस कंपनी को भूमि आवंटित किए हैं?

श्री रामकुमार यादव :- उद्योगपति मन ला देना है तो सस्ता, एते कन तो पानी के भाव है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत इसमें कोई कम दर में नहीं दिया गया है। उसका दो प्रीमियम है, एक प्रति हेक्टेयर वार्षिक 4,82,300 रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित समय पर 28,99,000 प्रतिवर्ष उनको देना होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, पूरी प्रक्रिया बता दीजिये। क्या प्रक्रिया अपनाये हैं? पहले प्रक्रिया बता दीजिए।

सभापति महोदय :- प्रक्रिया पहले बताये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, सभापति महोदय, आवंटन की प्रक्रिया नहीं बताये हैं।

सभापति महोदय :- बता दिये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आवंटन की प्रक्रिया नहीं बताये। कितने कंपनी उसमें भाग लिये? कब निविदा आमंत्रित किया गया? प्रक्रिया बताइये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ये सरकार हर उद्योगपति मन कने गहना धरा गे हे। जिहां देखा तहां उद्योगपति-उद्योगपति, हमन किसान के कभू सुनइया?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट उनका जवाब दे देता हूँ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, मेरा जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- गौठान बना देना रहिसे। गौ माता की सेवा होती। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं प्रश्न किया हूँ। सभापति की अनुमति से मैंने प्रश्न किया है। मैं उसी जिला से आता हूँ।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2017-30 लागू की गई है। व्यक्ति, कंपनी, विकासकर्ता द्वारा सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाई जा सकती है। सौर विद्युत उत्पादन स्वयं उपयोग या विक्रय के लिए उपलब्ध होगी। 1 किलावाट या उससे अधिक क्षमता का छत प्लांट लगाए जा सकते हैं। औद्योगिक नीति के तहत छूट भी प्राप्त होगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री महोदय, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं उसकी प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। आपने निविदा आमंत्रित की और उसमें कितने कंपनियों ने भाग लिया? उन कंपनियों को कैसे 28 लाख में आबंटित किया गया?

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, वह लोग प्रश्न को समझने को तैयार ही नहीं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने M.O.U. किया। पहले आपकी सरकार ने भी M.O.U. किया था। आप लोग पहले समझ लीजिये, सुन लीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या मंत्री जी सक्षम नहीं हैं? आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। मंत्री जी, क्या आप सक्षम नहीं हैं?

श्री उमेश पटेल :- राजेश भैया, क्या मंत्री जी सक्षम नहीं हैं? उनको आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी सक्षम हैं और आपके पूरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आपको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? आप सक्षम व्यक्ति थे, लेकिन आपको उधर लाये नहीं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, जो जवाब आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, जंगलमेढा में जो सोलर प्लांट स्थापित है, ये हर न केवल नियम-कानून ला ताक में रखके जमीन आबंटित करे गए हैं, बल्कि ये हर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन करत हावय। खुला उल्लंघन करने के कारण गाँव के मन 20 अगस्त, 2025 के विरोध करीन। ग्राम सभा के जाँच में भी पाय गीस कि वहां पर वृक्ष के अवैध कटाई होय हे।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोला बतान तो देवौ।

सभापति महोदय :- तैं बतात जाबे ता एक प्रश्न मा पूरा टाइम निकल जाही। एकर लिये प्रश्न कर।

श्रीमती चातुरी नंद :- मोर क्षेत्र के मामला हे, मोला बताय नहीं दिहा तो मैं सवाल कइसे करहूँ?

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, वहां पेड़ों के कटाई होय हे, वहां नाला ला पाट दिए गए हे, वहां सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन होत हे ता मैं बोलहूँ कैसे? वहां नदी-नाला ला पाट देत हे। ओ हर अनुसूचित क्षेत्र मा आथे, झाई एरिया हावय, लेकिन तालाब ला पाट दिए जात हे। मतलब वहां सीधा-सीधा कानूनन अपराध होत हे। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहत हौं कि नियम विरुद्ध ये जो शासकीय जमीन ला लीज में दे हे, का अइसे अधिकारी मन के ऊपर मा मंत्री जी कार्यवाही करही?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, वहाँ के संबंध में तीन तीन शिकायतें मिली थीं, उसके आधार पर कार्यवाही भी हुई है। माननीय विधायक महोदय ने कलेक्टर जी को पत्र लिखा था। कलेक्टर ने सारी विषय की जाँच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो भी दोषी होंगे, वह निकल कर सामने आएगा। माननीय विधायक महोदय के लेटर के अनुसार ही उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न है।

लेबर लाइसेंस एवं श्रमिकों के पी.पी.एफ. जमा करने संबंधी

[श्रम]

5. (*क्र. 2691) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) श्रम कानून 1970 अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत किसी ठेकेदार को लेबर लाइसेंस हेतु क्या-क्या नियम/शर्तें निर्धारित हैं? नियम/शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें? न्यूनतम कितनी संख्या में श्रमिकों को काम देने वाले ठेकेदार/फर्म को लाइसेंस लेना अनिवार्य है? (ख) क्या लोक निर्माण विभाग अंतर्गत अक्टूबर, 2020 से जून, 2025 तक हाईकोर्ट में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य जिस कंपनी/ठेकेदार/फर्म द्वारा किया गया, उसने श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस/श्रमिकों का पंजीयन करवाया है? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" की कंपनी/ठेकेदार /फर्म द्वारा इस निर्माण कार्य हेतु कार्य एवं कार्य के अनुपात में आवश्यक लेबर की संख्या हेतु लेबर लाइसेंस लिया गया

था? यदि हाँ, तो लाइसेंस एवं जमा चालान की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो किस आधार पर फर्म को कार्य आबंटित किया गया? (घ) क्या प्रश्नांश "ख" की कंपनी/ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्यरत श्रमिकों का नियमानुसार पी.पी.एफ. जमा किया गया है? यदि नहीं, तो श्रम कानून में निर्धारित नियमों के विपरीत कार्य किये जाने पर क्या कार्रवाई किया जाना निर्धारित है? क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) : (क) संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 एवं संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) छ0ग0 नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नियम एवं शर्तों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र³ अनुसार** है। संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 1(4)(ख) के अनुसार बीस या इससे अधिक या पूर्ववर्ती 12 मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक संविदा श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। (ख) जी हां, कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-02, जिला बिलासपुर द्वारा अक्टूबर, 2020 से जून, 2025 तक माननीय उच्च न्यायालय परिसर बोदरी, बिलासपुर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु विभाग से निम्न ठेकेदारों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है :-

क्र.	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण
1.	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल, पता-तुलसी नेहरू गार्डन के पास रत्नाबांध, जिला-धमतरी	07 नग कोर्ट रूम का निर्माण कार्य
2.	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल, पता-तुलसी नेहरू गार्डन के पास रत्नाबांध, जिला-धमतरी	72 नगर एफ टाईप, 112 नग एच टाईप एवं 172 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य, विद्युतीकरण सहित

संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान नहीं है। (ग) ठेकेदार मेसर्स अशोक खण्डेलवाल, पता-तुलसी नेहरू गार्डन के पास रत्नाबांधी, जिला धमतरी को माननीय उच्च न्यायालय परिसर बोदरी, बिलासपुर में 07 नग कोर्ट रूम का निर्माण कार्य हेतु 20 श्रमिकों के लिए तथा 72 नग एफ टाईप, 112 नग एच टाईप एवं 172 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण कार्य, विद्युतीकरण सहित कार्य हेतु 20 श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति हेतु विभागीय पोर्टल में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति जारी किया गया। उक्त जारी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है एवं ई-चालान क्रमांक क्रमशः 66160721001270 एवं 6616062300384 के माध्यम से शुल्क जमा किया गया है। विभाग द्वारा फर्म को कार्य आबंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की जाती है। (घ) श्रमिकों के भविष्य निधि कटौती (पी0पी0एफ0) की जानकारी विभाग

³परिशिष्ट "चार"

द्वारा संधारित नहीं की जाती है। अपितु कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अंतर्गत श्रमिकों का ई.पी.एफ. जमा किए जाने संबंधी कार्य क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त रायपुर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, उनसे प्राप्त जानकारी अनुसार ठेकेदार मेसर्स अशोक खंडेलवाल द्वारा श्रमिकों की ईपीएफ कटौती जमा किया गया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, वह श्रम कानून 1970 के खुले उल्लंघन का विषय है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि पी.एम.जी.एस.वाई., पी.डब्ल्यू.डी., डब्ल्यू.आर.डी., आर.ई.एस. ...। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- एक सेकंड।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- सभापति महोदय, मंत्री जी का जवाब आया ही नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि क्या लाइसेंस बनवाने का प्रावधान है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मंत्री जी का जवाब आना चाहिए। उनका जवाब नहीं आया है।

श्री उमेश पटेल :- आपने निविदा को बिना निरस्त किये जमीन आवंटित किया। किन नियमों के तहत उनको जमीन आवंटित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, अभी तक मोला जवाब नहीं मिले है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इसमें जवाब आना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, प्रश्न बहुत सिंपल है।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोला मोर सवाल के जवाब अभी तक जवाब नहीं मिले पाय हावय।

सभापति महोदय :- अभी प्रश्नकाल है और कृपया आप लोग सहयोग करिये।

श्रीमती चातुरी नंद :- यह गलत है, यह गलत है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्रीमती चातुरी नंद :- सभापति महोदय, मोर प्रश्न के जवाब अभी तक नहीं आ है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता है कि चार सदस्य प्रश्न करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह किसानों की जमीन का भी मामला है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, ठेकेदार को लाइसेंस देते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग सहयोग करिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, कोई भी ठेकेदार अपने काम के लिए लेबर रखता है तो उसको श्रम विभाग के द्वारा लेबर लाइसेंस दिये जाने का प्रावधान है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं, उनका सवाल है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी रेल्वे के लिये जितना जमीन आवंटित हुआ था उसको निरस्त करके...। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- एसईसीएल के अधीन, सेल के अधीन, रेल्वे के अधीन, विभिन्न जमीन जो आवंटित हुआ था, उसमें यह देखने में आया है कि संबंधित ठेकेदार बगैर लायसेंस के मजदूरों से काम करा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गांव वालों और स्थानीय प्रशासन पर आ जाती है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि क्या ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ?

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, ये तो दूसरा के सवाल म आगे, ये तो गलत होंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, हम लोग उसमें लायसेंस जारी नहीं करते हैं और छत्तीसगढ़ के जो भी उपक्रम हैं, उसका श्रम विभाग के द्वारा लायसेंस जारी किया जाता है। जैसे एनटीपीसी, एसईसीएल, रेल्वे संस्थान है, उसका हम लोग लायसेंस जारी नहीं करते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पीएमजेएसवाई, डब्लू.आर.डी.ए., आर.ई.एस. और पी.डब्लू.डी. के बारे में भी पूछा है।

श्री लखनलाल देवांगन :- हम लोग उसका लायसेंस जारी नहीं करते हैं, बाकी छत्तीसगढ़ के जो भी उपक्रम हैं, उसका हम लोग लेबर लायसेंस जारी करते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, एक कागज मेरे हाथ में है, तारीख है 22-7-2025 और क्रमांक है 2073 और एक पत्र है 23/7 का। इसमें प्रश्न ख का जवाब आया है, संबंधित अनुबंधकर्ता जो माननीय उच्च न्यायालय में काम किये हैं, वह 100 करोड़ से अधिक भवन निर्माण का काम किये हैं और इन्होंने कहा है कि श्रम पंजीयन कानून 1970 के तहत पंजीयन अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी और मेरे पास जो जवाब है, इन्हीं के विभाग के आर.टी.आई. का जो देने वाले हैं मुकेश राठौर, अधिकारी हैं। यह जवाब सही दे रहे हैं कि मेरे हाथ में जो जवाब है उसे आप कहे तो पटल पर रख देता हूँ।

सभापति महोदय :- पढ़कर बता दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं बता देता हूँ। उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के तहत लोक निर्माण विभाग क्रमांक-2 बिलासपुर के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये के निविदा कार्य संपादित करने वाले मेसर्स अशोक

खंडेलवाल, धमतरी द्वारा श्रमिक संविदा अधिनियम द्वारा 1970 की धारा (स) प्रमुख नियोजक और 12 ठेकेदार के अंतर्गत नियमानुसार बनाये गये श्रमिक लायसेंस और जमा की गई राशि के चालान की सत्यापित प्रति चाही गई है। उक्त जानकारी उपलब्ध सत्यापित दस्तावेजों के अनुसार 4 किशतों में है और प्रति पृष्ठ की दर निरंक है, यह मेरे पास उनका जवाब आया है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :-प्रश्नकाल है, इतना पढ़ेंगे तो समय नहीं रहेगा।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय में जो ठेकेदार काम किये हैं, उन्होंने अशोक खंडेलवाल को लायसेंस के लिये ऑनलाईन आवेदन किया है और दोनों में उसने 20-20 श्रमिकों का लायसेंस प्राप्त किया है, उसका निर्धारित फीस भी होता है। हम लोगों ने भारत सरकार के भविष्य निधि संगठन से क्वेश्चन लगने के बाद जानकारी मांगा है, उसमें अंतर आया है और अंतर आने के बाद उनको तत्काल नोटिस जारी किया है और यदि माननीय सदस्य चाह रहे हैं तो उसकी जांच भी हम करा देंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं जांच कराने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि शासन के विभिन्न जगहों पर अनुबंध के आधार पर निविदा जो होती है, उसमें ठेकेदार का कोई श्रमिक मरता है तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुआवजा देने का दबाव आता है। आपके विभाग के लोग उनसे मिलीभगत करके भ्रष्टाचार करके उनको संरक्षण देते हैं, जो पंजीयन के पात्रता के अधीन रहते हुये काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट तरीके से पूछ रहा हूँ कि 20 और 20 से अधिक लेबर रखने वाले ठेकेदारों को पंजीयन की आवश्यकता है। आप क्या पूरे प्रदेश में अभियान चलायेंगे कि ऐसे जितने भी निविदा आधारित काम चल रहे हैं, जहां 20 से अधिक लेबर काम कर रहे हैं, उनका पंजीयन हो और अगर दुर्घटना होती है तो ऐसे श्रमिकों को मुआवजा सही समय पर मिले और उनका संरक्षण हो सके।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, हम लोग निश्चित तौर पर जो लायसेंस जारी करेंगे, वहां के जो हमारे लेबर आफिसर हैं, उनके माध्यम से लगातार उसकी मॉनिटरिंग होगी, ताकि किसी भी प्रकार से घटना-दुर्घटना न हो।

श्री सुशांत शुक्ला :- धन्यवाद। श्री दिलीप लहरिया एक प्रश्न।

जिला बिलासपुर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

6. (*क्र. 1089) श्री दिलीप लहरिया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-(क) विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से तथा

पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अवैध शराब के विरुद्ध कुल कितनी कार्रवाईयां की गई हैं? थाना-वार विवरण दें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) विगत तीन वर्षों में जिला बिलासपुर में आबकारी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अवैध शराब (निर्माण, विक्रय, भण्डारण, परिवहन) के विरुद्ध की गई कार्यवाही की थाना-वार, वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र⁴ अनुसार है। आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय जी, बिलासपुर जिले में अवैध शराब के बारे में संयुक्त रूप से पुलिस और आबकारी विभाग कितने कार्यवाही किये हैं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि अवैध शराब के विरुद्ध कितनी कार्यवाही की गई है, मैं बताना चाहूँगा कि अपने बिलासपुर जिले में 18 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी विभाग के द्वारा...।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख है ।

श्री लखनलाल देवांगन :- नहीं, आपने पूछा है कि संयुक्त रूप से कितने किये हैं ? हमने आबकारी विभाग...।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

⁴परिशिष्ट "पांच"

समय :

12.00 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा, मैं समझता हूँ सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री लखन लाल देवांगन, श्रम मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

सभापति महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना। श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री जी।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए) पटल पर रखता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, शून्यकाल पर एक विषय है। जांजगीर-चांपा जिले में कल एक बड़ी घटना घटी है जिसमें 3 घंटा चक्का जाम हुआ। सलमा लहरे की

मृत्यु हो गई और कारण यह बना कि आबकारी विभाग के अमले के द्वारा उनके घर में उनके बेटे को ले जाकर अंदर कर रखे थे और 60-70 हजार रुपये की मांग की। वह पैसे की व्यवस्था करके जा रही थी, घटना पर मर गई और मरने के बाद चक्का जाम हुआ। कृपा करके उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए जो इसके लिए दोषी हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- सभापति महोदय जी, आठवीं और पांचवीं का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। मेरे बालोद जिला में जो पेपर हुआ है, उसकी उत्तर पुस्तिका बहुत ही स्तरहीन है। अगर एक तरफ लिखते हैं तो दूसरी तरफ दिख रहा है, उसमें लिखते-लिखते बच्चों का आंसर पेपर भी फट जा रहा है। एक ही पेपर में प्रश्न और उत्तर लिखना है लेकिन गणित का पेपर था, उसमें कहीं भी रफ कार्य करने के लिए जगह नहीं थी। सभापति महोदय जी, गुणवत्ताहीन पेपर क्वालिटी के लिए जो पेपर स्तरहीन बनाए हैं, उन अधिकारियों पर कार्यवाही होना चाहिए ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- सभापति महोदय जी, अभी परीक्षा के भी समय चलत है और शादी-ब्याह के भी समय चलत है। लाइट अतका कन गोल होत है, गरीब आदमी अपन खुशी के लिए डीजे बजात हे तो उहूँ बंद हो जात हे और ट्रांसफार्मर हर 15 दिन 20-20 दिन ले पैसा देबे ता बदली होथे। आपके माध्यम से मैं ध्यानाकर्षित करत हंव कि अधिकारी मन संज्ञान लेवय।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, कल मेरे विधानसभा खल्लारी के बागबाहरा उप स्वास्थ्य केंद्र में नरेंद्र यादव 5 वर्ष की बालक का डीएमटी टीकाकरण 12 बजे संबंधित बच्चे के पालक ने करवाया और 4 से 5 बजे के बीच उनकी मौत हो गई। चूंकि मामला इसलिए गंभीर है...।

सभापति महोदय :- आपने इस विषय में कोई सूचना दी है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सूचना नहीं दी है, निवेदन कर रहा था।

सभापति महोदय :- चलिए। श्रीमती हर्षिता जी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र घुमका में शराब दुकान खुल रही है जिसका सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गौठान में खुल रहा है। गौधाम तो बना नहीं, गौठान जो बना है, वहां महिला समूह का भवन बना हुआ है, वहां पर शराब दुकान खोला जा रहा है। उनकी मांग है कि वहां से हटाया जाए या पूर्ण रूप से वहां पर शराब बंदी की जाए।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम (पाली तानाखार) :- माननीय सभापति महोदय, सक्ती जिला में जो जमीन की अफरा तफरी हुई है, उसको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलनरत है। कल 17 तारीख को आम सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलेक्टर ने हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, उन्होंने आंदोलन समाप्त करने के लिए धमकी दी, यदि आप आंदोलन करोगे तो आपके ऊपर फर्जी

एफ.आई.आर. कराकर आपके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय जी ये क्या है ? इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे मस्तूरी क्षेत्र में पूरे जिले में पानी का संकट गहराता जा रहा है, खूंटघाटा डैम को खोला जाए और हमारे क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों बोर खनन की अनुमति और स्वीकृति दी जाए, ताकि पानी के संकट से निजाद मिले।

सभापति महोदय :- श्री विक्रम उसेंडी जी। अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे

समय :

12.05 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) वनमण्डल भानुप्रतापपुर अंतर्गत अवैध पेड़ कटाई एवं ग्रामीण मार्ग में हैवी माईन्स गाड़ियों का परिचालन.

श्री विक्रम उसेण्डी (अंतागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला उत्तर बस्तर कांकेर के वन मण्डल भानुप्रतापपुर अंतर्गत ग्राम कच्चे आरीडोंगरी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 608 के रकबा 106.60 हे. एवं 32.36 हे. कुल रकबा लगभग 138.96 हे. क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क खनिजमट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र से मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, पण्डरी रायपुर द्वारा बगैर अनुमति 5,000 से अधिक वृक्षों की कटाई की गयी, जिस पर विभाग द्वारा केवल लीपापोती करते हुये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं उत्खनित लौह अयस्क का परिवहन ग्राम पंचायत कच्चे के डोंगरीपारा से दफाईपारा मार्ग से किया जा रहा है। उक्त ग्रामीण मार्ग पर माईन्स की हैवी गाड़ियों के परिचालन से मार्ग अत्यंत जर्जर हो गया है। पूर्व में उक्त मार्ग का उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जाता था और मार्ग का उन्नयन/मरम्मत कार्य भी उनके द्वारा किया जाता था, किन्तु मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा लगभग 05 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी मार्ग मरम्मत/उन्नयन नहीं करने एवं अवैध कटाई हेतु जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय निवासियों एवं राहगीरों में शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं अक्रोश व्याप्त है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही नहीं है कि जिला उत्तर बस्तर कांकेर के वनमण्डल भानुप्रतापपुर अंतर्गत ग्राम कच्चे आरीडोंगरी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 608 के रकबा 106.60 हे. एवं 32.36 हे. कुल रकबा लगभग 138.96 हे. क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क खनिजमट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र से मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, पण्डरी रायपुर द्वारा बगैर अनुमति 5,000 से अधिक वृक्षों की कटाई की गयी है। बल्कि, सच यह है कि कुल

33,040 वृक्षों की कटाई हेतु वन विभाग द्वारा विधिवत् अनुमति दी गयी थी। जिला उत्तर बस्तर कांकर के पूर्व नानुप्रतापपुर वनमंडल में आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 608 के रकबा 106.60 हे. एवं 32.36 हे. कुल रकबा 138.96 हे. क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन हेतु वन भूमि व्यवर्तन/उपयोग की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रमशः दिनांक 04.08.2008 एवं 19.02.2015 के पत्रों द्वारा प्रदान की गई, जिसके आधार पर वन मुख्यालय स्तर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा दिनांक 10.08.2009 एवं 23.04.2015 को क्रमशः 21,275 वृक्षों तथा 11,765 वृक्षों, कुल 33,040 वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गई। उक्त अनुमति के अनुसार वृक्षों की कटाई वन विभाग की निगरानी में कराई गई है। अतः मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड द्वारा किसी प्रकार की अवैध कटाई किया जाना नहीं पाया गया है। लेकिन मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड को अनुमति प्रदत्त 32.36 हे. क्षेत्र में स्थित कटाई हेतु अनुमति प्राप्त एवं तदुपरांत काटे गये 11,765 वृक्षों में से 2,890 वृक्षों का अभिलेख एवं दस्तावेज संधारण नहीं होना पाया गया, जिसके कारण कुल राशि रुपये 12,81,106/- की हानि आंकी गई है। इन काटे गये 2,890 वृक्षों का काष्ठ भौतिक रूप से स्थल से गायब है। इस गंभीर अनियमितता के लिए 11 अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है अथवा प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पेड़ों की कटाई के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष 01 जनहित याचिका क्रमांक 101/2025 विचाराधीन है।

यह सही है कि उत्खनित लौह अयस्क का परिवहन ग्राम पंचायत कच्चे के डोंगरीपारा से दफईपारा मार्ग से किया जा रहा है। यह सही है कि पूर्व में उक्त मार्ग का उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किया जाता था और मार्ग का उन्नयन/मरम्मत कार्य भी उनके द्वारा किया जाता था। किन्तु यह सही नहीं है कि मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा लगभग 5 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी मार्ग मरम्मत/उन्नयन नहीं किया गया है। सच यह है कि खनिज परिवहन के लिए प्रयुक्त डोंगरीपारा-दफईपारा मार्ग के रख-रखाव एवं मरम्मत के संबंध में कलेक्टर (खनिज शाखा), कांकर द्वारा सूचित किये गये अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा मार्ग का समय-समय पर उन्नयन एवं मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्नाधीन मार्ग के उन्नयन/मरम्मत एवं रखरखाव कार्य में राशि रु. 385.08 लाख का व्यय संबंधित कंपनी द्वारा किया गया है।

खनिज परिवहन के लिए प्रयुक्त डोंगरीपारा-दफईपारा मार्ग के रख-रखाव एवं मरम्मत के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मार्ग का समय-समय पर उन्नयन एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के कारण तथा अभिलेख में 2,890 वृक्षों की कटाई का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने एवं इनके काष्ठ के स्थल पर न पाये जाने के कृत्य पर नियमानुसार विभागीय कारवाई के कारण शासन प्रशासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश नहीं है।

सभापति महोदय :- उसेण्डी जी, आप प्रश्न करें।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, उप वनमंडलाधिकारी के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन है, जिसमें प्रमुख रूप से मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात प्रा.लि. रायपुर को आरीडोंगरी क्र. 608 (पुराना 139) में रकबा 32.360 हे. क्षेत्र में स्थित वृक्षों को चिन्हांकित कर एवं विदोहन योजना में गड़बड़ी की शिकायत बाबत उन्होंने पत्र लिखा था। इसमें मैं पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन हैं कि आरीडोंगरी माईन्स (मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात प्रा.लि. रायपुर) को ग्राम कच्चे वन कक्ष क्रमांक 608 (पुराना 139) के लीज रकबा 32.360 हे. क्षेत्र में स्थित वृक्षों का चिन्हांकन कर 11,765 नग वृक्षों का विदोहन योजना तैयार कर स्वीकृति उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी भानुप्रतापपुर उत्पादन द्वारा 6,070 नग वृक्षों का विदोहन किया गया था तथा 5,695 नग वृक्ष विदोहन हेतु शेष थे।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये ना।

श्री विक्रम उसेण्डी :- सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं। इसका आखिरी पैरा है कि मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर को आवंटित आरीडोंगरी माईन्स कक्ष क्रमांक आर.एफ. 608 पुराना (139) रकबा 32.360 हे. में 11,765 नग वृक्षों का विदोहन योजना तैयार किया गया था, उसमें से 6,070 नग वृक्षों का परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन भानुप्रतापपुर द्वारा विदोहन कराया जा चुका है एवं प्रतिवेदन अनुसार 5,695 नग वृक्षों का विदोहन होना शेष बताया गया है। मौके पर पुनः गणना कराने पर 712 नग खड़े वृक्ष होना पाया गया। इस प्रकार मौके पर विदोहन योजना अनुसार 4,983 खड़े वृक्ष आरी डोंगरी माईन्स रकबा 32.360 हे. में मौजूद नहीं होना पाया गया।

सभापति महोदय :- आप छोटे-छोटे प्रश्न करते जाईये।

श्री विक्रम उसेण्डी :- सभापति महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से उप वनमंडलाधिकारी जांच करके गये हैं। उन्होंने कहा है कि वहां पर करीब-करीब 5,000 वृक्ष नहीं पाये गये हैं। इस प्रकार की स्थिति जो रिपोर्ट में आयी है और उन्होंने सीधे वन मंडलाधिकारी को पत्र लिखा है। आप इस बारे में स्पष्ट कीजिये कि पत्र में मौके पर जाकर मुआयना करके देखकर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, इन दोनों में जो रिपोर्ट आयी है, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिये कि इसकी क्या स्थिति है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 11,765 वृक्षों में से लगभग 2,890 वृक्षों का अभिलेख और दस्तावेज संधारण नहीं हो पाया है। चूंकि यह सब ज्यूडिशरी मामला है और इसे लेकर हाईकोर्ट में मामला भी लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने उत्तर भी दिया हुआ है कि हमारे पास अभी जितने मामले हैं, उस मामले को मैंने हाईकोर्ट को दिया है। मैं उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके संदर्भ में जो-जो दोषी हैं और लगभग जो 11 अधिकारी-कर्मचारी हैं, उनके ऊपर हमने कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया हुआ है। मैं

इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि वहां पर 2,890 वृक्षों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और यदि आपकी जानकारी में कुछ है तो उसे आप अवश्य उपलब्ध कराइये, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें सीधा प्वाइंटेड प्रश्न है कि इसमें उन्होंने रिपोर्ट में सीधा कहा है कि 4893 वृक्ष आरीडोंगरी माईस एरिया में मौजूद नहीं नहीं पाये गये, मतलब मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात प्रा.लि. कंपनी के द्वारा वृक्षों की कटाई की गई, तब तो नहीं पाया गया, इसलिए रिपोर्ट में आ रहा है। जो ये जो करीबन वहां 5 हजार वृक्ष नहीं पाये जा रहे हैं, इसके बारे में आपके उपवनमंडलाधिकारी ने जो पत्र भेजा है कि स्पाट पर वृक्ष नहीं पाये गये। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के आप जो दोनों आंकड़ें बता रहे हैं, 2500 और 5000 वृक्षों के आसपास, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की जो अनियमितता हो रही है, उस मामले में चाहे मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात प्रा.लि. कंपनी वाले हैं या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, इसके बारे में स्पष्ट करें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, मैंने उसके संदर्भ में अपने उत्तर में पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराई है। उसमें सेकंड पार्ट में लगभग 11,765 वृक्ष कटे, उसके तहत मैं लगभग 2890 वृक्षों की कटाई का जो रिकार्ड है, उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। उसके कारण से हमारी जो काष्ठ मिलान की जानकारी है, वह भी हमने हाईकोर्ट को दिया हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यह जो मामला है, हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है और यह सब ज्यूडिशियल मामला है। इसके कारण से जो जानकारी अपने पास में है, उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई भी किये हैं और हमने कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित भी की है। कहीं पर भी ये स्थिति नहीं है, आप 5 हजार वृक्षों की कटाई की जानकारी कह रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, चूंकि आपके ही विभाग के अधिकारी ने जो भेजा था, उसकी कापी मेरे पास है। चूंकि जून 2023 में पूरा प्रकरण सामने आया और आज 2026 चल रहा है। इतने दिन के बाद जो भी दोषी अधिकारी, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी और लंबा समय भी हो गया और संबंधित माईस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि यह प्रश्न लगने के बाद उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, कार्रवाई प्रक्रियाधीन बता रहे हैं। मेरा यह कहना है कि जून 2023 का प्रकरण है और जांच प्रतिवेदन उस समय आया। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विक्रम उसेण्डी जी..।

सभापति महोदय :- पूर्व वन मंत्री प्रश्न कर रहे हैं और वर्तमान वन मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जी। उनके साथ मैं हमारा एक कार्यक्रम था। उनको ज्ञात है कि हम लोग अंतागढ़ की सड़क के भूमिपूजन के लिये जा रहे थे, उसी दौरान ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया। उसके बाद मैं हमने इस पर कठोरता के साथ मैं कार्रवाई करने के लिये निर्देशित भी किया है। उनको आश्वस्त करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।

श्री विक्रम उसेण्डी :- माननीय सभापति महोदय, 03 साल हो गया है, उसमें जो भी कार्रवाई हो, चाहें उसमें मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात प्रा.लि. कंपनी द्वारा भी कई शिकायतें आ रही हैं। वहां पर अलग-अलग जगह में, एक तो स्पाट का नहीं है, लेकिन वहां पर लाल पानी बहना और अनियमितता की कई शिकायत हैं। उसके साथ-साथ इस प्रकार की और भी शिकायतें आती हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई करें, ऐसा मैं चाहता हूँ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जो विधि सम्मत होगा, वह हम करेंगे।

(2) छत्तीसगढ़ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनियमितता की जाना।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई में संचालित एम.टेक (अर्बन प्लानिंग) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत एम.टेक. का नियमित पाठ्यक्रम लागू है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा नियम विरुद्ध दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय में अनियमितता को दर्शाता है, उक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न नगर निगमों में कार्यरत सिविल इंजीनियरों को एम.टेक. (प्लानिंग पाठ्यक्रम) करने की अनुमति दी गई है। बिना वेतन अवकाश के अध्ययनरत इंजीनियर शासकीय सेवा में भी कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। उनके द्वारा निर्धारित अनिवार्य उपस्थिति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी उच्च योग्यता संदेहास्पद व आयोग्य प्रतीत होती है। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई की उक्त अनियमितताओं की जांच कर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से अध्ययनरत छात्र, कर्मचारियों व शिक्षाविद में शासन-प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री (श्री गुरु खुशवंत साहेब) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के तकनीकी क्षेत्र में अनियमितता एवं लापरवाही बरती जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा संपूर्ण कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। यह सही है कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय भिलाई के विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में नियमित एम. प्लानिंग (मास्टर इन अर्बन प्लानिंग) कोर्स संचालित है, जिसमें विश्वविद्यालय के नियमानुसार नियमित कक्षाएं संचालित

होती हैं परंतु इसमें दूरस्थ शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं की जा रही है। सत्र एम. प्लानिंग (मास्टर इन अर्बन प्लानिंग) कोर्स में सत्र 2023-24 में 5 छात्र-छात्राएं एवं सत्र 2024-25 में 04 छात्र-छात्राएं तथा सत्र 2025-26 में 02 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है। उपरोक्त में से 07 छात्र-छात्राएं शासकीय संस्थानों के तथा 04 छात्र-छात्राएं अशासकीय संस्थानों से संबंधित हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में विभिन्न नगर निगमों एवं अन्य शासकीय/अशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार प्रवेश लेने के समय उसके मूल विभाग से पूर्णकालिक अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही प्रवेश दिया गया है। अतः इसमें विश्वविद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। विश्वविद्यालय में निर्धारित अवधि में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, किसी भी छात्र को उसकी उपाधि नियमों की पूर्ति होने के उपरांत ही प्रदान की जाती है उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह कहना सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई की अनियमितता की जांच कराया जाना आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र, कर्मचारियों व शिक्षाविदों में रोष व आक्रोश व्याप्त है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, सदन में ऐसा कोई दिन नहीं है और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें सदन में गलत जानकारी अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही है। यह छत्तीसगढ़ सदन का गंभीर विषय बनते जा रहा है, रोज 5 से 10 सदस्य इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि जानकारी गलत आ रही है। इसमें कोई नीति बनाने की और गलत जानकारी देने की जो नीति है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐसी परम्परा की शुरुआत हो रही है कि सदन में हर विभाग गलत जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी देने की वजह से जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सदन में ऐसा कोई दिन नहीं है कि यह बात नहीं आ रही होगी। माननीय मंत्री जी, यूनिवर्सिटी ने आपकी बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं दिया है। यह जितने अध्ययनरत बच्चे हैं, कौन कहां पदस्थ हैं और कौन सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये हैं ?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है तो इसमें जो नियम है कि प्रायोजित अभ्यर्थी के तात्पर्य उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक हैं एवं जो राज्य शासन, केंद्र शासन किसी पंजीकृत संस्था, कंपनी-संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम 2 वर्ष से नियोजित हैं तथा जिसे नियोक्ता प्राधिकारी अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये अध्ययन करने हेतु अनुमति दी जाती है तो हमारा जो सी.यू.ई.टी. है, इसमें जो इनके तहत नियम है, केवल एडमिशन देने का काम करता है जिसमें एन.ओ.सी. की जो आवश्यकता पड़ती है, हम उनके विभाग से जो एन.ओ.सी. लेते हैं और किसी भी संस्था से जो 2

साल का अनुभव है, वह दोनों की आवश्यकता होती है, वह दोनों हम लेकर उसके अनुसार ही एडमिशन देते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो अध्ययनरत छात्र हैं। उन्होंने अपने विभाग प्रमुख से अनुमति ली है क्या ? यह सच है कि एक छात्र ने ही अनुमति ली है और यही जांच का विषय है। आपको गलत जानकारी दी गयी है। मैंने इसी बात से इसलिए शुरुआत की क्योंकि आपके पास जो जानकारी है, वह सही नहीं है। माननीय मंत्री जी आपकी गलती नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, आप प्रश्न करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न तो किया है। माननीय मंत्री जी, आप अपने उत्तर में यह बताइये कि यह जो 7 छात्र हैं, उन्होंने अनुमति ली है क्या ? और अगर उन्होंने अनुमति ली है तो मैं यह बोल रहा हूँ कि उन्होंने अनुमति नहीं ली है, पहला, आप इसकी जांच करवा दीजिए। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, सभी ने अपने-अपने विभागों से अनापति प्रमाण पत्र लिया है और उस के अनुसार ही उनको दाखिला मिला है। उन सभी छात्रों का अनापति प्रमाण पत्र है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, उनको 75 प्रतिशत अनुमति अनिवार्य है क्या शासन की नीति के तहत उनको अनापति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है ? क्या यह शासन की नीति में है कि उनको अनापति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है ? माननीय सभापति महोदय, मेरा जो अनुभव कहता है कि उन छात्रों को अनापति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, जो छात्र एम.टेक की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें वहाँ 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य है उनका अटेंडेंस होगा तभी उनको डिग्री मिलेगी अन्यथा उनकी डिग्री कैंसल हो सकती है। उनकी पढ़ाई...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर उन छात्रों को अनापति प्रमाण पत्र दिया गया है तो वह शासन की नीति के तहत सही है और उनको कौन से आधार पर अनापति प्रमाण पत्र दिया गया है ?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, उन सभी ने अपना पेपर लगाया है। अगर माननीय सदस्य के पास पेपर होंगे तो वह मुझे उपलब्ध करवा देंगे तो उसके अनुसार उचित निर्णय लेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप केवल इतना बता दीजिए कि उन छात्रों को अनापति प्रमाण पत्र दिया गया है या नहीं दिया गया है ?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, उन छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि उन छात्रों को किन नियमों के आधार पर दिया गया है ?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, इसमें पूर्ण कालिक उनका जो एन.ओ.सी. है, वह नहीं है। उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था और जिनके में किसी प्रकार की समस्या है, हम उनका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, इसमें माननीय विधायक जी ने यह स्पष्ट कहा है कि उनका 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद भी उनको एन.ओ.सी. दिया गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन थी, आपकी तरफ से परमिशन थी, डायरेक्टर की तरफ से परमिशन थी या उस वाईस चांसलर की तरफ से परमिशन था और अगर किसी ने परमिशन भी दिया तो उनको किन नियमों के आधार पर दिया ?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, वह अपने-अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हैं। हमारे विभाग से नहीं है, जिन्होंने एडमिशन लिया है, वह दूसरे विभाग से हैं। वह अपने-अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हैं। निश्चित ही उसमें एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य होगा और निश्चित ही उनको मूल विभाग से एन.ओ.सी. लेना होता है तो वह मूल विभाग से...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है कि आपने उन्हें एन.ओ.सी. दिया, आपने यह मान लिया, यह बिल्कुल सही है।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, उन्हें हमने नहीं दिया है। वह अपने विभाग से लेते हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मतलब आपके विश्वविद्यालय ने दिया।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विश्वविद्यालय ने कोई एन.ओ.सी. नहीं दी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, तो उन्हें किसने एन.ओ.सी. दी?

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, उसमें यह है कि इन्होंने दाखिला दिया। उसने अपने विभाग से एन.ओ.सी. ली..।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, आप मूल विभाग से बोलिए।

सभापति महोदय :- उन्हें एन.ओ.सी. दी है या नहीं दी है उनको केवल देखना, इनकी जवाबदारी है और एन.ओ.सी. मिली है तो इन्होंने उसमें एडमिशन दिया। आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर उनको एन.ओ.सी. मिली है तो 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य है या नहीं ?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप यहां जो उत्तर दे रहे हैं। आप केवल एक विभाग का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप सामूहिक उत्तर दे रहे हैं। जैसे आप लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है तो हम इसमें इंटर विभाग पूछ सकते हैं। अगर आप एलाउ करेंगे तो मैं यह पूछ सकता हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि उन लोगों ने किन नियमों और किस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है?

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही जो अनापत्ति प्रमाण पत्र आये हैं उनका हम परीक्षण करवायेंगे। माननीय सदस्य, अगर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो निश्चित ही उसमें उचित कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आपको उचित कार्यवाही के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आप इसमें समय जरूर बतायेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय द्वारिकाधीश जी, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बिंदु में आ रहा हूँ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है। अब इतनी सी बात है कि कब तक करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे, वह बता दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कर रहा हूँ। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर रेग्युलर अध्ययनरत् हैं और निगम में अपना काम भी कर रहे हैं। उधर की उपस्थिति की जांच और यहां के वेतन आहरण की बात है ता आखिर वे उपस्थित कहां हैं ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी आपने विभाग का देखेंगे, वे जांच भी करा लेंगे। लेकिन आपका प्रश्न दूसरे विभाग का है तो फिर एक बार दूसरी प्रक्रिया से आना पड़ेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, बहुत गंभीर बात है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इसमें मेरा यह कहना है कि चूंकि हम ट्रेजरी बेंच से प्रश्न पूछ रहे हैं, यह उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है, भले ही किसी विभाग का हो, मंत्री जी घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि वे सामूहिक जिम्मेदारी से इस बात को यहां रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं तो वे तो बिल्कुल घोषणा कर सकते हैं। आप स्वयं इसके लिए मना कर रहे हैं। वे चाहें तो बिल्कुल घोषणा कर सकते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, केवल 7 की बात आई है और राऊतपुरा यूनिवर्सिटी में भी यही बात है। यह गंभीर इसलिए है कि एक तरफ वे यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत् बता रहे हैं, दूसरी तरफ निगम में काम भी कर रहे हैं, वेतन भी आहरण कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि उनको नियमानुसार अनुमति दी जा ही नहीं सकती। बहुत सारे सवाल हैं।

श्री गुरु खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, जितनी भी बातें आई हैं, उनका परीक्षण कराकर हम उचित निर्णय लेंगे और बहुत जल्द लेंगे, ताकि इस प्रकार की अनियमितताएं न हो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, उसके लिए धन्यवाद। आप समय-सीमा बता दीजिए।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, अब हो गए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति जी, धन्यवाद।

समय :-

12:32 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री दिलीप लहरिया
3. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
4. श्री अनुज शर्मा
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

समय :-

12:32 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री इन्द्रशाह मंडावी
2. श्री सुशांत शुक्ला
3. श्री रिकेश सेन
4. श्री मोतीलाल साहू
5. श्री भूलन सिंह मरावी

समय :-

12:33 बजे

शासकीय विधि विषय कार्य

(1) छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026
(क्रमांक 5 सन् 2026)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) का पुरःस्थापन करता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) का पुरःस्थापन करता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक-1 सन् 2026)

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक-1 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री उमेश पटेल।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, वह खरसिया वाले कहां गये ?

सभापति महोदय :- वह आ रहे हैं। खरसिया वाले बोलने के लिए यहीं बैठे हुए हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर चर्चा के लिए आपसे अनुमति के बाद खड़ा हुआ हूं। हमारा टोटल बजट 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है। यह जो 1 लाख 80 करोड़ रुपये के आसपास बजट पहुंचा है उसमें हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना है ? राजस्व व्यय में भी आउट ले की बात करना चाहूंगा। हम जो राशि अधोसंरचना मद में खर्च करने वाले हैं और जो खर्च हुआ है, वह 16 हजार करोड़ रुपये के आसपास का अनुमान है। यह बहुत कम है। यह पूरे सदन के लिए चिंता की बात है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम छत्तीसगढ़ आने वाले समय में कहां देखना चाहते हैं ? क्योंकि बिना पूंजीगत व्यय, बिना पूंजीगत आउट ले के शायद छत्तीसगढ़ की वह परिकल्पना करना चाहते थे या करने वाले थे या करते हुए देखना चाहते हैं, वह हम नहीं देख पायेंगे। इसमें यह स्थिति कहां पहुंची, यह स्थिति क्यों पहुंची ? यह स्थिति इसलिए पहुंची क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए यह डाक्यूमेंट लोगों के सामने प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023, में बड़े-बड़े वादे कर दिये गये। इतने बड़े-बड़े वादे किये कि शायद अब सरकार में आने के बाद इनको पूरा करने में मुश्किल होते जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अभी जो तात्कालिक विषय गैस सिलेण्डर की है। इन्होंने गैस सिलेण्डर विषय पर कहा था कि हम महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर देंगे।

श्री राजेश मूणत :- देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप कब दिए हैं ?

श्री राजेश मूणत :- हम देंगे न, कौन मना कर रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप कब देंगे ?

श्री राजेश मूणत :- जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, एक-दो दिन के लिए नहीं भेजा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मतलब आप आखिरी साल में पूरा करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- आपने तो वह भी नहीं दिया है। आपने बेरोजगारी भत्ता कब दिया है ? यह उमेश भाई तो थे न, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है।

श्री राजेश मूणत :- आपने बेरोजगारी भत्ता कब दिया है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमने दिया है। आप हमारे अनुसार मत चलिये न।

श्री राजेश मूणत :- कब दिया ? आपने नौकरी कब दी ?

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा। संगीता जी, राजेश जी, आप बैठा जाईये न।

श्री राजेश मूणत :- उंगली उठाने के पहले तीन उंगली अपनी तरफ आती हैं, उसको देख लो।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाईये। उमेश पटेल जी जवाब देने के लिए सक्षम हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, गैस सिलेण्डर देंगे, कहा था और इस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल निकल चुका है। राजेश मूणत जी, मैं तो अभी शुरूआत किया हूँ। हालांकि आप इस सरकार के हिस्सा नहीं हैं।

श्री राजेश मूणत :- सरकार हमारी है और सरकार का हिस्सा हैं।

श्री उमेश पटेल :- कहने के लिए ?

श्री राजेश मूणत :- नहीं, हम परमानेंट हैं। आप चिंता करो कि उधर नेता कौन है ? वहां नेता कौन है ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- उम्मीद पर दुनिया टिकी है।

श्री राजेश मूणत :- वहां पर कौन नेता कब उठकर चल दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। पहले अपना नेता तय कर लो।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, बहुत सारा है। रहने दो, थोड़ा उबाल निकलना भी चाहिए। मन में मत बैठाकर रखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मूणत जी, हम आपका दर्द समझ रहे हैं। चन्द्राकर जी का भी दर्द समझते हैं और आपका भी दर्द समझते हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, 500 रुपये में सिलेण्डर देंगे कहा था। माननीय सभापति महोदय, इनका पूरा आधा कार्यकाल निकल चुका है और आधे कार्यकाल में 500 रुपये में सिलेण्डर देने की योजना मुझे तो समझ में नहीं आती है। क्यों ? क्योंकि अगर वादा पूरा करना था तो यही मौका था। यही मौका है जब पूरे विश्व में, पूरे देश में पूरे छत्तीसगढ़ में सिलेण्डर की कमी हुई है। मैं यह नहीं कहता हूँ यह कमी आपके कारण हुई है। वैश्विक स्थिति ऐसी थी, जिससे कमी हुई। लेकिन वह कमी को

दूर करने के लिए या लोगों को राहत देने के लिए आप 500 रुपये कर सकते थे। सभापति महोदय, आज लोग तीन-तीन सौ, चार-चार सौ, पांच-पांच सौ, आठ-आठ सौ रुपये एक्स्ट्रा पैसा देकर गैस सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। चोरी हो रही है। जितनी डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है। ठीक है? तो उसका फायदा कौन उठा रहा है? गैस एजेंसी वाले। एक गैस के लिए आठ-आठ सौ रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और यही मौका था कि आप अपने दायित्व को समझते, सरकार का इकबाल बुलंद करते और सरकार को बताते कि गैस एजेंसी वालों पर कड़ी कार्रवाई करके इनको बराबर रुपये में दिलवाते। 500 रुपये नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन 930 रुपये है शायद?

समय :

12.40 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसंडी) पीठासीन हुए)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 993 रुपये।

श्री उमेश पटेल :- 1005 रुपये, जो भी है, उतने में दिलवाते। लेकिन 800-900 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब इसको तो आप कब करेंगे, जैसे राजेश मूणत जी ने कहा कि हम करेंगे, ठीक है करिए। आपने सबसे कहा था, सबसे ज्यादा किसानों के लिए 2100 रुपये क्विंटल में हम धान खरीदी करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- 3100 रुपये दे रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल 3100 रुपये। डॉ. रमन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, आप लोग दोनों मंत्री थे, उस समय किन्हीं कारणों से आप लोग दो साल का बोनस नहीं दे पाए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- अभी दिये न।

श्री उमेश पटेल :- सुनिए तो पूरी बात तो सुन लीजिए न।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, दो साल का बोनस नहीं दे पाए। उसके बाद अभी जब इनको रियलाइज हुआ कि शायद दो साल के बोनस के कारण हम लोग हार गए, तो इस साल के अपने घोषणा पत्र में दो साल का बोनस देने की बात कही। आपने दिया भी, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन आपने इस साल क्या गड़बड़ी कर दी? इस साल यह गड़बड़ी कर दी कि जो चौथी किश्त किसानों को मिलनी थी, उसे आपने रोक दिया। मतलब एक [xx] को आपने उतारा और दूसरा [xx] चढ़ा लिया।

श्री सुनील कुमार सोनी :- मतलब [xx] आप करो और उसकी पूर्ति हम करें?

श्री उमेश पटेल :- सरकार तो आती रहेगी भैया, जाती रहेगी। कभी आपकी बनेगी, कभी हमारी बनेगी।

श्री सुनील कुमार सोनी :- नहीं-नहीं, आप [xx] करो और पूर्ति हम करें और सजा भुगतें?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय जी, सुनिए।

श्री ओंकार साहू :- मतलब किसानों का बोनस आपके हिसाब से [xx] है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति महोदय, अभी इन्होंने दो साल के बोनस की बात की, तो हमने दिया न। हमारी सरकार आई तो हमने घोषणा किया था और हमने दिया।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय जी, साबर के चोरी और सुजी के दान। साबर ला चोरी करके ए मन सूजी ला दान करथे।

श्री उमेश पटेल :- सुनील जी, मैंने तो इस चीज को कहा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, 1500 रुपये धान का मूल्य रमन जी की सरकार में। सभापति महोदय जी, आज ये लोग जो 3100 रुपये दे रहे हैं, उसका श्रेय माननीय भूपेश बघेल जी को जाता है।

श्री राजेश मूणत :- किस चीज का?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धान का रेट देने का, समर्थन मूल्य देने का।

श्री राजेश मूणत :- छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 1500 से तो बढ़ाया नहीं, धमतरी में आंदोलन हुआ, किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ। आपने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया है।

श्री राजेश मूणत :- सुनो न। जरा विनियोग पर बोल रहे हो। किसका? लाठीचार्ज हमने जब करवाया था, तभी सरकार चेंज हुई है। 28 अप्रैल, नहीं भूले नेता प्रतिपक्ष का पांच यहीं बैठे लोगों ने तोड़ा था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जो समर्थन मूल्य देने का श्रेय जाता है, वह माननीय भूपेश को जाता है।

श्री राजेश मूणत :- श्रेय कुछ नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने क्यों नहीं बढ़ाया?

श्री राजेश मूणत :- मोदी जी की गारंटी के साथ में पूरा-पूरा किया है, आप चिंता मत करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने क्यों नहीं बढ़ाया है?

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, मजा लीजिए न। कहां लगी हो? (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस बात को मान रहा हूं कि इन्होंने बोनस दिया, मैं इसको मना ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने बोनस दिया और एक नया पाप चढ़ाया—किसानों की चौथी किश्त के गबन का। मैं इसको गबन कहूंगा कि आपने इसको किसानों की चौथी किश्त, जो उनका अधिकार था, सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, कभी आप सरकार में रहेंगे, कभी हम सरकार में रहेंगे। लेकिन वह छत्तीसगढ़ का किसान वहीं रहेगा। उसका पैसा हमने चौथी किश्त को गबन किया है, सभापति महोदय।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, उस समय तो मंत्री आप थे।

श्री उमेश पटेल :- राजेश भैया, आपको क्या हो गया?

श्री राजेश मूणत :- एक मिनट सुनिए न। चौथी किश्त के समय तो मंत्री आप थे।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, आप थे भैया। चौथी किश्त के समय मंत्री थे। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- उस समय निर्णय करना था, उस समय काहे नहीं दिए? उस समय तो धान खरीदी के अंदर अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसान का पूरा पैसा 30% काट दिए, तब तो किसान याद नहीं आया? उसी किसान ने भा.ज.पा. के ऊपर विश्वास किया, तभी छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार इतने बहुमत के साथ जिताकर भेजी है। वही छत्तीसगढ़ का अन्नदाता किसान है, वह किसान आपको जानता है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक बार अभी चुनाव कराकर देखिहो, हो जाही का होही तेला अभी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, ठीक है न। आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरिये न। आप क्यों रकबा कटौती किये? क्यों समर्पण लाये?

सभापति महोदय :- उनको अपनी बात रखने दीजिए। बार-बार टोका-टाकी न करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, राजेश जी की मनःस्थिति क्या है, वह उनकी बातों से समझ में आ रहा है। (हंसी) चौथी किस्त देने की बात थी, जो मार्च में देनी था, उस समय आपकी सरकार बन गई थी। यह तो एक बात हो गई। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में उप मुख्यमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था कि वह दो लाख रुपये तक किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इस सदन में उन्होंने यह घोषणा किया था, वह मान चुके हैं। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। क्या आप में वह नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके उप मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा कर चुके हैं तो दो लाख लाख तक किसानों का कर्ज माफ करें? नहीं, सभापति महोदय। यह वह लोग हैं, जो मोदी की गारंटी को मानने को तैयार नहीं हैं तो उप मुख्यमंत्री जी की बात का क्या हिसाब। माननीय सभापति महोदय, आगे इन्होंने क्या कहा था कि हम हर पंचायत में धान खरीदी केंद्र बनाएंगे। बन गया क्या? उनके आगे आप लोगों ने क्या कहा था? हर पंचायत में हम पैसा वितरण के लिए काउंटर लगाएंगे, जिससे किसानों को तुरंत नकद भुगतान होगा, चार किस्त में नहीं। यह लोग चार किस्ती का विरोध करते थे। हमको चार किस्ती करने के लिए मजबूर किसने किया? जब पुरानी सरकार थी, तब हमें केन्द्र की भा.ज.पा. सरकार ने चार किस्ती करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने कहा कि अगर आपने धान खरीदी पूरा कर लिया है, हम आपको बोनस की राशि नहीं देंगे, तब हमें नई योजना के साथ यहाँ आना पड़ा, उसका नाम था 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ हम सरकार में आए और किसानों को हमने चार किस्त में पैसा दिया,

क्योंकि हम किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते थे। हमने किसानों को पूरा पैसा दिया। लेकिन इनके घोषणा पत्र में किसानों के लिए जो-जो वादे थे, वह पूरे नहीं हुए हैं, जबकि आपका आधा कार्यकाल निकल गया है। इस साल आप लोगों ने किसानों के साथ क्या किया? इस साल तो आपने [xx]⁵ साबित कर दिया।

श्री राजेश मूणत :- आप कैसे बोल रहे हैं उनको [xx] साबित कर दिया?

श्री उमेश पटेल :- मैं बता रहा हूँ।

श्री राजेश मूणत :- आप छत्तीसगढ़ के किसान को [xx] बोल रहे हैं?

श्री उमेश पटेल :- मुझको पूरा बोलने तो दीजिए, फिर आप अपनी बात रखियेगा।

श्री राजेश मूणत :- आप छत्तीसगढ़ के किसान को [xx] बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, इन्होंने [xx] बोला है।

श्री राजेश मूणत :- आप छत्तीसगढ़ के किसान को [xx] बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन [xx] बोलवाय हौ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इन लोग [xx] बोल रहे हैं। सभापति महोदय, इस शब्द को विलोपित किया जाये।

श्री राजेश मूणत :- वे लोग [xx] बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अफीम, चरस, गांजा वाला ल आप मन बोवइया ला पकड़त नई हौ, तुमन किसान मन ला [xx] बना देत हौ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उन्होंने घर में घुस-घुस कर सत्यापन किया है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उन्होंने सोसाइटी में आकर सत्यापन किया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, उन्होंने घर में घुस-घुस कर सत्यापन किया है और यह पहली बार हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसानों के रकबा को आपने कटवाया है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने [xx] साबित कर दिया है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, वह फिर बोल रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमें आपति है। इसे विलोपित किया जाए।

श्री उमेश पटेल :- यह क्या असंसदीय शब्द है?

⁵ [xx] आसंदी के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री राजेश मूणत :- आप शब्दों को वापस लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- उन लोग पुलिस भेज रहे हैं। घर में सोए किसान के घर में जाकर ओमन के कोठार में जाकर चेकर करत हे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के किसान को कांग्रेस पार्टी के लोग [xx]⁶ कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसान के साथ धोखाधड़ी, छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम किया है।

श्री ओंकार साहू :- [xx] बोलने के कारण आप लोग इधर बैठे हैं। हम लोग किसानों को भगवान मानते हैं। (व्यवधान)

एम माननीय सदस्य :- सभापति महोदय, इन्होंने किसानों के घर में जाकर डाका डालने का काम किया है।

श्री ओंकार साहू :- किसान हमारे भगवान हैं, भैया। जय जवान, जय किसान।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, किसानों के घर में [XX] आप इसे क्यों नहीं समझ रहे हो ...। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- जांच करना, प्रक्रिया करना, वह सही हो सकता है, कौन कहां से हो सकता है ...। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- हम लोग सब किसान है भई । (व्यवधान) [XX] । पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को आप लोग [XX] बोल रहे हो । छत्तीसगढ़ के लोग किसान है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने अगर असंसदीय शब्द कहा है..।

सभापति महोदय :- आगे बढ़िये ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि सबसे पहले किसानों को यह कहा जाता है कि आपके रकबे का, आपके खेतों की जांच होगी । सभापति महोदय, जांच करने के लिये भेजते हैं और उस पर बहुत सारी त्रुटियां आती है । कोई बात नहीं, होता है, जांच में त्रुटियां भी आती है । सभापति महोदय, वह विषय नहीं है । धान का रकबा लगने के बाद जांच होती है, यह दूसरी बार जांच हुआ है । धान का रकबा लगने के बाद पटवारी इनके खेतों में जाकर जांच करते हैं कि पांच एकड़ है कितने एकड़ में धान का रकबा लगा है । सभापति महोदय, दूसरी बार जांच होती है । यहां तक भी ठीक है । सभापति महोदय, यह लोग तीसरी बार जांच का आदेश करते हैं जब धान की कटिंग करके लाता है, उसे घर में रखता है, वह टोकन जैसे ही काटता है, उसकी फिर से जांच होती है कि इतना धान उसके घर में है कि नहीं है । सभापति महोदय, परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि सभी का घर छोटा-छोटा

⁶ [xx] आसंदी के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

हो गया है, घर में रखने का नहीं है, कोई किसी के कोठार में रखता है, कोई किसी के गोडाऊन में रखता है, कोई कहीं और रखता है। वह सीधा कहते हैं कि आपके घर में धान उपलब्ध नहीं है तो आप धान नहीं बेच सकते। आपने पहले जो जांच कराया है, जिसमें अगर किसी किसान का धान रकबा उपलब्ध है तो वह धान मरा नहीं है तो कहां चला जायेगा? इतना तो लॉजिक लगाईये, इतना तो दिमाग लगाईये। तीन बार जांच कराये ठीक है, चौथी बार टोकन कट भी गया, वह वापस भी गया, वहां प्रबंधक बोल रहा है कि तुमको इतना समर्पण करना ही पड़ेगा और उससे जबरदस्ती समर्पण कराया जाता है। वहां तक ठीक है। किसानों को लगातार उसका फोटो खिंचाया जाना, यह चोर साबित करना नहीं तो और क्या साबित करना है, राजेश मूणत जी?

श्री रोहित साहू :- यही तो पारदर्शिता की सरकार है माननीय सदस्य जी। जहां गलत हो रहा है, वहां कार्यवाही होगी। आप गलत नहीं किये हो तो आपको किस बात का डर है? (व्यवधान) कहीं [XX] लोग धान खरीदने की तैयारी किये हैं तो उसकी जांच हुई है। यही सुशासन और पारदर्शिता की सरकार है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पारदर्शिता की बात करते हैं तो दूसरों के धान को बेचेंगे क्या? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपस में जो बोल रहे हैं, किसी का रिकार्ड में मत लें।

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी तक सुना था कि [XX]⁷ समर्पण किया है, यह छत्तीसगढ़ की पहली सरकार है तो किसानों को समर्पण करवा रही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यहां तक भी देखिये कि सरकार क्या स्थिति में चली गई? हमारे सारंगढ़ के विधायक जी यहां बैठे हैं, इनको अधिकारी बोलते हैं कि आपके पति के नाम से कितना जमीन है, यह धान कहां से लाये हैं, विधायक के नाम पर कितना जमीन है, बिना उनकी मौजूदगी में माननीय भूपेश बघेल जी के घर में चले जाते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? फलॉना ने इतना धान बेचा, फलॉना ने इतना धाना बेचा, आप अपने आई.टी. सेल से रोज जारी करवा रहे हैं, क्या कोई गलती कर दी है? हाँ भई, हम किसान हैं। हम आज से धान नहीं बेच रहे हैं, कई सालों से धान बेच रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, एक मिनट उमेश भाई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद तीन साल आपकी सरकार भी उस समय पर रही है। उस सत्र की मैं चर्चा नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा, आपके समय भी जिस किसी राजनेता ने घर के अंदर धान बेचा है, उस समय आप लोगों ने भी

⁷ [XX] आसंदी के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सोशल मीडिया पर उसी प्रकार के पोस्ट डाले हैं। अगर आपको पैसा मिला तो धन्यवाद देने में क्या तकलीफ? अगर आपको 2 लाख रुपया मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अब बताईए, 2003 की बात कर रहे हैं? मतलब 2003 में सोशल मीडिया की क्या स्थिति थी ? (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- अगर आपको इसका 40 लाख रुपया मिला है। (व्यवधान) धन्यवाद देने में क्या तकलीफ है? आपने कोई चोरी थोड़ी की है। आपको आपका हक मिला और हक की तारीफ करने में क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, सारंगढ़ में इतना बड़ा मुसवा है कि विधायक को जाकर पूछ रहे हैं कि कितना धान बेचे हैं? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, 2003 में सोशल मीडिया में प्रकाशित करने की बात कर रहे हैं। 2003 में छोटा मोबाईल होता था। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2003 का नहीं बोल रहा हूँ। 2003 में तो धान को डूबो-डूबो कर लिए हो। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- माननीय उमेश भैया, आपको धान का पूरा 3100 रुपया मिला है या नहीं मिला है, बता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, 2003 में तो ये प्रकाशित ही नहीं हुआ था। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- वर्ष 2016-17 के बाद जितना पैसा मिला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपका अवसर आएगा तो आप बोलिएगा।

श्री रोहित साहू :- माननीय उमेश भैया, आपको 3100 रुपये दाम में आपका पूरा पैसा मिला या नहीं मिला, यह बता दीजिए और मिला है तो धन्यवाद दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ए मुसवा वाले सरकार भैया, तैं भई गे मुसवा ला खोज।

श्री राजेश मूणत :- उसको उसका हक मिला है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा समय इसी में चला जाएगा लगता है।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भैया, कुल कितना मिला? ईमानदारी से बताईए, अच्छा मिलना चाहिए। यहां जितने बैठे हैं सब सक्षम किसान हैं और हर किसान के खाते में विष्णुदेव साय सरकार अगर पैसा दे रही है तो इसको स्वीकार करने में हमें गर्व है, कोई तकलीफ नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- कोई तकलीफ है ही नहीं। हम कहां तकलीफ है बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आप परेशान क्यों हो रहे हैं, यह बताईए ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मूणत जी बैठिए। आपका नाम है, उसमें बोलिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं बस एक मिनट बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, किसानों के खाते में धान आया। लेकिन जो किसान धान नहीं बेच पाए, एक जिला में लगभग 8000 किसान हैं, क्या उनका कर्जा माफ करेंगे?

सभापति महोदय :- बैठिए, बैठिए। उमेश जी बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मेरा जांच करा लें। मैंने कितना धान बेचा है, क्या बेचा है, बिल्कुल जांच कराइये। मुझे उसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं-नहीं, हम कहां आपकी जांच करायेंगे।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- लेकिन ऊपर वाले तो भेज रहे हैं। आपके जो ऊपर हैं वे हर जगह जांच कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- बार-बार खड़े न हों।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, दो मिनट।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मूणत जी, आपकी ड्यूटी कहां लगी थी? सभापति महोदय माफ कीजिएगा, वहां दो दिन और रुक जाते, क्या फर्क पड़ जाता? (हंसी) विनियोग विधेयक को 5 बजे से पहले पास होना है, आप समय का कैसे करेंगे?

श्री राजेश मूणत :- नेता जी सहमत हूँ, वर्धमान नगर जहां मेरी ड्यूटी लगी है वह भी एक धान का कटोरा है। वहां पर सबसे ज्यादा धान की राइस मिल है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप उसे अफीम का कटोरा तो नहीं बनाने गए थे?

श्री राजेश मूणत :- मैं वहां से आया हूँ।

श्री कवासी लखमा :- अफीम लेकर आए हो।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं, जांच की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सबका हक दे रही है और उमेश पटेल जी को भी उनके काम का हक मिला है। यह जांच का विषय नहीं है, यह हकदारी का विषय है और हकदारी पूर्ण की गई है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं इसी मानसिकता की बात कर रहा हूँ। आप उसको बार-बार जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए उसको छोड़िए। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने और विधायक दल के सभी नेताओं ने इस बात को बहुत गंभीरता से इस सदन में उठाया। यह सरकार की नीति भी है, मैं दोनों चीजों को जोड़ रहा हूँ। इसका बयान माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री लोगों ने अलग-अलग जगह पर किया है कि हम धान के रकबे से किसी और रकबे की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अन्य रकबा, चाहे अलसी की फसल हो, चाहे और फसल हो, क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। 80-80%, 90-90% बिना ट्रेनिंग के, किसानों को ना

ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ना उनका किसी तरह से बीज निगम के द्वारा सहायता किया जा रहा है, ना उनको किसी रूप में सपोर्ट किया जा रहा है। जब बीज निगम से बीज लेने की बात आती है तो सारे फसल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात इस सत्र में, इस सदन में जो हुई है, मुझे लगता है कि सबसे गंभीर विषय है, अफीम की खेती। एक जगह नहीं, दो-दो जगह कर रहे हैं। अफीम की खेती करने वाला कौन है, वह सत्ता पक्ष के सदस्य हैं ? सत्ता पक्ष में जो पार्टी है, उसके सदस्य विनय ताम्रकर हैं। यह सबसे गंभीर बात आ जाती है। उसके दो दिन बाद यहां सत्र में उस विषय पर चर्चा होती है, स्थगन लाया जाता है। उसके दो दिन बाद फिर से एक खबर आती है कि पुनः अफीम की खेती पकड़ायी गयी है। सभापति महोदय, विनियोग पर चर्चा चल रही और आप एक बार अधिकारी दीर्घा को देख लीजिये कि क्या स्थिति है?

समय :

1.00 बजे

सभापति महोदय :- अधिकारी बैठे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, कहां बैठे हैं? आप मुझे बता दीजिये कि किस लेवल के अधिकारी बैठे हैं? आप उनको 5-10 मिनट के लिए बुलवा लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एमन अइसने फर्जी हे कि एमन तहसीलदार अउ एस.डी.एम. ला चीफ सेक्रेटरी हे कहिके बइठा देथे। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, कृपया आप आदेशित कर दीजिये कि वह जल्दी आ जाएं।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अफीम की खेती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। किसानों की आय को डबल करने की बात कही गई थी, लेकिन क्या इस तरह से डबल करेंगे? आप छत्तीसगढ़ को अफीम का कटोरा बनाकर किसानों की आय को डबल करने की बात कर रहे हैं। इस तरह से हमको किसानों की आय नहीं बढ़ानी है। यदि हमको किसानों की आय बढ़ानी है तो फसलों के जरिये, जो अन्न है, उन फसलों के जरिये। अफीम की खेती कराकर आय नहीं बढ़ानी है। सभापति महोदय, इनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जिसका बार-बार उल्लेख हुआ—महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना। राजेश जी, महतारी वंदन योजना में आपके मंत्री जी उत्तर देते हैं कि रोज जांच होती है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप एक बात बताइये कि केयरटेकर मुख्यमंत्री जी हैं तो वह घोषणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप महतारी वंदन योजना को लेकर इतने दहशत में थे कि आपके केयरटेकर मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषित होने के बाद कहा कि हम 1,100 रुपये देंगे। अभी आप उसकी आलोचना करने के लिए खड़े हो गए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, अब मैं तो इस बात से भी आलोचना करूंगा कि यह लोग उस समय इतने भयभीत थे कि फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाये। सरकार बनी नहीं है और घर-घर जाकर लोगों से फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाये। आप लोग इतने भयभीत थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, आज भी संदूक में रखा है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, कई जगहों में तो आपने डायरेक्ट दे भी दिए कि एक महीना का तो रखो, एक महीना का रखो। यह भी हुआ।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदय, इनके ऊपर तो जनता ने भरोसा भी नहीं किया। यह भी फॉर्म बांट रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उसको हाथ में भी नहीं लिया।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, चंद्राकर जी हा कई इनके ला अपन जेब के पइसा ला बांटे हे।

श्री उमेश पटेल :- साहू जी, आप इधर से उधर गये हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- लेकिन उनको पता तो सब है न आपका।

श्री उमेश पटेल :- हां, यह बात सही है। उनको सब जानकारी है। माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना में माननीय मंत्री जी का इस सदन में यह जवाब आता है कि हर दिन जांच होती है। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो वहां से लगभग 10,000 महिलाओं के नाम कट चुके हैं। यह इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में किनको मिलता है? सन्नी लियोन के नाम से कोई महतारी वंदन योजना का लाभ उठा रहा था। कोई किसी और के नाम से इसका लाभ उठा रहा था। लोग हीरो-हीरोइन के नाम से इसका लाभ उठा रहे थे।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, यादव जी तो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ऐश्वर्या राय के नाम में घलो मिले हे अउ मैं सुने हव कि एमन अमरीश पुरी के नाम ला घलो जोड़ दे रीहिन हे। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह लाभ उन लोगों को दिया जा रहा है जो फर्जी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको इस पैसे की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उनका आप 500 रुपये काटकर दे रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, आप उन महिलाओं के पूरे 500 रुपये काट रहे हैं। आप महतारी वंदन योजना या पेंशन या किसी अन्य के पैसे काटकर दे रहे हैं। यह इनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की हालत है। इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था-इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास। आपने कहा था कि आप प्रधानमंत्री आवास का पैसा देंगे, लेकिन उसकी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास में जिसको पैसा मिल गया है, जिसको एक किश्ती मिल गयी है, वह बेचारा उधारी ले लेकर परेशान हो गया है, उसका घर वापस गिरवी हो गया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, 10 लाख रुपये की केवल एक किश्त जमा हुई है। 2 साल में उनको एक रुपये नहीं दिया गया है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, उनका घर गिरवी हो गया है। वे उधारी ला लाकर घर बनाये हैं फिर भी स्थिति खराब है। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से यह सूरजपुर की घटना है कि वहां पहले एक नक्सली कमाण्डर हुआ करता था, जिसके बयान को हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा। वह वर्ष 2021-22 में सरेण्डर कर चुका है। उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। वह बहुत ज्यादा कर्ज में चला गया है। उसको पैसा नहीं मिल रहा है। उसका बयान था कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई तो मुझे कहीं फिर से नक्सली न बनना पड़े। यह उसका बयान था। यह आपक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ? सभापति महोदय, यह नौजवानों की सरकार रोजगार की बात करती थी। यह कहते थे कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार मित्र बनाकर संगठन के साथ जोड़ेंगे। हम शिक्षकों का 55,000 पद भरेंगे। मोदी जी की गारंटी में 57,000 पदों की गारंटी थी।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, आप मन पहले यह देख लेबे कि गुरु जी के सम्मान करत रिहीस कि नहीं। ओकर मन से कुकुर बिलई ला तो मत गिनवाहू। पाप परही पाप। गुरुर ब्रम्हा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रम्हा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, चुनाव की घोषणा में, मोदी जी की गारंटी में 57,000 पदों को भरने की बात कही गयी थी।

श्री ओंकार साहू :- सभापति महोदय, राजधानी में उसकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगी थी।

श्री उमेश पटेल :- उसके लिए होर्डिंग्स भी लगी थी। उसके बाद लोक सभा चुनाव आया। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस सदन में घोषणा की गयी कि हम 33,000 पदों को भरेंगे। लोक सभा चुनाव भी निपट गया। आपने कहा कि उसके बाद 20,000 पद भरेंगे। वह कहां गये ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सदन में बार-बार यह बात आयेगी कहकर उनको दिल्ली भेज दिया गया। वह जवाब कहां दे पायेंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने उनको प्लानिंग के तहत दिल्ली भेज दिया।

श्री उमेश पटेल :- उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि इतने पद भरे जायेंगे और शाम तक वह ट्वीट डिलीट भी हो जाता है। उसके बाद कहा गया कि 5,000 पद भरेंगे। सभापति महोदय, यह सरकार लगातार नौजवानों को धोखा देते जा रही है। आप 57,000 पदों से 5,000 पदों में आ गये। आपने पद भरने के बजाए युक्तियुक्तकरण किया। आज माननीय सदस्यों ने युक्तियुक्तकरण पर प्रश्न लगाया था। सारे सत्ता पक्ष के विधायक इससे परेशान हैं, यह तो समझ में आ रहा था लेकिन उनकी मजबूरी है कि उसके बारे में वे क्या बोले। सभापति महोदय, यहां विधायक जी बैठे हैं। उस स्कूल में 500 बालिकाएं हैं और उसका युक्तियुक्तकरण करके बालक स्कूल में मर्ज कर दिया गया। विधायक

जी कहां गये, नहीं है क्या ? वहां लगातार आंदोलन हुए हैं लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अभी यादव जी कह रहे थे। यादव जी, शिक्षकों को किस काम में लगाये हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- ओ मन ला कुछ काम नइ हे। ओ मन से कुकुर बिलई खोजवावत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कुकुर गिने बर लगावत हे।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, डेली वेजेस के नियमितकरण की बात आती है। यह सबसे बड़ा विषय है, जिसको लेकर आप लोगों ने उस समय इतना हंगामा किया कि हम डेली वेजेस का नियमितकरण करेंगे। वह बेचारे इनके झांसे में आ गये। मैं तो यह मानता हूं कि उन्होंने इन्हें वोट भी दे दिया होगा। आपने उनके लिए क्या किया ? आपका आधा कार्यकाल निकल गया। अब तक हम लोगों ने कभी-भी मोदी की गारंटी की बात नहीं की थी लेकिन अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि अब टाईम टिकिंग हो गया है। आपका आधा कार्यकाल निकल गया है।

श्री राजेश मूणत :- बिल्कुल, आप मोदी जी का नाम लेते रहिये, माला जपते रहिये और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी देश में राज करेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- आप ताली बजाते रहिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने यह तो तय कर दिया कि 2047 तक आप राज करेंगे लेकिन 2047 के बाद कौन राज करेगा, यह बता दीजिये ?

श्री राजेश मूणत :- कांग्रेस तो गयी। कांग्रेस तो गयी।

श्री उमेश पटेल :- आप ताली बजाते रहिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने 2047 तक तो तय कर दिया, उसके बाद कौन रहेगा ?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, अभी जो 5 प्रांतों का चुनाव होगा, उसमें देखियेगा कि कांग्रेस कहां है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह 2047 के बारे में आपको कौन से ज्योतिषी ने बताया है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जिस प्रकार से आप सभी को धोखा देंगे। 5वें साल में आप सबकी मांग पूरी करेंगे और आप सत्ता में आ जायेंगे ? सभापति महोदय, जनता समझदार हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- द्वारिकाधीश भैया, आप 2047 की उम्मीद में बैठे रहिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चौधरी साहब, आप लोगों को अंधविश्वास है। किसी ज्योतिषी ने आप लोगों को 2047 तक का बोला होगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जनता समझदार है, आप जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिये। ... (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है।

श्री बालेश्वर साहू :- 2047 में ending है, बीजेपी खत्म।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मूसवा को बदनाम कर रहे हैं और यह बोले हैं कि 2047 तक राज करेंगे। बेचारा मुसवा फ्री में बदनाम हो गया है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिये। आप बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ये स्थिति है कि वह तत्कालिक शिक्षा मंत्री से लड़ रहे हैं। भैया, अध्यक्ष कौन है ? यह बात हाईकोर्ट तक चली गई। इस पर विधान सभा में 2-3 बार प्रश्न लग चुका है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, विनियोग पर बोलें, वह ठीक है। आप यह विषय में एक बार बोल चुके हैं।

श्री उमेश पटेल :- तो क्या हुआ, विनियोग में सारा विषय सम्मिलित हो सकता है।

श्री राजेश मूणत :- आप यह बताइये न कि आपके कार्यकाल में राजस्व की आमदनी कितनी थी और साय सरकार आने के बाद में राजस्व कितना बढ़ा। अगर डिबेट करना है तो यह करिये न कि हमारी सरकार आने के बाद में छत्तीसगढ़ का राजस्व कितना बढ़ा और आपके कार्यकाल में राजस्व कितना बढ़ा था।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, हमारे समय में शराब की दुकानों को..। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- (व्यवधान).. अभी डिबेट हो जाये।.. (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- इनके जो कार्यकर्ता टैक्सी से घूम रहे थे, आज मर्सीडिज में घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप राजस्व बढ़ाने के लिये अफीम की खेती करवा रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री कैसे लड़ रहे थे और इस्तीफा पत्र जारी करके अपना पद छोड़ रहे थे।(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- दोनों शिक्षा मंत्री हाईकोर्ट तक जा रहे हैं। आपके दल की स्थिति ये है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, कोर्ट में गये हैं। कोई अपनो से लड़ाई नहीं करता, आप तो अपनों से लड़ाई लड़ रहे हैं।

श्री राघवेंद्र कुमार :- हमारी सरकार के समय कोई कोर्ट नहीं जा रहे थे।

श्री रामकुमार यादव :- मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाये फकीर।

श्री सुशांत शुक्ला :- एक विधायक ने ..(व्यवधान). बोला था और दूसरा बोला कि मेरी हत्या होने वाली है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपके भी सदस्य बोल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। आप उसको क्यों नहीं बता रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी लड़ाई कोर्ट में चली गई है इससे बदतर क्या हो सकता है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपके दल में वरिष्ठ सदस्य को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको हाईकोर्ट जाना पड रहा है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- यहां बैठकर आप चावल खा रहे हैं, धान खा रहे हैं और बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब कोई भी बोलेंगे, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, तत्कालिक माननीय शिक्षा मंत्री जी और पूर्व शिक्षा मंत्री जी की लड़ाई चल रही है कि अध्यक्ष कौन है। और आज माननीय विधायक जी का प्रश्न लगा था जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से पूछा कि भैया जब आप अध्यक्ष थे या नहीं थे, आप 13 तारीख से अध्यक्ष बने हो, उससे पहले वहां किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हो गई। लेकिन गोल-गोल जवाब आ रहा है। यह पूरा सत्र गलत जवाब और गलत जानकारी उपलब्ध कराने के लिये नाम होगा। कोई मंत्री सही उत्तर नहीं दिये हैं। चाहे वह सत्तापक्ष का प्रश्न हो, विपक्ष का प्रश्न हो। ये सत्र को आप डेडीकेटेड कर दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- उमेश जी, आप तो विपक्ष के बहुत विद्वान सदस्य हैं। हर महत्वपूर्ण और संवेदलशील मुद्दे पर आप शुरू करते हैं। चलिये ये क्या हुआ, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार गलत है, सही है। कल मैं न्यूज देख रहा था। गंगा नदी में रोजा इफ्तार मना रहे थे और रोजा इफ्तार मना करके पूरा मटन गंगा नदी में फेंक दिये। आप ये बताइये कि अच्छी बात हुई है कि या बुरी बात हुई है ?

श्री उमेश पटेल :- देखिये, अब वह परिस्थिति को मैं जानता नहीं हूं, समझता नहीं हूं, इसलिए मैं उसमें क्या कहूंगा। मैं खुद देखूंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

श्री राजेश मूणत :- अगर चीज गलत है तो गलत है।

श्री उमेश पटेल :- मैं उसको देखूंगा न।

श्री राजेश मूणत :- बिना देखे बोलिये, गलत है तो गलत है।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, हर चीज के हजार पहलू रहते हैं, बिना सोचे-समझे, बिना देखे कुछ भी बयान कैसे दे सकता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- हो सकता है कि किसी ने बदनाम करने के लिये षडयंत्रपूर्वक ऐसा किसा होगा। उसको कैसे बता सकते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह ठीक है। यह जांच का विषय है और निष्पक्ष जांच होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह जांच का विषय है, जैसे आपके मंत्री का जवाब आता है कि जांच करेंगे तो पता चलेगा। वही वाला ये सब है।

श्री उमेश पटेल :- आप इस सत्र को गलत जानकारी, गलत जवाब, गलत उत्तर के लिये डेडीकेटेड कर दीजिये।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय उमेश जी, यादव जी भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे हैं। ये सत्र 30 दिन से चल रहा है। जब गलत जानकारी आये, विधान सभा की उसकी प्रक्रिया है, आप क्या एकात में आपत्ति किये हैं ?

श्री उमेश पटेल :- हां, बिल्कुल किया है। ऐसा थोड़ी है कि नियम प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है।

श्री अमर अग्रवाल :- उसकी एक प्रक्रिया है। आप प्रक्रिया के तहत लगाईये न।

श्री उमेश पटेल :- हां, प्रक्रिया है, अग्रवाल जी, उसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति में दिया है। बिल्कुल दिया है, लेकिन जो है उसको यहां बयान करेंगे न।

श्री अमर अग्रवाल :- वह तो फिर विधान सभा में आ ही जायेगा न, अब आपने दिया है।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल आयेगा। लेकिन उस चीज की चर्चा भी तो करनी पड़ेगी न। आपके सदस्य इस बात को विधान सभा में कहे हैं कि गलत जानकारी दिये हैं, गलत उत्तर दे रहे हैं। आप रिकार्ड देख लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सर्वाधिक उधरी से बोले हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आज इन्होंने जम्बूरी का प्रश्न उठाया था, बिना टेंडर के काम को कर दिया गया। बिना अध्यक्ष के मीटिंग बुला ली गयी। उपाध्यक्ष के द्वारा उस मीटिंग को...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरी एक बात सुन लीजिये । आप नियम-प्रक्रिया कार्यसंचालन देख लीजिये । विनियोग में एक व्यवस्था है, वह किताबों में लिखा है कि पूरे सत्र में विनियोग में जो बातें कही जा चुकी हैं उसको दोहराया नहीं जायेगा । यह नियम-प्रक्रिया में है ।

श्री उमेश पटेल :- हो गया । हो गया न, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, आपको बता रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- अरे, सुन तो लीजिये । यह ज्ञान बढ़ाने वाली बात है न।

श्री उमेश पटेल :- अरे, तो मेरा भी ज्ञान बढ़ा हुआ है । आप मत चिंता करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब आज चर्चा हुई, जम्बूरी में दो बार चर्चा हो चुकी है । यदि बार-बार उसी विषय को ला रहे हैं या अन्य विषय जिसकी यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ मुद्दे नहीं हैं या हमको उस प्रक्रिया का पालन

करना चाहिए जो विनियोग में है । जो सत्र में बात कही जा चुकी है उन बातों को विनियोग में नहीं कहा जाता है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, विनियोग में नयी बातों को या पुरानी बातों को रिपीटेशन नहीं करना है, यह मुझे भी पता है लेकिन आप मेरे रिकॉर्ड को उठा दीजिये । मैं उन बातों को संदर्भ के रूप में ले रहा हूँ और नयी बात कर रहा हूँ लेकिन आपको संदर्भ तो बताना पड़ेगा न कि आज यह प्रश्न उठा था उसमें क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, यह संदर्भ तो रखना पड़ेगा न ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार तुंहर द्वार योजना की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बोला था कि हम सरकार तुंहर द्वार योजना में डेढ़ लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे । अजय जी, आप समझ रहे हैं । इनकी यह मोदी की गारंटी है । पूरा आधा कार्यकाल निकल गया, किस हक से आप बात करेंगे ? अजय जी यहां बैठे हुए हैं । बेरोजगार भत्ता-बेरोजगारी भत्ता, 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दो, यह करो, पता नहीं क्या-क्या बोलते थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिये-सुनिये । आप तकनीकी, उच्च शिक्षा और खेल कूद के मंत्री थे । आप ईमानदारी से बताइये कि क्या आपने 5 साल में बेरोजगारी की परिभाषा तय की ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आदरणीय चंद्राकर जी, आप जितना लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं तो खड़ा ही नहीं हो रहा हूँ । आप पूछ लीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- क्या विनियोग में ऐसा करने का निर्देश है ?

श्री अजय चंद्राकर :- क्या ?

डॉ. चरणदास महंत :- जब विनियोग का भाषण चल रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं तो पूरा सुन रहा हूँ ।

डॉ. चरणदास महंत :- तो आप वक्ता को रोकेंगे, वक्ता का मजाक उड़ायेंगे ? वक्ता को उंगली करेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- जब मेरा उल्लेख हुआ तब मैं खड़ा हुआ ।

डॉ. चरणदास महंत :- ऐसा मत करिये न ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ।

डॉ. चरणदास महंत :- ऐसा मत करिये, विनियोग को विनियोग जैसी चर्चा होने दीजिये । मैं आपसे भी और इधर से भी, आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ, मैं यहां भी गया था कि विनियोग में अगर इसी तरह से चर्चा होती रहेगी तो फिर 5 बजे तक हम कैसे पूरा कर पायेंगे, मेरा आपसे यह निवेदन है, आप बहुत ज्ञाता हैं तो कृपया यहां उस ज्ञान का उपयोग करिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय नेता जी, मैं आपका ईशारा समझ गया । अब मैं खत्म कर रहा हूँ ।
सभापति महोदय :- उमेश जी, अभी और कितना समय लेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 2 सेकेण्ड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, यह केवल दो लाईन और बोल देता हूँ । बेरोजगारी भत्ता पर यह लगातार बात करते थे लेकिन बेरोजगारों के लिये यह सरकार कुछ करने के लिये विफल है । न इन्होंने नयी नौकरी निकाली, जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा नहीं किया, हर चुनाव में अलग-अलग वायदे, कभी 57,000 का, कभी 33,000 का, कभी 20,000 और अब 5,000 पर आ गये हैं । यह सरकार नियमितीकरण के नाम पर पूरी तरीके से विफल है । जो पार्टी चुनाव से पहले बार-बार यह बोलती थी कि हम नियमितीकरण करेंगे उसमें यह सरकार विफल है । इस सरकार का आधा कार्यकाल हो गया है, यह सरकार अपने वायदों पर यहां के लोगों को भरोसा दिलाने के लिये विफल है इसलिये इस विनियोग का विरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत द्वारा 1 लाख 87,500 करोड़ रुपये के विनियोग के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और विष्णुदेव साय जी, उनके वित्तमंत्री जी, उनके सम्माननीय मंत्रिगण, मैं एक लाईन बोलता हूँ-

यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है ।

यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है ।

दिया जलाकर रोशन कर दूँ, जहां अंधेरा है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिये इस लाईन को बोला कि राज्य सरकारें या संविधान के तहत हमारे देश में बनने वाली व्यवस्थाएं हैं जिसमें सरकार बनती है । अपने घोषणा पत्र के अनुरूप नियम-प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करती है और सबका एक उद्देश्य लोक कल्याण का होता है जिसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं, जहां लोक कल्याण का काम होता है। अभी बहुत ज्यादा अवधि नहीं बीती है। अभी ढाई साल ही बीते हैं। हमने छत्तीसगढ़ का एक काला अध्याय देखा। राघवेन्द्र जी, हमने यह कैसे देखा, उसमें बात करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिये। आपका शासन चलाने का उद्देश्य क्या था ? माननीय विष्णु देव साय जी और उसके सम्माननीय मंत्रिगण, क्यों, किस तरह से शासन चला रहे हैं। जब विनियोग शुरू होता है तो हम यही बात कहते हैं। 1 लाख 87 हजार 500 करोड़ रुपये से और दुगुना भी हो तो श्री ओ.पी. चौधरी जी और माननीय विष्णु देव साय जी और

उनका मंत्रिगण, उसको खर्च करने में बहुत सक्षम हैं। कांग्रेस पक्ष के पहले वक्ता 4 बिन्दु से ज्यादा 5 वां बिन्दु उठा नहीं पायें। वह भी सरकार के खिलाफ कोई तथ्यात्मक बात नहीं रख पायें।

माननीय सभापति महोदय, बजट की डिमाण्ड मांगों पर इन सभी बातों की चर्चा हो चुकी है, पर आप देखिये कि किसी भी राज्य के लिए जो पूंजीगत व्यय है यह वर्ष 2025-2026 के मुकाबले वर्ष 2026-2027 का पूंजीगत व्यय लगभग 62 प्रतिशत ही पुनरीक्षित अनुमानित है। इन 25 सालों में इतना पुनरीक्षित अनुमान नहीं था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप इसको ध्यान रखियेगा और यह पूंजीगत व्यय बढ़ने का मतलब यह है कि कुछ लक्ष्यों को लेकर हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जो तीन मुख्य इंडेक्स हैं पहले तो बजट का आकार है एक लाख 56 हजार करोड़ से बढ़कर, 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये लगभग 10.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उस दिन माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इसमें 25 वर्षों में कितने गुना वृद्धि हुई और उन्होंने वित्तीय प्रबंधन पर भी बात की और मैं यह कह सकता हूँ यह इन 25 सालों का सर्वश्रेष्ठ बजट है। पिछले दो बजट में उन्होंने गति और ज्ञान का प्रस्तुत किया था। उससे यह संकल्प का बजट आगे है।

माननीय सभापति महोदय, घरेलू उत्पाद में भी 12.39 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। अब इससे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रमुख कृषि का क्षेत्र हैं तो प्रचलित दर में जो सकल घरेलू उत्पाद है, वह 12.53 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। माननीय संगीता जी, आप इसे नोट करियेगा। उद्योग क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में बताना चाहूंगा कि आज दुनिया में सेवा क्षेत्र की गूंज है।

समय

1.23 बजे

(सभापति महोदय(श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, सेवा क्षेत्र में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ के बजट में यह पहली बार हुआ है कि जब तीनों क्षेत्रों में डबल डिजिट में वृद्धि अनुमानित की गयी है। इन 25 सालों में यह पहली बार हुआ है। उसके बाद आप नहीं पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो उसको कौन क्या कर लेगा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाह रही हूँ कि आप बजट लाते हैं, लेकिन यह बजट कहाँ जाता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह बजट बालोद के विकास में जाता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपका धरातल में कहीं नहीं दिखता है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह बजट माननीय नेता जी की जेब में जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अच्छा तैं ए बता तैं गेरुआ के अतिरिक्त ठेलालटका ला जानथस नहीं ?

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, आप सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के काम हरे कि सरकार ला ठेलालटका पहिनाना, तैं समझ गेस। ओला तो तोला नइ आवए। तोला बीच-बीच में खड़े होए ला आथे।

श्री रामकुमार यादव :- मैं तोला दूहे देहैं तेला जानत हौं ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, का पहिनात हस तेला तो मैं देखत हौं।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी के भाषण में टोका-टाकी न करें।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, एकर दवाई मरपची जगह हे तोर दवाई मरपची जगह हे तैं ले लेबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सबसे बढ़कर प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 62 हजार से एक लाख 79 हजार 244 रुपये हो गयी है। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो उसमें क्या आपत्ति है ? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा क्षेत्र एक नये क्षेत्र के तौर पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी, उनके सहयोगियों एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। कि यहां छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए एक नये सेक्टर की शुरुआत हो रही है। अब कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जिसको आप सुन लीजिए । बजट में मुख्य रूप से विनियोग में यही मुख्य बातें थीं, जो छत्तीसगढ़ के ग्रोथ के इंजन के तौर पर परिलक्षित होती है । छत्तीसगढ़ कैसे बदल रहा है, यदि अनुभव हो सकता है तो इसको थोड़ा अनुभव कीजिए । आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी की बात हुई, डबल इंजन, त्रिपल इंजन, फोर इंजन की जो सरकार है । छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ में 47 हजार करोड़ रूपए निवेश हैं । 40 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने के लिए 2028 तक और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेय जल मिशन-2 एनाऊंस किया है, उसका सर्वाधिक फायदा आपको मिलेगा। फायदा आपको इसलिए मिलेगा कि जल जीवन मिशन को आपने लूटा है । आपने छत्तीसगढ़ के हितों की चिंता नहीं की, वह आपकी पाकेट मनी थी, वह कांग्रेस की पाकेट मनी थी । पीएम आवास में 26 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए । आपको तो गरीबों से घृणा थी । छत्तीसगढ़ के वंचित, शोषित लोग के लिए काम करने में इसलिए चिढ़ थी कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द लगा था । जब नेता जी बोलेंगे तो इसको शामिल करेंगे । पीएम जनमन योजना में 15 अतिरिक्त हैं, उसके अतिरिक्त उसमें एप्रोच रोड और बहुत सारी योजनाएं हैं । छत्तीसगढ़ के प्रीमिटिव्ह ट्राईव्स के लिए, मैंने उस दिन कहा था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । प्रीमिटिव्ह ट्राईव्स जहां रहते हैं, वहां एक प्रधानमंत्री जी पर्यटन में घूमने के लिए आये थे । उनकी दशा और दिशा

में तो कोई परिवर्तन नहीं आया 1984-89 के बीच में, जब यह पर्यटन हुआ, उसके बाद से चौथाई शताब्दी से ज्यादा निकल गई, लेकिन उनके जन-जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया ।

सभापति महोदय, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान । हमने प्रश्न में चर्चा की थी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कृषकों के लिए एक जो अभियान है, उसको एक बार पढ़िए कि मोदी जी का दृष्टिकोण क्या है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए माननीय विष्णु देव साय जी और उनके वित्त मंत्री महोदय किस तरह के जनता की सेवा कर रहे हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 40 हजार करोड़ रखे गए हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको तो विशाखापट्टम कारीडोर देखना चाहिए । धनबाद शुरू हो रहा है । बिलासपुर जिला है, मेरे ख्याल से उसमें जांजगीर जिला भी आएगा, सक्ति भी आएगा, गुजरेगा । धनबाद चलेंगे । जब कोयले का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो मुम्बई के बाद किसी समय धनबाद में सबसे ज्यादा इंकम टैक्स पेयी होते थे,

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- मेरे ख्याल से आप भारत माला परियोजना की बात कर रहे हैं, जो सड़क बना रही है । इसमें हमने जो आपको फिगर्स दिए हैं कि इतने हजार करोड़ के नुकसान हो रहे हैं । उसकी तो जांच करवा लीजिए । उसमें मैंने कहा कि सीबीआई को जांच करने के लिए दे दीजिए, फिर आपके साथ चलेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके साथ चलेंगे, उसमें भी बात करेंगे । इतने ईमानदारी से आपके पास विषय नहीं है, फिर भी आलोचना करने की कोशिश करते हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- आदरणीय नेता जी, आपने कहा था कि कोर्ट जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं गए । आपने इस सदन में कहा था कि मैं इसके बारे में कोर्ट जाऊंगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- कौन ?

श्री अमर अग्रवाल :- आपने इस सदन में कहा था कि मैं इसके बारे में कोर्ट जाऊंगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- जाएंगे न ।

श्री अमर अग्रवाल :- अभी कोर्ट कहां गए हैं, कितने दिन हो गए ?

डॉ. चरण दास महंत :- तय तो हो जाये । जिनको-जिनको आपने छिपाकर रखा है, उनको तो आने दीजिए ।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने इस सदन में कहा था कि मैं इस मामले में कोर्ट जाऊंगा । दो साल तो निकल गए ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैंने कहा था कि इसकी जांच कराईए, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा ।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने कहा था या नहीं कहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा । अभी तक आप गए क्यों नहीं ?

डॉ. चरण दास महंत :- अभी आप लोगों ने जिन-जिन लोगों को छिपाया है, उनको बाहर आने दीजिए। कल ही एक आया है। दो-चार दिन में आ जाये, फिर कोर्ट जाएंगे।

श्री अमर अग्रवाल :- आप यह बताईए कि जब जांच का विषा आया था तो आपने सदन में कहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा। आपने कहा था या नहीं कहा था ?

डॉ. चरण दास महंत :- मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कोर्ट जाऊंगा। मैं किसी बात को भूलता नहीं हूँ।

श्री अमर अग्रवाल :- कब जाओगे ?

डॉ. चरण दास महंत :- जब आपसे पूरे आंकड़े मिल जाएंगे, उसके बाद।

श्री अमर अग्रवाल :- आंकड़े निकालना आपका काम है।

डॉ. चरण दास महंत :- आंकड़ा तो आप बताएंगे कि कितना लूटा ?

श्री रामकुमार यादव :- अभी हम लोग आंकड़े के जुगाड़ में लगे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, इतना मोट फाईल दिए हैं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, संगीता जी बैठीए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में कितनी इज्जत है, वह मैं देख रहा हूँ। तीन लोग खड़े हैं और वे मौजूद हैं।

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं, आप लोग उनको भी बोलने नहीं दे रहे हो। यह तो गलत है। आप लोग बैठिये। वह बोल रहे हैं तो आप लोगों को उनके रहते तक नहीं उठना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप आज का पेपर पढ़िये। महतारी वंदन के पैसे से एक महिला ने स्टार्टअप शुरू किया है। यह आज के समाचार-पत्रों में है। (मेजों की थपथपाहट) 12,376 करोड़ रुपये की धनराशि माताओं को उपलब्ध कराई गई है। women empowerment, यदि महिला सशक्तिकरण में संगीता को कोई तकलीफ है तो उसको कोई क्या कर लेगा ?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आप बार-बार संगीता को उचकाते हैं तो वह उसका जवाब देने के लिए मजबूर होती हैं। मैं उसको डांटता हूँ कि समय खराब मत करो। इस तरह से पूरे सदन का समय खराब हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अच्छी ठीक है। अब मैं आपकी ओर ही मुखातिब होऊंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- आप मेरी ओर मुखातिब मत होइये, आपके लिए यादव है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, सदन में संगीता जी की सक्रियता सदन में दिखाई दे रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका निर्देश सर आखों में।

डॉ. चरणदास महंत :- ठेंगा लेकर रामकुमार यादव यहां बैठा हुआ है। उसकी तरफ मुखातिब होईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका निर्देश सर आंखों में। सभापति महोदय, पी.एम. किसान सम्मान निधि में किसानों के प्रति सम्मान में 9,765 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को मिला है। (मेजों की थपथपाहट) अब बताईये कि डबल इंजन का मतलब क्या होता है ? आप बार-बार डबल इंजन, डबल इंजन बोलते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके भाषण में इधर के बैठे हुए लोग ही ताली बजा रहे हैं, उधर वाले क्यों नहीं बजा रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप बताईये न, इधर बैठे हुए हैं, वह ताली बजा रहे हैं, उधर वाले कोई ताली नहीं बजा रहे हैं, क्यों नहीं बजा रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा और श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यदि उसमें सकती शामिल नहीं है तो उसको भी शामिल करें।

श्री अमर अग्रवाल :- है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए, ताकि छत्तीसगढ़ के शहर नियोजित हों। नगरोत्थान योजना शुरू करने के बाद उसमें मूलभूत सुविधाओं का उल्लेख है। उसके लिए डी.पी.आर. बनाने के लिए विश्वस्तरीय कम्पनी आयेगी और उसके माध्यम से आपसे सलाह लेकर शहरों को नियोजित किया जायेगा। आपको (विपक्ष) अवसर था, आपको किसने मना किया था ? आपने क्या किया, मैं उसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा।

सभापति महोदय, द्रूतगामी सड़क संपर्क योजना, इसके तहत मध्यम श्रेणी के शहरों में बायपास बनेंगे तथा और भी कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, नई योजना लांच की गई है। महिला सशक्तिकरण, women impowerment में स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दी गई। भोरमदेव से शुरू हो गया, कॉरीडोर के लिए 146 करोड़ रुपये मिले हैं। मैं तो आग्रह कर दूंगा कि इसका निर्माण शीघ्र शुरू किया जाये ताकि लोग देखें। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, जो छत्तीसगढ़ बदल रहा है, आप उसको अनुभव कीजिये। मैं पूछता हूं, आप दोषी नहीं हैं। आप पिछले 5 साल का एक काम भी बता सकते हैं, अपने भाषण में जरूर बताईयेगा कि कांग्रेस ने ये काम किया, जिससे उनके कार्यकाल को याद किया जा सके। मुझको एक काम बताईयेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इंग्लिश आत्मानंद स्कूल है। जिसके लिये याद किया जाता है। गोधन न्याय योजना है। उसके साथ-साथ महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। भूमिहीन किसान योजना चालू किया था, बहुत सारी योजनाएं थीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितना बजट था ? आत्मानंद स्कूल के लिए कितना बजट था। कौन से पैसे आत्मानंद स्कूल चलता था ?

श्री रामकुमार यादव :- बजट था। गरीब का बच्चा पढ़े हे। गरीब के बच्चा इंग्लिश पढ़े हे।

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिये। संगीता जी हो गया आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, कुछ भी बोलेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे ?

सभापति महोदय :- आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप सुनिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने वहां बैठकर पूरी बहस सुनी है। आत्मानंद स्कूल के लिए कोई बजट नहीं था। वह डी.एम.एफ. के पैसे से चलेगा, इस पैसे से चलेगा, उस पैसे से चलेगा, ऐसाथा। उसके लिए कुछ नहीं, इंग्लिश स्कूल नाम दे दिया गया। एक रूपये का बजट नहीं था। ऐसी कभी योजना बनती है। खैर, उसका खण्डन नहीं करता, आपकी जानकारी अच्छी है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने नई राजधानी में 1 नवम्बर को फार्मा के पार्क का शिलान्यास किया है। (मेजों की थपथपाहट) अमित शाह जी ने फारेंसिक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। (मेजों की थपथपाहट) ताईवान के बाद छत्तीसगढ़ में हिन्दुस्तान का सबसे पहला चिप बनना शुरू होगा, उसके पार्क बनेंगे। राजधानी में ए.आई. का सेन्ट्रल बिल्डिंग सब बनकर तैयार हो गया है। मैंने ए.आई. बोला तो दिल्ली ए.आई. समिट दुनिया की सबसे बड़ी समिट हुई, 200 से ज्यादा देश, 85 से ज्यादा राष्ट्र प्रमुख या उसके प्रमुख डेलीगेट्स आये। छत्तीसगढ़ में ए.आई. में काम शुरू हुआ, इस सरकार ने किया, तो आपने क्या किया? कपड़े उतार कर अर्धनग्न प्रदर्शन।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति जी, इस बात को कल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, तो उसी बात को दोहराना नहीं चाहिए, ये कह रहे थे और खुद ही दोहरा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां दोहरा रहा हूं?

डॉ. चरणदास महंत :- मुख्यमंत्री जी ने कल इस बात का जिक्र किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो आज हैं, हो सकता है छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के राज में यह सौभाग्य है कि पूरा नग्न प्रदर्शन देखा है भूपेश बघेल जी ने। कांग्रेस को चाहिए कि पूरा नग्न प्रदर्शन करे। हां-हां, नग्न प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने देखा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उसमें कौन शामिल था? उस साजिश में कौन शामिल थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- साजिश को छोड़िए, ये हालत बनाई आपने कि छत्तीसगढ़ के पीड़ित लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया, वस्त्रहीन। ये देश की पहली घटना थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, वह साजिश के तहत हुआ था, उसको सामने क्यों नहीं लाते? उस साजिश में कौन शामिल था?

एक माननीय सदस्य :- संगीता जी, उस साजिश का नाम तो आप ओपन करिए, कौन था, ओपन करिए।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप हर बात मत बोलिए न। बीच में नेता प्रतिपक्ष तो बोल रहे हैं, तो उनको अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब और सुनिए, छत्तीसगढ़ कैसे बदल रहा है।

सभापति महोदय :- आप टोकेंगी तो फिर वह भाषण नहीं हो पाएगा न। माननीय सभापति महोदय, आप खंडन मत करिए, अपने भाषण में बोल दीजिएगा जो कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ कैसे बदल रहा है।

श्री राजेश मूणत :- राम कुमार से पूछ लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पुरस्कार। कृषि कर्मण पुरस्कार, ये दिल्ली से बैठे हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन पुरस्कार, अस्पतालों की अच्छी गुणवत्ता के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सराहना पुरस्कार, सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ शहर, कहाँ है बिल्हा नरेश। क्यों साहब, बिल्हा को। छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धियाँ हैं, वह राष्ट्रीय स्तर पर है, देखते जाइए, सुनते जाइए। शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार मिले। इस्पार्क (I.S.P.A.R.C.) शहरी विकास योजनाओं में उत्कृष्टता के लिए शहरी विकास विभाग को 5 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले। (मेजों की थपथपाहट) बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट छत्तीसगढ़ को मिला। ये सेरी कल्चर वाले बैठे हैं। अभी लिस्ट बड़ी लंबी है, मुझे इसे पढ़ने में टाइम लगेगा।

श्री राजेश मूणत :- जमा कर दीजिए। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान शून्य लंबितता के लिए मिला। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ को नेशनल गोल्ड अवार्ड। शिक्षा में नवाचार की सराहना छत्तीसगढ़ को F.L.N. कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सराहना। अंतर्राष्ट्रीय पोषण एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ को महिला कल्याण योजना के सकारात्मक प्रभाव की सराहना छत्तीसगढ़ की भूमिका की, की गई। छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार सम्मेलन सम्मान, 2025, वैश्विक निवेश मंच, विभिन्न संगठनों द्वारा छत्तीसगढ़ को औद्योगिक निवेश में आमंत्रित करने के लिए सम्मानित किया गया। (मेजों की थपथपाहट) स्पेशल एप्रिसिएशन मेडल, दिल्ली में आयोजित 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छत्तीसगढ़ पवेलियन को शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसके तहत प्रदेश

की ग्राम पंचायतों को सुशासन और विकास के लिए पुरस्कार। (मेजों की थपथपाहट) उसके बाद 2026 में वन और जलवायु परिवर्तन में काम करने के लिए चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड। अब आपको इसमें असहमति होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ और कौन क्या करेगा उसको? अब एक कुछ चीजें पढ़ देता हूँ साहब, आपके लिए समर्पित करते हुए, जो देश की विभिन्न नीति आयोग समेत अन्य संस्थाएं जो अध्ययन करती हैं, उसकी टिप्पणी बताता हूँ, गरीबी उन्मूलन- छत्तीसगढ़ में गरीबी में कमी आई है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी काम करने की जरूरत है। देख लीजिए मैं अपनी सरकार के लिए क्या बोल रहा हूँ और कितने क्षेत्रों में बोलूंगा, आप विपक्ष के आदमी हो, आपके पास बोलने के लिए मुद्दा ही नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत है, फिर भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर पर ध्यान देने की जरूरत है। आप उस पर ध्यान दीजिए। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। स्कूल का नामांकन अच्छा है, लेकिन सीखने के जो परिणाम हैं, उसको और अधिक मजबूत करना है। आपने छत्तीसगढ़ के हितों के लिये जो संकल्प बजट प्रस्तुत किया है, ग्रामीण पेयजल योजनाओं में प्रगति, लेकिन जल जीवन मिशन में प्रगति तो हुई है, कोई डाऊट नहीं है लेकिन दूरस्थ अंचल अभी भी है। कृषि और खनिज आधारित उद्योग, अर्थव्यवस्था मजबूत है, छत्तीसगढ़ में सेवा सृजन की संभावना और है। उद्योग और संरचना ...।

डॉ.चरणदास महंत :- आपके भाषण के बाद यह पेपर मुझे दे दीजिएगा। मैं अध्ययन करूँगा, मैं भी बोलूँगा उस पर।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, आपको अजय जी का सपोर्ट चाहिये तो आश्चर्य लग रहा है। जो बोलना विनियोग पर बोलना चाह रहे हैं तो आपके पड़ोसी नदारद हो गये हैं।

डॉ.चरणदास महंत :- मुझे उनके ज्ञान का उपयोग करना है, सीखना है, इसलिये पेपर मांग रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं वोखर लबारी ला देखके घूक के आवथंव।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होता है, आसंदी से घूमने जा रहा हूँ, इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। आपको जहां जाना है जाईये, लेकिन थोड़ा मर्यादा में रहिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्टील और बिजली उत्पादन में राज्य मजबूत, लेकिन औद्योगिक विविधता और लानी है। यह सब उसके पास है और रिकार्ड में है उसे आप जानें। सामाजिक असमानता, बस्तर और सरगुजा अभी भी विकास में पीछे है, उसमें काम करने की जरूरत है और आप काम कर रहे हैं, कहीं कोई डाऊट नहीं है, मैं अभी और बोलूँगा। जलवायु पर कार्यवाही, वन क्षेत्र में अवशोषण अच्छा है, लेकिन खनन गतिविधियों में पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ सभी क्षेत्रों में मध्यम प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में है, जिसको माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य बनेगा। हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आपने वैसा बजट

प्रस्तुत किया है और बजट प्रस्तुत करते समय वैसा संकल्प आपने व्यक्त किया है। सभापति महोदय, शिक्षा की पहुंच बहुत अच्छी है, छात्र अनुपात की गुणवत्ता को सुधारने की जरूरत है और उसमें काम हो रहा है। आप नई शिक्षा नीति को लागू करने की कार्यवाही कर रहे हैं। गरीबी में कमी आई है, लेकिन बहुआयामी गरीबी है। राघवेन्द्र जी, आप गरीबी की परिभाषा सुन लीजिए कि बहुआयामी क्या होता है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता, पेयजल जैसी जीवन स्तर की चीजें आती हैं। सिर्फ खाने का संकट नहीं है, जो भूखमरी से मर जाते हैं, उसको गरीबी कहा जाये और इस बहुआयामी गरीबी में छत्तीसगढ़ को काम करने की जरूरत है। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट की प्रशंसा करते हुये मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था और मैं उसमें बौद्धिक अधोसंरचना शब्द कहा था। अबूझमाड़, ओरछा क्षेत्र में यदि शैक्षणिक केन्द्र बनाने की परिकल्पना होती है तो जो असमानता है वह दूर होगी ही। यही बौद्धिक अधोसंरचना है। मैंने जब आपको जगरगुण्डा का उल्लेख किया था, माननीय गृह मंत्री जी है कि नहीं है, मैं यह नहीं जानता हूँ या वह कक्ष से सुन रहे होंगे। नक्सली गन डाऊन होंगे, 31 मार्च तक गन डाऊन होंगे। 31 मार्च तक होंगे ही, माननीय अमित शाह जी का भागीरथ प्रयास है। गृह मंत्री जी उसमें काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का संरक्षण मिल रहा है, गन की लड़ाई समाप्त होने के बाद विचारधारार्ये खत्म नहीं होती है। हम कैसे वैचारिक स्तर पर आगे लड़ेंगे, चाहे वह कोर्स हो, कैरिकुलम हो, या अधोसंरचना हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और भी गतिविधियां हो, मानसिक स्तर पर मजबूत करने के लिये हो, मनो वैज्ञानिक लड़ाई जो होगी कि वह दोबारा सिर न उठा सके। छत्तीसगढ़ विचाराधारा के स्तर पर वह मॉडल प्रस्तुत करेगा कि ऐसे विचारधारार्ये उन देशों में चली जाये, जो रशिया से आई थी, यदि चीन से आई थी, वही आजकल नहीं है। हम ढो रहे हैं, अब वह स्थिति मत बने। आप इसमें करवाईये। आपने जगरगुण्डा और ओरछा की बात करके, जो प्रधानमंत्री जी ने RNG इकोनॉमी की बात कही है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा अवसर है, आपने एआई सेंटर में किया है, फार्मा में भी आ गए और भी जो सेक्टर हैं, RNG इकोनॉमी में जो उल्लेखित हो सकते हैं, उसको करने पर आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, अब मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ, हम शासन में आते हैं तो उद्देश्य क्या है? काम क्या करते हैं? 2.5 साल पहले की घटना का, 5 वर्ष के उस कार्यकाल का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि बिल्कुल शासन करने के आयाम, लोक कल्याण के विषय और उसकी पद्धति पूरी बदलकर रख दी गई। माने सार्वजनिक जीवन में जेल जाना गर्व का विषय हो गया, ऐसी राजनीति हमने देखी नहीं, सुनी नहीं कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए शासन चलाने वाले लोग जेल जाने को गर्व का विषय समझने लगे, लोक धन के दुरुपयोग को गर्व का विषय समझने लगे, वह अपने घर का सामान समझने लगे। व्यवस्थाओं का उल्लंघन तो ऐसे करने लगे कि नियम उन्होंने शायद अपने घर में बैठकर बनाया होगा।

श्री विक्रम मंडावी :- अजय भैया, क्या जेल सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति जा रहे हैं? क्या दूसरे दल से कोई जेल नहीं जा रहे हैं ?

श्री राजेश मूणत :- कोई भी जाए, सब जाएं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दारू पर जो बड़े-बड़े हुए हैं, उस पर तो ED, CBI और बड़े-बड़े लोगों ने काम किया है। मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूँ कि भ्रष्टाचार किस स्तर तक उतरा और कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया। भागीरथी ने गंगा उतारी, साहब मैं अकेले थोड़ी हाथ धोऊंगा ? ये तो कांग्रेस की रीति-नीति है, सब मिलकर बांटकर इस प्रदेश को राइट करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ऊपर में बैठकर सब सुने हैं, राइट करने की दिशा नीचे से शुरू हो, ऊपर से हो, ये सब सुने हैं । मैं उनके लिए तो कम से कम नई बात नहीं बोल रहा हूँ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अजय जी, महंत जी की इच्छा है कि आप इसको थोड़ा और विस्तृत से बोलिए। उनकी इच्छा है कि इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत से प्रकाश डालिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ।

श्री विक्रम मंडावी :- थोड़ा अफीम के बारे में भी बताईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी वर्तमान में अफीम चल रहा है, आप अफीम के बारे में बताईए।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी बात को बोलने के समय खंडन करना, मैं स्वागत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं छोटा-छोटा उदाहरण बताऊंगा। पुरखौती मुक्तांगन, उसकी टिकट में भ्रष्टाचार हुआ। उसकी जांच की घोषणा हुई और जांच नहीं कराई गई, अब सोच लीजिए भ्रष्टाचार किस स्तर में पहुंचा। माननीय संस्कृति मंत्री जी, आपको उसके दस्तावेज चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। माने जिसको जहां अवसर मिला हाथ धोने लगे, भाई। भागीरथी जी जिधर-जिधर पीछे चलते थे, गंगा जी उधर-उधर बहती थीं, इन लोगों को जहां-जहां दिखा वहां-वहां भ्रष्टाचार करने लगे। उमेश बाबू नहीं हैं, इसके भी जितने डिटेल चाहिए मैं दे दूंगा। किलोल पत्रिका, शिक्षा विभाग ने संकुल से लेकर सभी नीचे तक बांटने का निर्णय लिया। राघवेंद्र बाबू लक्ष्य दिया गया, इतने सदस्य 10,000 रुपये के बनाने हैं, उसमें 22 करोड़ रुपये एकत्र हुए। अब बताएं वह 22 करोड़ रुपये कहां हैं और किलोल पत्रिका कहां है? निकल रही या नहीं निकल रही है? मैं आपको एकदम छोटी-छोटी ऐसी चीजें बताता हूँ, कैसे उसको शिष्टाचार के तौर पर ग्रहण किया गया और आंखों की शर्म तक बेची, माने कोई संकोच नहीं, खाएंगे। अब उसके बाद राजीव गांधी मितान क्लब, पंजीयन एक का नहीं, उसके कामों की ऑडिट नहीं होगी, 52 करोड़ 67 लाख रुपये राजीव गांधी मितान क्लब को दिए गए, कांग्रेस के लोगों की पॉकेट मनी। अब इसको क्या बोलें? ये खजाने की खुली लूट है या नहीं है? संगीता जी, आप इसमें मेरे से जो पूछना है पूछ लीजिएगा, जो पूछना है पूछ लीजिएगा, मैं पूरे दस्तावेज दूंगा। माननीय सभापति महोदय, अब एक और अद्भुत चीज

बताता हूँ, आप जरूर सुनेंगे, आपको चक्कर-वक्कर मत आ जाए, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है। (हंसी) कोरोना में विधानसभा में जानकारी दी कि 13,853 लोग मरे हैं। फिर मुझे जो बोलेंगे, मैं इसके दस्तावेज दूंगा। 19,318 लोगों को मुआवजा दिया गया। 13,000 लोग मरे और 50,000 के हिसाब से 19,000 लोग मुआवजा पाये। 18 करोड़ रुपये उसमें निकल गये। आपको कम से कम मरीज में तो छोड़ देना था और बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ न्याय नहीं करेगी। यदि आपको इसके भी दस्तावेज चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, का थारी पीटे ले कोरोना भागही का? घंटी पीटे ले कोरोना भागही का? मैं तुंहर दिमाग ला कहात हो कि थारी पीटो तो कोरोना भागेगा, घंटी पीटो तो कोरोना भागेगा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बड़े-बड़े विषय में नहीं बोलत हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये। ऐसा नहीं होता है। संगीता जी, एक मिनट।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य ही ऐसा राज्य था, जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं हुई। जो लोग बाहर थे, दूसरे राज्यों में थे, उनको यहां लाने का काम हमारी सरकार ने किया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, यदि आप मेरी भी बात नहीं सुन रही हैं तो मैं क्या बोलूंगा?

श्री अजय चंद्राकर :- हो गया। यदि मेरी बात गलत है तो आप उसको गलत है, बोलिये। आप उसको दूसरी तरफ क्यों ले जाती हैं?

सभापति महोदय :- एक मिनट। उनका भाषण चल रहा है। यदि आप रनिंग कमेंट करेंगे तो उससे बहुत टाइम लगेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, खंडन तो करना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- आप खंडन करियेगा। आप सब चीजें नोट कर लीजिए। अभी आपको जब अवसर मिलेगा तो आप उनका हर बिंदुवार जवाब दे दीजियेगा। हर बात में खड़े होना उचित नहीं है, इसलिए मैं सभी सदस्यों को बोल रहा हूँ कि जो वक्ता बोल रहे हैं, यदि आप उनकी बात से असहमत हैं तो उसका आप अपने तरफ से जवाब दे दीजियेगा। आप बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, बेमेतरा का राखी गांव, दुर्ग जिला का सिकोला गांव। क्या माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं? उनके विधान सभा में आएगा। संभवतः रायपुर जिला का बनचरौदा गांव। गोबर से बिजली बनेगी करके तीन जगह लाखों रुपये के विज्ञापन आए। उसके लिए मशीन खरीद ली गई। अब यह गोबर से बिजली बनाने का जादू कांग्रेस वालों ने ही सीखा था। क्या आपने देखा है गोबर से बिजली?

श्री ओंकार साहू :- बड़े भैया, गोबर से गैस बनथे। अभी गोबर से गैस भी बनही। अभी नाली से गैस बनत है।

श्री अजय चंद्राकर :- ते बोलत हस कि गोबर से बिजली बनाए हस।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, आप नाली वाला भी बता देते। वह आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन बन नहीं पा रही है। कहां बन रही है, उसको बता देंगे?

श्री राजेश मूणत :- हां, बन रही है।

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी, इनके बाद आपका ही नंबर है। आप बोल लीजियेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आत्मानंद स्कूल की बात हो रही थी। मैंने बड़े-बड़े विषयों को बिल्कुल नहीं लिया है। घुन की तरह समाज को, व्यवस्था को, सिस्टम को भ्रष्टाचार में ढाल दिया गया, उसको संस्थागत रूप दिया गया और छत्तीसगढ़ को कैसे लूटा गया, उसके छोटे-छोटे उदाहरण मैंने आपको बताये हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूं।

श्री रोहित साहू :- महोदय, वह बोरे बासी वाले ला भी बता देतेस। क्या है कि बोरे बासी को बताना बहुत जरूरी है।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर जमाना मा नून हा बासी मा घूरत नहीं रीहिस हे, का बात करथो? तुमन नून मा घोटाला करने वाला हो।

श्री रोहित साहू :- भैया, बोरे बासी कितने झने खाए हैं, उनको थोड़ा पूछ लेंगे।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप जरा इधर देखा करिये। आप चंद्राकर जी को मत बताइये। उनको सब मालूम है। उनको बोलते हुए 35 मिनट हो गये हैं। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैंने आपका नाम लिया था, आप उपस्थित नहीं थे। आपको देखकर एक बात पूछ रहा हूं कि आप केबिनेट में बैठते थे। आप 5 साल के पांचों बजट को पढ़ लीजिये कि आत्मानंद स्कूल के संचालन के लिए कितना बजट था? आप कभी किसी बहस भाषण में बता दीजियेगा। दूसरा, नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी। लउड़ी धर के कांग्रेसी मन रोका-छेका करे बर जाये। (हंसी) रोका-छेका के लाखों रुपये के विज्ञापन देते थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप जब भाषण देंगे तो यह जरूर बताएंगे कि नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी के लिए बजट आयोजन कितना था? आप देश में ऐसा उदाहरण बता दीजिये कि सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना हो, वह बिना बजट के संपादित हो जाती हो? (हंसी) मैं आपको बता दूं कि आप इसकी जांच करवा लीजिये। मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं और दशमलव भी लगा दूंगा कि 1342.41 करोड़ रुपये केन्द्रीय मद, जिसकी आप आलोचना करते हैं कि आज वह जी.राम.जी. हो गई है, बिना पैसे की योजना 1300 करोड़ रुपये पानी में गये। (शेम-शेम की आवाज) गौठान से 18 करोड़ रुपये की गोबर भी चोरी हुई है। (मेजों की थपथपाहट) पैरा दान हुआ है, उसमें 57-58 करोड़ रुपये बुक हुए। आज तक यह एक गौठान बता देंगे कि इतना पैरा इस व्यक्ति ने

दान किया और उसके घर से वहां तक ट्रांसपोर्टिंग में 57 करोड़ रुपये लगे। इन्होंने ऐसे-ऐसे कारनामे किये हैं, जिसकी हद नहीं है। अब मेरा भाषण लंबा हो जायेगा इसलिए मैं कुछ बातें बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। शासन की परिभाषा क्या होती है ? लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है ? नेता कैसे होते हैं ? छत्तीसगढ़ की चिंता कैसे करते हैं ?

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप आखिरी में अपने सत्ता पक्ष वालों से एक बात जरूर पूछियेगा कि यह बेरोजगारी की परिभाषा साबित किये हैं कि नहीं किये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का सम्मान करना छत्तीसगढ़ में संविधान बन गया था। सिस्टम को लाचार किया गया कि मैं जो कह रहा हूं, वह कानून है। प्रश्न मत करियेगा। जेल जाना गर्व का विषय हो गया। लोक जीवन में भ्रष्टाचार सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो गया। स्वतंत्र भारत में ऐसी दशा कभी किसी राज्य के साथ नहीं बनी है। देश में पूरा छत्तीसगढ़ अपमानित हुआ। बस एक सम्मान हुआ कि हम जब विदेश गये तो नाचा मनाकर आये। नाचा का फुलफॉर्म कोई बता देना नहीं तो अगले सत्र में मैं बता दूंगा कि नाचा क्या चीज है।

श्री उमेश पटेल :- आप बेरोजगारी की परिभाषा परिभाषित करवा दीजिये, बस।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है, ब्रम्हा जी जन्मदाता हैं, शिव जी सहारक हैं। नाम के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिया जलाकर रोशनी कर दूं, जहां अंधेरा है। सेवा ही संकल्प मूल मंत्र बना कि मैं अपना जीवन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ से ऊपर लोगों को के लिए समर्पित करता हूं। जो छत्तीसगढ़ का डार्क एज था, वहां 5 साल तक मैं उन जगहों में जाकर दिया जलाऊंगा। मैंने ढेर सारी चीजें गिनाईं। मैंने उन चीजों को स्पर्ष नहीं किया जिनकी चर्चा बजट डिमाण्ड पर हो गयी थी। सभापति महोदय, अब मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं फिर अपनी बात समाप्त करने की ओर बढ़ूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, एक मिनट।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन लीजिए फिर जाईयेगा ना।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आप वहां दिया जलाने जायेंगे मतलब अभी तक वहां बिजली नहीं पहुंची है ? आप बार-बार दिया जलाने जा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी के सिर्फ दिमाग के बत्ती जले हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, बताता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- बताईये। आप कितनी जगहों पर जायेंगे ? क्या उन गांवों में बिजली नहीं है जो आप दिया लेकर जायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल के कार्यकाल में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की संख्या सबसे ज्यादा थी परंतु वह

एक कविता थी। अभी-अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार हरिश राणा जी को इच्छा मृत्यु में निर्णय दिया। वह चुटकुला ऐसा है कि अकबर बीरबल से पूछते हैं कि यह इच्छा मृत्यु क्या होती है ? बीरबल का जवाब है कि सबकुछ जानकर कांग्रेसी बने रहना ही इच्छा मृत्यु है। (मेजों की थपथपाहट) । जब आरोप लगाते हैं तो उसमें एक बात बता दूं । सभापति महोदय, मैं आपकी लाइन को ही उठाकर बोल रहा हूं।

“वह एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं,
हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं,
जिनकी अपनी लंगोटिया फटी हुई है,
वह हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं।” (मेजों की थपथपाहट)

साहब, समझ रहे हैं ? माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय विष्णु देव साय जी, माननीय अमित शाह जी और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी, इनमें से जो मुद्दे मैंने कहे हैं। मैं आपके साथ पटवा जी और अर्जुन सिंह जी जैसे..।

श्री उमेश पटेल :- अजय भैया, आप बाहर कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और बोलते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- अइसने में आप मन सात जन्म में मंत्री नइ बन सकत हन।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मन ला ठेला ला बांधेच ला नइ आये। (व्यवधान)।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन कतका कुछ कह लेवव लेकिन अइसने तारीफ करिहा तब भी सात जन्म में मंत्री नइ बन सकबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हम जो डबल इंजन, त्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं। आप किसी भी सूचकांक में विकास के संबंध में खुली बहस कर ले। नेता जी, लेकिन मैं एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। अब मैंने विनियोग पर बोलना बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ एक लाइन पर बात करूंगा और उसको आप भी सोचियेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे पढ़े-लिखे अधिकारी हैं, आई.ए.एस. में सलेक्ट होते हैं, सबसे कठिन परीक्षाओं में होती है, जब उधर अधिकारी नहीं हैं, आदमी नहीं है बोलते थे, मैं हमेशा बोलता था कि वह देश की सर्वोच्च प्रतिभाये हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होती है, उसके बाद आगामी 10 वर्षों में, आप चिंतनशील आदमी हैं और मैं तो और आगे बोल देता हूं कि जनसेवा का आपका पारिवारिक इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ की आपके पूर्वजों ने चिंता की है। सिंचाई की, जंगल की, जमीन की, सबकी चिंता की है। आप निरपेक्ष भाव से सोचियेगा कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मुद्दे हों, गरीबों की मदद करना कल्याणकारी राज्य की जरूरत है। पर धान खरीदी का स्वरूप क्या और कैसे हो, इस पर इस सदन में खुली बहस की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर जरूरत है। यदि इसको देश और दुनिया में सबसे उन्नत बनाना है तो सबसे संसाधन वाला राज्य है। हमारे संसाधन सकारात्मक रूप से उपयोग कैसे हों। मेरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का वह माध्यम मत

बने, वह जनता की सेवा के लिये उपलब्ध हो, छत्तीसगढ़ के लिये उपलब्ध हो, राजनीतिक चेतना से ऊपर उठकर इसमें बहस करने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ कि आप अपने इतिहास के अनुरूप इस बहस की शुरुआत करेंगे। जो परिस्थितियाँ बनने वाली हैं, उस पर हम चिंतन करें। उसी तरह से मैं स्वीकार करता हूँ, जो कुछ चीजों की रिसाइकिल है न, उसको रोके कैसे? उसका दुरुपयोग हो रहा है। किन वर्गों को उसके फ्री की जरूरत है, छत्तीसगढ़ में भूगोल को छोड़कर, बस्तर, सरगुजा और भी मैदानी क्षेत्र में जो वीकर लोग हैं, उसके लिये योजना बनें। जितनी जरूरत है, उतनी योजना बनें। उससे अधिक की योजना बने। अतीत में उनके शोषण हुए हैं। वह शोषण से मुक्ति के लिये, समानांतर में लाने के लिये मैदानी योजना बने। लेकिन राज्य के संसाधनों का जहां पर लगातार दुरुपयोग होते दिखता है और हम सब जानते हैं कि ये दुरुपयोग हो रहा है और उसके बाद यदि हम मौन होकर देखते हैं तो समझ लें कि हम छत्तीसगढ़ के हितों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। हम इन विषयों पर चर्चा करें और यदि अच्छा निष्कर्ष होता है तो हम सब अपने राजनीतिक विषयों में इसको शामिल करके छत्तीसगढ़ की सेवा करें।

सभापति महोदय :- ठीक है। समाप्त करें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति जी, ये आखिरी 4-4 लाइन ही तो सही बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी को, माननीय विष्णु देव साय जी को अब तक के सबसे अच्छे बजट के लिये बधाई देता हूँ। इनको विनियोग बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित करके देना चाहिए कि आपको इससे ज्यादा पैसा खर्च करने का अधिकार है। ये तो कम है, हम अगले साल इससे ज्यादा बजट आपको देंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ।

श्री राघवेंद्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे पहले बहुत अच्छी बातें विनियोग के बारे में रखी जा रही थीं। हिन्दुस्तान की जो हमारी पद्धति है, इसमें चर्चा का विशेष महत्व है। पक्ष, विपक्ष की चर्चा से ही एक अच्छा विजन, एक अच्छी बात सामने आती है। चर्चा से ही समझ में आता है कि क्या से संकल्प का बजट है या कुछ आंकड़ों में संदेह का बजट है ? ये विकास का बजट है या शायद कुछ आंकड़ों में हमारे राज्य के लिये जोखिम का बजट है ? अगर हम आज की स्थिति देखें तो आंकड़ों में बजट बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर नीचे जाकर देखें तो अगर पूरे प्रदेश का एक भी किसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो यह हमारी, सबकी सामूहिक विफलता है। अगर मितानिनें हड़ताल पर बैठती हैं, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठते हैं, सचिव अपना काम बंद करके बैठ जाते हैं तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ये बजट कहीं न कहीं पीछे है। अगर रसोईयां और सफाई कर्मचारी जैसे जो हमारे प्राथमिक केन्द्र हैं, अगर ये कहीं न कहीं हड़ताल पर बैठे हुए

हों तो यह हमारी विफलता दर्शाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभापति महोदय, जैसे कि बात हुई कि पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए, हालांकि शुरुआत में ऐसे लगा कि पुरानी बातें नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें फिर से खुलकर सामने आईं, चाहे वह आरोप हों या प्रत्यारोप हों। मैं कुछ बातों को 2024-25 के जो बजट के आंकड़े हैं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, चूंकि मुझे बोला गया है कि कम बोलना है, मैं समय की सीमा में अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। अगर हम 2024-25 में वेलफेयर आफ एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. माइनारटीज की बात करें तो हमारा जितना बजट एलोकेशन था, उससे लगभग हमने आधा खर्च किया है। अगर हम सारी परियोजनाओं को मिला लें तो 50 से 55 प्रतिशत हमने बजट एलोकेशन करके उसमें खर्चा नहीं कर पाये। अगर Water Supply and Sanitation की बात करें तो साढ़े 5,000 करोड़ के आसपास का जो बजट था, उसे जब खर्च करने की बात आयी तो वह लगभग 37 हजार 33 करोड़ पर रुक गया, हम उसमें 31 प्रतिशत नीचे गये।

माननीय सभापति महोदय, हम रूरल डवलपमेंट की बात करें तो 7500 से कुछ कम का बजट, 28 प्रतिशत कम खर्च पर आकर टिक गया। अगर हम हेल्थ और वेलफेयर की भी बात करें तो वहां भी इस बजट में और खर्च में हमने जितना एलोकेशन किया उसमें हमारी कटौती हुई। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहां भी हल्की-फुल्की कटौती हम लोगों को, जितनी हमने बजट में एलोकेशन किया और खर्च किया, उसमें देखने को मिली। हमें अपने राजकीय घाटे के बारे में जब हम इस बजट की बात करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू रिसीट्स (Revenue Receipts) की हम बात कर रहे हैं तो मैं माननीय वित्तमंत्री जी का भी इस पर ध्यान चाहूंगा। हम लोगों की निर्भरता लगभग 34 प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ जी.एस.टी. पर है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, हमने इस साल का जो रखा है कि हम कितना बढ़ेंगे, साढ़े 11 से लगभग साढ़े 12 हजार करोड़ के आसपास हम वहां से टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं। टैक्सेज और इलेक्ट्रिसिटी को भी हमने काफी बढ़ाया हुआ है जो कि पिछले, अगर हम रिवाईज एस्टीमेट देखें तो करीब-करीब 20 प्रतिशत कम आता है लेकिन हमने जो इंक्रीज करने की कोशिश की है वह लगभग 40 प्रतिशत की है तो अगर हम इतनी ज्यादा अपनी पॉलिसीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पैसा कहां से आयेगा? इसका वित्तीय भार किस पर पड़ेगा? हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम स्टेट एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम यह भी बात कर रहे हैं कि हम पैसा तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन क्या हम आर्टिकल-47 को डिफिट नहीं कर रहे हैं? अगर हम पिछले बजट में बात कर रहे थे तो एक्साइज का जितना पैसा आ रहा था उससे हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल-47 साफ तौर पर डॉयरेक्टर प्रिंसिपल की बात करता है ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हेल्थ की बात करता है, पब्लिक हेल्थ की बात करता है जिसमें मादक पदार्थ को हम धीरे-धीरे कम करने की बात करते हैं और न बढ़ाने की बात करते हैं यह आर्टिकल-47 में लिखा हुआ है उसके बाद अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम डॉयलिसिस सेंटर भी खोल रहे हैं, हम लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर भी

खोल रहे हैं तो क्या यह नारा है कि पिलायेंगे भी हम, ईलाज भी हम करेंगे ? हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि यदि राजस्व यहां से आ रहा है तो हमारे इसके अल्टरनेटिव्स क्या होंगे ? क्या हम इस बजट को मानेंगे कि जहां पर एक्साइज का ही ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ेगा । साहब, युवा प्रदेश है । यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि चाकूबाजी की, नशे की एक बहुत ही खराब घटना में हम लोगों ने सुना, हमने पेपर में पढ़ा कि रायपुर के बाहर जब चाकूबाजी हुई तो 4 घंटे के बाद उन लड़कों को होश आया कि आखिर उन्होंने किया क्या है, किस ओर जा रहे हैं । हमें इसके बारे में सोचना होगा कि शराब, सूखा नशा आखिर इसकी तरफ अगर हमारा युवा बढ़ रहा है, हमारा एक एवरेज एज है, 24 साल का है । अभी एक्सीडेंट्स जितने बढ़ रहे हैं, अभी मेरे ही सवाल में एक बात आयी थी कि लगातार ड्रिंक एण्ड ड्राईव की वजह से बढ़ रहा है तो क्या स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक्साइज के बारे में ही सोचना है या वित्तीय भार कम करके हम अपने अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां जब बिजली की बात होती है तो हम बात करते हैं कि हम एक सरप्लस स्टेट हैं । मैं अगर ऊर्जा के बजट आंकड़ों की बात करू तो पिछले साल से इस साल का आवंटन पिछले साल से काफी ज्यादा है । करीब-करीब 9000 करोड़ पर अन्य योजनाओं को, हम सबको मिला लेते हैं तो पहुंच जाता है । इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूँ लेकिन इसके साथ में, मैं एक बात आदणीय वित्त मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि जितना बजट एलोकेशन एटलिस्ट हम लोग एस.सी.-एस.टी. माइनोंरिटीज और ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हैं जिनसे कंप्रोमाईज नहीं किया जा सकता है । इनके खर्चों पर कटौती न की जाये क्योंकि जब इनके खर्चों पर कटौती होती है तो उसका सीधा-सीधा सोशल इम्पैक्ट होता है । अभी प्रदेश में लगभग 72 लाख उपभोक्ता हैं । जिसमें लगभग 42 लाख उपभोक्ता हमारे घरेलू कनेक्शन के हैं, मेरे आंकड़े कुछ ऊपर-नीचे हो सकते हैं लेकिन सरकार का दावा है कि मुफ्त बिजली देने का दावा है तो अगर हम मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं तो हम तो पहले पैसा दे रहे हैं और उसके बाद हमें सब्सिडी मिल रही है और आपके ही कागज में यह लिखा हुआ है, जब हमने सवाल पूछा कि लगभग 2 लाख उपभोक्ताओं को, लगभग 2 लाख उपभोक्ता हमारा टारगेट हैं । हम हर साल सोलर से आपको कनेक्ट करेंगे, अगर हम 2 लाख के हिसाब से देखते हैं तो 2047 तक हमारे यह उपभोक्ता आज के डेटा में अगर हम इसे नहीं बढ़ाते हैं तो वर्ष 2046-47 तक भी हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पायेंगे। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा । हमें बजट एलोकेशन ज्यादा देना होगा ताकि अगर हम सोलर की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय में चिंता का यह है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहां पर लगातार दुकानें खुल गयी हैं, हर इंसान अपने आप को वेंडर बोल रहा है और यहां पर घरों में सोलर यूनिट लगाने के बाद शिकायतें बहुत आ रही हैं। अगर यहां

शिकायतें आने के बाद उसका निराकरण नहीं हो रहा है तो आदरणीय वित्त मंत्री जी, हमें क्वालिटी पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको हम क्वालिटी कितनी एकजीक्यूट कर रहे हैं इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं खासतौर पर हमारे दूरस्थ अंचलों की बात करना चाहूंगा, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां आज भी हमें कई जगह बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। मैंने अपने एक ध्यानाकर्षण में इस ओर ध्यानाकर्षित किया था कि सूरजपुर में लगभग 17 गांवों में 26 कुछ आश्रित ग्राम भी आते हैं। अभी तक वहां कुल 26 जगहों में बिजली नहीं पहुंची है और उसमें योजनाएं चल रही हैं। लेकिन अभी तक हम समय नहीं बता पा रहे हैं कि हम लोग वहां पर कब तक बिजली देंगे। हमें बजट में कुछ प्रावधान ऐसे करने होंगे कि प्रदेश में हमारे जितने गांव हैं, हमारे हर ग्रामीण को बिजली की व्यवस्था हो पाये। हमारे प्रदेश का खनिज ऐसा है जिस खनिज संपदा से हमें टैक्सेस भी आते हैं, हम खनिज संपदा से चीजों का उत्पादन भी करते हैं, हमारी जी.एस.डी.पी. में खनिज संपदाओं का बड़ा योगदान होता है। अगर हम राज्य की बात करें तो हमारे पास कोयला, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाईट, बॉक्साईट और टीन है। अब तो हीरा और बाकी चीजों की भी सर्च चल रही है, लेकिन हम खनिजवार उत्पादन की बात करें तो दिसम्बर तक हमारे कुछ आंकड़े कम हुए हैं। हमें इसको देखना होगा कि हमारे आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में क्यों कम हो रहे हैं। चाहे मैं बॉक्साईट की बात करूं, मेरे ही जिले में बॉक्साईट है लेकिन अगर मेरे जिले के आसपास बॉक्साईट है तो उसमें कमी क्यों आ रही है। हमें इसके बारे में सोचना होगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहां पर जितनी खनिज खदानें हैं हमने साढ़े 7 मीटर का बफर जोन बनाया हुआ है कि हमें उस बफर जोन में कुछ नहीं करना है ताकि हम उसको सेफ्टीवाइस मेंटेन कर सकें। मैंने सिर्फ अपने जिले का प्रश्न लगाया था, मैं इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यहां 160 खदानों में सिर्फ 17 खदानें बफर जोन मेंटेन कर रही हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. की जो गाईड लाईन हैं आखिर हम इन खदानों का रिन्यूअल क्यों कर रहे हैं ? क्या हम उनसे इतना पैसा चाहते हैं कि हम बफर जोन का भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए स्पष्ट नीति और लॉ की हमको आवश्यकता है। जब मैंने यह प्रश्न पूछा कि आपने इसमें कितने लोगों को पैनाल्टी की है तो इसमें सिर्फ एक खदान को पैनाल्टी की गयी है। मैं इसमें आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस पर बजट एलोकेशन करने की आवश्यकता है ताकि हम सघन चेकिंग कर सकें, जिससे सेफ्टी हो और हमारी खनिज संपदाएं हमारी सुरक्षित रहें। मैं आपका सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. की गाईड लाईन के अनुसार ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 सालों से हर जगह अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। यह एक स्टार्टअप बन गया है। चाहे वह पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों । लगातार इसके बारे में

बातें आती हैं। यहां पर पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को रौंद रहे हैं और तोड़ रहे हैं। यहां जितनी नदी के किनारे की सड़कें हैं एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर यह सड़कें सही सलामत हो। हमें इस पर स्थायी एलोकेशन करने की जरूरत है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन के पहले सेशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हम रेत को रॉयल्टी फ्री करेंगे और माननीय रमन सिंह जी बैठे थे उस समय आपसे कहा था तो आपने कहा था कि हम रेत को रॉयल्टी फ्री करेंगे। अभी रेत को लेकर गांव-गांव में खासकर जंगल वाले क्षेत्रों में अति हो रही है कि आपने कहीं-कहीं रेत की खदानें दी हैं। आपने कई एरिया स्पेसिफाई किया है, पर रेत का ठेकेदार जो गांव वाले हैं उनको पर्ची तक नहीं देता है। उसमें कौन पकड़ाता है क्योंकि वह पर्ची नहीं दे रहा है और उसको रेत ले जानी है। इस पर कोई चाक-चौबंद व्यवस्था आये कि यहां पर रेत का उत्खनन कहां से हो। जो पर्ची है आपने जिस ठेकेदार को खदानें दी हैं, वह कस्टमर को पर्ची नहीं देता है तो इसकी कोई व्यवस्था हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य का भाषण खत्म हो गया है।

सभापति महोदय :- वह मेरे से अनुमति लेकर खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझसे अनुमति ली है। आप बोलिए। उनको कुछ कहना था, उन्होंने अनुमति मांगी तो मैंने दे दी। आप बोलिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि रेत की जो आसपास की सड़कें हैं, हमें वहां पर चेक पोस्ट और वहां पर हमारे जितने विभाग हैं, उनको वहां पर लगातार परीक्षण करने की जरूरत है कि उनकी वजह से सिर्फ रेत का ही नहीं, रायल्टी का ही नहीं, सड़क दुर्घटना का और कई चीजें उससे बढ़ी हुई हैं, उसके बारे में हमें बात करने और सोचने की आवश्यकता है। हमारे वित्त मंत्री जी हमेशा लीकेजस की बात करते हैं। मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं कि हम लीकेजेस बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीकेजेस हैं, जो अभी भी ओपन दिख रहे हैं। अगर हमें फाईनेंसियल लीकेज बंद करने हैं तो उसके बारे में गहन चर्चा और हमें एक प्रापर रोड मार्ग की आवश्यकता है। पिछले साल का जो अनुपूरक बजट 35 हजार करोड़ के आसपास आया था। जो फाईनेंसियल देखता है, वह इस बजट को अच्छा साईन नहीं मान सकता कि हमें इतना बड़ा अनुपूरक लेकर आना पड़े। इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा कि बैलेंसशीट, बहुत सारे लोन थे, छोटे-छोटे गड्डे थे, जिसको हमने समतलीकरण का काम किया, लेकिन हमें उस समय के कोविड के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमेशा यह भी देखना चाहिए कि उस समय जब उस समय हम लोगों ने लोन लिए थे तो उस समय जीएसटी का काम्पनसेशन टाईप पर आ रहा था या नहीं आ रहा था, उस समय की स्थिति, परिस्थिति क्या थी? जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आने वाले समय में हमारा वित्तीय प्रबंधन इतना

अच्छा होना चाहिए कि इतना भारी भरकम अनुपूरक बजट कम से कम हमारे राज्य में न आये तो यह हमारे राज्य के लिए बहुत बेहतरीकरण की बात होगी ।

सभापति महादय, उस दिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई थी कि सेन्ट्रल फोर्स में जो बिल्स भेजे हुए हैं, वह बहुत बड़ा आंकड़ा है । मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े एमाउन्ट को लिया, इस पर जरूरत है कि बात हो और हमें देना है या नहीं देना है क्योंकि यह राज्य के ऊपर एक बहुत बिल हमारा पेंडिंग है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, हमारे यहां लगातार खेती की बात हो रही है, धान खरीदी की बात हो रही है तो हमें जल संसाधन की भी बात करनी पड़ेगी । इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बजट की कमी की गई । अगर हमें विस्तार करना है तो बजट की कमी कैसे कर सकते हैं । हमारी बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है । आप किसी भी विधान सभा क्षेत्र में जाएं तो वहां सबसे बड़ी बात धान खरीदी की हो रही थी । हमें अपने जल संसाधन में कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि बहुत जगह लिफ्ट एरीगेशन की आवश्यकता है । बहुत जगह हम लोगों को और तरीके से एरीगेट करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें कमी न आये तो बेहतर होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बांध हैं, साईट्स हैं, जो शिल्टिंग से बहुत उथले हो चुके हैं । तो हमें उसके बारे में सोचना होगा ।

सभापति महोदय, हमारा महानदी जल विवाद हमारे बगल वाले स्टेट उड़ीसा से चल रहा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस जगह पर 15 दिन के लिए उड़ीसा में गया हुआ था । उन लोगों की बहुत ज्यादा मांग है कि हम लोग पानी ज्यादा उपयोग करते हैं तो पानी हमारा है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसका जल्द निराकरण किया जाये और हमारा पानी जो ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ उपयोग कर सकता है, हम उसको करेंगे । आदरणीय सभापति जी, मैंने महानदी की बात इसलिए की क्योंकि जब हम लीकेजस की बात कर रहे हैं तो हमें लीकेजस सिर्फ धान में और किसान में नहीं देखने पड़ेंगे । हमें लीकेजस उद्योग में भी देखने पड़ेंगे । मैं आपको अपने यहां का उदाहरण दे देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जेएसडब्ल्यू का लगभग 1000 करोड़ का पानी का बकाया है । वे लगातार यहां, वहां जा रहे हैं । कोर्ट में जा रहे हैं, स्टे ले रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, मंत्री जी, देख लेवव, सुन लेवव, एक ठी कम्पनी के 1000 करोड़ रुपिया बकाया है अउ गरीब आदमी ह 5000 या 7000 रुपया जमा नहीं करौ तो ओकर लाईन ता काट देवव । जतका कम्पनी के पईसा ला वसूलिहौ त हमर छत्तीसगढ़ ह शिरतोन में सोने के चिड़िया बन जाही । लेकिन उद्योगपति के पईसा निकाले में तुहर मन के हाथ-पैर फूल जाथे । मैं यह कहना चाहता हूँ ।

श्री राघवेंद्र कुमार सिंह :- सभापति जी, जब कोई भी क्षेत्र अपने यहां से जाते हुए टैक्स और खर्च हुए परियोजनाओं में पैसे को देखता है तो मैं समझता हूँ कि बजट एलोकेशन वैसा नहीं होता है कि

जिस क्षेत्र से पैसा आया, वहां चला जाये । जैसे कर्नाटक और बहुत सारे स्टेट्स ऐसा कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा उतना खर्च नहीं होता, लेकिन उसका सीधा सा जवाब यह है कि चूंकि उनका हेड आफिस वहां पर है । पूरे देश का टैक्स कलेक्शन वहां पर होता है । लेकिन जब पानी और इस तरह की व्यवस्था की बात होती है तो लोग जरूर इस बात को पूछते हैं कि हमारे क्षेत्र से इतना पैसा जा रहा है तो हमारे क्षेत्र में खर्च भी उस अनुपात में होना चाहिए तो मैं उस जन भावना को आपके सामने उठा रहा हूं । मैंने जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे यहां जल संसाधन विभाग का लगातार काफी सारा पैसा बचा हुआ है, जो water taxes के रूप में बचे हुए हैं, जो पानी से टैक्स आ रहा है। हमारे यहां ही लिफ्ट एरीगेशन की परियोजना लगभग 30 वर्ष से पेण्डिंग है। जो भी विधायक आते हैं, हर बार उसके बार में बात करते हैं, मांग करते हैं। बजट में 3 सौ से 4 सौ करोड़ का एलोकेशन आ चुका है। वहां पर अभी भी काम रुका हुआ है। इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, जिससे 40 से 50 हजार हैक्टेयर एरीगेट हो रहा है। अगर हम किसानों के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आखिर यह पैसा किसको एलाट कर रहे हैं ? इसलिए हमको इसके बारे में सोचना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं। हमको एक तो back to basics की बात करनी होगी। back to basic के साथ-साथ कैकुलेशन आफ एक्सक्लूसिव के साथ इनक्लूसिव के अलावा एक्सक्लूसिव की भी बात करनी होगी। हम बहुत बड़े-बड़े आंकड़ें देते हैं कि हमने इतना धान खरीदा, इतने लाख का धान खरीदा। हम उस दिन कब कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने किसानों का धान नहीं खरीदा ? यह पुराना सिस्टम है। क्योंकि एक समय था जब किसी को कोई व्यवस्था देना बड़ी चीज होती थी। लेकिन आज वह व्यवस्था कितने लोगों से छूट जा रही है, हमें इसके बारे में सोचना होगा।

सभापति महोदय, हम लोग उस दिन युक्तियुक्तकरण की बात कर रहे थे। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्योंकि उस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आपने कहा है कि सन् 2030 तक लागू करेंगे। यह बच्चों का सवाल है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके स्कूलों का सवाल है। इसको सन् 2030 तक ले जाने की क्या आवश्यकता है ? हम इसको तो तुरन्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आदरणीय एक वरिष्ठ सदस्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह बार UDISE CODE की बात कर रहे थे। स्वामी आत्मानंद स्कूल था, उसमें UDISE CODE नहीं था। आप लोगों ने कैसे चालू कर दिया, नया UDISE CODE दिया था क्या ? आपने जितने स्कूल बंद किए हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बंद नहीं किया गया है, संविलियन कर दिया है। आज तक उन स्कूलों के UDISE CODE जीवित हैं। हमें आखिर उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। मैंने जब back to basics कहा तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हम लोग जब बजट एलाट करते हैं तो उसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि बहुत Basic Infrastructure स्कूलों में नहीं हैं। जैसा कि

मैंने शुरू में एक सवाल लगाया था तो जवाब आया था कि मेरे यहां 13 स्कूलों में बिजली नहीं है। बहुत जगज प्यूनस नहीं हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है। हम यह सब देखते हैं और अलग-अलग जगह से बातें आती हैं कि बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। तो आखिर हम पूरा सेटअप का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं ? हर जगह का सर्वे कराईये। क्योंकि शिक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी है। चाहे टायलेट हो, चाहे स्टाफ हो, हमें पूरा सर्वे कराकर back to basic जाना पड़ेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, जब हम लोग, आपसे वन के बारे में सुनते हैं तो बहुत सीखने का मौका मिलता है। आपकी लैण्डमार्क स्पीच हमेशा पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां अभी भी कुछ आरेंज लैण्डस हैं। हमें आरेंज लैण्डस के बारे में सोचना होगा। न तो वह विभाग के पास है और न ही वह राजस्व विभाग के पास है। आदरणीय वित्त मंत्री जी, इसको इको टूरिज्म डेवलप करने के लिए इन आरेंज लैण्डस के उपयोग से और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट्स में भी आते हैं और नहीं भी आते हैं। तो हम लोग आरेंज लैण्डस के बारे में कुछ कर सकते हैं तो इको टूरिज्म के माध्यम से हमें अपने own taxes मिल सकते हैं। इस पूरे सत्र के दौरान शिकार के बारे में बहुत सी बातें हुई कि कैसे बिजली लगाकर तार से काट दिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ध्यान आकर्षण चाहूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जब वहां से तार जा रहा है तो उससे अवैध शिकार हो रहे हैं। जब अवैध शिकार हो रहे हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। इस पर आदरणीय वन मंत्री जी ने कहा कि हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें कठोर प्रावधान की जरूरत है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, क्या राघवेन्द्र जी खोंदरा को डियर पार्क बनाने में अपना समर्थन देंगे ?

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी, 20 मिनट से ऊपर समय हो रहा है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मुझे 5 मिनट देंगे। मैं समाप्त कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट का संयुक्त निर्णय आया है। इसमें उर्जा विभाग और वन विभाग एक दूसरे से पैसा मांग रहा था कि यह किसकी जिम्मेदारी बनती है। अब जिम्मेदारी तय हो चुकी है। लेकिन इस बजट में उसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बहुत संवेदनशील विषय है। पिछले 15-20 दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस तार से एक लड़का खत्म हो गया। हमारे यहां बहुत सारी महिलाएं खत्म हुई हैं। हमें इसके बारे में सोचना होगा और इसमें त्वरित बजट प्रावधान करना चाहिए। ताकि हम लोग आगे जाकर ..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ। क्या राघवेन्द्र जी खोंदरा में डियर पार्क बनाने का समर्थन करेंगे ? मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह कर रहा हूँ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, मैं इसके बारे में आपसे आखिरी में बोलूंगा। असल मा में हा भईया, अपन इहां चाहत हंव ओ हा अपन इहां खीचना चाहत हे।

सभापति महोदय :- नहीं, अभी तो वे बोलकर खड़े हुए हैं कि मैं विरोध करने के लिए खड़ा हूं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- तो आदरणीय खोंदरा की जगह में कटरा में चाहूंगा। क्योंकि हमारा जो कटरा क्षेत्र था और वहां के आसपास का जो क्षेत्र था, 1962 में आदरणीय सभापति महोदय, वहां पर लास्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की भी...।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, खोंदरा, सोठी, हरनमुड़ी और अकलतरा का जो उनी गांव तक यह पूरा डियर पार्क समाहित होगा। यानी यह तीन जिलों का केंद्र है। हमारे सदस्य महोदय बहुत उत्कृष्ट ज्ञानकर्ता हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी क्षेत्र उसमें समाहित है। तो डियर पार्क बनने से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, वन्यजीवों के संरक्षण की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आपके माध्यम से आग्रह है कि समर्थन दें।

सभापति महोदय :- आप दोनों माय डियर फ्रेंड हैं और मिलकर डियर का फैसला कर लेना। (हंसी) अभी आप बोलिए। बोलिए, बोलिए। बहुत ठीक बोल रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- धन्यवाद, आदरणीय सभापति महोदय। तो जो मैं ऑरेंज लैंड्स और ट्रिज्म की बात कर रहा था, हम लोगों को अपनी पॉलिसीज और अपने टैक्सेस, अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो लगभग वर्ष 2025-26 में 1,41,000 करोड़ का हमारा बजट एस्टीमेट था, जो रिवाइज्ड होकर लगभग 1,29,000 के आसपास आया, जिसमें हमारा 8% घट रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं आदरणीय, जहां पर अपने ओन टैक्सेस जी.एस.टी. के अलावा वे जनरेट कर रहे हैं, चाहे आई.टी. पार्क के माध्यम से करें या इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से करें। हमारे पास खनिज और इंडस्ट्रियल पार्क्स तो हैं। क्यों नहीं हम लोग पर्यटन के माध्यम से और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से यह कर जनरेट कर सकें? आदरणीय वित्त मंत्री जी, अगर यह कर हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम कमिटेड एक्सपेंस की बात करें, तो हमारा 40% पैसा ब्याज में, सैलरी में और पेंशन में चला जाता है। अगर हम महतारी वंदन और किसान की तथा पी.एम. आवास की बात करें तो हमारा लगभग 60% पैसा उसमें जा रहा है। तो अगर हम अपने कमिटेड एक्सपेंस के अलावा इसके बारे में सोचें, जहां पर हम अपने ओन टैक्सेस लेकर आ सकें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे यहां हेल्थ के बारे में हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि बहुआयामी गरीबी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आदरणीय, मैं आपके सामने एक पक्ष रखना चाहता हूं जो कि मेंटल हेल्थ का है। चाहे वह नशे की वजह से हो या बाकी, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें सारे विभाग को साथ आकर, चाहे वह गृह विभाग हो या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में काम करने की आवश्यकता है। हमारे यहां सेंदरी के अलावा हमारे पास कोई ऐसा सेंटर

नहीं है। एक जनरल हम लोगों का परसेप्शन बन गया है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वह पागल है। हमें इस परसेप्शन से जनता को और लोगों को दूर लाना पड़ेगा। स्कूल के बच्चे हैं जो कि आज बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें प्रेशर में रहते हैं, बाकी चीजों में प्रेशर में रहते हैं, डेली हम लोगों के प्रेशर्स बढ़ गए हैं। इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत पड़ेगी। आदरणीय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वे बार-बार कह रहे थे कि कि जेल जाना हमारी सरकार में गर्व का विषय हो गया था। उनको मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन गर्व का विषय जेल जाना कभी हो ही नहीं सकता। हमारा जो संविधान कहता है—Innocent until proven guilty. अगर हमें किसी को जेल भेज दिया गया है, वह किसी भी पार्टी का हो, जब तक वह गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है, उसको इनोसेंट माना जाएगा और यह पावर हमें हमारा संविधान देता है। अगर बेल के माध्यम से कोई बाहर आता है...।

श्री अजय चन्द्रकार :- क्या हो गया राघवेन्द्र जी, कैसे मेरा नाम ले रहे थे? (हंसी) आप तो नाम को सार्थक करो, राम नाम है आपका।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आदरणीय, आप तो अजय हैं भाई।

सभापति महोदय :- चलिए, चलिए। अब आप समाप्त करिए राघवेन्द्र जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- बस दो मिनट मुझे दे देंगे। तो आदरणीय, ये सब बातें हम लोगों की थीं। पॉलिटिकल वेंडेटा (Political vendetta) से दूर आकर हम लोगों को इस विनियोग में, इस बजट के बारे में, इस राज्य के बारे में सोचना होगा। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूँ कि यह कहीं न कहीं युवा बेरोजगार और किसान और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाने वाला बजट है। ऐसे बजट को हम पास होने नहीं दे सकते जो कि हमारे स्टेट को कहीं न कहीं कर्ज में और 10,000 का सिर्फ हम ब्याज देते रहें, यह कहना गलत होगा। तो बस यह कहकर आपने बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप इस विनियोग विधेयक का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विनियोग विधेयक लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से ज्ञान का बजट, गति का बजट, अब संकल्पना का बजट कि इस प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का और नई दिशा की ओर ले जाकर चाहे उसमें युवा हो, महिला हो, किसान हो, चाहे हमारे छात्र हों, इन सभी दिशाओं में व्यापक रूप से बजट को आधार बनाकर रखा गया है कि इस प्रदेश को हम उस दिशा में ले जायेंगे। आज प्रदेश के भीतर इस तीसरे बजट में यह दिखाई देने लगा है। माननीय सभापति महोदय, आप भी इसके पहले विधायक रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार में हम लोग भी विधायक रहे हैं, उस समय जो परिस्थितियां प्रदेश में रही हैं, वह आतंक की परिस्थितियां रही हैं। भय का वातावरण, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे वह आम सिविलियन हो, चाहे लोग हो, उस सरकार में लोग

कहीं न कहीं भयभीत रहे हैं । भयभीत अवस्था में 5 साल तक लोग देख रहे थे कि कैसे भी इनके 5 साल की सरकार निकल जाये और आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में परिस्थितियां बदली । 5 साल की सरकार में यदि हम उनकी उपलब्धि मान सकते हैं तो एक भ्रष्टाचार को उसकी उपलब्धि मान सकते हैं, जिस तरह से उनको डराने धमकाने का काम किया गया है, उसको उपलब्धि मान सकते हैं, आज मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि इस ढाई वर्ष के आते-आते मुख्यमंत्री जी ने एक बात को स्पष्ट कर दिया है, जब प्रदेश में भाईचारे की सरकार, सुशासन की सरकार, विकास की दिशा में ले जाने वाली सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद में इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी को भय खाने की जरूरत नहीं है । आज लोग चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, लोग एक नई सोच के साथ काम कर रहे हैं और इस प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं । उस दिशा में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो की गई है और सबसे बड़ी इस सरकार की उपलब्धि है वह विश्वसनीयता की है । पिछले पांच साल में कांग्रेस की जो सरकार आई और घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी किया, जिसे उन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उसको शामिल किया गया । उन्होंने 5 साल में जितने बिन्दु दिये हैं, उनकी सरकार चली गई लेकिन यह बताने में वह कभी सफल नहीं हुये कि कितने बिन्दु में उन्होंने काम किया ? विधान सभा के दौरान में तत्कालीन मुख्यमंत्री से इस बात की चर्चा अनेक बार होती थी कि आपने उसे स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार करने के बाद में सरकार कहां पर खड़ी हुई है ? मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से विष्णु देव साय जी के नेतृत्व की सरकार और हमारे युवा वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी के कार्यकाल में सवा दो साल में इस बात को प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ की जनता चाहे हमारे युवा हो, किसान हो या हमारी महिलायें हो, जिन लोगों को हमने चुनाव के पूर्व में वादे किये थे, उन वालों को निभाने में हमारी सरकार सफल रही है । यह सबसे बड़ी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के सरकार की है । माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ, धान खरीदी में हमने जो कहा है उसे करके दिखाया है । महतारी वंदन की बात है तो जिस बात के लिये हमने फार्म भरवाया था, हम उनको रेगुलर 24-25 किशत दे रहे हैं । अभी हमारे विपक्ष के साथी इस बात को बोल रहे थे कि सरकार नहीं आई थी और इन्होंने फार्म भरवाया और महतारियों से फार्म भरवाकर यह सरकार में आये । मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमने तो फार्म भरवाया था, क्या आपने फार्म नहीं भरवाया था ? जब हम लोगों ने फार्म भरवाना शुरू किया तो कांग्रेस के साथियों ने और उस समय जो प्रत्याशी थे, उन लोगों ने फार्म भरवाया। छत्तीसगढ़ के महतारियों को यदि कांग्रेस पर विश्वास नहीं है तो यह हमारी गलती नहीं है और उनका विश्वास रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, उनके भरवाये गये फार्म को अस्वीकृत किया गया, नजरअंदाज किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता फार्म भरवाये थे, उसके

आधार पर उन्होंने वोट दिया और वोट देने के बाद हमने जिस बात का वादा किया था, हम उनको 24-25 किस्त देने में सफल रहे हैं और आने वाले समय में, हमने जो वादा किया है, उसको हम निभाते रहेंगे क्योंकि यहां पर विष्णु देव साय जी की सरकार चल रही है। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी विश्वसनीयता होती है और संकट आती है तो विश्वसनीयता की संकट आती है। कांग्रेस सरकार में विश्वसनीयता तो आ गई लेकिन विश्वसनीयता आने के बाद उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया, जनता ने उन पर विश्वास करना बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार की सबसे बड़े पतन का कारण उनकी विश्वसनीयता की संकट रही है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसी भी सरकार की इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी आने के बाद आखिर विश्वसनीयता की संकट क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि आपकी नियत ठीक नहीं थी, यदि आपकी नियत ठीक होती तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी आने के बाद आप जनता के हित में काम करते। आपका लक्ष्य तो दूसरा था, जिस बात को हमारे साथी अजय चंद्राकर ने उल्लेख किया, इतनी बड़ी मेजॉरिटी लाने के बाद हमको क्या करना है? आपने 5 साल वही किया। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने भी उसमें लूपहोल थे, उन सबको बंद करने का काम किया, चाहे वह एएफएल का मामला हो, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। जिस प्रकार से कोयले की रॉयल्टी का ऑफलाइन का मामला था, सरकार में आने के बाद तत्काल उन्होंने ऑनलाइन के सिस्टम्स को चालू रखा और जो ऑफलाइन के सिस्टम थे उनको बंद करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। इसके कारण आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में इजाफा हो रहा है, अर्थव्यवस्था के इजाफे का मतलब है, प्रदेश में समृद्धि, लोगों का विकास होना। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में काम कर पा रही है। क्योंकि उस समय जितने भी करप्शन के मामले आए, सबको बंद करने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं, बिजली बिल, निश्चित रूप से एक नए कदम उठाए हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना लाई गई है। सभापति महोदय, इसके पहले मैं कहना चाहता हूं, मुझे याद है और आपको भी याद है, हम लोग पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में थे। पंप के कनेक्शन के लिए टारगेट लक्ष्य होता था, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति थी और छत्तीसगढ़ बनने के बाद कमोबेश वही रहा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के 15 साल का कार्यकाल देखें, अभी हम विष्णु देव साय जी का कार्यकाल देखें, हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 1400 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता थी, आज वह बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। इसका मतलब यह है कि हर साल का लोगों का कंजम्पशन निकालेंगे तो जितना कंजम्पशन रहा है, आज उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। उस समय हमारे 65,000 पंप कनेक्शन थे और आज हमारे पंप के कनेक्शन 6 लाख से ऊपर हैं। आज लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, चाहे वह डोमेस्टिक कनेक्शन हो, चाहे

उद्योगपतियों के व्यापार के लिए हो, उद्योगों की स्थापना के लिए हो या हमारे पंप कनेक्शन के लिए हो। आज हमारे बिजली उत्पादन की मेगावाट क्षमता में भी वृद्धि होती जा रही है। यदि किसी भी प्रदेश की समृद्धशाली की बात करते हैं तो उनका व्यक्तिगत कंजम्पशन कितना है, यह देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप बिजली की ज्यादा खपत कर रहे हैं तो उनकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि हुई है। उनके सुख-सुविधाओं में वृद्धि हुई है, इसका मतलब यह है कि परिवार आज खुशहाली की दिशा में जा रहा है। यह इस बात को इंगित कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं यदि सिंचाई की बात करूं, जिस बात का उल्लेख ये लोग कर रहे थे, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद निश्चित रूप से हमारी सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हुई है। जहां 13 लाख हेक्टेयर में हमारी सिंचाई होती थी, अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं, उसमें 21 लाख हेक्टेयर की जमीन में हमारी सिंचाई में वृद्धि हो रही है। यदि मैं केवल दो साल की बात करूं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दो साल में 25,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होना मतलब धान के उत्पादन में वृद्धि होना है। धान के उत्पादन में वृद्धि होने से कहीं न कहीं हमारे किसान आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, उनके परिवार में खुशहाली आ रही है। मैं तो यह कह सकता हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, लगभग 2 लाख किसान धान नहीं बेच पाये। यदि हम वर्तमान लक्ष्य के हिसाब से बोले तो 6000 करोड़ रुपये के धान की खरीदी नहीं हो पाई और यह किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कह सकता हूं कि केवल दो साल-सवा दो साल के अन्दर किसानों के खातों में 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाना और यदि हम अभी 10,000 करोड़ रुपये को मिला दें तो 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाना। कांग्रेस वाले हमारे मित्र थोड़ा सा 5 साल का उठाकर देखेंगे कि कितने किसानों के खातों में चार किशतों में राशि अंतरित की गई है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह 3100 रुपये।

सभापति महोदय :- आपको हर बात का जवाब नहीं देना है। मैं आपको बिल्कुल allow नहीं कर रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, वह बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वह 3100 रुपये बोल रहे हैं। पंचायत से देंगे, बोले हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय :- वह कहां बोल रहे हैं? आप सुनिये। आप जब बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोल लेना। कौशिक जी, आप बोलिये। हर बात में खड़े होकर बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आपने एक

बार बोला तो मैंने आपको अनुमति दे दी। अब फिर वह कुछ बोलेंगे और आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मानव संसाधन तैयार करना। उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और अभी हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको केवल कुछ अंतर दिखाना चाहता हूँ कि कितना अंतर आ रहा है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, मैं आंकड़े में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यदि मैं केवल उच्च शिक्षा की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ राज्य में उस समय हमारे छात्रों की संख्या 52,139 और छात्राओं की संख्या 30,002 थी। यदि मैं बात करूँ कि वर्ष 2025-26 में हम कहां पर खड़े हुए हैं तो वर्ष 2025-26 में हमारे छात्रों की संख्या 1,98,461 और हमारी छात्राओं की संख्या 1,97,281 है। मैं आपको दो प्रकार के आंकड़े बताना चाहता हूँ। जहां 52,000 छात्र थे, वहां छात्राओं की संख्या 30,000 थी। लेकिन आज जब हमारे छात्रों की संख्या 1,98,000 बढ़ी है तो उसके मुकाबले में आप देखिए कि छात्राओं की संख्या 1,97,281 बढ़ी है। मतलब चाहे हमारे छात्रों की संख्या हो, चाहे छात्राओं की संख्या हो, उसमें लगातार जो वृद्धि हो रही है, इसको मैं इस प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत कह सकता हूँ। हम जब चहुंमुखी विकास की बात करते हैं, हम जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो केवल एक पक्ष से नहीं होगा। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है और अभी उस आधी आबादी की शिक्षा में जो उपस्थिति है, वह हमारी 50 प्रतिशत की उपस्थिति दर्ज को बता रहे हैं। यह हमारे प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है। साथ ही साथ मैं खेल के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे खेल के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन मिलता था, उसको भी बंद कर दिया गया था। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में अनेक पुरस्कार दिये जाते थे। चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हो, चाहे ओलंपिक में हो, हमारे राष्ट्रीय खेलों में हो, जो खिलाड़ी स्थान लेकर आते थे, उनको अलग-अलग पदक से सम्मानित किया जाता था। लेकिन पिछले 5 सालों में इनकी सरकार ने एक भी खिलाड़ी को सम्मानित करने का काम नहीं किया, लेकिन आज हम चाहते हैं कि जब भारत में भी ओलंपिक हो तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ पीछे न रहे। इसके लिए आपने देखा है कि बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक कराया गया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन वह हमारी पृष्ठभूमि है कि हम खेल के क्षेत्र में अपने दूरस्थ क्षेत्र, वनांचल के क्षेत्रों की प्रतिभाओं को कैसे निखार सकें। यदि मैं इस दिशा में बात करूँ तो मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि अभी हमारे विष्णु देव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे वित्त मंत्री, श्री ओ.पी. चौधरी, राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक पुरस्कार की घोषणा की गयी है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ताकि वे उसके लिए मानसिक

रूप से तैयार हो। उनकी खेल के प्रति रुचि बढ़े, वह आकर्षक हो। इतना ही नहीं ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिस तरीके से एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है और वर्ष 2025 का जो शानदार प्रदर्शन आया, उसमें 162 पदक प्राप्त किये गये, जिनमें 55 स्वर्ण पदक लाये गये और इसी प्रकार से उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ हमारे छत्तीसगढ़ की टीम ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यदि हम इस प्रकार से देखे तो खेल के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए और अलग-अलग क्षेत्र में काम किये हैं, उसके तहत इस प्रदेश के द्वारा उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया गया है।

समय:

2.47 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है। हम जिस प्रकार से दिल्ली एन.सी.आर. और बाकी प्रदेशों की बात करते हैं और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्टेट केपिटल रीजन को इस बजट में शामिल किया गया है। इस प्रदेश में स्टेट केपिटल रीजन बनाने का जो काम शुरू हुआ है, उससे आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनेगी। जिस प्रकार से इसको जोड़कर वहां के डेवलपमेंट का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी अधोसंरचना, जिसमें अनेक प्रकार से शामिल किया गया है और स्टेट केपिटल रीजन बनाने का जो ध्येय है कि जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को डेवलप करके उसकी एक पहचान बन सके। यह निश्चित रूप से नई सोच है और इसके साथ ही हमारे वित्त मंत्री जी ने इस कार्य को प्रारंभ किया है।

सभापति महोदय, मैं महतारी वंदन योजना को नहीं गिनाना चाहूंगा लेकिन जब मैं महतारी वंदन योजना की बात करता हूं तो आज छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं महिलाओं में इस बात की प्रसन्नता है कि उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। सवाल 1 हजार रुपये मिलने का नहीं है। सवाल स्वाभिमान को जागृत करने का है और केवल स्वाभिमान को जागृत करने का भी नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ...।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, आप मन बढ़िया बोलत हव अउ मैं हर आपके सम्मान करत हव लेकिन मोला एक बात कहना रिहीसे। 1 हजार देकर 3 हजार रुपये के बिजली बिल ला देत हन अउ छत्तीसगढ़ के महिला मन हर आप मन ला बहरी मुठिया धरे खोजत हन। आप मन का करत हन ? अभी जावव अउ किंजर के देखबो। महिला मन आग बबूला हो गे हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका भी नाम हैं। आप अपने समय में बोलियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना बनायी हैं, वहां से सब्सिडी मिल रही है। हम राज्य सरकार से सब्सिडी दे रहे हैं। आपने अपने घर में सोलर पैनल लगाया है कि नहीं लगाया ?

श्री रामकुमार यादव :- बिजली बिल ला छूटे नइ सकत हन। अब एकर ले छूट ले हन तो में हर ओला लगाहू । मोरो रायपुर के बिजली बिल काट दे रिहीन हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- में हर रायपुर के बात नइ करत हव। में हर कहत हव कि आप मन अपन घर मा सोलर पैनल लगाये हस कि नइ लगाये हस ?

श्री रामकुमार यादव :- अभी में हर अपन काम ला दीया बाती में चलावत हव। में हर बिजली ला काट देत हव।

श्री ललित चंद्राकर :- मोबाईल ला का में चार्ज करत हस गा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- इनके तो बहुत सारे चार्जिंग प्वाइंट है। इसलिए उनको घर में चार्ज करने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य :- लेकिन साहब साहब मेन चार्जर आउट हो गया है।

श्री ललित चन्द्राकर :- जगह-जगह चार्जिंग प्वाइंट है, बहुत बढ़िया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप बोलना नहीं चाहते तो मत बोलिये न।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं बोल रहा था कि टोकना नहीं चाहता। इसलिए बोलना चाहता हूं कि आपका बिजली हमारी सरकार में बहुत प्रिय विषय था। आप किसानों की चिंता करते थे। आप स्थायी कनेक्शन की सदैव बात बोले हैं। लेकिन चूंकि अभी स्थायी कनेक्शन इस सरकार में सर्वाधिक पेन्डिंग है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वरिष्ठ हैं, आप दलगत राजनीति को छोड़ करके किसानों के हित में इस विषय को लाईये। दूसरा सूर्य ऊर्जा की बहुत बात हो रही है लेकिन धरातल में ये भी परिणाम आ रहा है सूर्य ऊर्जा लगाने के बाद में भी बिजली बिल कम नहीं हो रहा है। उसको भी दिखवाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप अपने घर में लगवाये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं अपने घर में नहीं लगाया हूं लेकिन क्षेत्र मेरा घर है तो क्षेत्र वाले ही बता रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुश्किल यह है कि जब आप अपने घर में लगायेंगे तो आपको पता लगेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र ही घर होता है। केवल खुद का घर घर नहीं होता, क्षेत्र भी घर होता है।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी, आप बैठिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, श्री द्वारिकाधीश यादव जी और मैं पिछली सरकार में भी विधायक रहे हैं और हर बार बजट में ये बात आई है, आपको भी मालूम है। यदि पेन्डिंसी कोई बढ़ी है तो केवल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उसके कारण बढ़ी। बिजली में जो अव्यवस्था हुई है, केवल पूर्ववर्ती सरकार के कारण हुई है नहीं तो कभी ये नहीं रहा। डॉ. रमन सिंह जी जब तक मुख्यमंत्री थे, आप जा करके एप्लाई करिये और एप्लाई करने के बाद में आपको कनेक्शन मिल जाता था। ये 05 साल में थोक के भाव में पेन्डेन्सी रखे और आज भी मैं यह कहता हूँ कि यदि दोषी कोई है तो ये पूर्ववर्ती सरकार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व की सरकार ने बिजली बिल हाफ किया था, उसी को करवा दीजिए न। कौशिक जी, बिजली बिल हाफ ही करवा दीजिए।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपका नाम है, आप अपने समय में बिजली के बारे में बोल लीजियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- संगीता जी, उमेश जी बोल रहे थे, कितने लोगों को नौकरी दिया। अभी नहीं हैं। आपको याद है? आपकी सरकार में आपने 14500 लोगों की वेकेन्सी जारी किया था, आप पूरे 05 साल में 14500 लोगों की भर्ती नहीं कर पाये। 03 बार इंटरव्यू हुआ और 03 बार इंटरव्यू होने के बाद भी उसका भौतिक सत्यापन 05 साल में नहीं कर पाये। आज कितने लोगों को नौकरी दिये, यह बात की जा रही है। इस बात को हमने पिछले 05 साल में उठाया कि 14 हजार लोगों की भर्ती ये सरकार नहीं कर पाई है। बाकी बात को अजय चन्द्राकर जी बतायें हैं कि कैसा होर्डिंग लगाया गया और क्या किया है, वह तो सारी बातें आ गई हैं। इसलिए इस बात को न भूलें। कुछ तो आप लोगों की सरकार जो [xx] है न, उसको हम लोग धो रहे हैं और उसको ठीक करने में लगे हुए हैं कि दुरुस्त हो जाये। सभापति महोदय, आज आप छत्तीसगढ़ में जहां भी जायेंगे, आपको चमचमाची हुई सड़कें बनती हुई अब दिखाई देने लगी हैं। पिछले 05 साल में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमने तो ये कहा कि आप नई सड़कें न बनायें, आप केवल पेंच रिपेयर करा दें। लेकिन पिछली सरकार पेंच रिपेयर कराने में असमर्थ रही। पेंच रिपेयर के लिये इनके पास पैसा नहीं था। एन्युअल रिपेयर के लिये इनके पास पैसा नहीं था। भगवान जाने कि इन लोगों ने इतने पैसे का कहां उपयोग किया। लेकिन आज मैं सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ और अपने लोक निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि 9 हजार करोड़ रुपये से ऊपर आपने तो केवल इस साल के बजट में दिया है। इसके पहले

अपने जो बजट में राशि दी है, आज पूरे प्रदेश में आज जहां जायेंगे, हमारा सड़कों का कार्य शुरू हो गया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति जी, मेरा नाम नहीं है। मेरे को एक बात इसी में रखनी है। मेरा प्रश्न भी लगा था और पूरे सदस्यों ने इस मामले में प्रश्न लगाया है । आज कहीं पर भी प्रदेश में पंच वर्क नहीं हो रहा है और यह बात जो कह रहे हैं, दो साल की सरकार में हम लोगों ने देख लिया और आज भी सड़क की बात में पक्ष- विपक्ष दोनों के सदस्यगण अपनी बात रख रहे हैं कि आज तक कहीं पर भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सड़क का निर्माण हो रहा है, ऐसा मत बोलिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो पैसा दिये थे उसको वापस ले लिये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, इसके बाद आपको ही बोलना है । (व्यवधान)

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, बेमेतरा में रिपेयर नहीं हुए बल्कि नयी सड़कें बन रही हैं, चारों दिशाओं में बन रही हैं । सभी दिशाओं में बन रही हैं । (व्यवधान)

श्रीमती रायमनी भगत :- संगीता जी, जरा दौरा करके देखिये । पंच रियेपर भी हो रहा है और नयी सड़कें भी बन रही हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एखर सड़क में भईसा सूत गे रहिस हावय, मेन रोड में। ओ भईसा हा सूत गे रहिस हे ।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, आप जारी रखिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हमारे कुछ सदस्य पहले भी रहे हैं । निश्चित रूप से उनकी पीड़ा है, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ जिलों को चिन्हांकित कर लिया था, कुछ विधानसभा को चिन्हांकित कर लिया था कि केवल पैसा वहीं देना है लेकिन यह विष्णुदेव साय जी की सरकार है । समग्र रूप से 90 विधानसभा को देखते हैं और 90 विधानसभा के विकास की बात करते हैं, यह सोच रखते हैं कि 90 विधानसभा हमारी है । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बालोद ला भी घला दिखवा लेबे । माननीय सभापति महोदय, बालोद बहुत पीछे है, बालोद को दिखवा लें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, चाहे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये पूरा छत्तीसगढ़...।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, डोंगरगढ़ का भी एक-बार थोड़ा सा सड़कों का दिखवा लेंगे । पिछली बार बोले थे कि चलने लायक है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हमें इस बात का फक्र है । आज हम नगरोत्थान की बात करते हैं कि हमारे जो शहर हैं वहां की चाहे सड़क हो, पेयजल की व्यवस्था हो, लाईट की व्यवस्था हो और अलग से उसकी व्यवस्था करके हमारे नगरों को हम कैसे सुसज्जित कर सकें इसके लिये हमारे वित्तमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विभागीय मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से अभी कार्य शुरू हुए हैं निश्चित रूप से वह अंतर दिखायी देने लगा है । इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे वित्तमंत्री जी की नयी सोच कि ऑनलाईन रजिस्ट्री । आज ऑनलाईन रजिस्ट्री में आपको पंजीयन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे प्रॉपर्टी खरीदिये और प्रॉपर्टी खरीदकर उसकी रजिस्ट्री करवा लीजिये । मुझे याद है कि लोग जमीन खरीद लेते थे लेकिन नामांतरण कराने के लिये लोग चक्कर लगाते रहते थे, घूमते रहते थे । आज आपको घूमने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत नहीं है । आप जैसे ही रजिस्ट्री करवायेंगे । कुछ दिन के बाद में आपके नाम से नामांतरण हो जायेगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, रजिस्ट्री का रेट इतना बढ़ गया है कि आज रजिस्ट्री नहीं होती है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- संगीता जी, आप अपने नाम से जमीन खरीदिये । हम आपको रजिस्ट्री में 50 प्रतिशत की छूट रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) मतलब यह केवल संगीता की बात नहीं है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह बात जनता के लिये भी होना चाहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं महिलाओं के लिये बोल रहा हूँ मतलब यह सभी के लिये बोल रहा हूँ कि आप महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदवाइये और रजिस्ट्री में 50 प्रतिशत की छूट पाइये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप सभी को दीजिये न, भाई लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग महतारी को तो समृद्धशाली बना रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी में भी महिलाओं को समृद्धशाली बनायेंगे, इस प्रदेश का बेहतर विकास होगा और इसके लिये हमारे वित्त मंत्री जी ने रजिस्ट्री में जो छूट दी है । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, और कितना समय लेंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस 2-4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ । आबकारी के बारे में बात आयी है, मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि एक राजस्व कर उसका प्राप्त हो रहा है उसके लिये तो मैं धन्यवाद इसलिये देता हूँ कि आपने पारदर्शिता लायी है और पारदर्शिता के माध्यम से आप उसी को अब प्रदेश के राजस्व में आपने परिणित किया है । लेकिन मैं आबकारी के मामले में यह कहना चाहूंगा कि हम उस राजस्व को बढ़ाने की बजाय हमको उसमें हतोत्साहित करने की आवश्यकता है कि लोग आदि न बनें, सेवन कम करें । भले उसमें हमारा राजस्व कम मिले क्योंकि जितने हमारे उस दिशा में जायेंगे तो उस राजस्व का लाभ मिलने वाला नहीं

है। जिस प्रकार से आये दिन जो घटनायें घट रही हैं और जो घटनायें घट रही हैं यदि उसमें ब्रेक लगाना है तो हमको नशा को कम करना पड़ेगा इसलिये मैं सरकार से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि हम नशे पर कैसे ब्रेक लगा सकते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उस दिशा में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जी.एस.टी. के बारे में कहना चाहूंगा। मैं वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल राजस्व संग्रह 23 हजार 454 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। उसमें केवल जी.एस.टी. का 16 हजार 298 करोड़ रुपये है। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहां बहुत सारे जो प्रकरण चल रहे थे जिनमें राशि वसूल नहीं हो रही थी ऐसे लगभग 25 हजार तक जो कर बकाया था उसको एक बार में निर्णय लिया गया। उस निर्णय के अनुसार 40 हजार से अधिक व्यापारियों को राहत प्राप्त हुई है। यहां पर लगभग 62 हजार करोड़ रुपये का सफलतापूर्वक निपटान हुआ है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके बाद भी हमारे जी.एस.टी. में करदाताओं की संख्या बढ़ी है। हमारा राजस्व बढ़ा है, लेकिन यह जो पेचिदगियां थीं, हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा उसको समाप्त करने का काम किया गया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ परिवहन के विषय में एक बात करना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी, मैंने आपको जी.एस.टी. के लिए बधाई दी है। जिस प्रकार से आपने बहुत सारे लोगों को राहत देने का काम किया है, लेकिन हमारा राजस्व कम नहीं हुआ, राजस्व देने वालों की संख्या कम नहीं हुई, उसके बाद भी उसमें वृद्धि हुई है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, लगातार हमारे साथी चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों वह यह प्रश्न उठा रहे हैं कि यहां पर लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उसमें मृत्यु भी हो रही है और यहां पर केवल मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि उन दुर्घटनाओं में हमारी सड़कों की हालत भी खराब हो रही है। चाहे वह ओव्हर लोडिंग का मामला हो, जिस प्रकार से लाईसेंस में जो बारिकियों का मामला हो, इस प्रकार से उसमें जो भारी अनियमितताएं हैं और उन अनियमितताओं को ठीक करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि परिवहन विभाग हो गया, उसके साथ मैं हमारा स्वास्थ्य विभाग हो गया, उसके साथ मैं हमारा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग हो गया, इनकी संयुक्त रूप से बैठक होनी चाहिए। उसकी बैठक करके, यहां हम उन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकें, हम छत्तीसगढ़ की सड़कों को कैसे बचा सकें, आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि जो यहां पर जो बड़ी-बड़ी लारियां चल रही हैं, यह जो पासिंग कराते हैं तो उनका चक्का गिनते हैं कि वहां से कितने चक्कों में पासिंग हुई है। जब आप सड़क में निकलेंगे तो हमेशा आपको सड़क से चार चक्के ऊपर उठे हुए दिखायी देंगे। उसका लोड आ रहा है। क्योंकि वहां से पासिंग कराने के समय तो कर लिया गया, लेकिन बाद में उस पहिये का उपयोग नहीं

हो रहा है। इसके कारण में ओव्हर लोड भी कर रहे हैं, इसमें भी बचाने का प्रयास करते हैं और जो गाड़ियों की तेज रफ्तार होती है जिसके कारण आये दिन समाचार पत्रों में देखिये या आप टी.व्ही में देखिये, उसमें जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिससे लगातार जो कालकवलित हो रहे हैं और हमारी सड़कें खराब हो रही हैं उनको रोकने की आवश्यकता है उसके लिए विभागों की संयुक्त रूप से बैठक होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ हमारे विभिन्न विभागों की जो चर्चा हुई है और हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा विनियोग विधेयक लाया गया है। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा प्रदेश लगातार विकास की दिशा में जा रहा है। न केवल मैं प्रदेश की बात करूँ, चाहे मैं महिलाओं की बात करूँ, चाहे मैं छात्र-छात्राओं की बात करूँ, चाहे मैं हमारे डॉक्टर्स की बात करूँ, चाहे मैं हमारे किसानों की बात करूँ, चाहे मैं हमारे युवा साथियों की बात करूँ, उस दिशा में लगातार हम प्रगति की ओर हैं और हमें प्रगति की ओर ले जाने वाला जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको भी धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विनियोग, 2026 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस विधेयक का मैं विरोध करती हूँ क्योंकि हमने बजट पारित किया है, विभागवार चर्चा हुई। सारे विभागों की अनुदान मांगें आईं और पारित हुईं। अब विनियोग विधेयक के माध्यम से हम इस सरकार को खर्च करने की अनुमति देंगे। हम सरकार को खर्च करने की अनुमति क्यों देंगे ?

सुनील कुमार सोनी :- संगीता जी, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ। आप खर्च करने का अधिकार नहीं देना चाहतीं। आपने इतनी सारी मांग की है कि मेरे क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, सड़क बनना चाहिए तो कहां से बनेगा इसलिए समर्थन करिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बजट में हमने जो मांगा है, वह होता ही नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- तीन साल ले मांगे हन, ओला हमर चौधरी साहब घोषणा करही तो हमन देबो न।

श्री ओ. पी. चौधरी :- संगीता जी, आप विरोध के लिए खड़ी हुई हैं तो सपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं है क्या ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बता रही हूँ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह पहला विषय है, जहां पर कटौती प्रस्ताव भी देते हैं और विभाग के मांग अनुदान पर मांग भी करते हैं। यह बात समझ से परे है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या यहां पर बेटियां सुरक्षित हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- बिल्कुल सुरक्षित है । माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन का राज है । बिल्कुल सुरक्षित है । यह छत्तीसगढ़ मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित हो रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अगर सुरक्षित है तो दो साल की बच्ची के साथ रेप क्यों होता है ? हमारी बेटियां नवरात्रि में सुरक्षित क्यों नहीं हैं ?

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप विनियोग में इधर देखकर बोलिए न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मैं जो मुख्य बात बोलना चाहती हूं, उससे भटकाव करवा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप मत भटकिए न, इधर देखकर बोलिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या किसान भाइयों को उनकी किसानी का लाभ मिल रहा है, क्या बेरोजगार युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है ? तो हम किसलिए खर्च करने की अनुमति दें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- बेरोजगारी भत्ते की बात अपने घोषणा पत्र में किसने कही थी ? पांच साल तक तो 2500 रूपए प्रतिमाह नहीं दे पाए । 10 लाख युवाओं को देने की बात हुई थी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके शासनकाल को ढाई साल हो गए।

श्री सुशांत शुक्ला :- हमने घोषणा नहीं की थी, आपने कही है । आप अपना वायदा पूरा कीजिए, पांच साल आपकी सरकार रही, आपने वायदा पूरा क्यों नहीं किया?

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बता रही हूं न। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ढाई साल हो चुके हैं। रसाइयां संघ हड़ताल में है, आंगनबाड़ी की महिलाएं हड़ताल में हैं, मितानीन बहिर्ने हड़ताल में हैं। साथ में एएनएम और नर्सिंग वाले हड़ताल में हैं, दिव्यांग लोग हड़ताल में हैं, शिक्षक संघ हड़ताल में है, सचिव लोग हड़ताल में हैं और सबसे लज्जाजनक बात यह है कि आपके सरपंच लोग भी हड़ताल में हैं । वे क्यों हड़ताल में हैं ? आप बताएंगे । आपने सरपंचों को 15वें वित्त का पैसा दिया ? आज तक जारी क्यों नहीं किया ? पूरे विभाग के लोग हड़ताल में हैं, यहां तक कि आपके शासनकाल में 35 हजार लोग हड़ताल में हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी अउ सबले ठगले संगवारी, ये वाला नारा देकर 15वें वित्त का पैसा खा गए और आज आप बात कर रही हैं । पिछले पांच साल में क्या हुआ, हम उसका जवाब आपको देंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- साढ़े 8 हजार करोड़ के धान ला मूसवा खा दे हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभी विभाग, पंचायत विभाग जो जनता के जमीनी स्तर के कार्य निपटाती है, उनके लिए ढाई साल में एक रूपया भी जारी नहीं किया गया था । अधिकारी वर्ग भी हड़ताल में थे । पंचायत सचिव हड़ताल में थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल में थीं, तहसीलदार लोग भी हड़ताल में बैठे थे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई । आजतक कोई भी विभाग में कोई भी घोषणा नहीं हुई है तो आपको राशि खर्च करने के लिए अनुमति क्यों दें ? किसी की मांग पूरी नहीं हो रही है, किसी को जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रही है तो राशि क्यों दें ? जब चुनाव होता है तो प्रदेश की जनता आपके घोषणा-पत्र को देखकर वोट देती है । वह देखती है कि उनके लिए घोषणा-पत्र में क्या है ? कौन सी सरकार क्या काम करेगी, कौन सी सरकार हमारे लिए क्या लाएगी, उसके अनुसार जनता वोट देती है । आपको जनता ने सरकार में रखा, यह आपका सौभाग्य है । आप उनके इच्छाओं की पूर्ति कीजिए न । आपने जो घोषणा की है, उसमें खरा उतरिए न । यह हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है । सबले पहले घोषणा-पत्र में यह था कि 500 रूपए में सिलेण्डर मिलेगा । आपने 500 रूपये सिलेण्डर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आपकी ओर से यहां जवाब आया था कि अभी ढाई साल ही हुए हैं, बाद में देंगे। सभापति महोदय, आपको जनता देख रही है कि हमर का होही, ऐसा सोचती हैं। ग्रामीण तबके के लोग रहते हैं, वे भोले-भाले रहते हैं। आप उन लोगों को जैसा बोलोगे उनलोग वैसा मानते हैं। उन्होंने सोचा था कि हमें 500 रूपये में सिलेण्डर मिलेगा। मिला क्या ? आज एक सिलेण्डर का रेट एक हजार रूपये से पार हो रहा है। लोग आज सिलेण्डर के लिए लाईन लगा रहे हैं। पहले एक महीने में 2 सिलेण्डर मिलता था और आज आपने उसको एक सिलेण्डर तक सीमित कर दिया है। आज आपकी लापरवाही के कारण शादियां टूट रही हैं।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति जी, सिलेण्डर से शादी से क्या कनेक्शन है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी पर आ रही हूं, उसी को बता रही हूं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, दीदी, विधायक जी इहां सिलेण्डर मत देवय तो ओ हा विधायकी ला छोड़ के भाग जाही।

श्री आशाराम नेताम :- मैं वही तो बोल रहा हूं कि सिलेण्डर का शादी से क्या कनेक्शन है ? (व्यवधान)

श्रीमती रायमुनी भगत:- दीदी बोल रही हैं कि जनता भोली भाली हैं। लेकिन अभी जनता जागरूक हो गई है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी था न, इसीलिए जनता ने आप लोगों को 5 साल में फेल कर दिया।

श्री देवेन्द्र यादव :- देखिये, ऐसा है कि वाकड़ शादियां कैसल हो रही हैं, यह सच्चाई है। क्योंकि जो कामर्शियल सिलेण्डर है, उसकी उपलब्धता बाजार में जैसी होनी चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही

है। इसलिए माननीय विधायक जी जो बोली हैं, वह तो सत्य बात है। इस पर आपका अपना राजनीतिक विवेक हो सकता है। लेकिन यह सच है, आपको मानना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- ईरान से टैंकर आ गया है, अब सब आ जायेगा। आप जितना बोलोगे, आपको उतना भिजवा देंगे और संगीता जी के यहां भी भिजवा देंगे। मंत्री जी, इनके यहां भी सिलेण्डर भिजवा दीजियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले श्याम बिहारी जी के यहां भिजवा दीजियेगा, उनको चिंता ने पकड़ लिया है, उनके बेटे की शादी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम आपको बिना खाना बनाये भूखा नहीं रहने देंगे। आप खुद बनाईये, हम आपको सिलेण्डर भिजवायेंगे।

श्री दीपेश साहू :- अभी 5 हजार से भी ज्यादा शादियां हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार ने कराई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 5 हजार से ज्यादा शादी करवाई हैं। अभी फिर शादियां होनी हैं। हर 3 महीने में शादियां होनी हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बालोद के बिहाव जेन हो गय है तेखर बिहाव करे हन। जेन बिहाव हो गय तेखर बर हो गय दीपेश भाई , ओखर सूची दव।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5 हजार शादियां करवाई हैं। वह महिलाएं हो गई हैं न ? अगर वह महिला हो गई तो वह महतारी वंदन योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हो गई है या नहीं ? लेकिन क्या महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है ?

श्री आशाराम नेताम :- उनको मिलेगा।

सभापति महोदय :- द्वारिका जी, अभी संगीता जी बोल रही हैं। आशाराम जी आप बैठिये।

श्री आशाराम नेताम :- उनको मिलेगा, उनको दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- आशाराम जी, आप बैठिये।

श्री आशाराम नेताम :- उनके आगे भी चिंता की गई है, उनके बच्चे की चिंता की गई है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपके ही दल की संगीता जी बोल रही हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बालोद में शादी हुई है, अभी तक उसका पैसा उनके खाते में नहीं आया है।

सभापति महोदय :- आपके दल की ओर से संगीता जी बोल ही रही हैं। मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगा कि विनियोग विधेयक का पारण 5.00 बजे तक किया जाना है। अतः सभी माननीय सदस्यों से

अनुरोध है कि आगे जो भी वक्ता बोलने वाले हैं, सभी से आग्रह है कि अपनी बातों को थोड़ा संक्षेप में रखेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, भाई ने शादी की बात पूछी तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो अप्रैल में शादी है, लोग सोच रहे हैं कि कैसे शादी करेंगे ? उनको सिलेण्डर नहीं मिल रहा है। निमंत्रण कार्ड छप गया है और आप लोग एक महीने में एक सिलेण्डर दे रहे हो। उनके यहां खाना कैसे बनेगा ? आप फिर पुराने जमाने में ले गये हो। तुमन लकड़ी-छेना मा लान दे रहूँ तुमन। एक तो तुमन लकड़ी ला लान नइ दव।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आगे बढ़िये। शादी से आगे बढ़िये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इससे आगे बढ़ती हूँ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, एक तरफ पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ लकड़ी की बात कर रही हैं।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप शांत रहिये न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बेटियां बाप की रूह होती हैं। अगर किसी बाप का किरदार देखना हो तो आपको उसकी बेटी की मुस्कराहट से पता चल जायेगा। आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। बीजापुर में 3-3 बेटियां गर्भवती हो रही हैं। बेटी नवकन्या खाने जाती हैं, उसका अता-पता नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सभापति महोदय, बेटियां कहां सुरक्षित हैं ? पुलिस प्रशासन कहां है ? धमतरी में खुले आम चाकूबाजी हुआ है। दो सगे भाईयों की मौत हुई है। रात में दो सगे भाई लोग घूमने गये, वहां चाकू बाजी हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करती है ? आदरणीय सभापति महोदय जी, द्रौपदी मूर्म का कहना है कि जिस राज्य में बलात्कार होता है और अगर बलात्कार होने के बाद 24 घंटे में वहां पर अपराधी पकड़ाता नहीं तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सभापति महोदय जी, यह मैं नहीं कह रही, हमारी माननीय महामहिम कह रही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप द्रौपदी मुर्मू जी का उल्लेख कर रही हैं न। आपकी इंडी पार्टनर ममता बनर्जी न, उनका बंगाल में बहुत अपमान करी है । प्रोटोकॉल में कोई आदमी नहीं भेजी, कोई मंत्री नहीं भेजी और उल्टे-सीधे बात की। द्रौपदी मुर्मू का अपमान करके उसको यहां मत कोट करिए । कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। क्यों देंगे?

श्री रामकुमार यादव :- राम मंदिर में राष्ट्रपति महोदय जी ला बुलाये नहीं गिस, महोदय, वो हा अपमान नहीं हे? राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा होईस, वहां पर राष्ट्रपति महोदय ला बलाये नहीं गिस। पूरा देश देखिस, तो वो बड़े सम्मान हे का?

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके नेता को तो बुलाए थे, वे तो गये ही नहीं।

श्री रामकुमार यादव :- इस देश के राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया जाता।

श्री धर्मजीत :- आपके नेता को बुलाए थे। राम को आपको मानना तो है नहीं, राम से मतलब है नहीं जबरदस्ती...।

श्री सुनील कुमार सोनी :- धर्मजीत भैया।

श्री रामकुमार यादव :- राम से हमला मतलब है। राम नाम अपना, पराया माल आपका।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- मैं टोका-टाकी नहीं कर रहा, आप जो बात कर रहे हैं न, अपने शीर्ष नेताओं से पूछिए बहिष्कार शब्द का उपयोग किया है। राम मंदिर कांग्रेस का बहिष्कार है, यह शब्द का उपयोग किया गया है। आप क्या बात कर रहे हो?

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बोलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, एक जमाना था जब पुलिस का खौफ रहता था और उसकी वर्दी को देखकर लोगों में एक डर आ जाता था और वे पालन करते थे। सभापति महोदय जी, आज पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। सिर्फ वसूली के सिवा कुछ नहीं। मैंने कल इस बात को रखा, मैंने उस बात को भी रखा कि कहां वसूली हो रही है, आर.टी.ओ. की तरफ से कहां वसूली हो रही है, सब बात को रखा, मैं दोबारा लाना नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये वसूली करना बंद करें। मिर्रीटोला का एक व्यक्ति आत्महत्या तक कर चुका है। सभापति महोदय जी, पुलिस प्रशासन को सुरक्षा चाहिए, हमारे राज्य को जिस तरीके से सुरक्षा चाहिए चाहिए, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ। सभापति महोदय जी, अच्छा, मैं इसके लिए भी कहना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन में पुलिस वालों को इतना वर्क दे दिया जाता है कि परिवार वालों के लिए उनके पास छुट्टी तक नहीं रहती। वे इतना काम करते हैं। सुबह से शाम तक लगातार काम, काम, काम। आज खैरागढ़ में एक पुलिस प्रशासन का जो व्यक्ति है, वह जवान खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। अब मैं गृह मंत्री के संज्ञान में डालना चाहती हूँ। इस ओर विशेष ध्यान दें कि अगर पुलिस विभाग में कोई है तो उनके लिए आप छुट्टी की व्यवस्था करें, जो उचित चाहिए, आप उनको दें। यह बहुत सोचने की बात है। लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। परिवार से दूर रह के काम करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। सभापति महोदय जी, यहां महतारी वंदन में आऊंगी। महतारी वंदन में यहां बहुत सारी चर्चा हुई। सभापति महोदय जी, जिस वक्त इन्होंने घोषणा पत्र में महतारी वंदन लाया और घोषणा पत्र में आया और इनके लोगों ने घर-घर जाकर फॉर्म भी भरवाने का काम किया है। कई लोगों को तो डायरेक्ट पैसा भी दे दिए हैं। कई लोगों को तो कहा गया है कि एला संभाल के रखबे दीदी, जब हमन बनबो न त हमन आप मन ला पैसा देबो, एक-एक हजार। सभापति महोदय जी, वह आज भी संदूक में है। वहां पर

भेदभाव हुआ है। सभापति महोदय जी, इन्होंने महतारी वंदन तो दिया, लेकिन सभी को नहीं। किसी की देवरानी को मिल रहा है तो जेठानी को नहीं मिल रहा और पोर्टल खोलने की बात करते हैं। सभापति महोदय, आप मन के कारण घर-घर लड़ाई होथे। आप मन के कारण भेदभाव होथे। सभापति महोदय जी, देवरानी-जेठानी में लड़ाई हो रहा है।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोग पिछला 500 भूल गए? एक भी नहीं दिए थे। पिछला 500 का वादा किए थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मैं भूल गई तो आपको याद दिला रही हूँ कि आप पोर्टल खोलिए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- मिल रहा है, मिल रहा है। हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं। पता नहीं, आपके क्षेत्र में क्या दिक्कत है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, महतारी वंदन में तो चलो पेटी में है, पेटी में है, सब आपका पोर्टल खोलने का इंतजार कर रहे हैं। सभापति महोदय जी, बुजुर्ग लोग आपका क्या किये हैं, आपका क्या बिगाड़े हैं, बुजुर्ग माता लोग कि उनको 500 रुपये दे रहे हो आपने तो नहीं कहा था...।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- कितने लोगों को मिल रहा है, आपको वह जानकारी है या नहीं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसको?

श्री प्रणव कुमार मरपची :- कितने लोगों को मिल रहा है, बता दीजिए। आपके पास जानकारी है?

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा। संगीता जी, मरपची जी। माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आपस में चर्चा न करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग माता लोग क्या गलती किये हैं, जब हम क्षेत्र में दौरे में जाते हैं, माताएं हमारा हाथ पकड़ लेती हैं। वह कहती है कि बेटी मोला पांच सौ रुपये पेंशन मिलथे और पांच सौ रुपये महतारी वंदन मिलथे। एमन पांच सौ रूपया ला काट दिस। आपके पास कोई जवाब है ?

श्रीमती रायमुनी भगत :- वह बोल रही है ना। 500 रुपये महतारी वंदन मिल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 1000 महतारी वंदन का घोषणा किया है।

श्रीमती रायमुनी भगत :- देंगे। देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कब दोगे ?

श्रीमती रायमुनी भगत :- आप देखते तो जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं यह तो पूछ रही हूँ कि आप लोग इसे कब दोगे ? बजट तो पास करवाते हो। 500 का वादा थोड़ी किये हो, आपने 1000 का वादा किया है।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, तुमन 500 रूपया ला खादेव ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- रामकुमार जी, जल्दी से बिहाव तो कर । महतारी वंदन देबो ।

सभापति महोदय :-रामकुमार जी, मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि यह उचित नहीं है कि आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं । आप आसंदी की तरफ देखकर बोलिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :-आदरणीय सभापति महोदय जी, बुजुर्ग महिलाओं को 500 रुपये काटकर देते हैं, उसे इस बजट में शामिल कर दीजिए, अभी पारित नहीं हुआ है । आप 500 रुपये जोड़कर 1000 रुपये दीजिए । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि बुजुर्ग लोगों का 500 रुपये काटकर देते हो उसे 1000 कीजिए । मॉ लोग जो पूछ रहे हैं, उनका आर्शीवाद बहुत लगता है । अगर आप 1000 दोगे तो उनका आर्शीवाद आपको लग जायेगा । सभापति महोदय जी, आपने पोर्टल खोने का काम नहीं किया है । मैं अपने विधान सभा की बात करूँ तो अगर एक साल में 500 लोगों की शादी होती है तो मेरे यहां 90 विधान सभा है । 90 विधान सभाओं का दो साल में लगभग 20 हजार शादियां होती है । आप हमारे 20 हजार बहनों के साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो, उनको क्यों नहीं दे रहे हो, आपको ढाई साल हो रहे हैं, आप पोर्टल क्यों नहीं खोल रहे हो ? सभापति जी, जब आप आंकड़े निकालेंगे तो 25-30 हजार जो हमारी बहने हैं, बेटियां हैं, महिलायें हैं, उनको महतारी वंदन का लाभ नहीं मिल रहा है । सभापति महोदय, भूमिहीन किसान योजना जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चालू किया था, चन्द्राकर जी ने कहा भी था, मेरे यहां रोज 4-5 लोग आते हैं और कहते हैं कि मैडम हमन ला पड़सा देवादे, पैसा क्यों नहीं डाला जा रहा है ? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या सरकार के पास बजट नहीं है, भूमिहीन किसान योजना का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिनके पास एक भी एकड़ जमीन नहीं है, वह उनका पैसा है ? यह उनका अधिकार है, आज आप उन लोगों को त्राहि-त्राहि मचा कर रखे हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम पूँजीगत व्यय में यह कर रहे हैं, आंकड़ा है । आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, जब तक धरातल में लोगों का काम नहीं होगा, तब तक आंकड़ा का कोई महत्व नहीं है । आप भूमिहीन किसानों का पैसा जारी कर दीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा जारी नहीं हो रहा है । सभापति महोदय, मेरे यहां पलारी गांव है, वहां समूह की महिलाओं ने 2 महीने भोजन दिया है, उसमें अण्डा है, दाल है, चावल है, सब है । उनका पैसा नहीं दिया है अब समूह वाली महिलायें गरम भोजन देना बंद कर दी है, उनका पैसा क्यों रोक दिया गया है ? समूह की महिलायें अपने जेब से खर्च कर रही हैं, उस पैसों को भी इन लोग नहीं दिये हैं । पलारी गांव का यह मामला है, समूह की महिलायें खुद से खाना बनाकर अण्डा परोसी है, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है, बेचारी गरीब महिलाओं का पैसा आप क्यों रोकते हो ? सभापति जी, मितानिन भी यही कहती है कि 9 महीने वह लगातार सेवा करती है..।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति जी, अण्डा कहां परोसा गया था ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पलारी में ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आंगनबाड़ी में तो बंद है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उन लोग अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में खिलाये हैं । आप लोग तो वैसे भी खाना देना बंद कर दिये हो । महिला बाल विकास मंत्री बैठी है।

श्री रामकुमार यादव :- 1000 रूपया मिलय । मितानिन ला डायरेक्ट मिलय ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं महिला बाल विकास मंत्री जी से बोलना चाहती हूँ कि गर्म भोजन जो आप बंद कर दिये हो और एक तरफ बोल रहे हैं कि कूपोषण दूर हो रहा है ? आप गरम भोजन चालू करिए जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में लगातार चल रही थी।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- संगीता जी, आप लोग कौन से फंड से देते थे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कोई भी फंड हो, हम जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं, हम जनता के लिए हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप जनता के लिए हो। महिला बाल विकास विभाग में अगर गर्म भोजन देने का आता है तो दे दीजिये।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- संगीता जी, महिला एवं बाल विकास का नहीं था, वह पंचायत का पैसा होता था। पंचायत के मूलभूत से दिया जाता था।

सभापति महोदय :- मरपची जी बैठिए न।

श्री सुशांत शुक्ला :- स्व-सहायता समूहों का रोजगार छीनने वाले, आप बड़ा प्रति प्रश्न कर रहे हैं। उसका जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने दो साल में कितना दिया है? 2 साल में कितने स्व-सहायता समूह के रोजगार दे दिये हैं, ये भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आम आदमी के अंडा ला तुमन खा दे हो। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- पांच साल तक 500 रूपये नहीं दे पाए और प्रति प्रश्न कर रहे हैं। ये आपको बताना होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी 20 मिनट से ज्यादा हो गए। अब समाप्त करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अंडा वाले को छोड़ देती हूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अंडे-अंडे को सुनकर परेशान हो गए, अंडे से आगे बढ़िये। मुर्गी, मुर्गा और कुछ आगे बढ़िये। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- वैसे ललित जी की विधानसभा में अंडा के आगे फुंडा पड़ता है। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सभी जगह हुआ है और सभी ने बहुत-बहुत बड़े आंकड़ों में शादी की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जितने भी नियम

कानून हैं, धज्जियां उड़ा दिये हैं। सभापति महोदय, क्या एक शादी होने के बाद दूसरी शादी हो सकती है ? क्या हिन्दू धर्म में ये नियम है? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, क्या हिन्दू धर्म में ये नियम है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- तलाक के बाद होती है न।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप लोगों से मत पूछिये। माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देंगे, वित्त मंत्री जी के विनियोग पर चर्चा है। आप सबसे मत पूछिये ना, आप अपनी बात रखिये, वे बतायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वैसे तलाक के बाद होती है। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बिना तलाक करे, बिना तलाक करे।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी ए मन अईसे पार्टी के नेता मानथे जे शादी करके छोड़ दीस। ओमन का जाने।

श्री चैतराम अटामी :- रामकुमार जी अपनी चिंता कर लें। दूसरे की चिंता कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- आप अपनी चिंता करिए फिर दूसरे की चिंता करना। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- रामकुमार जी, अगली बार निवेदन करेंगे, एक जोड़ा इनको भी बैठा दें। तकलीफ हो रही है, अभी तक रामकुमार जी को जोड़ा नहीं मिला है, अगला जोड़े में इनका नाम लिखवा दें, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। एक जोड़ा यहां से भी आना चाहिए। तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में क्या-क्या लाभ हैं।

श्री आशाराम नेताम :- उनको महतारी वंदन भी देंगे, सरकार की योजना का लाभ भी देंगे और प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। रामकुमार को हमारी सरकार की पूरी योजना का लाभ देंगे।

सभापति महोदय :- संगीता जी समाप्त करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में पूरे नियम का उल्लंघन हुआ है। मैं अपने यहां का जांच करवा चुकी हूँ, मैं आपके पटल में रख दूंगी। जो डेढ़ साल पहले शादी कर चुकी हैं, जिनकी दो-तीन साल पहले शादी हो चुकी है, उनकी शादी डबल हुई है। कितनी लज्जा की बात है, जिनकी शादी पहले हो चुकी है। उसमें प्रभारी मंत्री का पैरेंट्स के साथ मीटिंग होती है, कहीं पर पैरेंट्स की मीटिंग नहीं ली गई। अगर किसी बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है परिजन को 10-10 लोग को उपस्थित होना आवश्यक है। यहां पर किसी कानून का, किसी नियम का पालन नहीं हुआ है। मेरे यहां एक तो ऐसा है, 30 लोगों की शादी हुई है, मैंने कहा लिस्ट लाईए, 28 लोगों का लाए, मैं केहेव दो इन कहां हे, एक इन तो नई अईस कथे, दूसरा ला लाकर शादी करेन। क्या तुरंत शादी हो जाती है? क्या तुरंत दूल्हा-दुल्हन का जोड़ा तैयार हो जायेगा? क्या बिना पंजीयन के दूल्हा-दुल्हन आकर शादी कर लेंगे? मुख्यमंत्री कन्या विवाह में पूरा भ्रष्टाचार है। आप उसमें जांच करवाइये और कितना भ्रष्टाचार हुआ है, आप दिखवा लीजिये। आपके विभाग वाले आपको धोखा दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी चलिए समाप्त करिये ।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अभी जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, काहे कि मोर विभाग के विषय हे और इतना बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगावत हे तो 5 साल में भी तो ऐसे होय रिहिस होही, ओला भी निकलवाही का ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप निकलवा लीजिए न।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बार हमर जो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना हे, ओमे हमर माननीय सदस्य 6,000 से अधिक रिकॉर्ड तोड़ सामूहिक विवाह करवाए रीहिन। अवार्ड भी मिलिस हे। यह मुख्यमंत्री जी के सुशासन हे अउ ए बार आप अउ ज्यादा करवाहूं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो चाहूं कि हमर संगीता दीदी हर राम भैया ला बोले कि ओ भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी करवा ले ताकि उहु ला हमन लाभ दिला देबो।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, बैठिये। संगीता जी, अब समाप्त करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात हमेशा आती है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माफ कीजिएगा, अभी माननीय मंत्री जी ने क्या कहा सुना, उसको आपने सुना?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कहा।

डॉ. चरणदास महंत :- जी नहीं। उन्होंने कहा कि आप भी शादी करा लें, आपका भी खर्च दे देंगे। यही बोले न?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, रामकुमार जी के लिए कहा।

डॉ. चरणदास महंत :- रामकुमार जी को कहा। इनको तो नहीं बोला है? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप मोर खर्चा ला जानत हो कि कतका हे, तेला?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- हां तो मैं बिल देहुं। अगर वतका अकन ला दिहुं तो मैं शादी कर लुहुं। (हंसी)

श्रीमती भावना बोहरा :- कतका कन हे, तेनो ला बता दे। अतका बात होगे तो कतका कन हे, तेनो ला बता दे। अतका झन दिखे रीहिस हे, ओमे से थोड़ा हमु मन निकाल के उही में करवा देबो फेर। अतका अकन दिखे रीहिस हे, यहां से बाहर निकल के बताबे।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, ओ कुछ नो हे। मैं बताहूं।

सभापति महोदय :- भावना जी, रामकुमार जी, आप लोग आपस में बात करते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बहिनी, आप ला धन्यवाद। आप कम से कम ओखर भावना ला समझे हो। (हंसी)

श्रीमती भावना बोहरा :- भैया, मोर नाम भावना हे तो मोला सबके भावना ला समझेल पड़ही। मोर बिना तो इहा काम नहीं चले। (हंसी)

सभापति महोदय :- संगीता जी, समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जब सरकार बनी तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे। आज वह सांसद निर्वाचित हो गये हैं। इसी सदन में उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। उनको तो इन लोगों ने भेदभावपूर्वक दिल्ली भेज दिया। आज यदि वह रहते तो वाकई 33,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाती। यहां बेरोजगार बच्चे भटक रहे हैं। पढ़-लिखकर, डी.एड., बी.एड. करके बेरोजगार साथी लोग आते हैं। डी.एड. वाले हड़ताल में बैठे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। डी.एड. वाले बच्चे लगातार तीन-तीन, चार-चार महीने तक हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्चे पढ़-लिखकर घूम रहे हैं, लेकिन आज तक 33,000 शिक्षकों की भर्ती को नहीं खोला गया। इसी तरह पेंशन योजना में विसंगति है। उसके संबंध में मैं बोल चुकी हूं कि उसको आप थोड़ा दूर कीजिए। पेंशन में विसंगति है। जो रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। उनको भी पेंशन दिलाने की कृपा करें। युक्तिकरण में हम देख रहे हैं कि शिक्षकों का हाल बेहाल है। हमने इनको शिक्षकों की भर्ती करने के लिए कहा तो यह लोग शिक्षकों को ही बचा डाले। इन्होंने स्कूलों को मर्ज कर दिया और टारगेट दे दिया कि इतने बच्चे में इतने शिक्षक रहेंगे। मैं एक गांव में दौरे में गई थी तो वहां पर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। आपके शासनकाल में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। उस स्कूल में दो शिक्षक हैं। जो हेड मास्टर है, वह मीटिंग में गया था और जो एक टीचर था, वह इतने बच्चों को मैं कैसे संभालूंगा करके उनको झाड़ू सफाई में लगा दिया। आपने शिक्षकों को क्या समझ रखा है? शिक्षक आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। आज आप लोग उनको एस.आई.आर. में कुकुर गिनवा रहे हो। समय की कमी के कारण मैं उसकी पूरी डिटेल् नहीं करूंगी। उनके पास समय नहीं है। हर काम में उनकी इयूटी लगा रहे हैं, उनसे कुकुर गिनवा रहे हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, अब आप समाप्त करिये। आपको आधा घण्टा से ज्यादा हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, दो मिनट। शिक्षकों की ओर विशेष ध्यान दें, शिक्षा विभाग में भर्ती लें, हमारे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, उनको आप रोजगार दिलाएं। मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूंगी। आप 1000 रुपये तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हजारों रुपये लूट रहे हैं। आप जनता से लूटने का काम कर रहे हैं। जो महिला सबेरे 6:00 बजे घर से निकलती है और रात को आती है, दो घंटे बिजली जलाती है, उसका 5000 रुपये का बिल आता है। मतलब जिस घर में लाइट ही नहीं है। एक आदमी बोलता है कि मैं लाइट चालू ही नहीं करता हूं। उसकी फल की दुकान है। वह लोग सुबह 6:00 बजे से फल की दुकान लगा लेते हैं और रात को 9:00 बजे घर जा रहे हैं, वह खाना खाते हैं और सोते हैं, लेकिन उनका 5-5, 6-6 हजार रुपये बिल आता है। कहां से सोलर ऊर्जा आ गया? लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं। सोलर पैनल के चक्कर में एक मौत हुई है। सोलर पैनल को साफ करते एक मौत हुई है। उसको भी मैं पटल में रख दूंगी। आप लोग बिजली बिल का रेट कम करिये। किसान भाई परेशान हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ने बिजली बिल हॉफ की थी, उन्होंने राज्य के लिए सबसे बड़ी योजना लायी थी। आपकी सरकार ने बिजली बिल हॉफ योजना का समर्थन किया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने नकली बिजली बिल हॉफ की थी तो आप लोगों को जनता ने साफ कर दिया। (हंसी) आप लोगों को साफ किया कि नहीं किया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चलिये ठीक है। जनता ने हमको साफ कर दिया इसलिए तो हम आपसे आगाह कर रहे हैं कि आप साफ मत होईये। आप जनता के लिए काम करिये। आप जनता को काम करके दिखाईये। जनता ने आपको उसी के लिए लाया है। सभापति महोदय, यह आत्मानंद स्कूल के बारे में बोल रहे थे।

सभापति महोदय :- संगीता जी, दो मिनट में समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, चंद्राकर जी ने हमको बहुत टॉर्चर किया है।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में समाप्त करिये क्योंकि और भी वक्ता हैं, मैं उनको भी अवसर दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, उस सरकार में तो आपकी भी नहीं चलती थी। मैं वहां कई लोगों को जानता हूं। मैं वहां बैठता भी था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं चन्द्राकर जी की बातों का दो-चार जवाब दे देती हूं। मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं दिया गया था। चंद्राकर जी ने बैठे-बैठे हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया है। हम जवाब भी नहीं दे पाते थे। वह बड़ा जोरदार फेंकते थे। आपने 5 सालों में क्या किया ?

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, कितनी गलत बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अभी देवेन्द्र जी ने माईक में बोला है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप देवेन्द्र बाबू का नाम बदलकर नीलकंठ रख दीजिये। दशहरा में जैसे नीलकंठ देखना शुभ मानते हैं, वैसे ही वह विधान सभा में दशहरा समझकर नीलकंठ बनकर कभी-कभी आते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- दशहरा में देखना शुभ मानते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे विधान सभा में पर्यटन के लिए आते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- लेकिन दशहरा तो साल में एक ही बार आता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी तो पर्यटन में बोलने का विषय था।

डॉ. चरणदास महंत :- दशहरा बार-बार नहीं आता, एक ही बार आता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह पर्यटन में बोलने का विषय था कि देवेन्द्र यादव बलौदा-बाजार पहुंचे तो पहुंचे कैसे ? और क्यों पहुंचे ? उनको किसने भेजा ? यह न्यायिक जांच का विषय है।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति महोदय, इनके साथ बहुत बड़ा षडयंत्र हो रहा है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग कर रहे हैं ना ? (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- आपके दल वाले कर रहे हैं और दो नंबर वाले ज्यादा कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, देवेन्द्र बाबू ने कल भी पूरी महफिल लूट ली। पूरे सोशल मीडिया में इन्हीं का वीडियो चल रहा है, वह ऐसे आगे-पीछे आ जा रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी ला मंत्री नइ बनाये हन। ओ सदन के नो हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल तो आप मन के अता पता नहीं रिहीस। आप मन कल गरबा करने चल दिये रिहीस लगत हे।

श्री रामकुमार यादव :- हमर अमर अग्रवाल जी वित्त मंत्री जी कतका सुंदर बोलत हावय जैसे ओकर हाथ में लिखाये हे। ओ हर षडयंत्र नो हे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, आप मन गरूवा चलाये चल दे रिहीसे, लगत हे। आप मन दूहे ले चल दे रिहीस।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये। संगीता जी, समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, दो मिनट। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने आत्मानंद स्कूल योजना लायी, जिसके तहत इंग्लिस मीडियम स्कूल खोले गये और गरीब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिली। हमने गोधन न्याय योजना लायी, वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाया, जिसमें हमारे गांव की महिलाओं को वहां रोजगार मिला और गोधन न्याय योजना से सब लोगों ने सोना, सायकल, मोटरसायकल और सब कुछ लिये।

सभापति महोदय, हमने भूमिहीन किसान योजना, बेरोजगारी भत्ता, हाट बाजार क्लीनिक योजना, रीपा योजना, ओलंपिक गेम्स और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लायी। सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन-सी योजना लायी है ? आपने तो वह पैसा भी नहीं दिया जो हमारी सरकार में बजट में पास हो चुका था, आपने उसको भी वापस ले लिया।

सभापति महोदय, इन्होंने पिछले 5 साल सिर्फ गोधन न्याय योजना का विरोध किया है और साथ में शराब का विरोध किया है। शराब भट्ठी बंद की जाये। सभापति महोदय, इनके काल में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने रायपुर में शनिवार के दिन बेटियों के लिए शराब फ्री की थी। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दे दूंगी। पहले 76 शराब भट्ठियां थीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों ने पिछले 5 सालों में गलत-गलत जगह शराब बेचकर सबको बिगाड़ दिया है। हम उसको धीरे से ठीक करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप मेरा समय मत काटियेगा। यह फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सिर्फ 76 शराब भट्ठियां थीं और आपने नई भट्ठियां खोलकर उसको 741 कर दिया। इसमें लज्जा की बात तो तब होती है, जब महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर भी आपने शराब भट्ठी खुली रखी। यह बहुत लज्जाजनक बात है।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, मैं आपका भाषण सुनकर आया हूँ, आप शराब के बारे में अच्छा बोल रही हैं। आपका शराब से क्या लेना देना है ? आप एक चीज बताइये कि कोविड काल में तो आपने ऑनलाईन घर पहुंच सेवा दी थी। आपने होम डिलीवरी दी थी। आप इतना अच्छा बोलती हैं लेकिन आज विनियोग के ऊपर जिनको बोलना था, जो पूर्व सब कुछ थे, वह पलायन क्यों कर गये? जिनको बोलना था, जब अवसर आया कि प्रदेश का आइना रखना चाहिए, यहां नेता जी बैठे रहते हैं, वह बहिर्गमन करके चल देते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उनको आवश्यक काम से जाना पड़ा। हम हैं न। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हैं।

श्री राजेश मूणत :- वह तो नेता जी हमारे आदरणीय हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम लोग आपको सब चीज रिकार्ड देंगे।

श्री राजेश मूणत :- वह आप मानो या न मानो, हम तो मानते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम हर चीज का पटल में रखेंगे।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आपको अजय जी बहुत अच्छा मानते हैं। कल देवेन्द्र यादव जी थे, देवेन्द्र यादव जी बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा किये। लेकिन कल क्या कबड्डी खेल रहे थे ? कल तो हम पहली बार देखे। हम भी इतना करते-करते विपक्ष में रहकर आये हैं। आपने दौड़-दौड़ कर इतनी

पहलवानी दिखाई, टीन के ऊपर एक पैर मारकर वापिस आ गये। जैसे कबड्डी खेलने जाते हैं और छूकर के आ जाते हैं। वह छूकर आ गये। मैंने कहा कि ये क्या भाई ?

श्री देवेन्द्र यादव :- भैया मैं तो सही बताऊं कि कल मुझे आपका पिछले कार्यकाल में प्रदर्शन याद आ गया था। जब आप वहां पर खड़े होकर बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे न।

श्री राजेश मूणत :- सुनिये, देवेन्द्र भाई, ये किसी के नहीं होते हैं। सुनिये साहब जो हकीकत है उसको स्वीकार कर लीजिये। वह अपना कर्तव्य करते हैं और आप अपना कर्तव्य करते हैं। विपक्ष का काम आवाज उठाना है, लेकिन पाला छूने का काम नहीं होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- देवेन्द्र जी, आप विनियोग में बताना कि बलौदाबाजार कैसे गये थे।

सभापति महोदय :- राजेश जी, बैठिये। आपने बात रख दी। संगीता जी, समाप्त करिये। 5.00 बजे तक इसका पारण करना है, आपने बहुत बोला। नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्री जी को भी बोलना है। आप समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार है, कोरोनाकाल में ऑक्सीजन दी, बाहर में जो फसे थे, उनको लाने का काम किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह आप 02 मिनट वाला कौन सी घडी का इस्तेमाल करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा बस निवेदन है कि ये सरकार हमेशा बजट तो लाती है, लेकिन उसका पूर्ण उपयोग नहीं करती है। मंत्रियों को लेटर लिखा जाता है। मैं निवेदन करती हूं कि अगर आप बजट लाते हैं और जितने भी बजट में आते हैं, उसे पूरा किया जाये। खास तौर पर भूमिहीन किसान योजना के तहत जो राशि है, उसको तुरंत ट्रांसफर किया जाये। ये निवेदन करते मैं इस विनियोग का विरोध करती हूं और अपनी वाणी को विराम देती हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इस सदन में आज 2026-27 के विनियोग विधेयक के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूं। यह मात्र आय-व्यय का लेखा जोखा नहीं है और छत्तीसगढ़ का समग्र विकास, संतुलित और समावेशी विकास का ये एक रोडमैप है। ये बजट राज्य की जनता और विशेष तौर पर हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सभी प्रकार से हमारे जो युवा हैं, हमारे जो श्रमिक काम करने वाले हैं, कृषक हैं, चाहे हमारे उद्योग का मामला हो, चाहे विकास की तमाम जितनी भी संभावनायें हैं विशेषकर वंचित वर्ग को संबल प्रदान करने वाला, उसको सुदृढ़ और व्यवस्थित करने की दृष्टि से ये सब प्रतिबद्धता का परिचायक भी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का विनिमय प्रस्ताव इस राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ताकत प्रदान करने वाला है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत-बहुत अभिनंदन है। क्योंकि 1 लाख 87

हजार 500 करोड़ रुपये का विनियोग का आपने आकार प्रस्तुत किया है। जिसके पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि कर बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार का सृजन और आर्थिक गतिविधियों को और तेज गति से उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया है। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संतुलन के माध्यम से वित्तीय अनुशासन एवं विकास के बीच सामंजस्य को बहुत अच्छे से स्थापित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व मैं अपने विद्वान वक्ताओं को और अन्य वरिष्ठ साथियों को भी सुन रहा था और मेरा तो यह मानना है कि चाहे वह कृषि हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे हमारे लोक निर्माण की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से ऐसे सभी की दृष्टि से देखें तो मैं बधाई देता हूँ। विशेषकर जब मैं सिंचाई परियोजना के विषय में बात करता हूँ, मैंने कल इस बात को सदन में रखा था। जहां तक कृषि की बात है और सिंचाई दोनों इस तरह से संबद्ध हैं कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और है भी। समूचा छत्तीसगढ़ कृषि आधारित है और हमारा देश भी कृषि प्रधान है और यह हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। छत्तीसगढ़ की जो पहचान देश में है और उसमें हमारा चाहे वह किसान हो, खेती हो, हमारे किसान हों, हमारे अन्नदाता हों उसके रूप में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान है और प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे रूप से खेती-किसानी से जुड़ी हुई है, कृषक के रूप में है। अब तो ऐसा हो गया है कि पहले किसान जो केवल खेती करते थे अब वह लोग भी जो शहर में रहते हैं और अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं लेकिन अगर हम देखने जायें तो वह भी किसी न किसी फॉर्म हाऊस या किसी अन्य किसान की खेती-किसानी की योजना से जुड़ गये हैं। अन्न के महत्व को रखा है, सरकार ने किसानों के हितों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार गठन के बाद शुरुआत में ही वर्ष 2014-15 में धान उत्पादन प्रोत्साहन की जो लंबित राशि है। वह 3675 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। कृषक उन्नति योजना के तहत और मोदी जी की गारंटी बार-बार यह विषय आता है कि डबल इंजन की सरकार और मोदी जी की गारंटी तो स्वाभाविक रूप से यह है और इसमें परिलक्षित भी होता है। कृषक उन्नति योजना के तहत कृषकों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान और 3100 रुपये में प्रति क्विंटल धान से खरीदी का निर्णय। हम हमेशा यह कहते हैं कि हम जो कहते हैं, हम वह करते हैं। हमने जो कहा है वह हमने किया है। साथ में मोदी हैं तो मुमकिन है। (मेजों की थपथपाहट) इस दृष्टि से अभी 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी, यह छोटी बात नहीं है। हमारा जो खरीफ का सीजन होता है, वर्ष 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गयी, पिछले 3 खरीफ सीजन में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गयी जिससे किसानों के खाते में 1 लाख 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) यह एक उपलब्धि है। कृषक उन्नति योजना को सशक्त बनाने की दृष्टि से इस वर्ष मुख्य रूप से केवल धान ही नहीं मक्का, दलहन-तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी और कपास को भी

इस योजना में सम्मिलित किया गया है तथा वर्ष 2026-27 के लिये बजट की इस योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसान भाईयों को, हमारे किसान परिवार में कृषि पम्पों के लिये निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान हो। मार्कफेड को धान उपार्जन हेतु 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान। ऐसे प्रदेश में अपने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के लिये 40 करोड़, National Mission on Edible Oil के लिये 90 करोड़, दलहन आत्मनिर्भर मिशन के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भी केवल तेल, दलहन, सब्जी इन सारी चीजों को इसमें समाहित करते हुए हमारी खेती को बढ़ावा देने की दृष्टि से और समेकित उद्यानिकी योजना को प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारी फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रुपये, एकीकृत वॉटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 170 करोड़ रुपये, कृषक समग्र विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही किसान और सिंचाई को लेकर इस बात को कहा। अगर मैं हमारे बस्तर की बता कहूं तो पहले बस्तर में सिंचाई का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। उस समय कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। हमारा बस्तर का किसान या तो मौसम के ऊपर निर्भर रहता था और उसमें भी मार झेलता था, अत्यधिक वर्षा में परेशानी होती थी, कम वर्षा हो गयी तो परेशानी होती थी और अगर सूखा पड़ गया तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस ओर सोचा और इसके लिए बजट प्रावधान किया है। हमारी जो बस्तर की प्राणदायिनी इन्द्रावती नदी है और उस पर हमारे जगदलपुर शहर में ही महादेव घाट पर 100 करोड़ रुपये के बैराज बनाने का निर्णय लिया है और जो उसके लिए प्रावधान किया है वह वास्तव में अद्भुत है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे मटनार से लेकर अन्य और सिंचाई को लेकर लगभग 68 किलोमीटर का ऐसा एक मैप तैयार किया और उद्वहन सिंचाई परियोजना को लेकर करीब 2 हजार 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का प्रावधान किया है, जो बस्तर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरह से जब हम प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात करते हैं, मैं इसमें आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग की बात रखना चाहूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ की एक विशेषता है कि हमारा छत्तीसगढ़ मध्य में स्थित है, 7 हमारे अन्य सीमावर्ती राज्यों से मिलकर, हमारा छत्तीसगढ़ मध्य में है। यहां पर जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और हमारे राज्य से राज्य को जोड़ने की बात है, क्योंकि यह सीमाओं से घिरा हुआ है उसके लिए विभिन्न मार्गों हेतु जो उसका एक मात्र मुख्य उद्देश्य जो रहता है जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास हो, विकास की दृष्टि से सामाजिक उन्नित हो, औद्योगिक रूप से विकास की दृष्टि से हो, यह ऐसे समग्र रूप से विकास की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक होता है।

इस दृष्टि से सरकार ने राज्य में सड़क अधोसंरचना के साथ-साथ पुल-पुलिया के निर्माण का काम भी किया है। अगर हम प्रारंभ के वर्षों में सड़कों की स्थिति पर ध्यान दें तो इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई-दो वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2001-2002 में लोक निर्माण विभाग के बजट को देखने से ही यह परिलक्षित हो जाएगा, जो पूर्व में 308.54 करोड़ रुपये था जो विकास की आवश्यकता और प्रगति को ध्यान में रखते हुए, 9 हजार 451 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो राज्य के विकास की गति एवं सरकार के संकल्प का जीता जागता प्रमाण है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य गठन के समय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल 17 हजार 500 किलोमीटर सड़क थीं, जो बढ़कर 35 हजार 642 किलोमीटर हो गयी है। एक महत्वपूर्ण योजना पर कहना चाहूंगा जिसे आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने रखा है मैं विस्तार से दो लाईनों में कहना चाहूंगा जो द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना प्रारंभ की गयी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें ऐसे 19 राज्य स्तरीय ऐसे द्रुतगामी सड़कों का निर्माण होगा तथा विशेषकर हमारे बस्तर क्षेत्र के विषय में रखूं तो ऐसे 17 द्रुतगामी सड़कों के निर्माण प्रस्तावित हैं। इस हेतु 2000 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है, इसमें इस हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसकी बहुत आवश्यकता थी क्योंकि हमारे विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने में सड़कों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि हर वर्ष जब वर्षा ऋतु आती है तो उसके आवागमन के सुविधा की दृष्टि से कई पुल पुलिया हैं अगर ऐसे कई सुविधाओं के अभाव में वह क्षेत्र कट जाता है, ऐसे पहुंचविहीन गांवों में 12 महीने लगातार संपर्क स्थापित हो सके, इसके लिए पुल-पुलिया निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में 1162 नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 8 हजार 329 करोड़ रुपये है। इस बजट में इसके लिए 837 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 300 पुराने भी नये पुलों के निर्माण के लिए बजट में 163 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 1670 करोड़ रुपए है। इसेसे तेजी से काम होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में समग्र विकास की बात होती है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेव्हपलमेंट, सड़कों का निर्माण, पुन-पुलियों का निर्माण सब कुछ इसमें समाहित है। इसी प्रकार से बड़े पुलों का निर्माण मैं शुरू से ही देख रहा हूं। जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में मैंने देखा, उस समय बड़े-बड़े पुलों का निर्माण जिस तेज गति से हुआ था, चाहे वह इन्द्रावती नदी हो, चाहे सबरी नदी हो, चाहे महानदी का मामला हो, शिवनाथ नदी का मामला हो, उसे और तेजी से आगे बढ़ाते हुए बड़े पुलों के निर्माण के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, हमारे स्कूल शिक्षा के विभाग का मामला हो। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में जब भी बात होती है तो दोनों पक्ष के सदस्य इस विषय को रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं हमारे प्रदेश का सम्पूर्ण विकास हो, चाहे वह क्षेत्रगत हो, चाहे वह हमारे स्वयं व्यक्तिगत

जीवन का विकास हो, हमारे सभी प्रकार के विकास का जो आधार होता है, वह शिक्षा होती है तो बेहतर शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के लिए नये विकल्प एवं हमारे नौनिहाल हैं, उनके बच्चों का भविष्य आगे बढ़े और वे सक्षम हों। देश के विकास में अपनी सशक्त भूमिका का निर्माण करें, इस दृष्टि से सिर्फ ज्ञान अर्जित न करें, बल्कि शिक्षा सभी प्रकार से समग्र हो। चाहे खेल के लिए हो, चाहे मानसिक स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22360 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 500 प्राथमिक शाला भवन, 100 पूर्व माध्यमिक शाला भवन तथा 50-50 हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित 700 विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह इस बात का द्योतक भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक बस्तर का वह क्षेत्र, जो नियद नेल्लानार से अब वहां के कार्यक्रम और योजना से जुड़ रहा है, वहां तक के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिले, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में आपके माध्यम से बात रखना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा (USHA) के अंतर्गत जो महाविद्यालय के सुदृढीकरण के लिए राज्य के 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 5 करोड़ रूपए की अनुदान राशि दी जाएगी। जब हम विभागीय मांग का विषय आया था, बजट के अंतर्गत मांग की बात आई थी, उसमें लगभग सदस्यों ने इसकी मांग की थी। मैंने यह बात ज्यादा सुनी थी कि महाविद्यालयों का सुदृढीकरण और उसके लिए राशि की मांग की गई है। 12 शासकीय महाविद्यालयों में से प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 5-5 करोड़ की अनुदान राशि दी जाएगी, उसमें शैक्षणिक भवनों का निर्माण, प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण, पुस्तकालयों का विस्तार, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे तीन विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विश्वविद्यालयों को 20-20 करोड़ रूपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूँ।

आदरणीय वित्त मंत्री जी का एक विषय है, जिस पर हमेशा चर्चा होती है और इसका सीधा संबंध हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, हमारे पूंजीगत आय-व्यय और सभी दृष्टि से किया जाता है कि किसी भी राज्य के विकास का मापदण्ड रहती हैं, सामाजिक कल्याण से लेकर कार्यक्रम, अधोसंरचना का विकास सारी व्यवस्था के तहत और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ये हमारे कर संग्रहण पर निर्भर करती है। मैं उस क्षेत्र से हूँ, जहां बहुत सारे लोगों ने काम किया है। चाहे वह हमारा नगरीय पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर और इस दृष्टि से 2024-25 में वाणिज्यिक कर से राज्य का कुल

राजस्व संग्रहण 23454 करोड़ रूपए हो गए हैं। यह अपने आप में एक रिकार्ड है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। हमारे इस राजस्व में से केवल जी.एस.टी. से प्राप्त राजस्व 16,298 करोड़ रूपये रहा है, जो कि 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक डीजल पर वेट की दर को 23 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आम नागरिकों को राहत देने की दृष्टि से किया गया है। आज हम पूरे विश्व को देख रहे हैं, जैसा युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसके बारे में विषय में भी आया था। हमारे विपक्ष के सदस्यों ने भी विषय लिया था कि सिलेण्डरों मार है, पेट्रोल-डीजल का आवक कम हो गया है। मैं उस विषय को लेकर बोलूंगा कि 1 अप्रैल से आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से सन् 2025 से पेट्रोल पर 1 रूपया प्रति लीटर कमी करने का निर्णय लिया गया था। यह बहुत ही साहसिक निर्णय है। आज पूरे विश्व में जो स्थिति है, आज सिर्फ हमारा ही एक देश है..।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति जी, दल के माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1 रूपया कमी करने का निर्णय इस साल का है पहले का ?

श्री किरण देव :- नहीं, पहले का निर्णय है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं वही पूछ रहा था।

श्री किरण देव :- सभापति महोदय, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बार-बार यह विषय..।

डॉ. चरणदास महंत :- खाड़ी देश में तो अभी भी युद्ध हो रहा है।

श्री किरण देव :- इसको बराबर कन्टीन्यू किया गया है, उसके लिए बधाई देना है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं समझा कि आप 1 रूपया और कम कर दिया गया होगा, आपकी बात से ऐसा लगा।

श्री किरण देव :- सभापति महोदय, वह सतत चल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। आज के वर्तमान परिदृश्य से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, मैं उस पर आते-आते रूक गया था। आज विश्व में क्या स्थिति है ? आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में न्यूज समाचार-पत्रों में देखे, आज युद्ध ईरान-अमेरिका-ईजराइल का युद्ध चल रहा है, आज विश्व के सारे देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज पाकिस्तान में 323 या 325 रूपया प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। वहां पर लॉकडाउन हो गया है। वहां गैस सिलेण्डर की आपूर्ति बंद है। वहां शासकीय कार्यालय आधे बंद हैं। जो शासकीय कार्यों में लगी हुई गाड़ियां हैं, उसमें से आधे बंद हैं। यह तो मोदी जी की विदेश नीति है, उससे यह परिलक्षित होता है कि पेट्रोल की खेप ईरान और अन्य खाड़ी देशों से निरंतर आना बना हुआ है। उसको कोई रोक-टोक नहीं सकता है, यह मोदी की नीति है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, ..।

सभापति महोदय :- देवेन्द्र जी, इसके बाद आप ही की बारी है। इनके बाद आप ही को बोलना है, तब आप अपनी बात रख लीजियेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, काफी तारीफें हो रही हैं। विदेश नीति के बारे में बात की जा रही है। तो मुझे लगा कि मैं दो मिनट बोल दूँ। आज के समय में अमेरिका हमारी विदेश नीति तय करती है कि भारत कहां क्या करेगा ? वह हमको आर्डर फाम में रिस्पांस करती है और हम उनके पीछे खड़े रहते हैं। भारत का यह हाल बना दिया है और इसके बाद विदेश नीति की बात करते हैं।

श्री किरण देव :- आदरणीय सभापति जी, बड़ा दुःख होता है। जब मैं ऐसी बात सामने के किसी वरिष्ठ सदस्य से सुनता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- देवेन्द्र को बोलना है कि यह ईरान इराक युद्ध में जाओगे तो किस तरफ से लड़ना चाहते हो, बताओ ? आपको उसी तरफ से लड़ने के लिए भेजेंगे। कहां से लड़ोगे बताओ ?

श्री देवेन्द्र यादव :- आदरणीय, आप सदन के हमारे अमिताभ बच्चन हो। हम तो आप ही पीछे रहेंगे। आप जहां से खड़े होओगे, लाइन वहीं से शुरू होती है। हम उसके पीछे खड़े हो जायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे यहां ईरान से तेल आना है। हम उसी के तरफ हैं। आपको क्या कहना है बताओ ?

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हमको अभी ईरान से तेल मंगाना है, हम उसी के तरफ हैं। आपको कहना है बताओ ?

श्री देवेन्द्र यादव :- हम तो आप ही तरफ हैं, हम तो पहले ही बोले हैं कि हमें आपसे मतलब है।

श्री धर्मजीत सिंह :- फिर छोड़ो। पेट्रोल-डीजल सब आते रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि मंत्री जी इनके यहां 5 सौ सिलेण्डर भिजवाओ। बिलकुल मत बात करो। (हंसी)

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह विषय इसलिए लिया क्योंकि हमारे आदरणीय नेता जी ने उस विषय को लिया। इसलिए मैंने कहा कि इसको कन्टीन्यू रखा गया है। वहां बड़ा सिर्फ यहां कह रहा हूँ इसलिए नहीं है। यह हमारा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि इतनी ज्यादा आपा-धापी के बाद भी अगर कोई एक देश अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके निर्णयों के सामने घुटने नहीं टेका तो वह हमारा देश है, वह हमारा भारत है, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। (मेजों की थपथपाहट) जितना टैरिफ लगाना है लगा लो। जो बात सही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें यह दल वह दल, बिलकुल नहीं होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में हमारा देश इस स्थिति में है, इस सुदृढ़ स्थिति में है उसके लिए हमारे देश के नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) यह कोई बढ़ाई की बात नहीं है। मैं अभी सुन रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, एक बात सुनिए, आप इनके सामने देश की बात कर रहे हो, वे तो देश की बातें ही नहीं करते।

श्री किरण देव :- अब मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि सीधे-सीधे चलूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नेहरू, गांधी खानदान के बारे में कुछ बताइए तो वे ध्यान से कान खड़े करके सुनेंगे, देश की बात वे समझेंगे ही नहीं। देश की बात समझोगे क्या? अच्छा, सुनिए और दूसरी बात आप खड़े हो गए तो। ये जो पैजामा कुर्ता पहने हो, नेहरू जी के समय का है। अब कांग्रेस में टी-शर्ट और जींस पहना जाता है, समझ रहे हो। कांग्रेसी हो, तब जाओ कपड़ा बदल कर आओ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। अभी एक हफ्ते पहले, चूंकि विदेश नीति पर बात हो रही है, एक हफ्ते पहले अमेरिका के मंत्री ने यह कहा कि इंडिया इज अ गुड एक्टर। तो इंडिया, पूरे भारत को इस तरीके से अमेरिका लगातार मजाक बना रहा है और उस पर कोई रिस्पॉन्स, सीरियस रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं आता।

सभापति महोदय :- आपके इसके बाद बोलना है।

श्री देवेन्द्र यादव :- और इसके बाद हमारे यहां पर सम्मानित विधायक जी लोग गुणगान करेंगे, दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे तो भारत कभी यह रहा ही नहीं है। भारत वह रहा है, जहां हर किसी को बोलने की आजादी है, हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है। और भारत वह भारत है, जहां इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा कि इंडिया को क्या करना है और क्या नहीं करना। बांग्लादेश अलग कर दिया पाकिस्तान से, टुकड़े-टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, वह कांग्रेस पार्टी और वह भारत की सोच है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, डोनाल्ड साहब हा बोलथे कि मैं समझौता करवाये हव। बार-बार बोलथे कि मैं समझौता करवाये हव।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए, ऐसा लोकतंत्र हिंदुस्तान में, आप जेल गए तो हमने कोई तकलीफ नहीं होने दी।

श्री रामकुमार यादव :- ओमा काबर तुमन नहीं बोलो कि हमीच मन। ओमा काबर जवाब नहीं दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- देख ते उंचा-उंचा बात करत हस। फेर उंचा-उंचा बात करत हस ते।

श्री देवेन्द्र यादव :- अजय भैया जो बोल रहे हैं मैं अजय भैया के...।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो महंत जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि रामकुमार को..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृह मंत्री जी हैं, आपको कोई तकलीफ हुई जेल में? बताओ भला, आपकी इतनी देख-रेख हुई।

श्री देवेन्द्र यादव :- बहुत चिंता करती थे, सरकार जेल में भी बहुत चिंता करती थी, मेरा उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं महंत जी से आग्रह करूंगा कि रामकुमार का चंद्रपुर का टिकट काट कर इनको बिलासपुर से लोकसभा भेजिये और भिलाई से इनका टिकट काटकर अगली राज्यसभा में भेजने का आप प्रयास करिये, ये लोग राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। आओ उतर के आ जाओ, लौटो छत्तीसगढ़ में हो।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हमको बार-बार विदेश में ही ले जा रहे हैं, हम तो छत्तीसगढ़ की बात बता रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिए तो अब हम भी केंद्रीय बात करेंगे।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप सभी वरिष्ठ सदस्य लोग हैं, आप लोग आपस में ऐसे बात करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं।

सभापति महोदय :- समय की पाबंदी है, 5:00 बजे हम लोगों को खत्म करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, आप दो मिनट बोलते हैं तो कौन सी घड़ी वाला दो मिनट ये फॉलो करते हैं, ये आपने नहीं बताया।

सभापति महोदय :- किरण देव जी।

श्री किरण देव :- आदरणीय सभापति जी। अब तो मेरे को आपका इसलिए संरक्षण चाहिए कि मेरे तो 10, 12, 15 मिनट तो इधर ही चले गए। मैं आपके माध्यम से जो कह रहा था कि राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद कि करदाताओं की सुविधा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023 जो लागू की है, इसके तहत 25,000 तक के कर बकाया को माफ किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को भी राहत प्राप्त हुई है। विषय बहुत है। हमारे लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जा रही है, इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष में 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में सुदृढीकरण के लिए 826 करोड़ रुपये तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढीकरण के लिए 653 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 2,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाओं को सुदृढ बनाना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है। आदरणीय सभापति महोदय, अक्सर मैं हमारे विपक्ष के सभी सम्मानित एक-दो सदस्य वरिष्ठ सदस्यों के मुंह से सुनता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या हमारे विधायक बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये

एक तकिया कलाम टाइप का हुआ है बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँ कि जो बड़े-बड़े काम करते हैं, वे बड़ी-बड़ी बातें ही करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) और छोटी बातों का कोई स्थान ही नहीं। उसको मैं बता सकता हूँ। हमारे श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर बड़ा काम किया। हमारे यहां पर महतारी वंदन का विषय आया, महतारी वंदन का विषय बड़ा काम है। 70 लाख महिलाओं को अगर 1 हजार रुपये उनके खाते में प्रतिमाह जा रहा है, यह तो बड़ा काम है। अब उसमें से 1-2 कहीं आगे-पीछे हो गया तो इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिये, इस बात की तो सरकार को बधाई देनी चाहिये कि आपने जो कहा है वह किया है। यह एक बड़ा काम है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बात करूँ तो पिछले पांच साल में क्या स्थिति रही है, आप ढाई वर्षों में देख लीजिए और उन क्षेत्रों में जहां से नक्सल मुक्त हो रहे हैं, यह बड़ा काम नहीं है। 40 वर्षों से जो बस्तर का क्षेत्र नक्सल आतंक से जूझ रहा था, जो मुक्त होने की कगार पर है, यह बड़ी बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जो बड़ा काम होगा तो बड़ी बात होगी और छोटी बात तो करना भी नहीं है, छोटा काम भी नहीं करना है। आदरणीय सभापति जी, यह प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनता का होता है, जनता सर्वश्रेष्ठ होती है, जनता का निर्णय शिरोधार्य होता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिये अभिनंदन करता हूँ कि इन सवा दो वर्षों में प्रारंभ से ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये, विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऐसे कई निर्णय लिये हैं, उसका परिणाम है। सभापति जी, प्रमाण पत्र का काम कहां है, प्रजातंत्र में प्रमाण पत्र तो जनता देती है और इसलिये छत्तीसगढ़ में न सिर्फ विधान सभा में, विधान सभा के बाद जो सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की जो योजना है, उनसे जो यहां की जनता लाभान्वित हो रही है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे लोक सभा में जनता का आर्शीवाद प्राप्त हुआ, नगरीय निकाय में जनता का आर्शीवाद प्राप्त हुआ, त्रि-स्तरीय में भी जनता का आर्शीवाद प्राप्त हुआ। यह जनता का प्रमाण पत्र है। सभापति महोदय, ऐसी कई योजनाएँ हैं, आदरणीय डॉ.रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दो रुपये किलो चावल देश का रोल मॉडल बना था। वह आज तक संचालित है। यह बड़े-बड़े काम हैं और बड़े काम होते हैं तो बड़ी बात भी होती है। मैं आपके समक्ष सिर्फ इतना कहते हुये कि ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने की दृष्टि से, इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से, आज के इस विनियोग विधेयक, जो समृद्ध छत्तीसगढ़ तथा उनके नागरिकों के सपने को साकार करने की दृष्टि से एक ठोस प्रयास है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि राज्य के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इस विनियोग विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव जी। संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद । आपने वर्ष 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाकर घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिखकर कहा कि यह उनकी गारंटी है । दस्तखत वगैरह के बारे में याद नहीं है, लेकिन पूरा घोषणा-पत्र मोदी जी के नाम पर दिया । चूँकि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके संकल्प और उनकी गारंटी की चिन्ता...।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री हैं यह आपने कहा है । भूपेश बघेल जी ने 5 साल के कार्यकाल में उन्हें आमंत्रित किया है क्या ? आप एकाध उदाहरण बताओगे ? यही पाखंड तो कांग्रेस को डूबो रही है। (हंसी)

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कोई सोचे या न सोचे आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता अजय चन्द्राकर जी सभी के हितों के लिये सोचते हैं और सभी की चिन्ता करते हैं कि अब तीसरा साल है, मोदी जी की गारण्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारण्टी, इसकी चिन्ता अजय भईया भी नहीं कर रहे हैं। चूँकि नाम नहीं लेना चाहिये, सम्माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी बातें याद दिला रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है, वह कोई याद नहीं कर रहा है । मुझे इस बात का दुख है, इसलिए मुझे लगा कि सत्ता में बैठे हमारे वरिष्ठ नेताओं को, हमारे सम्मानित मंत्रीगणों को, मुख्यमंत्री जी को सबको याद दिलाते हैं कि मोदी जी की गारंटी क्या थी ? घोषणा पत्र में कहा गया था, हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब AIIMS की तर्ज पर, जैसे हम दिल्ली का एम्स देखते हैं, उसी तर्ज पर हर संभाग में CIMS खोला जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, भाषणों में भी अच्छा लगता है, CIMS, दिल्ली एम्स की तर्ज पर बनेगा, तीन साल गुजर गए, कहीं कोई जमीन का चिन्हांकन हुआ? कहीं कोई टेंडर प्रक्रिया हुई? कहीं कोई पत्राचार हुआ? भाई, कहीं कुछ तो याद करते ? कुछ नहीं तो सही, ये बजट लाए हो, कम से कम बजट में एक उल्लेख तो कर दिए होते कि आने वाले समय में ये आपकी प्लानिंग है, लेकिन नहीं किए। हमारे प्रधानमंत्री जी की नाम पर गारंटी देते हो और भूल जाते हो, मैं वही याद दिलाने का काम कर रहा था। हमारे सम्मानित सदस्य जी चले गए, उन्हीं से थोड़ी बहुत उम्मीद करता हूं, हमारे अमिताभ बच्चन साहब थोड़ी पेपर देख रहे हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि वे सच कहेंगे, वे छुपाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी के नाम पर दी गई जो-जो गारंटी है, उसके लिए भी बजट मांगेंगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। वैसे ही युवाओं के लिए कहा गया था, हर जिले में IIT के लेवल का छत्तीसगढ़ में CIT छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। भाई, ना CIMS छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिख रहा है, ना छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिख रहा है। कहां गया? कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। चलिए जाने देते हैं, भूल गए होंगे। लेकिन और भी बहुत सारी बातें थीं, उनको भी याद रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार तुंहर द्वार योजना लाई जाएगी, डेढ़ लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी तंत्र से जोड़कर जनता और सरकार के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए रखा जाएगा। डेढ़ लाख युवा सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को, मोदी जी की गारंटी को ढूँढ रहे हैं, उस कागज को ढूँढ रहे हैं कहां है भाई? कहां है? कब नौकरी मिलेगी ? इस बजट में एकाध बिंदु उसका भी डाल देते, लेकिन नहीं। क्योंकि मोदी जी के नाम पर वोट तो मांगना है, गारंटी में साइन भी करवा लेना है, उनसे मंचों पर भाषण भी दिलवा देना है, कस्में-वादे भी करवा लेना है, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह काम करके दिखा पाए। माननीय सभापति महोदय, मेरी बहन बोल रही थी, उस बात पर इतने लोग खड़े हो गए। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर। कहा गया सिलेंडर? अच्छा सरेंडर हो गए। मतलब शायद जो गारंटी पत्र था, उसमें जो सिलेंडर लिखा था, वह सरेंडर होगा, हम लोग सिलेंडर पढ़ लिए होंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी तक सोने-चांदी की चोरी होती थी, आज सिलेंडर की चोरी होती है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- नरेन्द्र सरेंडर हो गया।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं विषय में आ जाता हूं। 500 रुपये में सिलेंडर मिलने वाला था, मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, बड़े-बड़े होर्डिंग दिख रहे थे, पूरे शहर भर के होर्डिंग में लाल सिलेंडर की तस्वीर थी और बाजू में लिखा है, इस पार्टी को वोट दीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपये बड़ा-बड़ा लिखा है। भाई, अब तो सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, सरेंडर हो गए हैं। 500 रुपये की बात ही भूल जाईए। उसके बारे में कोई कहने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं यूथ राजनीति से जुड़ा हूं, छात्र राजनीति से जुड़े होने के कारण सब प्रदेश भर में युवाओं से मिलना-जुलना रहता है। जब इनकी घोषणा पत्र आई तो हमारे भी बहुत सारे युवा साथी बोले कि भैया आप लोगों ने इस काम को नहीं किया, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया घोषणा की है, वह देखिएगा मोदी जी की गारंटी है वह पूरी होगी। मैंने बोला क्या घोषणा की है? बच्चों ने कहा कि 1 लाख वेकेंट सरकारी जॉब्स हैं। समयबद्ध तरीके से उसका रोडमैप बनाकर हम लोगों को जॉब्स दिलाएंगे। तीन साल गुजर गए। आदरणीय संसदीय मंत्री जी, आपका तो आशीर्वाद रहे। आप लोगों का कोई सुनने वाला है या नहीं है या यह जो बजट बनता है उसको दिल्ली से कोई मंत्री बनाकर भेज देता है या वहां बैठा हुआ कोई अधिकारी बनाकर भेज देता है या किसी और देश से हमारे छत्तीसगढ़ को चलाया जा रहा है? जो बातें, जो वादे, जो कस्में आपने खाई थीं, आज आप उससे मुकर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के युवा दुःखी होकर देख रहे हैं कि यह क्या सरकार है और यह क्या सुशासन है? जॉब्स की कोई बात नहीं है। 1 लाख नौकरी की गारंटी दी गई, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है तो यह क्या हो रहा है? कैसे चलेगी सरकार और कहां जाएंगे युवा? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहां पर भी दर्शक

दीर्घा में बहुत सारे युवा बैठे हैं। अब हद तो यह हो गई कि कहा गया था कि पढ़ने-लिखने वाले बच्चों को मंथली अलाउंस दिया जाएगा। मेरे जानने-पहचानने में तो किसी बच्चे को आने-जाने के खर्च के लिए मंथली अलाउंस नहीं मिल रहा है। पता नहीं कि सब कहां गया? बोला गया था कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देश-विदेश से बुलाकर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा, हर साल इन्वेस्ट सी.जी. सम्मेलन होगा। हो हे का भाई? वर्ष 2047 में होही? अंजोर विजन में होही? ठीक-ठीक। अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वाह भाई वाह। इतनी कसमें खाईं, कितने वायदे किये, न जाने लोगों के घर-घर जाकर क्या-क्या असत्य बोला, सरकार बना ली, लेकिन वह लोग वहीं के वहीं हैं, वह बिना आवासों के हैं। किसी को कोई आवास नहीं मिल रहा है।

श्री आशाराम नेताम :- देवेन्द्र भाई, हमने 18 लाख आवास दिये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, एक झने 18 बोलथे, एक झने 26 बोलथे, एक झने 10 बोलथे।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यही समस्या है। विधायक दल की बैठक में यह विषय उठेगा कि आपने कितने का वायदा किया था और कितना दिया है?

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, 8 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एमन कुछ बोलथे। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह घर-घर निर्मल जल की बात करते हैं, लेकिन उसमें केवल कमीशनखोरी हुई है। यह घर-घर तक पानी पहुंचाने की बात करके कमीशन खा गये। (व्यवधान)

श्री दीपेश साहू :- आपने बेरोजगारी भत्ता दिया था। आपने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के लिए घोषणा की थी। आपने 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। पी.एस.सी. में घोटाला आपने किया। हमारी सरकार नौकरी देने का काम कर रही है। हमारी सरकार रोजगार देने वाली सरकार बन रही है। कई मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, फिजियोथैरपी कॉलेज हैं, फैशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है, बॉलीवुड, हॉलीवुड आ गया है। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- आप तो पानी के लिए आदमी देख-देखकर देते थे।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, केवल गला चढ़ा लेने से, नौटंकी करने से कोई बात सार्थक नहीं होती। 6 लाख मकान दो साल में पूरे हो गये हैं, अब आपको दिखाई नहीं देता है तो उसका क्या इलाज है? (मेजों की थपथपाहट) यह जितनी बातें कर रहे थे, वह जो वर्ष 2018 में इनका घोषणा पत्र था, जिसको वर्ष 2023 तक इन्होंने पूरा नहीं किया, उसका सारा वर्णन कर रहे थे। यह जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे थे तो 6 लाख के पूरे आंकड़े हैं कि 6 लाख

मकान पूर्ण हुए हैं। लेकिन अब इनको दिखाई नहीं देता है। यहां गलत बयानबाजी करना है। इनको मालूम नहीं है कि यह कोई युवा कांग्रेस का मंच है या विधान सभा है? आप तथ्यों पर बात करिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं कहां बोलो भाई।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, वर्ष 2023 की मैनपाट की एक घटना है। जैसे ही वर्ष 2023 में विधान सभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसी महीने की एक घटना है कि बरिमा ग्राम पंचायत में घर में आग लग जाती है। उसका कारण यह है कि अति गरीब व्यक्ति पक्के मकान के लिए हमेशा से इंतजार करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनका घर नहीं बना और पुआल के ऊपर में छत था। वहां जो बसने वाले लोग हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इनके उप मुख्यमंत्री जी उसी के नाम से इस्तीफा देकर भागे थे। उन्होंने उस विभाग को छोड़ा था।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, हुआ क्या कि रात को सोते समय अंदर में आग लग गई और वह लोग निकल नहीं पाये। तीन बच्चे एक ही जगह पर जलकर खत्म हो गए। उसके अगले दिन तत्काल मैं वहां पर पहुंचा।

श्री धर्मजीत सिंह :- दरअसल, वह सब ठीक है। यह लोग 100 चूहे खाकर हज करने के लिए निकले हैं। आप लोगों ने 5 साल में 100 चूहे खाये हैं और अब आप बोल रहे हैं कि हमको हाजी बनना है और मक्का मदीना जाना है। आप कहां से जा पायेंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी तो 7 करोड़ रुपये का धान चूहों ने खा लिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सब लोगों ने 100 चूहे खाये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भैया, मुसवा हर खाये है।

श्री देवेन्द्र यादव :- भैया, वह धान वाले बात है का ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप दोनों भी चूहा खाने में शामिल थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ऐसन तो हमर सरकार में होबे ही नइ रिहीसे कि 7 करोड़ रुपये के धान हर मुसवा हर खा ले हे।

श्री आशाराम नेताम :- आप लोग शराब वाले हैं ना।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, जब हम वहा पहुंचे और जांच कराये कि क्या उस परिवार का कभी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत था तो पता चला कि वर्ष 2018 में उनका घर स्वीकृत था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को बंद कर दिया, इस कारण उनका घर नहीं बन पाया। सभापति महोदय, सोचिये कि राजनीतिक तुष्टिकरण के कारण वह तीन बच्चे जलकर खत्म हो गये और उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन आज विष्णु देव साय जी ने शपथ ग्रहण के

बाद अपने निवास में जाने से पहले 18 लाख आवासों के लिए दस्तखत किया था, मैं बोलना चाहता हूँ कि यह भाजपा की सरकार है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- चलिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, यह गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री रामकुमार यादव :- आदिवासी और हम दोनों आपके आदमी हैं। यादव तो है ही। यादव, आदिवासी और सर्व समाज का हितैषी है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, गरीब का आवास बन रहा है। यह अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। अमर भैया, हमारी सरकार ने ठीक विधान सभा चुनाव के पहले आपके बिलासपुर में ही 10 लाख आवास स्वीकृत किये।

श्री अमर अग्रवाल :- महाराज, बिलासपुर में 10 लाख की आबादी नहीं है। आप किस दुनिया में हैं ? (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने गलत सुन लिया है। आपके बिलासपुर में जो सभा हुई। राहुल गांधी जी..।

सभापति महोदय :- द्वारिका जी, अब हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं गरीब परिवार से जुड़ी हुई बात बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- सारी बातें गरीबों के लिए ही हो रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ। 10 लाख आवास स्वीकृत हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने 5 सालों में कितने मकान पूरे किये, आप वही डाटा दे दीजिये। आपके उप मुख्यमंत्री गरीबों के मकान के लिए हाउस में इस्तीफा देकर भागे थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, पुरानी डाटा के लिए आप एक दिन सदन में अलग से चर्चा करवा लीजिये, हम उसमें भाग लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसने सभा ली थी ? राहुल गांधी जी ने ? मैं अभी राहुल गांधी जी की सभा का भी हाल बता दूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बताइये ना। हम भी सुनने के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप संक्षेप में अपनी बात बोल दीजिये। आप एक बात में बोल दीजिये। आप लंबी बातें बोलते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, 10 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और उसकी पहली किश्त जा चुकी है। क्या वह छत्तीसगढ़ के गरीब नहीं हैं ? क्या उस गरीब को आवास नहीं चाहिए ? उस गरीब की एक ही गलती है कि उन आवासों को हमारी सरकार ने स्वीकृत किया। पहले जो आवास

स्वीकृत हुए हैं, उस धनराशि का भी दुरुपयोग हो रहा है। एक किशत खंडहर बनने जा रही है। सरकार स्पष्ट करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए या तो उसको निरस्त करें या तो आवास बनने चाहिए।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि विनियोग तक अपनी बातों को सीमित रखें।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, रामकुमार टोप्पो भाई ने बहुत अच्छा बोला कि 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं।

सभापति महोदय :- अब वह बात हो गयी।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, एक मिनट। मुझको भी बोलने दीजिये ना।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी ने बात रख दी है। उन्होंने आवास पर ही अपनी बात को रखा है। उन्होंने आपके दल की ही बातों को रखा है।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, [XX]⁸ सभापति महोदय, यदि 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस परिवार के पास जाईये और इन्होंने आवास के लिए तो 1 लाख 20 हजार रुपये दिये हैं, उसके बाद उनका कितना कर्जा है ? क्या आप 18 लाख आवास के हितग्राहियों की ऋण माफी करेंगे ? आज सेठ, मारवाड़ी के पास उनके खेत गिरवी है और वह अपना जेवर बेचने की स्थिति में है। आज वह कर्ज में डूबे हुए हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई।

श्री बालेश्वर साहू :- आज छत्तीसगढ़ के जितने गरीब हैं, उनको इस सरकार ने कर्ज में डालने का काम किया है।

सभापति महोदय :- आपने जिस बात को कहा, आसंदी को उस तरह से नहीं कहना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा था और मैं महंत जी से आग्रह करूंगा कि जिस लहजे में और जिस भाषा में सम्माननीय सदस्य ने आसंदी को कहा है, वह बहुत आपत्तिजनक है। महंत जी, आपको उनको समझाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की भाषा उचित नहीं है। बालेश्वर जी, आप अमिताभ बच्चन के स्टाईल में आसंदी से बात नहीं कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन में जो व्यवहार किया है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे उस संबंध में खेद व्यक्त करें क्योंकि इस तरीके की प्रक्रिया नहीं है और यह पार्टी का विषय नहीं है। इस सदन में हम सभी एक समान हैं।

⁸ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यदि मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई है तो उसको विलोपित किया जाये (हंसी) और मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय देवेन्द्र यादव जी यहां पर जिस तरीके से अपना भाषण व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध कांग्रेस में है। एकाध पी.एस.सी. घोटाला के संदर्भ में भी थोड़ा सा बोल दीजियेगा। थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी, धन्यवाद।

श्री केदार कश्यप :- उसके बाद प्रियंका वाड़ा के लिये जो गुलाब की पंखुड़ी बिछाये थे ताकि राजकुमारी के पैरों में काटा न चुभे, उसके बारे में भी बताईयेगा। अच्छा विक्रम मंडावी जी, आप भी बोलेंगे।

श्री दीपेश साहू :- देवेन्द्र भाई, बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी बता दीजियेगा कि आप कितने साल दिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं सब बताऊंगा। लेकिन ये बात कहूंगा कि सदन में किसी भी सदन के बाहर के व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है, वह आपत्तिजनक है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी सब क्या करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप प्रधानमंत्री का नाम 17 बार लिये हो, प्रियंका वाड़ा का नाम लेने से आपको मिर्ची लग रही है। आप प्रधानमंत्री मोदी-मोदी करके बोल रहे हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- अगर आपका व्यवहार ऐसा रहेगा कि आप संसदीय कार्य प्रणाली को नहीं मानेंगे तो हम सब कैसे मानेंगे। वह कैसे सीखेंगे, हम कैसे सीखेंगे। आप तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हो, आप हमारे मुखिया हो और मुखिया ही ऐसा करेंगे तो हम लोग कहां जायेंगे।

श्री केदार कश्यप :- मैंने कहा कि प्रियंका वाड़ा जी के लिये बिछाया गया था, अगर उनके लिये नहीं बिछाया गया था तो आखिर किसके लिये बिछाया गया था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बिछाने में क्या गलत है? .. (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने केवल कहा था कि नरेन्द्र सरेंडर हो गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने नाम लिया, नरेन्द्र सरेंडर करके आपने ही कहा है। ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 4 बार बोले हैं। हम भी अभी नाम लेंगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए।

श्री केदार कश्यप :- मैंने कांटा नहीं कहा था, आप कांटा कितना चुभ गया।

श्री विक्रम मंडावी :- नाम नहीं लिये हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप प्रधानमंत्री जी के नाम में बार-बार सरेंडर मत बोलिये। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं।

श्री आशाराम नेताम :- हम लोग आलू से सोना निकालो, करके नहीं बोलते।

श्री धर्मजीत सिंह :- नरेन्द्र मोदी सरेंडर हो नहीं सकते, आप अपने नेता को देखिये जो 90 बार चुनाव हार चुके हैं। उसके दम में वैतरणी पार नहीं कर पाओगे। 90 बार हारा है, अभी 5 बार और हारने वाला है।

श्री विक्रम मंडावी :- लोकतंत्र में चुनाव हारना और जीतना चलता है, उसमें क्या है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- जब पहले हार रहा था, तब भी आप उस टीम में थे। अभी-अभी आप इधर आये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- थे न।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि जब मैं अपना वक्तव्य दे रहा था, मैंने बहुत सारे विषय पर चर्चा की, बहुत सारी बातें कहीं। मैंने इनेवस्ट सी.जी. सम्मेलन के बारे में बात किया, सी.जी.इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में बात किया, छत्तीसगढ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के बारे में बात किया, सरकार तुंहर द्वार के बारे में बात किया, 500 रुपये के सिलेण्डर के बारे में बात किया, 1 लाख वेकेंट पोस्ट के बारे में बात किया, मंथली ट्रेवल एलाउंस के बारे में बात किया। लेकिन हमारे किसी भी सदस्य ने उस पर आपत्ति नहीं जताई तो इसका ये मतलब है, मैं ये मानता हूँ इन सभी विषय पर उनकी मौन स्वीकृति है कि इनकी सरकार, ये सारे विषय जो मोदी जी की गारंटी से इन्होंने लोगों को प्रस्तुत किया था, उसको भूल चुकी है। चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जब आ रही थी, तब बीच में वरिष्ठ सदस्य ने अपनी बात कही। अब जाकर मुझे मौका मिला है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18 लाख आवास का वादा किये थे। सदन में खुद इनके वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं कि 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। मतलब अभी भी 12 लाख आवास बचे हैं। वह याद करा रहा हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं विपक्ष में बैठा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद कराऊँ। आपको 12 लाख आवास बनाकर देना है, ढाई साल निकल गये, आपके पास समय बचा नहीं है। पता नहीं आप कब इन आवासों को बना कर देगे। छोड़िये, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र का काम है। मेरा काम है विपक्ष के नाते जनता की बातें याद दिलाना। सरकार कैसी चल रही है। अभी बातचीत तो हो रही है, भर्तियों की भी बात हो रही है, लेकिन सरकार के बारे में क्या कहें? व्यापारी जी.एस.टी. के रेट से परेशान हैं। हमारे आदरणीय पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में व्यापार का बेहतर माहौल बनाकर दे रहे हैं। आप व्यापार का बेहतर माहौल किसके लिये बनाकर दे रहे हैं? किन लोगों के लिये बनाकर दे रहे हैं? दो-चार पूंजीपतियों, बड़े व्यापारियों के लिये बनाकर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो काम करने वाले युवा हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपना छोटा व्यापार करते हैं, एम.एस.एम.ई. से जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या होगा? अब ऐसा लगता है कि वह तो इंस्पेक्टर राज में रह रहे हैं। जहां देखो जी.एस.टी. का दबाव, व्यापारियों में दबाव, इस सरकार में ये चल रहा है। जमीनों

की दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई, उसको लेकर मुझे क्या कहना है। आपकी सरकार के सांसद जी के पत्र सरकार के ही खिलाफ आते रहते हैं। दुर्ग के सांसद और रायपुर के सांसद भी लिखते हैं कि जनहित को देखते हुए इन सभी चीजों में सरकार को वापसी करनी चाहिए। जमीन की दरों को इस तरीके से बढ़ाया गया जो बिल्कुल भी प्रेक्टीकली ठीक नहीं था। पुलिस भर्ती हुई उसमें घोटाला। कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसमें क्या कहें ? फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती का, फॉरेस्ट में भर्ती का मामला था। उसमें उस कंपनी को काम दे दिया जिसके खिलाफ पहले से ही शिकायतें थी कि भर्ती में गड़बड़ियां किये थे और जो भर्ती की प्रक्रिया...।

श्री धर्मजीत सिंह :- देवेन्द्र यादव जी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप भर्ती के बारे में, उसमें भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने तो पब्लिक सर्विस कमीशन में [xx] बैठा दिये थे। (शेम-शेम की आवाज) सारे [xx] वहां पर पोस्ट बेच रहे थे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, इंजीनियर की भर्ती हुई।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, नेताओं के बच्चों को नौकरी दे रहे थे और गरीबों के बच्चों का गला काट रहे थे तो [xx] आपको नहीं बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी बिलासपुर में इंजीनियर की भर्ती हुई, वहां पर किस प्रकार से भर्ती का चल रहा था ? (व्यवधान) परीक्षा को बाहर बैठे हुए लोगों को बताकर लिखा जा रहा था। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मत बोलो, आपके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस विभाग में इन लोग किस तरह से भ्रष्टाचार किये थे। (व्यवधान)

श्री दीपेश साहू :- उनके तत्कालीन अध्यक्ष सचिव जेल में हैं, जेल में हैं भैया, जेल में। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वही बात बोलो जो आपने नहीं किया हो। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पुलिस भर्ती में किस प्रकार से किया गया, यही राजनांदगांव जिले में। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी, देवेन्द्र जी बोल रहे हैं न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में इन लोग भ्रष्टाचार किये थे। पैसे लेकर भर्ती लिये थे, यह राजनांदगांव की बात है। क्या आप उसको भूल गये, यह आपके शासनकाल का है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, देवेन्द्र जी बोल रहे हैं न। देवेन्द्र जी थोड़ा संक्षेप करेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, वैसे भी मेरा भाषण कंपलीट हो ही गया है । बहुत लंबा भाषण देने जैसी बात नहीं है, जो बातें आनी चाहिए थी, प्रमुख रूप से वह बात आ गयी । चूंकि साथी जितने विधायक हैं उन लोग रुचि ले रहे हैं इसलिये बात लंबी चलती जा रही है । आप लोगों ने रुचि ली इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिये पिछली सरकार में क्या हुआ, इस सरकार में क्या हो रहा है और आने वाली सरकार में क्या होगा ? यह सदन में मेरा भी दूसरा कार्यकाल है, यह सब बातें हमेशा आती रहेंगी लेकिन जो स्थानीय जनता है वह इस उम्मीद से नयी सरकार बनाती है कि बदलाव आयेगा । वह इस उम्मीद से वोट देती है कि कोई उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझेगा । राजनीतिक रूप से तो आप भी सक्षम हो, हम भी सक्षम हैं । हर गेंद को छक्का मारने में या उससे अपने आप को बचाव करने में लेकिन कब तक हम ऐसे बचते रहेंगे ? हम कब तक यह बात कहते रहेंगे कि आपके समय यह हुआ, आपके समय वह हुआ ? हम कब ओनरशिप लेने की बात करेंगे कि हां, हमारा समय है और हम यह करेंगे । यह भाव ही नहीं है, पता नहीं, कैसी सरकारें चल रही हैं ? आप देखेंगे तो दर्द जितना कांग्रेस के विधायकों में है या जितना जनता में है उससे कहीं ज्यादा दर्द जो सरकार में बैठे विधायक हैं, उनके संगठन के लोग हैं उनके अंदर है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कहां से सरकार चल रही है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप भी बोल लो, बस आप ही बोलने के लिये बचे थे। आप ही बोल दो ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, देवेन्द्र भाई दो बार के विधायक हो गये हैं । पिछले 5 साल में कितना दर्द था, वह बोल नहीं पा रहे हैं और अभी भी बहुत दर्द है । पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं अपने दल में ही और आज बोल नहीं पा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे, पिछले 5 साल में इनको कोई दर्द था ही नहीं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, तो बोलना तो चाहिए । आज आप अपना दर्द बता दीजिये कि आपके दल में सामने की दो कुर्सियों से आपको कितनी प्रताड़ना मिलती है, आपको सदन में यह बताना होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिछली सरकार में देवेन्द्र यादव को कोई दर्द नहीं था, मजा ही मजा था ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आज भी कोई दर्द नहीं है, राष्ट्रीय स्तर में, कहां से दर्द ? आप बेबुनियादी बात करते हैं ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप हर बार खड़े हो जाते हैं । यह उचित नहीं है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, बोलने दीजिये भई । वह हमारे बड़े भाई हैं, वह हमें संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ? मैं अनुरोध करते हुए बोल रहा हूँ । मैं बस इतना ही कहूंगा तो आपके पास यह अवसर है, एक बेहतर अवसर है । जनता के बीच में अपने आपको स्थापित करने का,

जनता के बीच में उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने का और आने वाले समय में एक जनता के हित की सरकार की कार्यप्रणाली बनाने का लेकिन आप उसमें लगातार फेल हो । हम लोगों ने दो-दो साल आप लोगों को देख लिया । इस समय भी आपकी जो मांगें हैं उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी गहराई की बात नहीं है या मोदी जी की गारंटी की बात नहीं है जिसको लेकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते तो मैं इसका असमर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा और इस सदन और सत्तापक्ष के लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप जिनके नाम पर वोट लेते हो और जिनसे वोट लेते हो, दोनों को मत भूलिये । न मोदी जी की गारंटी को भूलिये, न जनता को भूलिये वरना जनता उखाड़ फेंकेगी । धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के विनियोग विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इन चार लाईनों से अपनी बात की शुरुआत करूंगा :-

“कहने वालों का कुछ नहीं जाता, यह लगातार बोल रहे हैं

सहने वाले भी कमाल करते हैं।

कौन ढूँढे जवाब दर्द का, लोग तो बस सवाल करते हैं।”

श्री सुशान्त शुक्ला :- क्या बात है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी को नैतिक रूप से विधान सभा में इस सरकार का विरोध करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि आप जिस नेता से प्रेरित होकर, विषय लेकर इस सदन में आते हैं। उसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कीर्तिमान रचा है। आप लोग लगातार 90 चुनाव हार गये हैं फिर भी उनको जबरदस्ती नेता मानते हो। (मेजों की थपथपाहट) क्यों, यहां भी तो नेता हैं। यहां भी तो मुद्दे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस समय हम लोग 180 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम वर्ष 2047 तक रहेंगे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- कल आप कांग्रेस युक्त थे और आज कांग्रेस मुक्त हैं। इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, उसी नेता के नेतृत्व में (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग गुरुर मत करिये। (व्यवधान)
आज आप लोगों का वक्त है, हमारा भी वक्त आएगा। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमने पिछली बार उसी नेतृत्व में आप लोगों को 15 सीटों में लाकर बताया है। आप लोगों की संख्या केवल 15 थीं।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय यादव जी, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय भांजा, 15 साल की हुकूमत में केवल और केवल 15 थे।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जनता समझदार है, वह सब देख रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय संगीता जी, मैंने सुन तो लिया है। आपको गैस सिलेण्डर मिल जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिये। यहां दो जहाज आ गये हैं इनके पास न नीति है, न नीयत है और न ही नेता है। इनके पास न कोई दलील है, न कोई अपील है और न ही कोई वकील है। आप दिशाहीन पार्टी के दिशाहीन नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं। आप बहुत विद्वान वक्ता है मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी तारीफ करता हूँ। माननीय राघवेन्द्र सिंह जी, आप हमारे प्रिय में से हो।

श्री आशाराम नेताम :- वह बुरे फंस गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन ठीक है वहां पर भी वह अभिमन्यु के समान लड़ते हैं। आपने आर्टिकल 47 का जिक्र किया। यहां शराब के बारे में हम लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, यहां पर ज्यादा शराब बिक रही है, आपने इत्यादि बातें की। हम लोगों ने यह नहीं कहा है कि हम शराब बंदी करेंगे। हमारी सरकार के किसी भी घोषणा पत्र में यह नहीं है कि हम शराब बंदी करेंगे। आप लोगों ने गंगाजल उठाकर कसम खायी थी कि हम इस प्रदेश में शराब बंद करेंगे। (शेम-शेम की आवाज)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमने कभी गंगाजल उठाया ही नहीं था, आप इतना असत्य आरोप न लगायें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, चलिये आप लोगों ने अरपा जल उठाया होगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोगों ने महानदी का जल उठाया होगा।

श्री सुशान्त शुक्ला :- आप लोगों ने अरपा का जल उठाया था न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने गंगाजल नहीं, बल्कि ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वह कौन सा जल था, आप यह बता दीजिए।

सभापति महोदय :- आपने अपने समय में बोला है और अपनी बात रख चुकी हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यही माननीय चन्द्राकर जी बोले हैं कि यहां पर वैरायटी-वैरायटी की शराब मिलेगी। यह बात आपके लोग ही बोलते हैं।

श्री आशाराम नेताम :- मतलब आप लोगों ने किसी भी जल को गंगाजल बना लिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने बिना गंगाजल उठाये यह कहा था कि हम इस प्रदेश में शराब बंद करेंगे, यह आपके घोषणा पत्र में है। मैं यहां पर घोषणा पत्र लेकर आया हूँ, मैं आपको यह दिखा दूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमने शराब बंद करने का प्रयास किया...।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठते ही यह पता चला कि मधुशाला में बहुत बड़ी ताकत है, वह पैसे के नशे को भी बढ़ा सकती है और मधुशाला में दूसरे शौक, माहौल बनाने की बहुत ताकत है। आपके कई सफेदपोश लोग, पूरे प्रदेश में सब शराब भट्टियों में जाकर बैठ गये, वहां पर दो काउंटर चला।(शेम-शेम की आवाज) उन दो काउंटर्स में नकली शराब और नकली होलोग्राम, नकली सप्लाई पूरे प्रदेश में हुई। आपने प्रदेश के गरीबों से हुई राजस्व की आमदनी को 5 हजार करोड़ रुपये में लाकर रोक दिया और जो बड़े-बड़े सफेदपोश लोग गैर संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं। इस शहर में पूरे प्रदेश में फैले हैं और आपकी सरकार ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया, हमारी सरकार ने उस 5 हजार करोड़ रुपये को बढ़ाकर, 11 हजार करोड़ रुपये किया है। हम उस 11 हजार करोड़ रुपये से जनकल्याण के काम कर रहे हैं। इसलिए आपको इस विनियोग विधेयक का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हमारी सरकार पर आरोप लगा है इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, हर बात में उठकर बोलना आवश्यक नहीं है । आप अपने समय में अपनी बात बोल चुकी हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शराब भट्टी की बात की है । आपने कितनी शराब भट्टी बढ़ा दी है । उसके साथ सरकारी चखना चला रहे हैं ।

श्री आशाराम नेताम :- जो शराब नहीं पीता, वह शराब के बारे में क्या जानेगा।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम बापू जी, पैरोल में आये हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बैठिए न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जनता को धोखा दे रहे हैं । इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा शराब भट्टी खुली है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, कृपया सहयोग करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चखना की बात हो तो बताईए, हम लोग उसकी भी सिफारिश कर देंगे । कहां इतने बड़े बजट में आप अखना-चखना में आ गए । आप लोग इससे ज्यादा उठते नहीं हो ।

श्री देवेन्द्र यादव :- होली की तैयारी चालू हो रही है, उसमें क्या है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सरकारी चखना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक महापुरुष हमारे उस तरफ के विधायक बोले कि धान खरीदी में आपने आंकड़ा दिया कि इतने लाख मेट्रिक टन धान खरीदे । आपने यह नहीं बताया कि कितने का धान नहीं खरीदे । जब इस छत्तीसगढ़ में इसी सदन में 25 साल पहले 550 रुपये क्विंटल में जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, तब से मैं इस सदन में बैठा हूँ और आज हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया और हर बार के बजट में, हर बार के राज्यपाल जी के अभिभाषण में सिर्फ इतना ही आंकड़ा दिया जाता है कि इतने करोड़ रुपए का इतने की दर से इतना धान खरीदा गया । आपने अपनी 5 साल की सरकार में कभी क्यों नहीं लिखा कि कितना धान नहीं खरीदा गया । आपने लिखा ? अगर आपने नहीं लिखा तो आपको पूछने का कोई हक नहीं है कि हमने धान में क्या खरीदा और नहीं खरीदा ? हमने करोड़ों रुपए दिए। आपने कहा था कि हम महिलाओं को भत्ता देंगे । 5 साल में आपने दिया ? आपने नहीं दिया और यहां पर महिलाओं के नाम से जबरदस्ती मगरमच्छी आंसू बहाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब हमारे ओ.पी.चौधरी जी ने दिया है । उन्होंने 1000 रुपया महिना हमारी माताओं और बहनों को दिया है । (मेजों की थपथपाहट) ये होता है - माताओं और बहनों का सम्मान और यह होता है अपने वचन की आपूर्ति ।

सभापति महोदय, अगर इंसान किसी ऊंचाई से गिर जाये तो उसका इलाज है। अगर कार एक्सीडेंट भी हो जाये और अगर वह जिंदा है तो उसका इलाज है, लेकिन जो जनता की नजर से एक बार गिर जाता है, उसका जिंदगी में कहीं कोई इलाज नहीं हो सकता और आप जनता की नजर से गिर गए हो । (मेजों की थपथपाहट) दो साल पहले आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है इसलिए आपको तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिए । आप क्या बात करते हो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, हम जनता की आवाज हैं । जो आप अन्याय कर रहे हैं, जितनी सारी बातें आप हवा-हवाई में बोल रहे हैं, आप धरातल पर जाकर देखिए, सब आपको मिल जाएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए, कांग्रेस पार्टी का कितना दुर्भाग्य है । कल एक आन्दोलन हुआ । वित्त मंत्री जी, ध्यान देंगे, मैं आपके बारे में भी बोलूंगा । मैं लिखने वाला कोई काम ही नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिए । यहां के गरीबों को न्याय दिलाने मनरेगा के माध्यम से या हमारी सरकार के विरोध के माध्यम से कल एक आन्दोलन हुआ । एक ऐसे नेता आये थे, जिनको राजस्थान में ढाई साल का बोलकर खुद न्याय नहीं मिला । जिसको खुद न्याय नहीं मिला, वह यहां छत्तीसगढ़ में आकर हमें क्या न्याय दिलाएगा । वैसे ही न्याय दिलाने आया, जैसे आप बिहार गए थे और ए.आई.एम.आई.एम. से भी कम सीट बिहार में कांग्रेस को मिली । उसे 6 सीट में विजय मिली और आपको 5 सीट में । बंगाल

में भी अभी आप 10 के अंदर रहोगे तो क्यों जबरदस्ती कूद-कूदकर बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हो ।

श्री रामकुमार यादव :- वोटिंग मशीन सेट हो गे हे का महाराज ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, इसी बात की चिंता मैंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में की । हम छत्तीसगढ़ पर बात क्यों नहीं करते ? राजनीतिक चर्चा करना, बोलना, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन यहां की जनता जो सुनना चाहती है, उस पर बोलने के लिए आपके पास जवाब नहीं है । इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आ रहा हूं न । आपने ही शुरुआत की थी-प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री । कोई सरेण्डर बोला, कोई कुछ बोला । मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बोलने से और आपके बोलने से सरेण्डर नहीं होना है ।

समय

4.50 बजे

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, वह तो अगली बार और सफाया हो जायेगा। मनरेगा का नाम जी रामजी हो गया। क्या तकलीफ है भाई ? आखिर आप राम का विरोध क्यों करते हो भाई ? राम मन्दिर बना, इनके नेता को निमंत्रण गया, राम को देखने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने नहीं जाऊंगा, कहा। यह आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं। आपकी पार्टी के एक नेता जो कनार्टक में मंत्री हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप बोल रहे हैं कि हमें राम से परेशानी है। हम आपसे यह पूछते हैं कि आपको महात्मा गांधी जी के नाम से क्या परेशानी है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई परेशानी नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तो फिर आपने नाम क्यों बदला ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बता रहा हूं। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीता राम, कौन गाया था ? अब बताओ। एक मिनट। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीता राम, महात्मा गांधी ने गाया था, उन्होंने सीताराम का नाम लिया था। जब गांधी जी राम को मान रहे हैं तो हम जी श्रीराम जी लिख दिये तो आपको क्या तकलीफ है ? राम के नाम पर विरोध करते हो ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं राम के नाम पर विरोध नहीं कर रही हूं। आदरणीय सभापति जी, कोरोनाकाल में जब सब बंद हो चुका था, तब भी मनरेगा चला था। माननीय भूपेश बघेल जी ने मनरेगा योजना चलाया था। आप 100 दिन को 125 दिन कर रहे हो और 40:60 का रेशयो बता रहे हो। क्यों करेंगे ? सभापति महोदय जी, केन्द्र से सौ प्रतिशत आता था, राज्य को भार

क्यों सौंपा ? हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप रेशियो को डाले हो। अब 60 प्रतिशत केन्द्र का और 40 प्रतिशत इसका कर रहे हो। हम इसका विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब आप बैठ जाइये।

श्री धर्मजीत सिंह :- इतना लंबा डिस्टर्ब नहीं करते। राम के नाम से तकलीफ हो रही है, चलिये मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रदेश के आम आदमी को राम भगवान के दर्शन करने के लिए रामलल तीर्थयात्रा योजना बनाकर भेज रहे हैं, आप उसको क्यों रोकोगे ? (मेजों की थपथपाहट) उसको आप कैसे रोक सकते हो ? इसमें कहां गलती है ? कहां सरकार की खामी है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हम तो रोक ही नहीं रहे हैं। हम खुद जायेंगे भाई। अभी नवरात्रि शुरू हो रहा है, हम 9 दिन पूजा करते हैं। राम भगवान हमारे हैं। आपके राम और हमारे राम, ऐसा क्यों बांट रहे हो ?

श्री देवेन्द्र यादव :- थोड़ा सी.आई.टी., सी.आई.एम.एस. सरकार तुंहर द्वार, 5 सौ रूपये में सिलेण्डर, इस पर भी कुछ बोल दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- उस पर भी बोल दूंगा। वहां का बोलता हूं तो आप बोलते हो कि दिल्ली का बोल रहे हो।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, उसमें बंद, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रदेश का बोलता हूं तो दिल्ली पर बोल लो, बोलते हैं। आप क्या बात करोगे ?

श्री रामकुमार यादव :- मुसवा मा कुछ बोल देहा। 10 हजार करोड़ रूपया के धान कम मिले हे। मुसवा मा जरूर बोलिहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, महादेव सट्टा एप का जो प्रोपाइटर था, जो मुख्यमंत्री जी के जिले का रहने वाला है।

श्री अमर अग्रवाल :- वह मुख्यमंत्री के कान्स्टीसिवेंसी का नहीं है ,देवेन्द्र के कान्स्टीसिवेंसी का है।

देवेन्द्र यादव :- जशपुर, मुख्यमंत्री जी ? आप मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं भाई, तात्कालीन मुख्यमंत्री जी। हम लोग भूपेश बघेल जी को भी सम्मान से बात करते हैं। आप लोग तो प्रधानमंत्री जी के बारे में भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हो। सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि वह जो महादेव एप वाला है, वह लड़का दुबई में शादी किया

देवेन्द्र यादव :- कौन ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जो महादेव एप का प्रोपाइटर है। उसने बड़ी-बड़ी हिरोइनों को नाचने के लिए बुलवाया तब पता चला कि यह महादेव सट्टा जो छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है। लाखों और करोड़ों का वारा-न्यारा होता था। लेकिन इस सरकार में कोई अट्टा-सट्टा-पट्टा नहीं चलने वाला है। हम सब बंद करा देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उसमें 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हमारी सरकार ने कराई थी। महादेव एप में 75 अधिक बैंकों को हमारी सरकार ने सीज करवाया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस सरकार में अवैध दारू का पौवा और सट्टे का चौवा बिलकुल बंद है। नहीं चलने वाला है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उस सरकार में आप सुने थे न कि दारू भी महंगा हो गया था बोलते थे और पीने वाले चढ़ भी नहीं रहा है, इसकी शिकायत करते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां से किसी ने एक प्रश्न पूछा। मैं प्रश्न पूछा, आप बैठिये तो। मैं भी उधर था, वहां से कवासी लखमा जी को एक प्रश्न पूछा गया कि शराब ..।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, भैया, एक मिनट यह जो शिकायत आई थी, वह व्यक्तिगत आई थी या किसी के द्वारा बताई गई थी कि चढ़ नहीं रही है?

समय :
4.55 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- विनियोग विधेयक का पारण शाम 5:00 बजे तक किया जाना है। चूंकि विनियोग विधेयक पर चर्चा तथा उस पर वित्त मंत्री जी का उत्तर आना अभी शेष है, अतः विनियोग विधेयक के पारण के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय, हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्ष बहुत मजबूत रहे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या प्रश्न पूछ रहे थे, उसको बताओ न।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, वह मैं पूछ लेता हूं कि प्रश्न यह उठा, कवासी लखमा जी आबकारी मंत्री थे। हमारी तरफ से एक प्रश्न पूछा गया कि शराब की दुकानों की दारू में मिलावट की शिकायत मिल रही है, पानी की ज्यादा शिकायत है। उसके लिए आप जांच कराएंगे क्या? तो बोले, ऐसी जांच कराने की कोई मशीन नहीं है। तो मैंने वहां पर कहा कि, उसकी एक मशीन है, अगर आपका माल प्योर होगा तो

पीने वाला अंग्रेजी बोलेगा। पीकर अंग्रेजी बोलेगा। (हंसी) और अगर माल में पानी मिला है, तो वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। दो-चार पियक्कड़ लोगों को बुलाइये, पिला के हम देख लेते हैं कि कौन अंग्रेजी बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। जांच हो जाएगी। यह ऐसा होता था। मैं दूसरी बात और कह रहा था..।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रधानमंत्री आवास के बारे में चर्चा हो गई। आपने अपनी चिंता व्यक्त की। हमारे अमर भैया इतने पुराने अनुभवी वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने बताया है। एक तो वे बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते हैं, आधारित बात बोलते हैं, रिकॉर्डेड बात बोलते हैं, जानकारी में बोलते हैं। इसलिए, आपसे भी कह रहा हूं और इधर भी कह रहा हूं, अगर उन्होंने जो बताया है, उसको आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि वे हल्की बात नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, कोरबा में 25 रुपया टन कौन लेता था? पूरे प्रदेश में 25 रुपया टन..।

श्री रामकुमार यादव :- अभी मे-फेयर (Mayfair) में कौन लिया है? लोकसभा चुनाव के पहले सभी उद्योगपति को बुलाकर मेफेयर में मीटिंग हुआ था। हम सबको पता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठ, हर बात में मत बोलना। क्यों? एक मिनट, आप मेरे को यह बताओ कि ये मेफेयर होटल तो मैं आज तक नहीं देखा हूं। आप कहां से देख लिए? मैं आज तक नहीं देखा हूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- कैसे देखा, मैं बता रहा हूं न। जो 500 की गड्डी थी न, वह वही कमरे की थी। समझ रहे हो? (हंसी) जो देखने गया था, इतना सारा जो था वह मेफेयर होटल का कमरा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, तो 25 रुपया टन के चक्कर में..।

श्री देवेन्द्र यादव :- आज आप हमारे साथ मेफेयर चलिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चले चलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप ले चलो, जो खिलाओगे, जो पिलाओगे, सब कर लेंगे। हमारे रिश्ते थोड़ी खत्म हो गए हैं। हो तो हमारे भाई न? हो तो हमारे ही इस प्रदेश के सार्वजनिक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि। इतनी दूरी नहीं रखनी चाहिए और इतनी दूरी लोकतंत्र में उचित भी नहीं है। पर बोलो वही, जो खुद न किए हो। जो खुद गलत न किया हो, तब किसी के ऊपर पत्थर चलाए। लेकिन अगर खुद गलती किए हो, तो पत्थर उठाकर मारने की जरूरत नहीं है। एक वक्त पिक्चर लगा था। वक्त पिक्चर में, बी.आर. चोपड़ा का बहुत पुराना, उसमें राजकुमार का और रहमान का एक डायलॉग है । वह चाकू छीन कर बंद करके राजकुमार देता है, सेठ, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। आप शीशे के घर में खुद थे पांच साल, इधर पत्थर उछालने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बात करोगे? 7 करोड़ का बोरे-बासी आप खिलाए थे कि हम खिलाए थे? 7 करोड़ का बोरे-बासी...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, ठीक है। आपने तो एक साल जांच किया। 7 करोड़ के मुसवा हा कहां ले भात चावल खाथे?

श्री देवेन्द्र यादव :- हां, ये भी बता दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वहू ला बता दो। मुसवा कोई 7 करोड़ के चावल ला खाथे?

श्री देवेन्द्र यादव :- चलिए, हमने 7 करोड़ का बोरे-बासी खिलाया। 7 करोड़ चूहा खा गया। कवर्धा में 7 करोड़ और महासमुंद में 4 करोड़ रुपये।

सभापति महोदय :- एक मिनट। धर्मजीत सिंह जी, क्या है आप उधर बात करेंगे न, माननीय वित्त मंत्री का जवाब आयेगा, आप आसंदी के साथ अपना भाषण जारी रखें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, ये 7 करोड़ की बोरे-बासी जैसी घटना घटी न, उसी से असंतुष्ट होकर तो देवेन्द्र यादव जी भूपेश बघेल का गुट छोड़े हैं। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- क्या है, किसको कैसा पत्थर मारोगे, कौन पराया है? शीश महल में एक-एक चेहरा तुम्हारा दिखता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब सुनिए, मैं दुनिया भर की अब बात नहीं करूंगा। आपकी सरकार में यहां एक विधायक बैठते थे, देवेन्द्र यादव जी आप भी थे, इधर ही बैठते थे, याद करिए, उस विधान सभा में सरगुजा के विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक मंत्री के बारे में कहा कि इनसे मेरी जान को खतरा है, यह मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। आपने क्या किया? आपने जांच की? वह गलत है कि मंत्री सच में हत्या करवाना चाहते हैं?

समय :

5.00 बजे

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें तो मुख्यमंत्री जी मजा ले रहे थे, उसकी कहां जांच हो रही थी। उसी से असंतुष्ट होकर वह भूपेश बघेल जी के गुट छोड़े। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- ढाई साल की वादाखिलाफी से वह भी पीड़ित थे। जो कल नेतृत्व करने आए थे, वह भी ढाई साल के वादाखिलाफी से पीड़ित थे। जो स्वयं न्याय नहीं पा सके थे, वह यहाँ न्याय दिलाने आए थे। आप लोगों का क्या निर्णय होता है? भगवान जाने कि कौन निर्णय करता है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आधे-पौने एक घंटे से चर्चा चल रही है, लेकिन सच बात यह है कि प्रदेश की जनता पक्ष की तरफ से जो बात सुनना चाहती है कि क्या यह कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं या लाने जा रहे हैं, किन योजनाओं पर बात होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं है। केवल और केवल आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं, केवल राजनीतिक बातें हो रही हैं। यह इस प्रदेश की जनता के लिए दुखद है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, हम फिजियोथेरेपी कॉलेज खोल रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं, हम रेलवे का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आप लोग पिछली

सरकार में भ्रष्टाचार करने के लिए [xx] करते थे, उस पर हमारे वित्त मंत्री अंकुश लगा रहे हैं और सरकार का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए इन होनहार वित्त मंत्री के लिए, जिनके ऊपर आप लोग कोई आरोप भी नहीं लगा सकेंगे, उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आरोप लगाना है? आपने, ऐसा प्वाइंट आउट किया है कि लगा नहीं सकेंगे। मतलब लगाना है?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, आप ना लगा सकते, ना लगाओगे और ना आपको आरोप लगाने का कोई मौका मिलेगा।

"नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को,

पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है।" (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, यह तराशा गया है, उन्होंने संघर्ष किया है, गाँव के गलियों में पढ़ कर आई.ए.एस. की परीक्षा पास करके सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन समर्पित किया है। इसलिए वह यहाँ के लोगों के दर्द को जानते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के साथ सारे संसाधन खोल दिये हैं। इसलिए माननीय (सदस्य, श्री देवेन्द्र यादव को इंगित करते हुए), आपके लिए बोल रहा हूँ :-

"वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से,

वो और थे जो हार गए आसमान से।"

आप हार गए, ये नहीं हारेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- मतलब, आप मेरे लिए बोले न? हम जीते हैं। आपने ही कहा कि आपके लिए बोल रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग हार गए। आप उसके पूरे शब्दों को पढ़िए। सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे वित्त मंत्री बहुत ही अच्छे, ईमानदार और दूरगामी सोच से कार्य करने वाले हैं।

"वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे,

इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे,

कल क्या होगा कभी मत सोचो,

क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।"

सभापति महोदय, यह हमारी सरकार है, यही विष्णु देव साय की सरकार है, जिसके ऊपर आप लोग कोई आरोप नहीं लगा सके, उसके लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बिना सिर-पैर के आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दाग नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी सरकार पारदर्शी है, हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, हमारी

सरकार की सोच दूरगामी है, हमारे वित्त मंत्री के नियंत्रण बहुत कठोर हैं, हमारी सरकार के सभी राजस्व की आमदनियां बढ़ रही हैं और इस आमदनी से हम अपने गाँव के बैठे हुए उन गरीब लोगों की आँख से आँसू पोंछने का काम करेंगे जो हमारी सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। हम अपने गरीबों की आँख में आए हुए आँसू का महत्व समझते हैं। गरीबों की आँख में, पलकों में आया हुआ एक बूंद आँसू भी समंदर पर भारी पड़ता है और हम समंदर से भारी उस आँसू की कद्र जानते हैं और वित्त मंत्री के नेतृत्व में हम वह काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे भी बोलता हूँ कि आपने अपना काम कर लिया, आपके नेता फिर और किसी काम के लिए बोलेंगे घेराव करना है तो आप कर लेना, लेकिन कम से कम इस सरकार के अच्छे काम को सराहना करिए और अपनी मीमांसा खुद करिए, आत्मचिंतन करिए कि सात करोड़ का बोरे बासी, महादेव सट्टा ऐप, शराब में कमाई-धमाई, 25 रुपया टन, जो चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी, अगर आप ऐसा ही विरोध करते रहोगे तो जनता आपको फिर रिजेक्ट करेगी और आप फिर यहीं पर बैठेंगे जहां हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 22 करोड़ का इनाम बंटा है। उपलब्धि क्या है यह बता दें ।

श्री उमेश पटेल :- फुगड़ी याद है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 65 साल की एक महिला ने फुगड़ी किया ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप लोग फुगड़ी का नकल कर रहे हैं । बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक में आप लोग नकल कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यह आपका [XX]⁹ है, [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- एक उपलब्धि और है, आपकी रिपोर्ट में बताया गया था कि एक गड़िया एक दिन में एक क्विंटल गोबर देती है । यह कौन से प्रकार की गड़िया है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी बोलने के पहले इसका स्पष्टीकरण दो कि एक गड़िया एक क्विंटल गोबर देती है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पोकर्री ढीलही तव वोतका नइ देय ।

श्री उमेश पटेल :- चन्द्राकर जी, हेल्थ मिनिस्टर थे । आर.टी.आई. से जवाब मांगा गया कि कितने उम्र के लोगों को दिया गया है तो उसमें लिखा था 563 साल।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय, मैं वोखर जवाब ला बाद में देहूँ । हमर बहुत ही सम्माननीय नेता जी, हमर जतका सदस्य बोलिन हे, वोखर से मैं एक ठन सार बात निकालेंव कि एक ठन कविता हे वोखर मोला सुरता आगे । आंखी रहात ले अंधरा भइगे, कान रहात ले भैरा, ए सरकार ला मैं समझांवव काला। सम्माननीय सभापति महोदय जी, एखर मन के कथनी अऊ करनी ला देखथं,

⁹ [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

मोला बचपन सुरता आगे । उमेश पटेल जी, बड़ठे हे । बहुत सम्माननीय सदस्य मन बड़ठे हे । बचपन में गांव में एक ठन मदारी आवय । वोहा आय त बोरा धर के आगू म बैठ जान । वो काहय कि नेवला अऊ सांप के लड़इ । ऐला याद करव । हमर नेता जी बड़ठे हे । दो मिनट में समाप्त करिहंव । हमार नेता जी बाकी ला बोलही । नेवला अऊ सांप के लड़इ आ जाओ, आ जाओ । कटोरी में चांऊर ला धरके आगे मे बड़ठे रहान कि सांप अऊ नेवला लड़ही कइके । संझा हो जाये दोनो के लड़इ न होय, बल्कि वोखर ताबीज ला बेच के भाग जाये । वइसने आज डबल इंजिन के सरकार, ये विष्णु देव साय के सरकार जइसे सांप अऊ नेवरा नइ लडिसे, वइसने परदेश के 35 हजार शिक्षक भर्ती नइ होवय, परदेश में जइसे 500 में गैस सिलेण्डर देबो कहिन, तमाम परकार के योजना ला एमन कहे रहिसे, न कभू सांप नेवरा लड़य, न एमन अपना वादा ला पूरा करय । ऐखर ले मैं जोड़ के देखथंव । सभापति महोदय, आज बड़े-बड़े उद्योगपति मन के बात करिन । हम लोग उद्योगपति को इतना पानी दे रहे हैं, उद्योगपति को इतना छूट दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन में रहिसे कि 250 एकड़ जमीन ला अइसने दे दिस । मैं आज वो घर से आय हंव, मैं जो घर से आय हंव छेरीभेड़ी, मोर मजाक उड़ाथे छेरीभेड़ी वाला ए । हां मैं छेरीभेड़ी वाला अंव । मैं गांव वाला अंव। मैं छेरीभेड़ी वाला मन के बात करिहव । गाय चराने वाला मन के बात करिहंव । मैं दूध दही के बात कहिरंव । आज धन्य हे सरकार के, आज एमन कइथे कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमु मन मानने वाला अन । आप मन कोन रस्ता में चलथव, सनातन धर्म म कथे कि दूध अऊ दही को कैसे बढ़ावा देना है । गइया के लिये लोगों के रूझान कैसे आये । आप मन कहां करथव । दारू के भाव बढ़ाव, दूध के ला मत बढ़ाव । वाह रे मोर डबल इंजिन की सरकार हो । आज पूरा परदेश देख डरिन । दारू के भाव बढ़ा दे हव । अऊ तुमन सनातन अव । आज खुशी मोला तब जब आप मन दूध और दही के भाव ला बढ़ातेव तो आज छत्तीसगढ़ में यादव समाज जिस प्रकार से जनसंख्या में हे, आज गाय, भैंस ला छोड़ करके दूसर रोजगार करे में मजबूर हो जात हे। आप मन दारू भट्ठी ला खोलत हव और कहत हव हमन सनातन धर्म वाला अन। सभापति महोदय, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहत हों, आप गाय के दूध दही के भाव ला बढ़ाय के काम करतेव त मैं ओ.पी. चौधरी साहब के विनियोग जेला खर्चा करे बर परमिशन मांगत हे, महु ओला बढ के परमिशन देतेव लेकिन आप मन गाय के दूध के भाव ला बढ़ात नई हो, दारू के भाव लो बढ़ात हो, रामकुमार ला समर्थन दे कईहा ता नई देवय। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ ला बिजली के कारखाना कथे, हम उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जाथन त कथन, हमन छत्तीसगढ़ से आय हन, अच्छा ओ बिजली उत्पन्न हो रहा है, वहीं से आए हो। हमूं मन कथन हां सर वहीं से आए हैं। आज छत्तीसगढ़ ला बिजली के उत्पन्न के नाम से जाने जाथे, वाह मेरे डबल इंजन के सरकार हो, दु साल में चार बार बिजली के भाव ला गरीब मन बर बढ़ाय हो, कोई गरीब के आय बढ़ाय के चिंता नई, कोई किसान के आय बढ़ाय के चिंता नई, ओ उद्योगपति मन ला कइसे फायदा पहुंचाना हे, एखर खातिर दो साल में चार बैठक होए हे। ए डबल इंजन

के सरकार होथे। सभापति महोदय, हम जानथन ओ गरीब आदमी कइसे बिजली बिल के लिए तरसथे, बिजली बिल पटाय बर कहां ले पईसा पाथे, हमर सरकार रईस हावए, में तो ज्यादा पढ़े लिखे नई हों, इंग्लिश में यूथ आई कॉन कथे, मतलब पढ़े-लिखे लड़का मन के एक रोल मॉडल हीरो होथे। जे समय हमर सरकार रहिस ओ समय बेरोजगार लड़का मन जब व्यापम में फॉर्म भरे, ओ समय फीस नई रिहिस, याद करव। लेकिन अभी डबल इंजन के सरकार बनिस हे त कुछु भी फॉर्म भरव, पहली धान ला बेचव अउ धान ला बेच करके बिजली बिल ला झन पटावव, वहां फॉर्म में पईसा डालव। चौधरी साहब में कोई गलती नई हे, में व्यक्तिगत रूप से जानथव, काबर ओ कलेक्टर रिहिस हे त में आंव जांव, मोर पड़ोसी ए, जब ले भारतीय जनता पार्टी के चोला पहने हे तब ले ओला गडबड़ कर दे हावए। ओखर मती बिछा गे हे। नई तो ओखर सही आदमी व्यक्तिगत कर देव, ओ मोर भाई ए। आज में चौधरी साहब से कहना चाहत हों, पद आथे जाथे, ए संसार में जीव नई रहाय, आत्मा नई रहाय, त ए पद कब तक रही, चौधरी साहब जी, अतरात्मा ला खोलव और ए भारतीय जनता पार्टी के चोला ला छोड़व। मौका मिले हे काम करव, ए धरती में बड़े-बड़े महापुरुष मन जन्म लेकर चले गिन त हमन कोन होथन, आप ला एमन के भड़काव में नई आना चाहिए। जे छत्तीसगढ़ के जनता आप ला चुनकर भेजे हे, ओ बिजली बिल ला कइसे कम किया जाए, कम कटौती हो, किसान मन ला नई मिले, एखर बारे में चिंता करिहा, त रामकुमार यादव हा दसों ऊंगली में दस्तखत करके समर्थन करही। में आज योजना के बारे में बात करना चाहत हों। एमन बैठक के तमाम प्रकार के योजना बनाथे, हम ये योजना बनायेन, हमन ये योजना बनायेन, में मोरे क्षेत्र के बात करिहूं। महानदी में अभी कलमा, साराडीह, मिरौनी, बसंतपुर, शिवरीनारायण में बैराज बने हे। अउ बैराज के पानी कहां जात हे, डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर दूर बड़े-बड़े उद्योगपति के कारखाना में पाइपलाईन से जात हे, तरी में पानी भागत हे, ऊपर के धान ह मरत हे। किसान कोन लो बोलए। में आपसे कहना चाहत हों, अगर आप मन सही में छत्तीसगढ़ के हित चाहथव, आप कारखाना ला पानी देवव, हम आप ला झन देवव नई कहत हन, लेकिन अइसे योजना बनाथव, हमर कबीर साहब बइठे हे, हमर सब कबीर साहब मानने वाला अन, मोर नेता जी बइठे हे, जल में रह के मन प्यासी, अउ मोला सुन सुन आवए हांसी। अगर मछली पानी के भीतरी में रह के बोलए में प्यासा हंव, हम सब हांसबो, उसी प्रकार से महानदी के किनारे में रहने वाला किसान के खेत ला पानी नई मिले, अउ हमन कहत रहेन किसान के हितैषी सरकार अन, आप कारखाना ला भी पानी देव और किसान ला भी देव। महानदी के तट में रहने वाला जतका पानी लबलबात हे, वहां ओ खेत के पानी भी जाना चाहिए। अइसे योजना बनाथव त रामकुमार यादव अउ मोर नेता जी सबो समर्थन करतीन। लेकिन आप मन नई बनात हव। में एक-दो विषय ला कहके अपन बात ला समाप्त कर दुहूं। आपके भावना ला में समझत हो। चूंकि एमन सब बड़े-बड़े बात करे हे। में अंतिम छोर के व्यक्ति, बासी खाए वाले, भेड़ी चराये वाले मन के बात करत हो। काबर कि वोट उंही मन के ज्यादा हे। वोट उंही मन के लेना हे अउ ओखर मन के

अपमान इही मन करथे। सभापति महोदय जी, शिक्षा के बात हे। हमर गजेन्द्र यादव जी ला अभी शिक्षा मंत्री बनाहे। छत्तीसगढ़ में हमन देखथन कि शिक्षा के स्तर का हे? अगर पूरा देश में तुलना करथन तो आज बताते हुए मोला अत्यंत दुःख होथे कि शिक्षा में हमन अन्य प्रदेश के तुलना में जीरो में हन। गरीब के लड़का हा सरकारी स्कूल में पढ़त हे अउ तुंहर-हमर कस नेता, अधिकारी मन के लड़का बड़े-बड़े ए.सी. लगे हे, कम्प्यूटर लगे हे, तिहा पढ़त हे अउ भात खाने वाला, बासी खाने वाला, भेड़ी चराने वाला एमन ला वोट दे के भेजे हे। ओखर लड़का हा फूटहा स्कूल मा पढ़त हे। एमन कहही कि हमर लड़का मन आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में कइसे होही? एखरे खातिर मैं कहात हो कि गैर बराबरी चाहे शिक्षा में हो, चाहे आर्थिक स्थिति में हो, हर तरफ ऊंच-नीच होत जात हे। आज ए प्रदेश में शिक्षा के यह स्थिति हे। चौधरी साहब, ऐखर लिए मैं कहना चाहत हो कि आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हो। मैं जानत हो। आप अइसे योजना बनाओ। बाकी जगह उद्योगपति मन या हमर नेता मन लड़का ला भेजबो तो मेडिकल कॉलेज में कोन जाही तो नेता के लड़का जाही, लेकिन सरकारी स्कूल में नेता के लड़का नहीं जाये, अधिकारी के लड़का नहीं जाये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में पी.एस.सी. की परीक्षा में किसके बच्चे गये थे? आप यह तो बताइये। कब-कब प्रतियोगी परीक्षाएं बेची गईं? इसके बारे में भी बताइये। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला तो इधर की ईंट, इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा तोड़ा। आपने उसके लिए बजट तक नहीं दिया। आप बोलते क्यों नहीं हैं?

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, मैं तोला देखथो तो मोला राक्षस मन के गुरु के सुरता आथे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2023 में भी डोंडी-लोहारा क्षेत्र में पी.एस.सी. में घोटाला हुआ था।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यह शुक्ला जी जब-जब खड़े होथे तो ओ राक्षस मन के गुरु रीहिस हे, ओ हा मोला सुरता आथे। (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं तो गुरु हो, तै का हस? घंटा। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं हर यादव हो। मैं यदुवंशी कुल के हो। मैं गरूवा, भेड़ी चराके विधान सभा आये हो। तुंहर कस पोथी-पुराण पढ़ के नहीं आये हो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, विषय में आये और समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, मैं आज इस अवसर पर एक-दो शब्द अउ बोलहूँ। एक-दो विषय में अपन बात ला पूरा कर दिहूँ। आज इस क्षेत्र में जिस प्रकार से किसान मन के हालत हे। ए धरती ला किसान मन सजा के रखथे। छत्तीसगढ़ ला विशेष करके धान के कटोरा कहे गेहे। ओ किसान जो धरती के सीना ला चीर के अन्न उपजाथे। आज ओ किसान के दर्द ला एमन नहीं देख पाइन। किसान आज किस प्रकार से दुःखी हे। आज कई झन अइसे किसान हे, जेमन अपन बेटी के

बिहाव नहीं कर पात हे, अपन बेटा के बिहाव नहीं कर पात हे, काबर कि ओखर मन के धान नहीं बेचा हे। ओखर बावजूद भी आज एमन हांसी उड़ात हे। ए वही भारत हे, जहां पर कहे गे रीहिस हे-जय जवान-जय किसान। जे देश अउ परदेश में किसान के सम्मान हो जाये, जे देश अउ परदेश में जवान के सम्मान हो जाये, ओ देश अउ परदेश ला आगे बढ़े से दुनिया में कोई नहीं रोक सके। लेकिन आज आप मन दोनों ला अपमानित करत हो। आज जिस प्रकार से हमर छत्तीसगढ़ में।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- रामकुमार जी, आप कौन से जवान की बात कर रहे हैं?

श्री रामकुमार यादव :- वही जवान, जिसको आप लोग नहीं समझ पाये।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- बताओ कि आप यहां कौन से जवान की बात कर रहे हैं?

श्री रामकुमार यादव :- आपमन तो वइसेन-वइसने ला फंसा के रखे हव। आप मन जानथव कि कोन ला टिकट देना हे।

श्री दीपेश साहू :- रामकुमार भाई, इसके पहले तो आप ही लोगों ने कहा कि किसान चोर है।

श्री रामकुमार यादव :- किसान को आप लोग चोर बनाकर किसान का विकास किये हो।

श्री दीपेश साहू :- किसान चोर है, कहकर आप लोग बोल रहे थे। इधर से आवाज आज रही थी कि किसान चोर है।

श्री रामकुमार यादव :- किसान हमेशा सेवक हैं और सेवक रहेंगे। आप लोग पुलिस-दारोगा को भेजेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान खेती करना नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात को याद रखिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, इन लोगों ने साबित किया है, सत्यापन किया है, इसलिए चोर नाम आया है।

श्री दीपेश साहू :- सभापति महोदय, जो जैसे रहते हैं, वैसे ही बोलते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं बस दो विषय में बोलूँ, ओखर बाद समाप्त करिहूँ। जब हमर सरकार रीहिस हे तो यहां पर एमन एके ठन बात करे कि भ्रष्टाचार, यह भ्रष्टाचार, यहां तक कि नून के भ्रष्टाचार, वह भ्रष्टाचार। लेकिन मैं आज पूछना चाहत हो कि हमर विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत जी अउ पहला पंक्ति के नेता मन के द्वारा कई ठन जिला में शिकायत करे गिस तो अधिकारी मन जाके संग्रहण केन्द्र में खोजीन कि इहा के धान कहां हे? तो आप ला बताते हुए मोला अत्यंत दुःख होथे कि सरकारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के धान गायब हे। आप मोला बताओ कि अगर वही धान ला एमन अच्छा से संग्रहण केन्द्र में रखतीन अउ ओखर बढ़िया पइसा बनाकर ओला विकास में लगातीन तो कतका लागतीस तो ओला पूछिन कि कहां हे धान? तो ए मन भगवान ला मानने वाला हे। शायद आप मन ला पता होही कि गणपति भगवान के सवारी मुसवा हे। शंकर भगवान के दू ठन बेटा हे। एक बेटा कार्तिकेश्वर अउ एक गणपति महाराज।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त करें न।

श्री रामकुमार यादव :- गणपति महाराज के सवारी मुसवा हे। का ओ भी भगवान के रूप नो हे, ओकर सवारी नो हे ? और ओला कथिन कि ओला मुसवा खा दिस? का ला? ओ जतका धान ला मुसवा खा दिस, अब मैं पूछना चाहत हों, जो 5 साल आरोप लगाने वाला मन, जब आप मन छत्तीसगढ़ के गांव में जाबे, तो ये बात ला जरूर पूछिहौ कि आप लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे, ये 10,000 करोड़ रुपये का धान कहां गया? उस समय आप लोग क्या जवाब देंगे, आप लोग तैयारी करके गांव में जाना ? मोर भाई-बंधु हो, मैं ज्यादा नहीं बोलहूं, बस एक शब्द बोलते हुए अपन वाणी ला विराम देत हों।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय...।

सभापति महोदय :- इसके बाद तीन विधेयक हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इसमें मेरा नाम नहीं है।

सभापति महोदय :- इसमें मांग का विषय नहीं है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मेरी मांग नहीं है। मैं सिर्फ एक ही मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- देखिये, अभी नेता जी को बोलना है, फिर मंत्री जी का जवाब आना है, उसके बाद तीन विधेयक है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभापति महोदय, प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपये के धान का जो मामला आया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस मामले ने मुसवा-मुसवा करके मजाक का स्वरूप ले लिया है। जबकि सरकार के 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि का नुकसान हुआ है। उसमें जांच भी नहीं हो रही है। 10,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले अधिकारी या जो भी जिम्मेदार हैं, अभी तक वह जेल में होने चाहिए थे। चाहे सदन हो, अखबार हो या डिबेट हो, सब जगह केवल मुसवा-मुसवा करके जवाब दिया गया कि मुसवा के द्वारा इतना धान खा लिया गया, इस वजह से नुकसान हुआ। मुसवा के चलते वास्तविक आरोपी या जो उस नुकसान का जिम्मेदार हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि इसमें तत्काल जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी के द्वारा जो गलत तथ्य दिए गए हैं कि मुसवा के द्वारा धान खा दिया गया है, वे अभी तक जेल में होने चाहिए। सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है और सरकार 10,000 करोड़ रुपये के घोटाले में अभी तक जांच नहीं कर पाई है। मैं चाहता हूं कि इसमें तत्काल जांच हो।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। चौधरी साहब जी, आज सरकार आथे जाथे । 1947 के पहले यहां पर राजतंत्र रहिस, अभी लोकतंत्र आए के बाद कतको सरकार आईस और गईस। आप मन चुनाव के पहले घोषणा पत्र में वादा करे रहिन कि स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश के मितानिन ओकर मेन नीव होथे। आप मन ओमन बर सम्मान

के बात करे रहेव। आज ए प्रदेश के आंगनबाड़ी, स्वीपर, संविदा कर्मचारी, तमाम ऐसे बेरोजगार मन बर ओमन के काम करना रहिस। आज आप मन तो कर्जा ले हवय, अऊ कर्जा बढ़ा लेत हन। ए तीसरा बजट हे अउ आप मन चौथा बजट में करिहा ना, तो ऊहूं मन सब समझदार हे, ओ मन जान डारथे। काला? कि

“दुख में सुमिरन सब करे,
और सुख में करे न कोय,
और जो सुख में सुमिरन करे,
तो दुख काहे को होय।”

आप मन के अभी वही समय आही तो आप मन फिर सुमिरन करिहा। जनता हर सब बात ला समझ जाथे। ओकर खातिर मैं आपसे कहना चाहत हौं कि आप मन सरकार में पा गे हन, तो आप मन बढ़िया मजा करके चलावा, लेकिन जो-जो वादा करे हवव, दूजा भाव से छोड़कर के कभी कपट झन करिहा कि ए चंद्रपुर हे, ए कवासी लखमा के क्षेत्र हे, ए चरण दास महंत जी के क्षेत्र हे।

श्री रामकुमार यादव :- सुन ना, हमन तुमन ला दो मिनट में निपटाबो। महतारी वंदन ला थोड़ा बढ़ा देबो, धान ला बढ़ा देबो, तो तुमन मन ला कहां पता चलही? आप मन आधा हो जाहू। (मेजों की थपथपाहट) बेकार दिमाग मत खराब करबे, कैसे जीत के आबे, तेकर चिंता कर।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, यही महतारी वंदन ला सामने करके सब गड़बड़ कर दिस।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, दिल्ली में भी बहुत कुछ बढ़ाए थे, केवल 30 में उलझ गये। धर्मजीत भैया, दिल्ली में 400 पार की बात हुई थी। नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाये। वहां 400 पार की बात हुई थी, कहां रूक गए?

श्री धर्मजीत सिंह :- हमन फिर बढ़ाबो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- (व्यवधान) अभी मैं हर जानत हव कि आप मन चुनाव में फिर से बहुत बड़ी राशि दे हे। उससे समस्या का निराकरण हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी हमारी सरकार फिर बढ़ा देगी ना, तो इतन झन बोलत हव, कोई मतलब नहीं है। अभी आप मन बिहार में साफ होए हो कि नहीं? आप मन देखे रिहीस कि वहां महिला मन बर कैसे गईस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप महतारी वंदन को चुनाव में यूज करते हैं।

श्री संगीता सिन्हा :- सभापति जी, ये पिछले चुनाव में भी असम गए थे और जितने नेता असम गए थे, सबके क्षेत्र में कांग्रेस हार गई। अभी भी आप असम जाईये, बिहार जाईये, बंगाल जाईये और

गए भी हैं। देवेन्द्र यादव जी तो गुजरात गए हैं, अब गुजरात में कितना तीर चलाओगे, देखेंगे। आप पिकनिक मनाने जाईये और कामाख्या देवी के दर्शन करके आ जाईये। वहां असम में जाकर का करिहव।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, दिल्ली में 400 पार की बात बोले थे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, चौधरी साहब जी हर झारखंड में जाकर के संभाले रहिस हे, उहां का स्थिति होइस।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- 6 में से 5 सीट जीते। 400 वोट से 1 सीट हारे।

श्री रामकुमार यादव :- बाकी हा सरकार काकर बनिस। सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से आप मन छत्तीसगढ़ के जनता ला छलावा करत हव। साहब काकरो मन के बिटा जाथे न तो ओला आप मन हीरा, मोती दीहा, तब भी नई लेवय। छत्तीसगढ़ के जनता मा वो स्थिति बन गये हे। आज प्रदेश में डबल इंजन ला जान डारिस। आप मन के ऊपर में राम-राम, तरी में कसाई के काम ला जान डालिस। अब आप मन राम के नाम में राजनीति करथव, तेला जान डालिस। आप मन जात-पात लड़ाय के काम करत हव, तेला जान डालिस। एकर खातिर आने वाले समय में आप मन देखिहा कैसे जनता जनार्दन वोट के रूप में जवाब देही। मोला विश्वास हे जो पानी में नहाता हे, सभापति महोदय, मूं एक छोटे से कविता सोचे हवं..।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करिये न।

श्री रोहित साहू :- तुमन ला राम के नाम मा विरोध करथस, रामकुमार भैया तूं ला जान डालिस, वोहू ता बता दे न।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन ला कहत हवं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबाज बदलता है और जो पसीना से नहाता है, वो इतिहास बनाता है, इतिहास बनाता है। आप मोला बोलय बर समय देव, ओखर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मैं विनियोग विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय ओ.पी. चौधरी जी ने 24 फरवरी को जिस दिन बजट रख रहे थे, उस दिन मुझे भी सुपुत्र की प्राप्ति हुई थी। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की ओर बढ़ते कदम को अगर संकल्प के रूप में किसी ने अपने निहित शब्दों में उतारा है तो इस प्रदेश के सुशासन के रथ के वाहक आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और उसके संचालक माननीय ओ.पी. चौधरी जी के माध्यम से सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के रथ को आगे बढ़ाने की परिकल्पना के साथ इस बजट में समावेशी स्वरूप के साथ खड़ा होना स्वीकार किया है। मुझे याद है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत हो रहा था उस दिन ओ.पी. चौधरी जी के ललाट में जो तिलक लगा था, वह

छत्तीसगढ़ की माटी का था। छत्तीसगढ़ की माटी हमें स्वाभिमान, निश्चिंतता और गौरव का अहसास कराती है ताकि जय छत्तीसगढ़ के नारे के साथ सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के नारे के साथ हम छत्तीसगढ़ को भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकें। हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य मातृशक्ति का सम्मान है। हमारी डबल इंजन की सरकार का बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नरेन्द्र मोदी और विष्णु देव साय की यही कहानी, यही कहानी। (मेजों की थपथपाहट) जब हम निरंतर काम करते हैं तो माननीय मंत्री जी ने जब इस बजट का नाम संकल्प दिया तो संकल्प केवल बोलने से नहीं है। विजय शर्मा जी पूर्व में वक्ता के रूप में कह रहे थे कि संकल्प हमेशा साहस से आता है और वह साहस अंत्योदय के लक्ष्य के साथ एकात्म मानववाद की पूंजी के साथ अगर केन्द्र बिन्दु में अटल बिहारी बाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से सबके साथ काम करके "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" के नारे के साथ काम करने का उद्देश्य पूर्ति के रूप में स्थापित होता है। महतारी वंदन योजना महिला समाज के लिये आज हमारी सरकार के माध्यम से वरदान सिद्ध हो रही है। जब ये केन्द्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास का सुखद परिणाम है कि राज्य की माता बहनों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के लिये प्राप्त होता है तो ज्ञान का यह किला जनता में आये, सुशासन के रथ को गति मिले और विचारों के संकल्प के साथ जब यह सरकार काम करती है तो राज्य ही नहीं, जन-जन से एक आवाज निकलती है कि सुशासन की सरकार की जय हो। व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार को 02 साल हुए हैं, आरोप-प्रत्यारोप बहुत चल रहे हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि पिछले 05 साल का अध्याय भी पलटना चाहिए। पिछले 05 साल के अध्याय में क्या था ? 05 साल भूल ये करते रहे और धूल चेहरे में थी, आइना साफ करते रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया । छत्तीसगढ़ को ए.टी.एम. बनाकर एक परिवार की चरणवंदना की चाटुकारिता में समर्पित कर दिया और छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर चुनावी पर्यटन और चुनावी प्रबंधन में लगा दिया था तब छत्तीसगढ़ की जनता त्राहिमाम करते हुए आक्रोशित कर रही थी और बस्तर में जवान हथियार छोड़ रहे थे और तत्कालीन प्रदेश का नेता चुनावी पर्यटन में नीरो रूपी बंशी बजाकर असम में बंशी बजा रहा था और तब यह बात उठती है और विषय कहां आता है तो कोयले घोटाले पर सिंडीकेट आधारित भ्रष्टाचार की कड़ी खड़ी की । लेव्ही पर वसूली की, इस मामले में राज्य के वरिष्ठ आई.ए.एस. जेल पर हैं और बेल पर हैं । एक मुख्यमंत्री सचिवालय के उपसचिव तक जेल में हैं लगातार आरोप लगे, पूर्ववर्ती कार्यकाल में भ्रष्टाचार की अगर विश्व कीर्तिमान की व्यवस्था की चर्चा करें तो शराब घोटाला इसी कड़ी में था, होलोग्राम वाली शराब की बिक्री, डिस्टिलरी की कमीशनखोरी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे बिंदु केंद्र में थे । पहला

डिस्टिलरी से प्रति केस कमीशन लेना, दूसरा, होलोग्राम कच्ची शराब सीधे दुकानों तक पहुंचाना, तीसरा, डिस्टिलरी को कॉर्टल बनाकर सर्व करना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जो इन विषयों के अंतर्गत आते हैं। धर्मजीत सिंह जी ने सट्टे की कहानी तो पूरी बता ही दी। प्रोटेक्शन मनी लेकर किसको संरक्षण, किसको संवर्धन दिया, यह 5 सालों तक जनता ने देखा है और जब यह देखते हैं कि कांग्रेस सरकार के किसी कृत्यों में से अगला क्रम जो देश ही नहीं पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ के नाम को खराब किया, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पी.एस.सी. जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की दलाली है, नीलामी है और युवाओं के भविष्य को खेलने का जो [xx] किया है। उसका परिणाम है, यह विपक्ष में बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023 में मेरे जिला में ओ.बी.सी. की बच्ची को आदिवासी में आप लोग कैसे एग्जाम दिलवाये हो, सुशांत भाई, उसको सुनने की हिम्मत रखो। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) तत्कालीन अध्यक्षों को, रिश्तेदारों और प्रभावशाली अधिकारियों के बच्चों को, (व्यवधान) करीबियों को कैसे पद बांटे गये, यह व्यावहारिक दृष्टिकोण से है। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप विनियोग पर चर्चा कर रहे हैं या पूर्ववर्ती सरकार पर चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, वैसे मैं भी चर्चा कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप करवा दीजिये, अफीम पर बोलिये। (व्यवधान) यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- डी.एम.एफ. का घोटाला। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अगर आपको चर्चा करनी है तो आप माननीय सभापति महोदय जी से अलग से चर्चा मांग लीजिये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- कई चीजें, पी.डी.एस. की स्कीम छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अफीम के बारे में चर्चा करवा लीजिये, यह पूर्ववर्ती सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान) यह केवल आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) यह विनियोग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप विनियोग पर चर्चा करिये न, आप आरोप पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी। (व्यवधान) मेरे व्यावहारिक दृष्टिकोण से सिर्फ यह है कि इनको धान के कटोरे पर बहुत धान की खरीदी का आरोप लगा रहे थे, मैं आज स्पष्ट करना

चाहता हूँ कि कस्टम मिलिंग घोटाला, धान की कस्टम मिलिंग के बदले क्या घोटाला पूर्ववर्ती सरकार ने किया। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अभी क्या हो रहा है उसके बारे में भी बता दीजिये। अभी अफीम के साथ क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- भ्रष्टाचार में डूबी थी। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप अभी क्या कर रहे हैं, वह बता दीजिये न। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि सुशांत जी घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी विनियोग पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- अफीम की बात करो। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अभी अफीम उगा रहे हैं, उसके बाद में बात करेंगे। आपने स्टार्टअप शुरू किया है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जब यह पाइंट ऑफ ऑर्डर ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप विनियोग पर चर्चा कीजिये न।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं बोल रहा हूँ न, मैं विनियोग पर ही आ रहा हूँ। यह बजट क्यों जरूरी है, मैं इस विषय पर आ रहा हूँ। जब देश में अंत्योदय की परिपाटी से एकात्म मानववाद की परिपाटी से कार्यकर्ता सत्ता के केंद्र में पहुंचता है तब डॉ. रमन सिंह जैसे नेता निकलते हैं। जिन्होंने भूखों के अन्न की व्यवस्था की, सरस्वती साइकिल योजना की व्यवस्था की। सड़कों का जाल बिछाया, बस्तर-सरगुजा में समावेशी विकास किया। संचार क्रांति के पुरौधा बनकर छत्तीसगढ़ को संचार क्रांति और अन्यान्य योजनाओं से निकाला, इस छत्तीसगढ़ के सूर्योदय के समय चूंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक माह पक्ष माना जाता है, उसमें एक अमावस्या की तिथि भी आती है वह 5 साल की अमावस्या की काली अंधकार की रात, पूर्ववर्ती सरकार ने जो घोटालों के अंबार लगाकर स्थापित किया था, उसके बाद एक सुशासन का सूर्योदय हुआ है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपने कितने में जांच करा दी उसको भी बता दीजिये ? अगर इतना ही घोटाला हुआ है तो यह बता दें कि कितने में जांच हुई है और कितने लोग दोषी हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं बजट पर आ रहा हूँ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप विनियोग पर चर्चा करना चाहते हैं या पुरानी सरकार पर ?

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं विनियोग पर ही चर्चा कर रहा हूँ। आपके पूर्व वक्ताओं की भी चर्चा खोल लीजिये, सब लिपिबद्ध है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप विनियोग पर चर्चा करना चाहते हैं या पुरानी सरकार पर, यदि आप पुरानी सरकार पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप माननीय सभापति महोदय जी से समय मांग लीजिये ।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ कोई कार्यकर्ता मूल्य आधारित राजनीति पर सेवा की भावना के साथ आता है तो गांधी के विचारों के समाज की स्थापना करने वाला कार्यकर्ता जब सत्ता के केंद्र में पहुंचता है तो वह विष्णुदेव साय बनकर पहुंचता है, ओ.पी. चौधरी बनकर पहुंचता है, श्री विजय शर्मा बनकर पहुंचता है और अरुण साव बनकर पहुंचता है तब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से वंचित परिवारों को छतों की व्यवस्था होती है, तब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वंचित परिवार को चिकित्सा लाभ की व्यवस्था सुनिश्चित होती है, तब देश की आधी आबादी को महतारी वंदन के माध्यम से सशक्तीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित होती है । तब मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के माध्यम से भूखों के पेट भरने की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। कभी-कभी मन में यह बात आती है। यहां बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विषय कहे, परन्तु आज आपके माध्यम से माननीय विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि कभी भगवत गीता में यह लिखा है कि स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः, यह किसी विचार का विरोध नहीं है। किसी धर्म का विरोध नहीं है। कोई व्यवस्था कहां खड़ी होती है। जब एक विकास के वृक्ष को रोपा जाये तो जड़ में पानी देने की आवश्यकता होती है, कोई आवरण खड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें एक विषय सुरक्षा हो सकता है, जड़ में खाद और पानी देने की व्यवस्था से जब सरकारें काम करती हैं तब विकास के पौधे को खड़ा करने के लिए जड़ में पानी देने की आवश्यकता होती है और आज वह ओ.पी.चौधरी जी कर रहे हैं कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में नवा अंजोर 2047 के माध्यम से छत्तीसगढ़ कैसे विकसित होगा, इसकी बातें करते हैं। जमूरियत में नफरत और अकड़ नहीं चलती है। यह हमारे विचारों के केन्द्र में है। इन्होंने 5 सालों तक क्या किया है यह इस प्रदेश ने देखा है, परन्तु आज आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और माननीय ओ.पी.चौधरी जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि:-

“जब कहने वाले कहते हो, दुनिया तुमको समझायेगी

तुमको पथ से भटकायेगी।।

तुम अपने संकल्पों पर चलना

तुम हिम्मत कर चलते रहना

आराम नहीं अपना आसन,

लड़ना ही है जय का साधन

तुम इतना याद जरूर रखना

लहरों से न पतवार डरे, तूफान का रास्ता मोड़ेंगे
 मौजों की बांह मरोड़ेंगे, तुम हिम्मत कर चलते रहना,
 बस हिम्मत कर चलते रहना।” इसी विकास की भावना के साथ जब हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। मैंने पिछली बार माननीय ओ.पी.चौधरी जी को कुछ पंक्तियां समर्पित की थीं और वह पुनः स्थापित कर रहा हूँ :-

“खोल दे पंख मेरे अभी उड़ान बाकी है
 जमीन नहीं है मंजिल मेरी
 अभी पूरा आसमान बाकी है
 लहरों की खामोशी को समंदर की बेबशी मत समझ मेरे दोस्त

यह प्रतिपक्ष के दोस्तों को समर्पित है :-

लहरों की खामोशी को मेरी बेबशी मत समझ ए दोस्त

जितनी गहराई अंदर है, उतना बाहर तूफान बाकी है। मैं इसी भावना के साथ इस विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए, आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित करें।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सुशान्त जी, आपने डियर पार्क पर कुछ नहीं बोला।

श्री सुशान्त शुक्ला :- मैंने डियर पार्क मांगा है। आप लोगों के साथी भी मांग रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाइये। माननीय नेता जी बोल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आप लोग बोल लीजिए। मैं सुन रहा हूँ।

सभापति महोदय :- हो गया। उन्होंने अपनी बात कह दी।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी कहीं गये हैं।

सभापति महोदय :- वह आ रहे हैं। एक मिनट में आ जाएंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, तो उनको एक मिनट बोलने दीजिए। आप बोलिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय नेता जी ने आग्रह किया है...।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, यह आग्रह नहीं है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने आदेश दिया है तो उनका आदेश शिरोधार्य है। वह तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर संसदीय इतिहास का विश्वविद्यालय समाता है तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब हम यह बात करते हैं कि यह सदन जब किसी विषय की चर्चा को लेकर जाता है तो यह बजट क्यों जरूरी है। हमें हमेशा विसंगतियों से सीखना चाहिए। उन विसंगतियों को स्वीकार करते हुए, सद्गति मिले, अच्छा रास्ता मिले, इसके लिए डियर पार्क की मांग हुई, मैंने अपने

साथी से डियर पार्क की मांग की। इसमें मेरे साथी सहमति नहीं दे रहे हैं या उनकी कुछ और मंशा है। अकलतरा से लगे हुए बाजार पर केन्द्रित व्यवस्था के तहत वह दृष्टिकोण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह हो सकता है कि वह लोग डंकी पार्क खोलना चाहते हों, आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं इसका यह मतलब है कि उनके मन में कुछ और है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग आस्ट्रेलिया गये थे तो वहां पर हिरण पालने का फार्म भी होता है और यहां पर भी आप चाहें तो विचार करके, खेती करने की भी अनुमति दे दीजिए। यह जो शिकार-विकार होता है, वह भी बंद हो जाएगा। वहां पर डियर फार्म होता है, वहां आस्ट्रेलिया में एक-एक किसान का 10-5 हजार एकड़ का फार्म होता है। आप हमें विदेश भिजवाएंगे, मैंने तो मांग की है, अभी मैं वित्त मंत्री जी से फिर मांग कर देता हूं कि आप थोड़ा दयालू हो जाना भई। एक बार हमारे विधायकों को विधान सभा की तरफ से विदेश भ्रमण करा दीजिए। ईरान, ईराक में तो युद्ध चल रहा है, तो न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया बढ़िया है। आस्ट्रेलिया में सिडनी जाईए, कैनबरा जाईए, मेलबर्न जाईए। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन जाईए, क्वींसटाऊन जाईए और बहुत सुन्दर देश है, मैं तो जा चुका हूं। आप लोग भी जाईए, बहुत अच्छा लगेगा और विधायकों को भेजना भी चाहिए। 10 साल से विधायक लोग गए ही नहीं हैं तो थोड़ा भिजवा दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय सभापति महोदय, यहां विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक इस सरकार का तीसरा बजट है और माननीय वित्त मंत्री जी ने 1,87,500 करोड़ रूपए निकालने की अनुमति मांगी है। विनियोग यानि, आप भी जानते हैं, मैं अपने आप को होशियार नहीं समझ रहा हूं। विनियोग यानि जनता की गाड़ी कमाई से पाया हुआ राजस्व, पैसा और इसको सरकार किस तरह से समाप्त करना चाहती है या खर्च करना चाहती है या छीनना चाहती है, इसकी इजाजत मांगना ही विनियोग विधेयक है। चूंकि मुझे इस सरकार की नीति और नीयत देखकर कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा है -

चलती चक्की देखकर दीया कबीरा रोए।

दो पाटन के बीच मैं साबुत बचा न कोए ॥

दो पाटन में तो एक पाटन आपका दिल्ली है, जो बड़ी द्रुत गति से चल रही है।

श्री अमर अग्रवाल :- और एक पाटन आपके बगल में है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एक अमरपाटन भी है।

डॉ. चरण दास महंत :- वैसे चार पाटन हैं। मगर मैं दो पाटन की बात कर रहा हूं। एक पाटन छत्तीसगढ़ में रहने वाले गरीब, किसान, युवा, मजदूर साथी जो आपसे पीस रहे हैं और दूसरा पाटन आपका डबल इंजन सरकार का पहला इंजन केन्द्र सरकार, एक तो पूरा विज्ञापन देता है, वर्ष भर हम

लोग देखते रहते हैं कि सिवाय इसमें विज्ञापनों के अलावा कोई भी बात नहीं होती । चाहे मुख्यमंत्री जी का फोटो छपेगी, चाहे प्रधानमंत्री जी की फोटो होगी और इसी तरीके से हम लोगों को भरमाते रहेंगे और दोनों का रिमोट आज दिल्ली से चल रही है, हमारे पास कुछ नहीं है । अभी बातें बहुत सारी हुई हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । उनकी तरफ से जो बातें आई हैं, वह तो वित्त मंत्री जी की क्या, सभी मंत्रियों की, ट्रेजरी बेंचेस की एक अच्छी आदत होती है कि वे लिखकर बता देते हैं कि क्या-क्या बोलना है ? उसी-उसी बात को दोहराते रहते हैं । पिछले पाँच साल में क्या हुआ, आबकारी नीति क्या थी, उन्होंने कैसे भ्रष्टाचार किया, यह सब वही बातें बराबर आती हैं तो लगभग सभी लोगों की बात एक जैसे आये हैं । (मुख्यमंत्री जी का सदन में प्रवेश करने पर) मुख्यमंत्री जी आ गए । मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मैंने शुरू किया था, आप भी थोड़ा से कबिरहा हैं ।

‘चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय
दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय।’

सभापति महोदय, एक तो आपकी केन्द्र की सरकार और दूसरी आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ हमारा दूसरा प्रदेश है, जहां हम लोग पीस रहे हैं, सिर्फ इतना ही बताया हूँ। आपको सुनाकर माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूँ। उनके पास बड़ी-बड़ी कविताएं हैं, रूबाइयां हैं। दो-चार लाईन आप दोनों के लिए समर्पित है। मैं यह भी कह रहा था कि आप लोगों के जवाब तो उधर सब बंट जाते हैं कि आपको यह बोलना है। इधर विपक्ष का हमारा गरीब परिवार है, जो दिन भर, रात भर कुछ-कुछ लिखकर लाते हैं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- भगवान ऐसा सबको बनाये।

डॉ. चरणदास महंत :- ऊपर वाला आपकी दुआएं कबूल करें

श्री देवेन्द्र यादव :- भगवान आपको भी ऐसा गरीब बनायेगा।(हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- नहीं, ऐसा विधायकों जैसा गरीब सबको बनाये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हम लोग दिल से अमीर हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- ईश्वर आपकी दुआएं कबूल करें। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी की ओर इंगित नहीं कर सकता हूँ। मगर आपको इंगित करके कह रहा हूँ :-

“कहां सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं,

हम अपने आंखों के हिस्से से ख्वाब मांगते हैं।

हमको दरियां पर जाने से रोकने वाले, हमसे ही पानी का हिसाब मांगते हैं।

अजीब लोग हैं ये, इन पर रहम आता है।

कांटे बोकर वह हमसे गुलाब का हिसाब मांगते हैं।” (मेजों की थपथपाहट)

तो जनाब हम लोग क्या करें ?

सभापति महोदय :- लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- दोनों के लिए बोला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय वित्त मंत्री जी के लिए बोला हूं। वह तो यही कह रहे हैं कि देखो पाटन आपके बाजू वाला है। पाटन का अमर पाटन है। तीसरे चौथे की बात बाद में कर लूंगा।

सभापति महोदय, अभी दिल की बात हो रही है। लड़ाई के बाद अमेरिका से जो डील हुई है, ठीक है हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। हम लोग कम पढ़े-लिखे लोग हैं तो अपनी ही बात सोचते हैं। उस डील में पूरे देश को फायदा हो रहा होगा, मैं नहीं कहता हूं। मगर हमको क्या फायदा हो रहा है ? हमारे किसानों के लिए क्या मांगा गया है ? नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है ? मक्के की खेती करने वाले, कपास की खेती करने वाले, यहां तक कि हमारे हस्तशिल्प में जो कोसा, हस्तशिल्पकार हैं, इनको क्या मिला ? शून्य। इसलिए हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है या डबल कंट्रोल की सरकार है। हमारी आवाज को आप दबाते हैं, आप छत्तीसगढ़ की आवाज को दबा रहे हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यहां गरीब बसते हैं। गरीबों की संख्या ज्यादा है। मैं तो समझता हूं कि 90 प्रतिशत गरीब बसते हैं। गरीब मां-बाप सिर्फ यही सपना देखता है कि इस साल हमारा बच्चा स्कूल जायेगा, कैसे जायेगा, कहां पढ़ेगा, किताब कहां से खरीदेंगे, ड्रेस कहां से खरीदेंगे ? सभापति महोदय, कुछ को आप पैसा देते होगे, कुछ लोगों को मैं देता हूं, मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को देते हैं और वित्त मंत्री जी बहुतों को अपना पैसा देते हैं। मां-बाप पढ़ा-लिखा कर नौकरी कराना चाहते हैं। नौकरी के लिए सबसे बड़ा काम शिक्षक का होता है। पटवारी बनने का अब तो बहुत कम लोग सपना देखते हैं कि मेरा बेटा गुरुजी बन जाये। आपने पहले ही बजट में 33 हजार शिक्षक भर्ती का वादा किया था। हमने पूछा था कि 33 हजार शिक्षक की भर्ती कब होगी ? मैंने खुद ही पूछा था कि यह शिक्षक भर्ती कब करेंगे ? क्या लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञान निकलेगा या बाद में निकलेगा ? उस दिन मुझे कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन निकलेगा। पता नहीं मंत्री जी ने कुछ गलत जवाब दे दिया या कोई नाराज हो गया, उसी बेचारे को लोकसभा भेज दिए। वह यहां विज्ञापन नहीं दे पाये और अब बचे हुए बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, अब कहूं हमारे पूर्व आई.ए.एस. ऑफिसर या हमारे यहां के कलेक्टर और इन्होंने पी.एस.सी. का विरोध करके नाम कमा लिया था और युवकों के दिल में उनकी जगह बन गई थी, हीरो बन गए थे। आज उनके पास कुछ जवाब है? छत्तीसगढ़ के युवा लोग उनको खोज रहे हैं कि माननीय कहां हैं। अब उनको पूछते हैं कि कहां हैं, कुछ-कुछ गाली भी देते हैं, कुछ सुनाते भी हैं, तो कहते हैं कि इसको हम लोग 2047 तक के लिए टाल जाते हैं और वे युवा जो घर में बैठे हैं, सिवाय हताशा और निराशा के उनके पास कुछ नहीं है, मम्मी-पापा और मां-बाप की गाली सुनने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वे कभी भांग खाते हैं, कभी गांजा पीते हैं और आप लोगों ने उनकी सुविधा के लिए अब अफीम लगाना शुरू कर दिया है। (हंसी) (शेम-शेम)

की आवाज) यही करेंगे, कहां जाएंगे? धान का कटोरा को हम लोगों ने कल-परसों से नारा लगाया है कि आप अफीम का कटोरा बना रहे हैं, उचित नहीं है। दुर्ग के बाद बलरामपुर पहुंच गया। मेरा तो सरकार से यह दावा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में भी, जिले में भी बहुत दिनों से गांजे की खेती हो रही है। अंबिकापुर में गांजे की खेती हो रही है, हमारे कोरबा में गांजे की खेती हो रही है, मगर क्यों इनकी जांच नहीं होती, क्यों इनको पकड़ा नहीं जाता? बल्कि यह हो रहा है, जैसे मैंने कल परसों ही कहा था कि धान के अलावा अन्य फसल लगाने वालों को 10,000 रुपये देंगे बोले थे। सभापति महोदय, अब यह कितने ताज्जुब की बात है कि अफीम की खेती लगाने वालों को भी आपके कर्मचारियों ने, अधिकारियों तो कह नहीं सकता, पटवारी तहसीलदार तक बेचारे कहां के अधिकारी होंगे, उन्होंने भी उस अफीम का भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ पेमेंट किया है। कितनी बड़ी बात है और कितनी छोटी बात है, यह आप समझ सकते हैं। सभापति महोदय, हमारे लिए अध्यक्ष ही हैं, समझ लेते हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ। सभापति महोदय, इनका यह बजट जो पहले दिशा, फिर गति, फिर संकल्प पर आधारित है, 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और इसे बढ़ाकर 1.87 लाख करोड़ रुपये का विनियोग में पेश किया है। अब मैं अभी पूछूंगा कि यह बजट कैसे बढ़ गया, आपने कुछ प्रस्तुत किया था तो मुझे नासमझ ही समझा जाएगा। मगर मुझे लगता है कि आपने हमारी मांगों को इसमें स्वीकार किया होगा, कुछ लोगों के काम को स्वीकार किया होगा, इसके बाद आपने बढ़ाया है। अब इसमें मेरा शामिल है या नहीं है, यह मैं नहीं जानता। मैंने अपने गांव के लिए मांगा था, अपने चांपा के लिए अस्पताल मांगा था। कहां गए चंद्राकर जी? गायब हो गए। पूंजीगत व्यय की बात कर रहे थे, मैं भी कर देता हूँ कि वर्ष 2025-26 में आपने पूंजीगत व्यय के लिए 26,341 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। वित्त मंत्री जी, यह सही है क्या? अभी के वर्ष 2025-26 में आपने पूंजीगत व्यय के लिए 26,341 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और दूसरी तिमाही तक आप मात्र 3,565 करोड़ ही खर्च कर पाए। यानी कि आपने जो कहा था, उसका 13 प्रतिशत। जब पुराना काम ही पूरा नहीं हुआ, तो इस साल के बजट में आप पूंजीगत व्यय के लिए 27,000 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, तो इसका हम लोग क्या अर्थ समझें? राजस्व वसूली के बारे में आप और अमर भैया ज्यादा जानते हैं, मुझे गणित नहीं आती न, मैं अभी से बता देता हूँ। राजस्व वसूली का हाल यह है कि जनवरी, 2026 तक 141 हजार करोड़ के अनुमान के मुकाबले आपकी वसूली मात्र 1 लाख करोड़ रही है। बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सभापति महोदय, मैंने उस दिन भी बोला था कि केंद्र सरकार ने आपको एक चिट्ठी लिख कर कहा है कि हमारा पैसा, मतलब केंद्र का जो पैसा होगा, वह आप जानो आपने कैसे लिया। उन्होंने आपसे 21,500 करोड़ पैसा मांगा है। पैसा क्या मांगा है, उन्होंने धमकी दी है कि चार किस्तों में आप पैसा जमा करो। ये जमा किसका है? नक्सली उन्मूलन के लिए आपने CRPF, पैरामिलिट्री फ़ोर्स को दिया है और इसको भी आपने बजट में नहीं डाला है। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि किसकी देनदारी है,

किसकी लेनदारी है, यही हमें साफ़-साफ़ नहीं बतायेंगे तो हम आपकी नीयत पर सवाल करेंगे ही और आज भी हम कर रहे हैं। आप कैसे पैसा देंगे, यह बता दीजिए? मैं मानता हूँ कि आपके पास बहुत खर्च हैं। आपके पास कई घोषित योजनाएं हैं। जैसे कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ का, महतारी वंदन 8,200 करोड़ का, पी.एम. आवास का राज्यांश 4,000 करोड़ का, शहरी आवास 825 करोड़ का, बिजली सब्सिडी 6,700 करोड़ का है, कुल मिलाकर आप 87,018 करोड़ का खर्च रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, उसको आप देखिए, आपको गणित आती है। इसमें मैंने फूड सब्सिडी को नहीं जोड़ा है। धान खरीदी के घाटे से जो आप प्रतिपूर्ति के रूप में 60,000 करोड़ देंगे, वह भी मैंने नहीं जोड़ा है। आप पी.एम. सूर्य घर योजना पर सब्सिडी देने वाले हैं, वह भी मैंने जोड़ा नहीं है। इस तरह से जितनी राजस्व प्राप्तियाँ हो रही हैं, उतना तो आपका घोषित खर्च है। हमें क्या मिलेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कह सकें तो मुझको बता दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, उसे हमारे सभी साथियों ने बेहतर ढंग से बताया है कि अब गरीब का बच्चा 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या कितनी दूर पढ़ने जाएगा। आपने उन्हें पैदल जाने के लिए तो भेज दिया, स्कूल बंद कर दी। जैसे कि आप 10,000 स्कूल बंद करने की बात कहते हैं, जिसको आप स्वीकार ही नहीं रहे हैं। हमें इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चे उधर जाएंगे तो कैसे लौटेंगे क्योंकि उन्हें सांप काटेगा, बिच्छी काटेगा, कुत्ता काटेगा और खासकर आजकल की लड़कियां हैं, उन पर जिस ढंग से चाहे वह नशे के कारण हो या हमारी नीयत खराब हो रही हो या हम कहते हैं कि कलयुग आ गया है, लेकिन 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की बच्चियों के ऊपर जो गलत नजरें जाती हैं, उससे मां-बाप को जितनी चिंता होती है, वह आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, उसको कम कर दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि शून्य कर दीजिए, उसको कम कर दीजिए। मैं आपको आपके विज़न 2047 के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ग्रीन स्टेट की बात करते हैं। मैं ग्रीन स्टेट का मतलब समझता हूँ कि जंगलों से भरा-पूरा प्रदेश। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि 11 दिसंबर, 2023 को सरकार तो बनी नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11 दिसंबर, 2023 को इस्तीफा दे चुके थे। आपकी सरकार बनने वाली थी। माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, बने नहीं थे। उस बीच यह कहाँ से आपका अदृश्य आदेश आ गया कि आपने बड़े-बड़े मशीनों से पूरा हसदेव अरण्य साफ़ करना शुरू कर दिया? कितने पेड़ काटे उसकी गिनती मैं नहीं बताऊंगा, हमारे साथी बताए होंगे, आप गिन लीजिए। धर्मजीत भैया बैठे हैं, वह भी चले गए? जिनको याद करो, वही धीरे-धीरे चले जा रहे हैं। मैं इतना ही कह रहा था कि 27 जुलाई, 2022 को हम लोगों ने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था और उसमें यह कहा था कि कोयले के कोई ब्लॉक नहीं आयेंगे। हम इसको लेना नहीं चाहते हैं। चूँकि हम जानते हैं अगर वहां पर पूरा कोयले का खदान होगा, उधर जंगलों की कटाई शुरू हो गई तो हमारे खेतों में जो हसदेव बांगों नहर पानी देता है, वह 20 साल में समाप्त हो जायेगा। आपको इस बात की भी

चिन्ता करनी चाहिये कि हमारा बायोडायवरसिटी स्टडी जो है, एनजीटी का निर्देश है, छत्तीसगढ़ के भविष्य की बात है, आप भी 47 में छत्तीसगढ़ के भविष्य की बात करते हैं। 20 साल में जब हमारा हसदेव बांगों सूख जायेगा, किसानों को पानी नहीं मिलेगा, भूगर्भ की जो चार्जिंग कैपिसिटी है, वह भी समाप्त हो जायेगी, तब हम क्या करेंगे ? आप इस तरह की बातों को सोचा करिये। आप छत्तीसगढ़ के पढ़े-लिखे और समझदार लोग हैं, ऐसा हमारे लोगों ने आपकी तारीफ भी की है, चिन्ता भी की है। आप जबरन के खर्च मत करिये। आपकी उड़ान योजना फेल हो गई तो आपने हमारे तरफ से 110 करोड़ लगा दिया है। मैं ज्यादा कुछ कहने के बजाय यह कहना चाहता हूँ कि राज्य का जो खर्च है या केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान मिले हैं, आप दिल्ली को कितने पत्र लिखेंगे, कितने मिन्नतें मांगेंगे कि वह पैसा माफ कर दिया जाये ? सभापति महोदय, मेरे पास खनिज साधन का एक पत्र आया हुआ है, इसमें बहुत सारे पन्ने हैं, यह पूछियेगा मत कि कहां से मिला ? इसमें आपने चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है और मिन्नतें की है कि पैसे को माफ कर दीजिए। आपका पैसा केन्द्र में अटका है, उसको तो बुला लीजिए। मैं यही कहूँगा कि जितनी बड़ी चादर है, उतना ही पैर फैलाने की कोशिश करें या हम चादर को बढ़ाने की कोशिश करें। आपकी हवाई घोषणा बहुत हुई है और हो ही रही है, आपने पिछले 2 साल में किया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हवाई घोषणायें न करें, जिसे आप पूरा न कर सकें। आपने खता की या लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हमारे बच्चे उस सजा को न भोगे। अंत में आपके विनियोग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुदान भी आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने क्या सिखाया है, पूरा ढाई साल तो होने वाला है, आज भी यही कहते घूम रहे हैं, कि आपके पांच साल का भ्रष्टाचार, और आपका कोयला, ऐसा करते ढाई साल बीत गये हैं। अगर हमारा गुणगान करना है तो सरकार कब चलायेंगे ? आपको तो मौका मिला और ढाई साल निकल गया। हमने गलती की है तो हमारी जांच कराओ। पुलिस से कराओ, ई.डी. से कराओ, सी.बी.आई. से कराओ, जेल में बहुत से अंदर हैं और जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, फिर वापस आ रहे हैं। कोर्ट में हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। [XX]¹⁰ हमारी नहीं सुनता है आप लोग जिसको चाहो अंदर कराओ। आप और कितने दिन तक करते रहोगे ? आपका कल का भाषण लगभग 75 परसेंट पिछले पांच साल के करतूतों का है। यह हमारे काम पर आधारित है। हम कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया या हमारे हिसाब से किया ? आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया। हम आपसे क्या कहें ? इस तरह से लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आप लोगों ने पूरा पैसा नरवा-गरवा-घुरवा-बारी में दे दिया या नहीं दिया या उस पर बजट नहीं था। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप गांव के रहने वाले लोग हैं, नरवा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, गरूवा को भी समझते हैं, घुरवा को भी समझते हैं और बाड़ी को भी समझते हैं, गरवा को भी समझते हैं, घुरवा को समझते हैं और

¹⁰ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

बाड़ी को भी समझते हैं। यह हमारे पिछले सैकड़ों सालों से, छोटा-मोटा साधन रहा है। हम बाड़ी में करेला, भिंडी, इधर-उधर की सब्जी लगा देते थे और जो होता था खाते थे। आधी एकड़ की भी बाड़ी नहीं होती थी, पौन एकड़ की बाड़ी होती थी। हम गरीब लोग हैं, हम घुरवा में थोड़ा कचरा डाल देते थे और खेती कर लेते थे, खाद बन जाता था। गरीब लोग नरवा के सामने भी अपने खेत में छोटे-छोटे कुछ उगा लेते थे, सब्जी-भाजी उगा लेते थे, इसमें कहां पर राजनीति हो गई? आपने इसमें पैसा देना क्यों बंद कर दिया? ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं जो दिल्ली, बॉम्बे से आकर यहां IAS बनकर बैठते हैं, वे लोग क्या समझाते हैं कि हम मान जाते हैं, हम लोग तो छत्तीसगढ़िया हैं। मेरे ख्याल से नरवा भी चाहिए था, यह हमारी सांस्कृतिक मांगें हैं, धरोहर है, परंपरा रही है, इससे हमारे गांव की जो छोटी-मोटी आर्थिक स्थिति थी वह सुधर रही थी। आपने उसका पैसा देना बंद कर दिया, अब क्या हो रहा है? मैंने ऐसे सुना है कि बस्तर में गोठान के लिए हमने जितनी जमीन दी थी, उसको लोग अब कब्जा कर रहे हैं। लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, उनके द्वारा बेजा कब्जा हो रहा है। गांव के ही लोग गांव के गोठान को कब्जा कर रहे हैं। हम लोग गांव में जिस गाय को, जिस पशु को रखते थे, आप बाय रोड चले जाइए, आप तो हेलीकॉप्टर से जाते होंगे, आपको पता नहीं चलता, कभी रोड से जाइए न, बाजू में कितने गाय मरे हुए मिलेंगे, कितने मरे हुए जानवर मिलेंगे, कहीं बदबू आ रही है, कहीं नहीं आ रही है। आपने उनको सुरक्षित रखने की क्या व्यवस्था की? आपने कोई व्यवस्था कर ली है, आप कोई गोधाम रहे हैं, बनाइए, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। मगर गांव में, हमारे सड़क पर जो जानवर मर रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत बचत तो होती थी। आज उनके पास गोठान में भी जगह नहीं है, किसानों के घर में भी जगह नहीं है, जिधर जाओ बेचारे-बेचारियां सड़क पर बैठी रहती हैं। हो सकता है मैं नासमझ होऊंगा, मैंने एक-दो साथियों से पूछा कि ये गाय और ये बैल सड़क के बीचों-बीच क्यों बैठती हैं? किनारे में क्यों नहीं बैठती? उनका जवाब था, सही है या गलत मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा, भैया, ये मच्छर के डर के मारे बैठते हैं, मच्छर से उनको तकलीफ होती है तो बीच में आकर बैठते हैं, इधर से आपकी गाड़ी निकलती है तो गरम धुआं उनको मच्छर से बचा लेता है, उधर से आने पर इधर वालों को बचा लेता है। अब जो बेचारे जिनका मुख नहीं है, जिनका ज्ञान नहीं है, जिनकी बुद्धि नहीं है, वह इतनी समझदारी से जी रही हैं और हम लोग एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं ऐसा मैं समझता हूं। मेरा निवेदन है कि आप इनको सुरक्षित कीजिए, उनको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है और जो लोग हैं उसके बारे में भी आप यहां से ईमानदारी से सोचिए। आप जानते हो, आप पैसा किसको देते हो, खर्च कौन करता है, कितना उनपर खर्च करता है, कितना अपने पर खर्च करता है, ये आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि आपने जो द्वेषवश फंड रोका है उसके बारे में फिर से चिंता कर लीजिए। आप लोग ढाई साल बचे हैं बोल रहे हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री जी चुनाव को आगे बढ़ाएंगे या पीछे कराएंगे, मैं नहीं कह सकता। आपने सिंचाई के बहुत आंकड़े दिए हैं, आपने बहुत पैसे दिए, मगर सिंचाई क्षमता

कितनी बढ़ी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके कुप्रबंधन ने किसानों के बहुत सारे नुकसान किए हैं। हर बार हम लोग बोल चुके हैं, फिर हमारे लोग बोलेंगे, बोलते रहे हैं, ये 8,500 करोड़ रुपये का नुकसान तो आपके धान के स्टॉक में ही गायब हो गया। आप 3,100 के भुगतान की बात बहुत कर रहे हैं, हमारे बड़े-बड़े पुराने सदस्यों ने, नए सदस्यों ने सभी ने उनकी बात की। यदि भूपेश बघेल की सरकार 2,500 रुपये धान की नहीं देती तो आप 3,100 रुपये नहीं देने वाले थे। आप जो कह रहे हैं कि हम धान का भाव 500 रुपये और बढ़ा देंगे और 1,000 रुपये दे रहे हैं उसको 3,000 रुपये कर देंगे, फिर चुनाव जीत जाएंगे, आप इस गलतफहमी मत रहिये। ऐसी गलतफहमी में बहुत लोग चले गए। यह तो आना-जाना है। जिसको ऊपर वालों ने हम सबकी सेवा के लिए भेजा है, वह आएगा। जिसको नहीं आना होगा या जिनका काम ठीक नहीं होगा, वह जाएगा। यह आना-जाना तो जगत का भी खेल है और अभी सरकार में बैठे लोगों का भी खेल है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब ढाई साल बीत गए, आप पुरानी सरकार के बारे में कोसना बंद कर दीजिये। हम 5 साल रहे तो हम लोगों ने 15 साल के बारे में आपको ज्यादा नहीं कोसा। अब हमने यह क्यों किया, यह तो हम बता सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार के भी बहुत सारे घोटालों की बात होती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं सुना देता हूँ। धान खरीदी का घोटाला हो रहा है, आपकी आंखों के सामने। अफीम की खेती का घोटाला हो रहा है, आपकी आंखों के सामने। भू-घोटाला हो रहा है, आपकी आंखों के सामने। अवैध प्लॉटिंग हो रही है, आपकी आंखों के सामने और कह रहे हैं कि कुछ पदों की बिक्री और ठगी भी हो रही है, आपकी आंखों के सामने। कानून व्यवस्था की विफलता, वह भी आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। डी.एम.एफ. फंड में आप हमारी सरकार के बहुत गुणगान करते हैं, आपके यहां भी वही चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं। बीज निगम और सी.जी.एम.एस.सी. में बहुत सारी अनियमितताएं हुईं। जो दवाई नहीं आई, उसके भी पैसे दिये गये। करोड़ों रुपये का घोटाला है, वह भी आप देख रहे हैं। तैदूपता के बोनस के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने उनको कहा था कि 4,500 रुपये बोनस देंगे, मगर आपने नहीं दिया। आपने तो चप्पल-जूते दे दिये, मगर अभी वह दे नहीं पाये हैं, आप उसको भी सोच लीजिये। आरक्षण हमारे ओ.बी.सी. को नहीं मिल रहा है, यह भी आप देख रहे हैं। सड़क के निर्माण में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में हुआ था, उसमें ही मैंने आपसे प्रश्न किया था, आपको चेताया भी था, आपके लोगों को चेताया था, लेकिन वह भी नहीं माने। अब तो नयी-नयी बात कहने की इच्छा हो रही है, मगर मैं ज्यादा नहीं कहता, आपको बुरा लग जायेगा। डबल इंजन का मतलब यह तो नहीं होता कि एक इंजन में नशा सप्लाई कर दो और दूसरा उसको संरक्षण देने लग जाये? ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल बंद करना सुशासन के अंदर नहीं आता है। अगर आप सही में सुशासन करना चाहते हैं तो स्कूल को फिर खोल दीजिये। वित्त मंत्री जी, हम लोगों को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को आप कर्ज के जाल में फंसाते जा रहे हैं। विनियोग विधेयक के जरिये आप हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम आपके

लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस पैसे से आप दिल्ली वाले बड़े भाइयों के विज्ञापन छापेंगे, राज्य का खजाना खाली होगा और छत्तीसगढ़ का नुकसान ही होता रहेगा। यह दिल्ली से संचालित कठपुतली है, यह हम नहीं कहते, आजकल प्रदेश के लोग कहने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं सुनते, दिल्ली की सुनते हैं, यह भी सब कहने लगे हैं। बजट के आंकड़े बताते हैं कि विकास के होल्डिंग लगे हुये हैं और हमारी सड़कों के जो गड्ढे हैं वह आपको दिख नहीं रहे हैं। अगर कोई बताना चाहे तो मुझे एक बात पूछनी है, चाहे वित्त मंत्री जी बताएं कि गुढ़ियारी में जो सबसे बड़ा बिजली घर है, बिजली का भंडार लगा था, वहां आग क्यों लग गई? आग लगाई गई या आग लग गई? यदि आप आबकारी घोटाले के मामले में हम लोगों को रात-दिन कोस रहे हैं तो ईमानदारी से यह बता दीजिये कि उसके जो सबूत वगैरह कहीं-कहीं पर रखे हुए थे, उस आबकारी के मुख्यालय में आग किसने लगा दी? आपने लगाई या हमने लगाई? कुछ खोजेंगे? यदि आपने शिक्षा विभाग का कोई घोटाला नहीं किया था तो शिक्षा मंडल परिसर स्थित जो जिला अधिकारी का कार्यालय है, उसमें आग कहां से लग गई? इसके लिए कौन दोषी है? अभी तक उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? अभी तक यह पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है कि हमारे बीच में बैठा हुआ कोई आदमी आपके साथ और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा कर रहा है? हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। हमारे भाइयों ने सिर्फ बोलना चाहा। मैं तो बार-बार कहता रहा कि 5.00 बजे तक विधेयक प्रस्तुत हो जाना चाहिए। हमारी सुनी नहीं गई इसलिए टाइम ज्यादा हो गया और मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। मेरे पास भी बहुत सारा कुछ-कुछ लिखा हुआ है। कुछ पंक्तियां भी हैं जिसको सुनाना था, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा। अगली बार देखेंगे और इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं और कहता हूं।

श्री उमेश पटेल :- पंक्तियां तो सुना दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं-नहीं, पंक्तियां छोड़ दीजिए। अगली बार होगा।

सभापति महोदय :- बाद में सुनाने के लिए मिल जाएगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं अब जाते-जाते फिर यही कहूंगा कि आप जो जाप ढाई साल का कर रहे हैं, उस जाप को छोड़कर श्री राम, जय राम या हरे राम हरे कृष्ण कुछ भी कहिए, मगर छत्तीसगढ़ के हित के लिए कहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपसे एक आग्रह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने भाषण में न्यायालय पर टिप्पणी की है कि आपके कहने से अंदर करते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है। उसके ऊपर टिप्पणी अनुचित है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसको विलोपित करा दें और..।

डॉ. चरणदास महंत :- देखिए आपको...।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने न्यायालय पर टिप्पणी की है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। मैंने इसीलिए भाषण के बीच में टोका भी नहीं कि आप अपना भाषण पूरा कर लें।

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप वरिष्ठ आदमी हैं, मैंने शायद न्यायालय पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि न्यायालय आपकी है, आपकी चलती है।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। आपने यह कहा है कि न्यायालय आपके कहने से अंदर करती है, यह उचित नहीं है। मैंने तो वही कहा है, आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिये और विलोपित करवा दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं वही कह रहा हूँ ना कि न्यायालय आपके कहने से चलती है या आपकी सुनती है, यह भी गलत है तो विलोपित करा दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- हम उसको दिखवा लेंगे और यदि ऐसा कुछ वाक्य आया होगा तो विलोपित कर दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- उसे विलोपित करा दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने शुरू से कहा कि मैंने कहा है, मेरे मुँह से निकल गया है और मैं उसे गलत नहीं मानूँगा। यदि आप कह रहे हैं कि वह गलत है, तो उसको विलोपित करा दीजिए।

श्री अमर अग्रवाल :- न्यायालय पर टिप्पणी करना वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था में उचित नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- न्यायालय आपकी सुनता है, आपकी चलती है, आपकी मानते हैं, यह लोग कह रहे हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, बार-बार न्यायालय को लेकर यह टिप्पणी करना उचित नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- प्रभु, यह लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- लोग कह रहे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यह विधान सभा है, संवैधानिक व्यवस्था है।

सभापति महोदय :- इसको विलोपित कर दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- आप देख लीजिए, वह जैसा चाहते हैं, वैसा कर दीजिए।

सभापति महोदय :- जी, जी, ठीक है। श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के अंत्योदय के लिए जो बजट लाया गया था, कल उसका विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ था

और आज उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस अवसर पर इस विनियोग विधेयक में भाग लेने वाले विपक्ष के और पक्ष के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उमेश पटेल जी, अजय चंद्राकर जी, राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आप स्वयं, संगीता सिन्हा जी, किरण देव जी, देवेंद्र यादव जी, धर्मजीत सिंह जी, रामकुमार यादव जी, सुशांत शुक्ला जी और हमारे सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय चरणदास महंत जी, इन सभी 11 वक्ताओं ने जो इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबको भाग लेने के लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, जब भी हम इस पवित्र सदन में खड़े होते हैं और जब भी हम कोई बात बोलते हैं, तो हमारे समक्ष दो तरह के श्रोता होते हैं। एक जो सदन में हमारे सम्माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और इस सदन में हमारी दर्शक दीर्घा में या अन्य जो साथी बैठे हुए हैं, वह सीधे सुन रहे होते हैं। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में एक उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ भाई-बहन जो घर में, खेत में, खलिहान में, कारखाने में, जंगल में, सब जगह बैठ करके हमको सुनना और जानना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से इन दोनों तरह के श्रोताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अपनी बात को सदन में रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं पहले प्रशासनिक जीवन में रहा। 2005 में प्रशासनिक जीवन में प्रवेश किया। उस समय मुझे पब्लिक सर्विस में, पब्लिक लाइफ में काम करने का पहला अवसर मिला। उसी बीच में दंतेवाड़ा जैसे अत्यंत दुरुह क्षेत्र में, विभिन्न परेशानियों से घिरे हुए क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला। वहां पर मैंने देखा कि स्कूल कैसे तोड़ जाते थे, जलाये जाते थे, बच्चों के सपनों को कैसे कुचला जाता था और आने वाली पीढ़ी की उम्मीद आशा और विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। उस अनुभव के दौरान मैंने महसूस किया कि ब्यूरोक्रेसी की सीमारयें हैं और उसी सीमा को समझते हुए मैंने अहसास किया कि असली परिवर्तन नीति बनाने से लाई जा सकती है, असली परिवर्तन बजट जैसी चीजें करने से लाई जा सकती हैं। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये अवसर मुझे छत्तीसगढ़ की जनता के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसलिये आज मैं इस काम को, इस विनियोग विधेयक को सेवा के संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं पब्लिक सर्विस में तब भी था, मैंने पब्लिक सर्विस छोड़ी नहीं है बल्कि पब्लिक सर्विस के इस दायरे को बड़ा करने की अपने जीवन में कोशिश की है। मैं यह पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। विपक्ष ने जो प्रश्न उठाये हैं, उसमें से कुछ legitimate प्रश्न हैं, उनका मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उत्तर दूंगा। विपक्ष के कुछ प्रश्न विशुद्ध राजनीतिक हैं, उसमें मैं राजनीतिक न होते हुए तथ्यों के माध्यम से उत्तर दूंगा। और कुछ ऐसे प्रश्न उन्होंने किये हैं जिनका उत्तर तो 2023 में प्रदेश की 3 करोड़ जनता ने

पहले ही इन्हें दे दिया है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हमारी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कबीर का दोहा सुनाये थे, मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूँ-

सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।

माननीय सभापति महोदय, तथ्यविहीन असत्य के आधार पर अगर कोई नरेटिव बुनने का दुष्प्रयास किया जाता है वह कभी भी नरेटिव नहीं बन सकता। यह मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ। विशेषकर हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के लिये कबीर जी की पंक्तियां पढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा-

कबीर तन पंसो भया, जहां मन तहां उड़ि जाय
जो जैसी संगति करय, सो तैसे फल खाय।

आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुजन व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति है।

श्री सुनील कुमार सोनी :- पड़ोसी के बारे में बोल रहे हैं, आप चिंता मत करिये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- पर गति थोड़ी बिगड गई है, आजकल आपको उसका असर हो रहा है। ऐसे में हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के संदर्भ में कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- कबीर का वह भी एक दोहा कर रहे हैं, उनको करने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- कबीरा जब हम पैदा हुए, हमन अइसना नइ करन, जायेगा बाद में, हमर भावना हे- कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हसे हम रोय और वैसी करनी कर चलो, हम हसें जग रोय। ये बात याद रखिहा।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, इस विनियोग का जो आकार था, वह हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 1 लाख 87 हजार 500 करोड़ रुपये का विनियोग का आकार है। जिसमें ऋणों का जो पुर्नभुगतान है, वह 12300 करोड़ रुपये और जो पुर्नप्राप्तियां हैं, वह 3200 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुछ की डबल टेक्नीकल एंट्री होती है, इसलिए बजट का आकार और विनियोग का आकार अलग-अलग होता है। विनियोग का आकार 1 लाख 87 हजार 500 करोड़ रुपये है, वहीं इस बजट का आकार 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये है। इसमें किसी को कोई संशय पालने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 02 वर्षों की हमारी सरकार में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं तथ्यों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पिछले कांग्रेस की सरकार के समय में तीन वित्तीय वर्ष का उदाहरण देना चाहता हूँ। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ की ग्रोथ की जो रेट थी, वह 5.4 प्रतिशत थी, वहीं पूरे भारत देश की औसत ग्रोथ 6.4 प्रतिशत थी। अर्थात् हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से कम दर से वृद्धि कर रहा था। इसी तरह 2021-22 में प्रदेश की औसत ग्रोथ 16.8 प्रतिशत थी और देश की औसत ग्रोथ साढ़े

17 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की औसत ग्रोथ रेट 10.2 प्रतिशत थी और नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत 13.7 प्रतिशत थी। 3 ऐसे वित्तीय वर्ष आप लोगों के समय में गये जब हमारे प्रदेश की आर्थिक विकास की दर राष्ट्रीय औसत से कम थी, यह तथ्य है, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दो वित्तीय वर्ष पूरे तरीके से जो पूरे किये हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26, वर्ष 2024-25 में हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट साढ़े 10 प्रतिशत रही है जबकि राष्ट्रीय औसत विकास 9.7 प्रतिशत रही है। (मेजों की थपथपाहट) वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो एस्टीमेशन है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट 11.6 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 7.9 प्रतिशत है। (मेजों की थपथपाहट) इस तरह से दोनों ही वित्तीय वर्ष में हमने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तेज गति से ग्रोथ की है यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार का स्पष्ट तथ्यात्मक परिणाम के रूप में प्रदेश की जनता को मिला है और उसका लाभ मिल रहा है। मैं पर केपिटा इंकम की बात करूँ, मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूँ तो वह भी हमारे छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है, पर केपिटा इंकम का इस वर्ष का वह 10.07 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत में जो वृद्धि है वह 6.94 प्रतिशत है। बहुत अच्छे तरीके से हम राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तेज गति से प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी हम आगे बढ़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, पूंजीगत व्यय की बहुत चर्चा हुई कि पूंजीगत व्यय निश्चित रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत आवश्यक होता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किया है कि पूंजीगत व्यय हमारा तेजी से और आगे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019-20 में हमारे छत्तीसगढ़ का पूंजीगत बजट था, जो एकचुअल में व्यय हुआ था वह 8566 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 9024 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 10,504 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 13,320 करोड़ रुपये वहीं वर्ष 2024-25 की अगर मैं बात करूँ तो 20,054 करोड़ रुपये हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। मैं मानता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही है उसमें थोड़ा धीमापन है लेकिन उसको बढ़ाने के लिये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अलग-अलग हमारे निर्माण विभागों के माध्यम से पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिये हम लोग ईमानदार प्रयास कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासकीय स्वीकृतियाँ इस वर्ष जारी की गयी हैं, इस वित्तीय वर्ष में जारी की गयी हैं उसमें साफ तौर पर आने वाले समय में यह बढ़ता हुआ, बहुत

तेजी से बढ़ता हुआ दिखायी देगा और वर्ष 2024-25 में तो ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय 20,000 करोड़ रुपये का हुआ है जो हमारे प्रदेश के तेजी से विकास को प्रदर्शित करता है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग हो, मैं पी.डब्ल्यू.डी. की दृष्टि से यह कहना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष को छोड़ दें तो पिछले 3 वित्तीय वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई थी और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अकेले 8500 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। (मेजों की थपथपाहट) इसी तरह के आंकड़े आपको सिंचाई विभाग में दिखायी देंगे तो हम बहुत तेजी के साथ, बहुत एग्रेसिव तरीके से प्रदेश में विकास की रफ्तार को, पूंजीगत व्यय के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं और पूंजीगत व्यय की रफ्तार और तेजी से आगे बढ़े इसके लिये लगातार इंजीनियर्स की भी भर्ती करने का काम हमारी सरकार के विभिन्न विभाग कर रहे हैं उसकी भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है और चाहे पी.एच.ई. विभाग हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग हो, चाहे एन.आर.डी.ए. हो, चाहे इरीगेशन हो सभी में इंजीनियर्स की भर्तियां तेजी से चल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, बजट कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, बहुत सारी चर्चाओं में इस पर बहुत सारे विषय आये तो मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि जो एक्जुअल एक्सपेंडिचर है वह वर्ष 2018-19 में बजट एस्टीमेट के कंपेरिजन में 88 प्रतिशत था, वर्ष 2019-20 में 90 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में 83 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 में 88 प्रतिशत था, वर्ष 2022-23 में 95 प्रतिशत था। अगर आप वर्ष 2024-25 का भी लेंगे तो यह 99 प्रतिशत और 107 प्रतिशत पर बैठता है तो बजट एक्सपेंडिचर निश्चित रूप से जितना बजट होता है उसकी तुलना में कई ऐसे विषय होते हैं जो पेश नहीं होते हैं, यह वर्षों से स्थिति रही है लेकिन हमारा बजट utilisation, actual expenditure बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और पिछले वर्षों की तुलना में हम ऐतिहासिक रूप से अच्छा परफार्म कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक वित्तीय विषयों की बात होती है तो मैंने पिछली बार बजट चर्चा के दौरान कुछ बातों को रखा था, मैं आपके माध्यम से सदन को उसको और स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हुए, कहना चाहता हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हो या कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र हो, वर्ष 2018 में जो विषय थे। वह भी बहुत सारे वित्तीय भार बढ़ाने वाले थे, स्वाभाविक रूप से जनकल्याण के लिए वित्तीय भार को स्वीकार करके, हम सरकार चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उस मानसिकता के साथ वर्ष 2018 का भी कहीं न कहीं घोषणा पत्र वैसी थे। हमारा वर्ष 2023 में संकल्प पत्र आया, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उसमें भी काफी सारे वित्तीय रूप से बहुत सारे बर्दन वाले विषय थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे स्वीकार करने में भी कोई संदेह नहीं है। चाहे धान पर 15 क्विंटल को बढ़ाकर, 21 क्विंटल करने की बात हो, 3100 रुपये में धान खरीदी करना,

हमने संकल्प पत्र में 18 लाख आवासों की बात कही थी, हमने माताओं-बहनों के लिए महतारी वंदन योजना की बात कही थी। अगर मैं इन तीन विषयों पर ही बात करूँ तो धान पर पिछली सरकार की तुलना में जो राज्य पर वित्तीय भार आता था, सब कुछ मिलाकर, वह कुल लगभग 10 हजार करोड़ रुपये आता था, वह हमारी सरकार में 10 हजार करोड़ रुपये और बढ़ते हुए, 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात बताना चाहूँगा। उस समय सारी व्यवस्था आवास में जीरो हो गयी थी, इस योजना के साथ केवल प्रधानमंत्री शब्द लगा हुआ था, इस नाम से 18 लाख गरीबों के हक को मारने का काम किया गया था। ऐसे समय में आवास के संदर्भ में हम हर बजट में 4 हजार-5 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में 26 लाख आवास बनाने के महायज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इनके समय में महतारी वंदन जैसी योजना बिल्कुल नहीं थी। उसी का जो भार बढ़ा है, वह 8 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ा है। इन्हीं तीन योजनाओं को मिलाकर, 22-23 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लेकिन हम माताओं-बहनों के लिए Committed हैं, हम आवासहीन लोगों के लिए Committed हैं, हम किसान भाईयों के लिए Committed हैं। इन welfare scheme को चलाते हुए, छत्तीसगढ़ के अन्त्योदय के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार में हमारी सरकार पूर्णतः Committed है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन इसके बाद भी आप सभी आंकड़ों को देख सकते हैं। चाहे पूंजीगत व्यय की बात हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. में स्वीकृति की बात हो, चाहे इरिगेशन में स्वीकृति की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को सब्सिडी देने की बात हो, चाहे भर्तियां भी निकालने की प्रक्रिया हो, हमने इन सब में कोई कमी नहीं की है, उसे भी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग समर्पित होकर प्रयास कर रहे हैं। हम इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे तीन महत्वपूर्ण विषय हैं एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि एस.सी.ए. सबसे बड़ा विषय आता है, जिसके माध्यम से हमने चीजों को ठीक करने का प्रयास किया है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। एस.सी.ए. के माध्यम से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने व्यवस्था की कि राज्यों का पूंजीगत व्यय कम न हो, राज्यों में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी न पड़े, इसके लिए उन्होंने एस.सी.ए. special capital assistance या जिसको शासकीय कहते हैं special assistance to states for capital investment, यह जो शासकीय योजना है, यह रिफार्म आधारित होता है, यह गवर्नेंस आधारित होता है तो जो राज्य जितना अच्छा रिफार्म करता है जितना अच्छा गवर्नेंस चलाता है, इतना पैसा अतिरिक्त एस.सी.ए. के रूप में नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र की सरकार राज्यों को प्रदान करती है। वह कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखती है, वह सबको प्रदान करने का काम करती है, जो रिफार्म करते हैं। यह 50 सालों का इंटेस्ट फ्री लोन है इसको हम financial parameters पर देखें तो हमको इस लोन को 50 साल बाद वापस करना है और हमें जीरो ब्याज के साथ उतना ही पैसा वापस करना है तो इसका

financial parameters पर कैल्कुलेशन करें तो इसकी नेट वैल्यू 8 प्रतिशत के आसपास पड़ता है। अगर आज वर्ष 2026 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं और अगर वर्ष 2076 में 100 करोड़ रुपये ही वापस करना पड़े तो हमें आज जो पैसा मिल रहा है उसको मानना चाहिए कि हमें 100 करोड़ रुपये मिल रहा है और हमको 8 करोड़ रुपये ही वापस करना है तो यह ऑल मोस्ट अनुदान है और यह रिफार्म्स करने से और अच्छा गवर्नेंस चलाने से ही यह पैसा मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण डेटा रखना चाहता हूँ जो इस प्रदेश की व्यवस्था की दृष्टि से इस सदन को जानना चाहिए और इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की 3 करोड़ जनता को जानना चाहिए। वर्ष 2020-2021 में इस एस.सी.ए. पर मात्र 286 करोड़ रुपये मिला था क्योंकि उस समय की सरकार रिफार्म पर ध्यान नहीं देती थी, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं देती थी। इसी तरह से 2021-22 में मात्र 423 करोड़ रूपए मिले। इस एस.सी.ए. पर लास्ट फाईनेंसियल ईयर में हमारे मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में हम लोग 6200 करोड़ रूपए ला पाने में सफल हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) विपक्ष के लोग बात करते हैं कि क्या गवर्नेंस है? इससे बड़ा गवर्नेंस का प्रमाण नहीं हो सकता चाहे डिजीटलीकरण हो, चाहे पंजीयन सुधारों की बात हो, चाहे फाईनेंसियल सुधारों की बात हो, लैण्ड रिफार्म्स की बात हो, Ease of Doing Business की बात हो, उन सबमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इतने अच्छे तरीके से काम किया है। पिछले साल एस.सी.ए. 6200 करोड़ रूपए मिला था और इस साल का एस.सी.ए. में 7500 करोड़ रूपए मिल चुके हैं और आने वाले वर्ष के लिए हमारा टारगेट है कि हम 10 हजार करोड़ रूपए प्रदेश के विकास के लिए लेकर आएंगे। यह एक बड़ा चीज है, जिसके माध्यम से हम वित्तीय व्यवस्था को विभिन्न प्रकार के बड़े वित्तीय भारों के बाद भी हम सम्हाल पाने में सफल हुए हैं।

सभापति महोदय, दूसरा विषय, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आपके माध्यम से मैं सदन में रखना चाहूंगा, वह पेंशन का है। जो मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य सन् 2000 में अलग हुआ, बाईफारकेशन राज्य पुनर्गठन एक्ट के माध्यम से, उसमें जो संयुक्त कर्मचारी थे, उनके पेंशन के संबंध में जो भार निभाना था, जो दायित्व निभाना था, वह 74 प्रतिशत मध्यप्रदेश को निभाना था और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को निभाना था। 5 साल तक इनकी सरकार रही, उसका ढंग से रिफार्म करके, उसका ढंग से डिजीटलीकरण करके, डिजीटाईजेशन करके उस रिकॉर्ड को अच्छा किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि लगातार 8 महीने तक 50 से अधिक लोगों की टीम ने इस दिशा में काम किया और उससे निकलकर आया कि इन सालों में 12478 करोड़ रूपए मध्यप्रदेश को अधिक पेंशन का भुगतान हुआ है। इससे यह पैसा हमें मध्यप्रदेश से वापस मिलेगा और हर साल का लगभग हजार-डेढ़ हजार करोड़ रूपए जो अतिरिक्त चला जाता था, वह पैसा भी बचेगा। यह बहुत बड़ा विषय है, जिसके माध्यम से वित्तीय हालात को बेहतर

कर पाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य विभिन्न राजस्व हैं, उन पर भी हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिफार्म्स के माध्यम से काम किया है। राघवेन्द्र भाई बोल रहे थे कि अनुपूरक बजट का इतना बड़ा साईज नहीं आना चाहिए। मैं उस बजट को प्रस्तुत करते हुए स्वयं कहा था कि इतना बड़ा अनुपूरक का साईज आना किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। यह सारी व्यवस्थाएं हैं। इसको राघवेन्द्र जी और हमारे सुदीर्घ सदस्य हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा कि वे लोग इस चीज का अध्ययन करें। 39 हजार करोड़ की विभिन्न देनदारियां आफ बजट के माध्यम से पिछली सरकार चली थी, सब कुछ आफ बजट था। मार्कफेड की देनदारी 22 हजार करोड़ रूपए छोड़कर गए थे, नागरिक आपूर्ति निगम की देनदारी लगभग 5 हजार करोड़ रूपए छोड़कर गए थे। आयुष्मान योजना की देनदारी लगभग दो हजार करोड़ छोड़कर गए थे। दवाई रि-एजेंट पर एक हजार करोड़ रूपए छोड़कर गए थे। 5 एच.पी. तक कृषि पम्पों को निःशुल्क जो किसानों को विद्युत प्रदाय किया जाता है, उसमें 2000 करोड़ रूपए की देनदारी छोड़कर गए थे और जो अलग-अलग प्रकार के ऑफ-बजट लोन थे, उस पर 7 हजार करोड़ छोड़कर गए थे। 39 हजार करोड़ रूपए के ऑफ-बजट देनदारियां छोड़कर गए थे तो जो ऑफ-बजट लोन थे, उनको भी हमने बेहतर करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम जो लोन लेते हैं, उस लोन का बेहतर उपयोग हम कैसे करें, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक होता है कि **Reckless Borrowing** की जाये। बारोईंग पर भी कई बात होती है। एक होता है- **Reckless Borrowing**, जो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस **Reckless Borrowing** करती थी, हमने Responsible Borrowing किया हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना में 2500 करोड़ रूपए का लोन था, सूडा में 1884 करोड़ रूपए का लोन था, ईएमएवाई ग्रामीण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी में 1351 करोड़ रूपए का लोन था, हाऊसिंग बोर्ड जीएडी क्वार्टर्स के लिए 706 करोड़ का लोन, पुलिस हाऊसिंग बोर्ड के लिए 51 करोड़ रूपये का लोन था। इस तरह के ऑफ बजट लोन थे, हमने इसको लोन लेकर भुगतान करने का काम किया है। यह responsible borrowing का उदाहरण है। हमने 6,670 करोड़ रूपये के उच्च ऋणों का पूर्व भुगतान किया है तथा 1,350 करोड़ रूपये के ब्याज की बचत की है। (मेजों की थपथपाहट) जो राज्य की गारंटियां थीं, इनके समय में 30 हजार करोड़ रूपये की राज्य की गारंटियां दी गई थीं, उनमें से 12 हजार करोड़ रूपये के लगभग राज्य की गारंटियों को मुक्त कराने का काम किया है। यह responsible borrowing का उदाहरण होता है।

सभापति महोदय, जब वित्तीय पैरामीटर की बात करते हैं तो सी.एस.एफ, Consolidated Sinking Fund में हमारे 875 करोड़ रूपये जमा हैं। जी.आर.एफ. Guarantee Redemption Fund 1,033 करोड़ रूपये जमा है। पेंशन फण्ड, जब भविष्य में राज्य के ऊपर पेंशन के दायित्व निर्मित होंगे, उसके कारण भविष्य में प्रदेश की वित्तीय स्थिरता खराब न हो, उसके लिए पेंशन फण्ड की बात पिछले बजट में की थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले मानसून सत्र में उसका एक्ट बनाया और

उसमें 1,121 करोड़ जमा करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फण्ड की भी स्थापना की है। इन सबके माध्यम से 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि इन फण्डस में जमा की है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, ये सारी बातें बजट भाषण में आ ही गई है। माननीय मंत्री जी, विनियोग में कुछ नया चीज बताईये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, अब ये सब ऐसी बातें हैं, जिसको विपक्ष को सुनना अच्छा नहीं लगेगा।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, नहीं विनियोग की बात देख लीजिये। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बातें आ गई हैं उसको रिपीट न करें।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब जी, आप हमर बहुत आदरणीय आ, बहुत बढिया बात हे। हमन सुने बर बैठे हन, लेकिन एक फिल्म ला कै घव सुनब ? एक बार देख डरे अथन, ऐसे कहना हे। चौधरी साहब, तु अपन दिल के बात करा, डबल इंजन वाला बात मत करा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय मंत्री जी, रामकुमार जी क्या है कि जब पिक्चर हिट होता है तो उसको बार-बार देखना और सुनना पड़ता है। इसलिए आप बार-बार सुनिये और उसको देखिये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं अब रिपीटेशन की बात करूं तो विपक्ष ने जितनी चीजों को कहा है, उसका 90 प्रतिशत से ज्यादा डिलीट करना पड़ जायेगा, ऐसी हालत रहती है। सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रखे हैं। आवास के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं उस पर बताना चाहूंगा कि आप किसी भी साल का देख लीजिये कि इन्होंने किस तरह से आवास के साथ गड़बड़ी की थी, वह पूरे प्रदेश की जनता जानती है। वर्ष 2016-2018 के बीच जब डॉ.रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब 7 लाख 83 हजार आवास भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने स्वीकृत किया था। पुरानी सरकार के समय में 3 लाख 92 हजार ही नये आवास स्वीकृत हुए, जो पूरे आवास की डेटा की बात कर रहे थे। हमारे विपक्ष के साथी बहुत सारी बातें कर रहे थे। अभी प्रथम कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2011 की सूची में जो शेष 6 लाख 99 हजार आवास, सन् 2018 की सर्वे सूची में 8 लाख 19 हजार आवास और पुरानी सरकार में स्वीकृत, किन्तु राशि अधूरी थी, उसको स्वीकृत करने के लिए 2 लाख 46 हजार आवास स्वीकृत करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुनील कुमार सोनी :- चौधरी जी, इसके अंदर नया यह है कि आपने जो 11 हजार करोड़ रूपया केन्द्र को लौटाया, तो वापस हमारा स्टैण्ड भी हुआ है। अभी ओ.पी. चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ..।(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- क्या है सोनी जी, यह बजट भाषण में शुरू हुआ, विनियोग भाषण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। मैं तो यह चाह रहा हूँ कि जो विनियोग में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से विनियोग भाषण हो।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष के साथी अपना भाषण देते हैं और फिर निकल लेते हैं। देखिये क्या हालत है? उस दिन बजट चर्चा के समय भी उमेश जी चले गये थे। बहुत सारे लोग चले जाते हैं। इनको बार-बार सुनाना पड़ेगा तभी कुछ याद होगा।

श्री उमेश पटेल :- यह रिकार्ड रहता है, हम उस रिकार्ड से पूरी चीज को पढ़ लेते हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जैसा इनके नेता करते हैं। चलिये ठीक है, अब अच्छी चीज सुन लीजिये, आप लोगों को अच्छी चीजें सुनाता हूँ। आज आप लोग बेरोजगारी भत्ता पर बहुत बात किये, वह तो सुनना पसंद करेंगे न? बेरोजगारी भत्ता पर सुनना पसंद करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि इसको जरूर सुनेंगे और बहुत जोर का झटका लगेगा। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी बेरोजगारी भत्ता की बात में बहुत सारे विषय रख रहे थे। सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कि 10 लाख युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो 10 लाख युवाओं को अगर 2500 रुपये के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे तो 1 महीने का पैसा कितना लगेगा, 250 करोड़ रुपये लगेगा। 250 करोड़ रुपये 1 महीने का लगेगा और 1 साल का पैसा लगेगा 3000 करोड़ रुपये लगेगा। सभापति महोदय, हर साल इनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान करना था। सभापति महोदय, अब मैं बताता हूँ कि वर्ष 2018-19 में इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया? जीरो। (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाज) वर्ष 2019-20 में इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया? जीरो। (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाज) वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी भत्ता के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया? जीरो। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी भत्ता के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया? जीरो। वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी भत्ता के लिए इन्होंने कितना बजटीय प्रावधान किया? जीरो।

श्री सुनील कुमार सोनी :- आपको और नयी बात बताता हूँ। 5,27,000 लोगों को आपने नौकरी दी, आपने इसका होल्डिंग लगाया था। अजय चंद्राकर जी उस समय विधायक थे, सभापति जी थे, यहां पर पूछा तो आपने उत्तर में कहा 20,000 लोग और 5,27,000 का आप होल्डिंग लगाए थे। यह आपके लिए नयी बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौधरी जी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हो तो मैं दो बात बताता हूँ, आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- झटका तो देने दो भइया।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुम्हारा ही विषय है।

श्री उमेश पटेल :- क्यों उनको झटका देने दो । शायद अभी घोषणा करेंगे कि हम बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये प्रति बेरोजगार को देंगे तो हमको झटका लगेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश बाबू, सुनिए तो।

श्री उमेश पटेल :- मैं तो सुनना चाहता हूँ कि 3000 प्रति व्यक्ति 18 लाख युवकों को देंगे, यह मैं सुनना चाह रहा हूँ। इसलिए आप टोकिये मत।

श्री रोहित साहू :- भइया, आप लोगों को झटका तो लग गया है ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी ला करेंट लग गे हावे।

श्री रोहित साहू :- रामकुमार भइया, आपको झटका तो लग ही गया है।

श्री उमेश पटेल :- आप रहते नहीं हो, आपके क्षेत्र की बात आती है तो आप रहते नहीं हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- रोहित, एक मिनट बैइठ तो। उमेश बाबू सदन में हैं, 5 साल तक वे बेरोजगारों की परिभाषा ही तय नहीं कर पाए। एक बात।

श्री उमेश पटेल :- दो-ढाई साल हो गया, बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया? □

श्री अजय चन्द्राकर :- बेरोजगारी की परिभाषा ही तय नहीं कर पाए तो भत्ता क्या देते?

श्री उमेश पटेल :- तो आप बेरोजगारी की परिभाषा दो। हद हो गई। आपको सरकार में रहते हुए ढाई साल हो गया मालिक, कुछ तो ये करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया? अब दूसरी बात बता देता हूँ। गंगाजल पी कर नशाबंदी करना था, दारुबंदी। कांग्रेस में बहुत तीव्र मतभेद है इस बात में कि गंगाजल पी के...

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह गलत बात है। प्रमाण कर दीजिये गंगाजल पीये होंगे तो। गलत मत बोलिए। हर चीज को असत्य मत बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- गंगाजल की जगह में कोई गोमूत्र पीए हैं, स्वमूत्र पीए हैं, क्या पीए हैं, उसमें मतभेद है।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जायें। रामकुमार बैठ जाओ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ही लोग पीए हैं, आप ही लोग वह सब चीज पीते हैं। गोबर का दिमाग आपके दिमाग में भरा हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- सदा के मूत्र ला कटोरा धर के छेदे हव तुमन हा, अउ हमर नाम धरथव।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो अजय जी से निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसको रखें।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 साल इसी विषय में बोलते रहा हूं, तब आप क्या सबूत दिये, मैं जानता हूं।

श्री उमेश पटेल :- आप क्या बोले, क्या नहीं बोले हम जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो रख दीजिये और उसके लिए आधे घंटे की चर्चा की मांग मैं करूंगा, चलिए।

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, गजब की नैतिकता है, जब भी राजनीति में कोई बात करते हैं तो कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। सभापति महोदय, 4 साल जीरो, जीरो, जीरो, ये बजटीय प्रावधान किए। आखिरी साल में 3000 करोड़ की जगह में 250 करोड़ का बजटीय प्रावधान किए। 5 साल मिलाकर 15,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान करना था और 250 करोड़ का 5 साल में प्रावधान किए तब भी झटका नहीं लगता तो गजब विपक्ष है। सभापति महोदय, बहुत मोटी खाल है।

श्री उमेश पटेल :- घोषणा कर दीजिये न। आपके घोषणापत्र में मोदी की गारंटी में भी है। सभापति महोदय, अगर झटका देना है तो वह करिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, ये धान की बात करते हैं। धान की बात में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने किसानों से धान खरीदी हुई, कितना बोनस पेमेंट हुआ, उसको भी आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। इनके 5 साल में टोटल मिलाकर 31,726 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान हुआ था और चार बार में तरसा-तरसा के ये लोग चार बार में, चार किश्त में कुल मिला कर 5 साल में 31,726 करोड़ रुपये का इन्होंने बोनस का भुगतान किया था। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में केवल तीन सीजन में, केवल 3 साल में उससे ज्यादा 31,000 करोड़ रुपये की तुलना में 35,565 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान किया है। (मेजों की थपथपाहट) वह भी एक मुश्त किया है। चार बार में तरसा-तरसा कर नहीं किया है। इस बार एक महीने के अंदर हमने भुगतान कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने एक सप्ताह के अंदर बोनस का भुगतान कर दिया था और इस बार होली के पहले हमने भुगतान कर दिया है। सभापति महोदय, जो टोटल भुगतान है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप लोगों ने घोषणा किया था कि हर पंचायत में लाइन लगाकर हम दे देंगे, वह तो कर दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जो चार बार किस्तों में तरसा-तरसा कर देते थे और यह लोग बोल रहे हैं कि यह करें, वह करें।

श्री उमेश पटेल :- वह भी आपकी देन थी। हम लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाना पड़ा। केन्द्र की सरकार बोनस की राशि देने के लिए मना कर रही थी। वहां से कंट्रोल हुआ कि आप यहां नहीं दे सकते।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, आपने फिर से नया बहस चलवा दीजिये, आप नई चर्चा करवा दीजिये, फिर मैं जवाब दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आप नई चर्चा नहीं करवा सकते। आप चर्चा करायेंगे तो हम बिल्कुल भाग लेंगे।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप जारी रखें। समय अधिक हो रहा है। उमेश जी, आप सहयोग करें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, सुनने का साहस होना चाहिए। यह आंकड़े हैं। यह लोग झूठ और सच की बात करते हैं। यह लोग आज आंकड़ों और तथ्यों को डकारना चाहते हैं। सभापति महोदय, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुल 1,19,369 करोड़ का भुगतान किया। उससे ज्यादा हमने इन 3 सालों में 1,35,000 करोड़ का भुगतान किया है। (मेजों की थपथपाहट) इनके समय में अधिकतम धान बेचने वाले किसानों की संख्या वर्ष 2018-19 में 15,70,000 थी। इनके समय अधिकतम किसानों की संख्या 21,80,000 थी। हमारे तीनों सीजन में उससे ज्यादा धान बेचने वाले किसान हैं और इस साल 25,20,000 किसानों ने धान बेचा है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जो कुल धान खरीदी हुई है, उसमें उनके 5 सालों के कार्यकाल में 4,62,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी, जबकि हमारे 3 साल के कार्यकाल में ही 4,35,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। (मेजों की थपथपाहट) यह किसानों की बात करते हैं, यह वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा करते रहते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, पिछले साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी और इस बार आपने कितनी धान खरीदी की है? इस साल आपने मात्र 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। यानी कि अपने आप में आपकी कमजोरी आ रही है। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से आप किसानों के प्रति कंजूसी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अगली बार 141 लाख मीट्रिक टन धान भी नहीं लेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, अभी यह लोग 2 साल के बोनस की बात कर रहे थे, चौथी किस्त की बात कर रहे थे। यह लोग 2 साल के बोनस को अपने घोषणा पत्र में लिखे थे। उन्होंने वर्ष 2018 के अपने जनघोषणा-पत्र में लिखा था कि हम 2 साल का बोनस देंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल तक बोनस नहीं दिया। हमने उस 2 साल के बोनस को देने का काम किया है। सभापति महोदय, माताओं एवं बहनों के लिए इनकी नैतिकता का स्तर क्या है, इस पर आप देखिए। यह प्रधानमंत्री आवास योजना में बात करते हैं कि इसमें राशि बढ़ानी चाहिए, उसको मिला, इसको नहीं मिला, ये बातें करते रहते हैं। इनकी राजनीतिक नैतिकता का स्तर देखिए कि यह लोग बात करते हैं कि माताओं-बहनों के लिए पोर्टल खोल दीजिए। अभी माननीय सदस्या संगीता दीदी जी बोल रही थीं कि बुजुर्गों के लिए राशि बढ़ाइये। सभापति महोदय, इन्होंने अपने जनघोषणा-पत्र 2018 में लिखा है कि माताओं-बहनों को हर माह 500

रुपये देंगे, लेकिन पूरे 5 साल में छत्तीसगढ़ की एक भी महतारी को 5 रुपया भी दिए होते तो इनको नैतिक बल होता। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? आप लोग 500 रुपये काट के दिए, यह मैंने गलत तो नहीं कहा? यह आप ही लोगों के घोषणा-पत्र में था, मैंने उसी संदर्भ में बात की है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं तो राजनीतिक नैतिकता का स्तर बता रहा हूँ। जिन लोगों ने 18 लाख गरीबों के आवास को पूरा रोक दिया, जिन्होंने 5 साल में 5 रुपये तक किसी माता-बहन को नहीं दिया, अब वह लोग हमको बताएंगे, हमारी विष्णु देव साय जी की सरकार को बताएंगे कि क्या करना है। (शेम-शेम की आवाज) सभापति महोदय, यह लोग वित्तीय हालात की बात करते हैं। वे जिन राज्यों का संचालन कर रहे हैं, वहां किस तरह की डूबती नाव कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, उसे पूरा देश देख रहा है। अभी-अभी उड़ीसा में तीन विधायक निलंबित हुए हैं। वह डूबती नाव के कारण सब छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं। सभापति महोदय, ये तीन राज्यों में जहां सीमित हैं। अगर मैं Debt G.S.D.P. Ratio की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार 9% पर है। इनके इंडी (I.N.D.I.A) के साथी पंजाब सरकार में 36% पर है। इस तरह से वहां वित्तीय हालात इनके खराब चल रहे हैं। हिमाचल में इनका fiscal deficit 5.4% of G.D.P. जाकर बैठा हुआ है। ऐसे हालात में इन लोग राज्यों का संचालन कर रहे हैं और आज यह लोग वित्तीय स्थिरता के बारे में बात करते हैं। मैं डी.ए. के बारे में बताना चाहूंगा। कर्मचारियों के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यह लोग तेलंगाना चला रहे हैं, पंजाब में इनके इंडी गठबंधन के साथियों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है। सभापति महोदय, भारत सरकार के समतुल्य हमारे छत्तीसगढ़ में 58% डी.ए. है और इनके द्वारा शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश में मात्र 45 परसेंट डी.ए. चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। पंजाब में 42 परसेंट डी.ए. है। तेलंगाना में 30 परसेंट डी.ए. है। इस तरह के हालात में राज्यों को चला रहे हैं। इस तरह की बातें लोकतंत्र में राजनैतिक नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि युद्ध की परिस्थिति को कांग्रेस देश में भुनाने का प्रयास कर रही है। गैस की कीमत बढ़ जाये, गैस की अफरा-तफरी मच जाये, पेट्रोल में कुछ आपदा आ जाये, बिल्ली के भाग से छींटा फूटे, ऐसे इंतजार में बैठे हैं। सभापति महोदय, जो पाकिस्तान के हालात हैं तो वहीं जाकर देखें कि किस तरह की स्थिति बनती है। सभापति महोदय, महंगाई पर बात होती है, महंगाई के बारे में बहुत सारे विषय आये हैं। मैं आज सुबह-सुबह पढ़ रहा था, महंगाई के बारे में कोई गाना बॉलीवुड में बना है क्या? मैं यह खोज रहा था। सभापति महोदय, मेरे को एक गाना मिला। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेंशा की तन्हाई मार गई, चौथी खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई

मार गई। किरण भईया को याद आ रहा है कि उसके जमाने का गीत है। सभापति महोदय, महंगाई पर गीत रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आया। यह गीत उस 1974 के फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की है कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। उस समय किसकी सरकार थी, यह सबको मालूम है। मैंने देखा कि यह गाना क्यों बनाई, फिल्म क्यों बनी? फिल्म का नरेटिव ही महंगाई पर आधारित है। सभापति महोदय, मैं डाटा देख रहा था, 1971 में भारत का इन्फ्लेशन की ग्रोथ रेट 3.08 परसेंट थी, 1972 में 6.44 परसेंट थी, 1973 में 17 परसेंट थी, 1974 में देश का इन्फ्लेशन रेट 29 परसेंट थी। यह हालात कांग्रेसशासित समय में हुआ करता था। सभापति महोदय, मुझे दूसरा गाना महंगाई के बारे में मिला कि सखी सड़्या तो खूब कमात हय, महंगाई डायन सब खाय जाथे। सभापति महोदय, मैंने देखा कि यह गाना किस फिल्म का है तो यह पता चला कि पीपली लाईव फिल्म का है। मैंने देखा कि यह फिल्म 2010 में बना है। यूपीए सरकार के ठीक समाप्त होने के समय बना है। मैं फिर इन्फ्लेशन रेट को खोजा, उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या था? वर्ष 2004-2005 में अटल जी के समय इन्फ्लेशन रेट 4 परसेंट था, वर्ष 2007 में 6 परसेंट से ऊपर गया, वर्ष 2008 में 8 परसेंट से ऊपर गया, वर्ष 2009 में 11 परसेंट गया, वर्ष 2010 में 12 परसेंट इन्फ्लेशन का ग्रोथ है। माननीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं तो देश की जनता को महंगाई की मार भुगतना पड़ा है। इनके कुव्यवस्था के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण, इस तरह के गाने बालीवुड में बनती हैं, फिल्में बालीवुड में बनती हैं। सभापति महोदय, हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुये हैं, मैं आज इतना कहना चाहूंगा कि जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश कर रहे हैं, उसे पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आज देख रहा था कि किस तरह की आलोचनाएँ आयेंगी। विपक्ष के द्वारा मोदी जी के विजन डाकुमेंट्स और हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का बार-बार माखौल उड़ाया जाता है। किसी भी समाज के लिये, किसी भी राष्ट्र के लिये, किसी भी राज्य के लिये कदापि उचित नहीं है। मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। जब तक कोई समाज, जब तक कोई राज्य, जब तक कोई राष्ट्र, आगे के बारे में सोचेगा नहीं, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्य तय होता है, विजन तय होता है। उसके लिये पूरी योजना बनती है, पूरा प्लानिंग होता है। एकशन प्लान बनता है। उसे किस तरह से लागू कराया जायेगा, उस दिशा में रोड मैप बनकर काम होता है, हर चीज में माखौल उड़ाया जाता है।

समय :

7.00 बजे

सभापति महोदय, जब मोदी जी 2014 के बाद डिजिटल इंडिया का मिशन लेकर आए थे तो पी चिदंबरम ने उस समय कहा था कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से क्या भारत की पुअर लेडीज, उन्होंने वर्ड यूज किया था, भारत की पुअर लेडीज क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट करेंगी? क्या ये आलू और

प्याज की खरीदी बिक्री कर पाएंगी? आज डिजिटल इंडिया मिशन किस स्थिति में पहुंचा है, उसे पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। UPI के माध्यम से जनवरी 2026 में लगभग 2200 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ और हमारा देश UPI पर हर महीने 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन बहुत जल्द प्राप्त कर जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी देश के रूप में अपना स्थान बना रहा है। सभापति महोदय, पी चिदंबरम जी ने पुअर लेडी कहा था, आज उनको सार्वजनिक बयान देना चाहिए कि आखिर ये पुअर लेडी शब्द उन्होंने क्यों उपयोग किया था ? शायद उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एक बार फिर से कांग्रेस की सर्वेसर्वा ने फिर से पुअर लेडी का प्रयोग देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया। आजादी के बाद कांग्रेस को 50 सालों तक मौका मिला था, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद में एक आदिवासी समाज की बहन को या भाई को उस पोजीशन पर पहुंचाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने पांच दशकों तक, 50 साल तक ये काम आजाद भारत में नहीं किया। ये काम अगर किसी ने संपन्न किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, उसको इनकी सर्वेसर्वा पार्टी की सुप्रीमो पुअर लेडी कहकर अपमानित करने का दुष्प्रयास करती हैं, ये बिल्कुल ही अक्षम्य है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये डबल इंजन सरकार के बारे में तरह-तरह के मखौल उड़ाने का दुष्प्रयास करते हैं। अभी आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि उड़ान योजना से क्या फायदा हुआ? आपको CG वायु लाना पड़ा। सभापति महोदय, उड़ान योजना ही मोदी जी की परिकल्पना थी जिसके कारण बस्तर के सुदूर अंचल में चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चलेगा, इस सोच के कारण जगदलपुर में बस्तर में एयरपोर्ट बना, हमारे अंबिकापुर में एयरपोर्ट बना, बिलासपुर के चकरभाटा में एयरपोर्ट बना। (मेजों की थपथपाहट) आज एयरपोर्ट बनकर खड़े हैं। वायुबिलिटी का कोई इशू आता है तो मुक्त कंठ से हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम CG वायु योजना लाकर उस पर एयर कनेक्टिविटी देने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी सोच है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, हमने दीदियों, माताओं, बहनों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हर महीने लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। मोदी जी लखपति दीदी के बारे में सोचे, एक परिकल्पना किए, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण की एक मिसाल बनकर ये योजना आगे बढ़ रही है। उन लखपति दीदियों के आर्थिक, सामाजिक भ्रमण की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों, डोंगरगढ़, चंद्रपुर, कुदरगढ़ी, दंतेवाड़ा, रतनपुर ऐसे जगहों के भ्रमण के लिए हम योजना लेकर आए। ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी लखपति दीदी की परिकल्पना करते हैं और हम उनके भ्रमण की योजनाएं बनाते हैं, ये डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है। सभापति महोदय, जब भी हम डबल इंजन की सरकार पर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात

जो होती है वह छत्तीसगढ़ में हम जो नक्सलवाद का दंश झेल रहे थे, वह डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा विषय है। आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने राज किया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री देवेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, एक मिनट। कुछ लोग आजकल कहने लग गए हैं, पत्रकार मित्र कहते हैं, डबल इंजन है, एक आगे से खींच रही है और एक पीछे से खींच रही है, बीच में जनता और इनके कार्यकर्ता पिस रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपके प्रशिक्षण को बधाई दूंगा कि आपके विधायक श्री देवेन्द्र यादव जी पूरे बजट सत्र में आज सर्वाधिक टाइम तक बैठे हैं। इसके लिए मैं आपकी ओर से उनको बधाई देता हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- अभी दो घंटा के लिए कहां गायब हो गए थे? सदन से जांच करवाएंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप लोग बैठने का मौका ही नहीं देते। एक दिन बलौदा बाजार की पेशी रहती है, एक दिन किसी और की पेशी रहती है। एक दिन हाई कोर्ट में पेशी रहती है। मतलब जितने दिन ये सदन चला, उसमें मेरे खयाल से आप लोगों ने छह-सात दिन तो पेशी में बुला लिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बलौदाबाजार के बारे में पूरे जेल का संस्मरण बताईए। किसके कहने से गए थे, क्या किए थे ? हमारा कहना था कि आपको जेल में कोई तकलीफ न हो। इसका ध्यान पूरा जेल मंत्री जी ने रखा था।

श्री देवेन्द्र यादव :- मुझे इस बात का दुःख है कि आप मुझसे जेल में मिलने के लिए नहीं आये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, जहां तक नक्सलवाद की बात होती है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यादव जी, अगली बार आएंगे। आप निश्चिंत रहिये। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ।

श्री देवेन्द्र यादव :- मतलब, आप लोग इस बात को सार्वजनिक रूप से कह रहे हो कि प्लानिंग आप ही करते हो?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- प्लानिंग नहीं, आपको दुःख हुआ है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में यदि ऐसी नौबत आएगी तो चंद्राकर जी जरूर आएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, क्या है कि उस बेचारे का दुर्भाग्य है कि वह बिहार गया तो वहां भी उसके ऊपर टिकट बेचने का आरोप लग गया। (हंसी)

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैं इसको सौभाग्य भी मानता हूँ कि कम से कम मुझे देश-दुनिया में घूमने और जानने का मौका मिल रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- टिकट बेचने का आरोप तो सब समाचार पत्रों में छपा था।

श्री देवेन्द्र यादव :- मुझे दुःख तो इस बात का हो रहा है कि आपकी प्रतिभा को अभी तक सत्ता पक्ष समझ नहीं पा रहा है। आप इतना लड़ते हो, लेकिन आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। पार्टी आपको कम से कम प्रवक्ता ही बना दे।

श्री रामकुमार यादव :- यही हालत रही न तो घोड़ा के सींग जाम जाही, तभो ले आप मंत्री नहीं बन पावो। (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, शुरू करें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं नक्सलवाद की चर्चा कर रहा था। आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला। लेकिन जिस तरह से बस्तर की स्थिति हुई, बस्तर के साथ जिस तरह का एप्रोच अपनाया गया, उसकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी उस समय जो भी शासन में था, उसको लेनी चाहिए। अबूझमाड़ 4,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। वह भारत का अनसर्वेड एरिया है। आज तक उसका सर्वे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के उस जमाने में वहां पर सिस्टम बना।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वित्त मंत्री जी के मुंह से गलती से निकल गया कि जो बस्तर में घटनाएं हुईं, उस समय जिसकी सरकार थी, उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि यह देखें कि झीरम घाटी की घटना कब हुई थी और वहां जब घटना हुई तो उस समय यहां किसकी सरकार थी?

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, झीरम घाटी में जिसकी भी जिम्मेदारी रही हो, लेकिन झीरम घाटी को आपने मुद्दा बनाया तो उस मुद्दे पर आप एक बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए आपको उसका दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहिए।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ वित्त मंत्री जी को कह रहा था कि तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो उस समय तत्कालीन सरकार आपकी थी, हम तो थे नहीं।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय नेता जी, आप किसी को देखने के लिए अस्पताल गये थे। आपकी झापड़ मारते हुए फोटो छपी थी और जिम्मेदारी तो आपने उसी दिन दे दी थी, जब झापड़ मारते हुए पेपरों में फोटो छपी थी। आप किसको झापड़ मार रहे थे? (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- कवासी लखमा जी को।

डॉ. चरणदास महंत :- हम झापड़ नहीं मार रहे थे, हम उनको बच्चों की तरह चेता रहे थे कि बेवकूफ, तुमको पता है कि उधर नक्सली हमला हो सकता है, नक्सली ज्यादा है तो क्यों ले गये थे?

श्री अमर अग्रवाल :- पेपरों में फोटो छपी थी और आपने यह कहा कि तू कैसे बच गया? (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- पेपरों में तो छपते रहता है, जो छपवाओ आप लोग आजकल वही तो छप रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- आज तक आप मन सिर्फ आदिवासी ला बदनाम करे हव, षड्यंत्र करने वाला कोई अउ रहिते। आदिवासी-आदिवासी। ओ बेचारा ला हमेशा तुमन बदनाम करथो। आप जांच कराओ।

श्री अमर अग्रवाल :- हमने नहीं किया, नेता जी उनको झापड़ मार रहे थे।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन हमेशा आदिवासी समाज ला नक्सलवाद में बदनाम करथो।

श्री अजय चंद्राकर :- भाई, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, उनको जेल नहीं भेजते। आप समझ रहे हो? उनको जेल कौन भेजा? वह जेल क्यों गये, बताओ तो?

श्री रामकुमार यादव :- बड़े-बड़े आदमी मन तो घोटाला करके किंजरत हे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ओ जेल काबर गिस, तेला बता? ओला जेल कौन भेजिस?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, 5 साल तक झीरम का सच जेब में लेकर घूमने वाले अपने पड़ोसी भाई से भी नेता जी पूछ लेते कि वह सच क्या था? कम से कम 5 साल सार्वजनिक नहीं कर पाये तो विपक्ष के 2 साल हो गये हैं, उसी में सार्वजनिक कर दें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपको 50 मिनट से ऊपर हो गये हैं। आप और कितना समय लेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, हम 7-8 घंटे तक सुने हैं तो जवाब तो एक-दो घंटे में देना ही पड़ेगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- थोड़ा जल्दी कीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं नक्सलवाद पर चर्चा कर रहा था कि किस तरह से इनको इतने लंबे समय तक अवसर मिला, लेकिन आजादी के बाद के उन दशकों में जिस तरह की परिस्थितियां बनीं, अबूझमाड़ में जिस तरह से स्थितियों को छोड़ दिया गया, वहां एंट्री करने के लिए कलेक्टर का परमिशन लगता था, उसके बिना कोई एंट्री नहीं कर सकता था। उसको चारों तरफ से कन्फाइंड करके घेरा बनाकर रख दिया गया था। वहां पर सड़क की जो स्वीकृतियां हुई थीं, उन सड़कों को बनाने नहीं दिया गया था। आज के हमारे सदस्य जिम्मेदार हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक सोच थी, एक थॉट था, एक प्रोसेस था, जिसका कन्क्लूजन कहीं न कहीं इस रूप में आगे बढ़ा। सभापति महोदय, देश के भीतर ऐसी रोड की परिकल्पना हम शायद ही कहीं कर सकते हैं कि एक नेशनल हाईवे जाता जाए, जाता जाए, जाता जाए और एक नदी के किनारे पर जाकर रुक जाए और वह नेशनल हाईवे देश के बीच में ही कट जाए। सभापति महोदय, जब जगदलपुर से गीदम बढ़ते थे, गीदम से भैरमगढ़, भैरमगढ़ से बीजापुर, बीजापुर से भोपालपटनम, भोपालपटनम के बाद तिमेड़ में जाकर के वह सड़क रुक जाती थी, ऐसा ही नेशनल हाईवे होता था और वह नेशनल हाईवे रुक जाता था। इस तरह की परिस्थितियां तब बनीं थीं। सभापति महोदय, जिस बस्तर को बंदूक के लिए जाना जाता था, वहां हम

एजुकेशन की अलख जगाने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जगरगुंडा और अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी का प्रावधान इस बजट में किया गया है, ये हमारी सोच है।

सभापति महोदय, अभी झीरम कांड की चर्चा हुई। दोनों पार्टियों ने अपने-अपने नेताओं को, अपने शहीदों को खोया है। उनके भी लोग शहीद हुए, उनके बड़े-बड़े नेता शहीद हुए। कांग्रेस के समय में लोक सभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एम.एल.ए., भीमा मंडावी जी की भी शहादत हुई थी। सभापति महोदय, दोनों पार्टियों ने अपने लोगों को खोया है। कोई नीचे स्तर का कार्यकर्ता, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा, कोई छोटा, सब तरह के लोगों को खोया है। सभापति महोदय, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, हम सब ने अपने लोगों को खोया है। जब नक्सलवाद की इतनी बड़ी पीड़ा दोनों पार्टियों को है और वैसी स्थिति में अगर अमित शाह जी, देश के यशस्वी गृहमंत्री जी संकल्प लेते हैं, इस बजट में जो हमने संकल्प का थीम रखा है, उसी तरह का एक संकल्प उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लिया और उन्होंने 31 मार्च, 2026 की तारीख का ऐलान करके सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का एक महायज्ञ प्रारंभ किया। उस महायज्ञ में हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृहमंत्री जी के साथ मिलकर के हम सबने उस दिशा में जो काम किया है, जिससे आज नक्सलवाद समाप्त होने जा रहा है। सभापति महोदय, चाहे भीमा मंडावी जी जैसे शहीद हों या झीरम के शहीद हों, उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार के कारण मिलेगी। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए मैं मानता हूँ कि पक्ष-विपक्ष की सीमा से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों को आदरणीय अमित शाह जी का नागरिक अभिनंदन छत्तीसगढ़ में करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, डबल इंजन की सरकार का यह लाभ है।

सभापति महोदय, इस तरह के अनेक विषय हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी विषय आए हैं, मैंने उनका जवाब देने का प्रयास किया है। हमारे साथियों के और कोई भी विषय हों, हम सब इनफॉर्मली भी मिलते रहते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर प्रदेश को अच्छी दिशा में और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि झूठ के पुलिंदों से विपक्ष ने जिस तरह से सदन को आज भरमाने का प्रयास किया, वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। सभापति महोदय, मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा कि अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है कि You can fool all the people some of the time and some of the people all the time but you cannot fool all the people all the time. मैं विपक्ष को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा झूठ के सहारे और लोगों को बरगलाने के सहारे सत्ता प्राप्त करने का दुष्प्रयास किया है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी वे सत्ता प्राप्ति के अवसर खोजते हैं। इनको वर्ष 2000 से 2003 तक, तीन साल तक काम करने का मौका मिला था। इनके झूठ को, इनके कृत्यों को उस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने समझा और तीन कार्यकाल तक इनको सत्ता से बाहर रखा। इस बार वर्ष 2018 से 2023 तक पांच साल के लिए इनको अवसर मिला और एक ही बार

में यह सत्ता से उतर गए। कांग्रेस किस तरह की डूबती नाव है, कांग्रेस की राजनीति को किस तरह से देश की जनता ने नकार दिया है, इसका उदाहरण सिमटती कांग्रेस तो है ही, इसके अलावा अगर आप खोजने जाएंगे कि कांग्रेस की कितनी सरकार कहां-कहां रिपीट कर रही है, सरकार को एंटी-इंकंबेंसी के अगेंस्ट प्रो-इंकंबेंसी के साथ कहां-कहां फिर से सत्ता मिल रही है, इस दृष्टि से आप आज के जमाने में भारत के लोकतंत्र में खोजने जाएंगे तो कांग्रेस कहीं रिपीट ही नहीं कर रही है। सभापति महोदय, जब वर्ष 2018 से 2023 तक इनको पांच साल का मौका मिला तो पांच ही साल के एक कार्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से इनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। यह उस बार तीन साल का काम किए थे, तो तीन बार जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था, इस बार पांच साल तक दुष्कृत्य किए हैं, पांच बार छत्तीसगढ़ की जनता इनको सदन से बाहर का रास्ता दिखाएगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, मध्य प्रदेश में हमन सरकार बनाये रिहीन तो वहां विधायक मन ला खरीद लिये हन अउ महाराष्ट्र में बनाये हन तो ओ मन ला भी खरीद लिहा। साहेब, विधायक मन ला खरीद डारे हन तो हमन कैसे करबो।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा हूं। विपक्ष के सभी साथियों ने बहुत धैर्य के साथ बात सुनी, उसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। हमारे सभी पक्ष के साथी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहकर आज इस चर्चा का जवाब दिए हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान का जो बजट था, उसको गति की रणनीति के माध्यम से हमने वेलफेयर को आगे बढ़ाने का काम किया है और संकल्प के साथ हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की प्रितबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ का जनमत हमारे साथ है और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने के लक्ष्य की ओर, दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 और 2035 के मध्यकालिक लक्ष्य और हर साल के अल्पकालिक एकवर्षीय लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। यह जो बजट है, इसे एकवर्षीय योजना के रूप में विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एकवर्षीय कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं सम्माननीय सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाले इस बजट के संदर्भ में जो विनियोग विधेयक आया है, उसे पारित करके छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के हित में काम करने का सुअवसर प्रदान करें। मैं यह कहना चाहूंगा और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।

गिनते थे वह लूट का हर हिसाब

हम गिन रहे हैं जनता का जवाब,

हमारा ऋण प्रोडक्टिव है,

यह राज्य के लिये निवेश है,
 कांग्रेस का ऋण था हर घोटालों का हिसाब,
 जहां नक्सल का अंधेरा था घना,
 वहां एजुकेशन सिटी का दीया जला,
 70 लाख महतारी की आंखों में खुशी की नमी,
 14 हजार करोड़ रुपये का प्यार वहां मिला,
 संकल्प न झुकने पाता है,
 दीप अकेला भी जल उठे,
 तो रात स्वयं झुक जाती है।

विकसित छत्तीसगढ़ हमारा संकल्प, यह बजट हमारा संकल्प। माननीय सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) पारित किया जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)**

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, चौधरी साहब से हाथ मिलाये हव तो सही में मिलाये हव या अइसने मिलाये हव।

सभापति महोदय :- श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। यह विधेयक प्रस्तुत हो, उससे पहले मैं कुछ बात की आपसे व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधेयक में प्रस्तुत करते समय प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। आप बिजिनेस देख लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी व्यवस्था देंगे या आप देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता, मामू, मैं प्वाइंट आफ आर्डर में बोल रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता, ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आपति लीजिए जो आपति है। उसको प्वाइंट आफ आर्डर मत कहिये।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपति लेता हूं। सभापति महोदय, आपति यह है कि ये विधेयक में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो संशोधन हुआ है, वह संशोधन में छूट देने की बात कही गई है। छूट देने की बात कही गई है इसका मतलब यह है कि इसमें वित्तीय हानि होगी और अगर वित्तीय हानि है तो इसमें वित्तीय पत्रक तो प्रस्तुत नहीं किया गया है और जब वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो फिर वह यहां प्रस्तुत क्यों होगा ? आप इसको दिखवा लीजिये और हो सके तो इसको अगले दिन के लिये या अगले सत्र के लिये रखवा लीजिये ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़...।

सभापति महोदय :- नहीं, उमेश जी ने जो आपति की है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप यह बताइये कि वित्तीय पत्रक की जरूरत है या नहीं है ? जो क्षति की बात उठायी है उसको कैसे प्रतिपूर्ति करेंगे, उसका उत्तर दे दीजिये ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, इसमें वित्तीय हानि वाला कोई विषय ही नहीं है । वह केवल सरलीकरण है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें जो दिया गया है कि परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रचलित औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान कर सकेगी तो इसका मतलब पहले इसमें केवल लघु उद्योग था और अब औद्योगिक नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिये पुनर्निर्धारण के लिये छूट की जायेगी । अमर भैया, मैं धारा-59 की बात कर रहा हूँ जिसमें कर और टैक्स जिसमें निर्धारण किया जाता है और अगर इसमें छूट दी जायेगी तो वित्तीय हानि होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- उन्होंने यह कहा है कि यह सरलीकरण है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, सरलीकरण है लेकिन छूट दी जायेगी न ।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, आप पूरे एक्ट को और उसके उद्देश्य को देख लीजिये । केवल जो अधिकार नहीं थे, वह अधिकार प्रायोजित किये गये हैं, इसमें वित्तीय हानि नहीं है, आप पूरे एक्ट को देख लीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, आप यह बता दीजिये कि इसमें जो छूट है । माननीय मंत्री जी, इसमें जो छूट देने की बात कही गयी है, छूट प्रदान की बात क्योंकि धारा-59 यह कहता है कि टैक्स कितना कलेक्ट किया जायेगा । अलग-अलग लेण्ड के जो मद हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, उसमें जो है । पहले जो ऊपर लेवल पर निर्धारण होता था, अब नीचे स्तर पर निर्धारण होगा । टैक्स में कहीं छूट नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, आप विधेयक को पढ़िए न । उद्देश्यों के कारणों और कथन को, उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सूचित करने के लिये राज्य सरकार को पुनर्मूल्यांकन में, मूल्यांकन है । मैं यह 10 रुपये का है या 20 रुपये का है या 5 रुपये का है, 25 रुपये का है । केवल उसको मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन के बाद जो प्रक्रिया होगी वह अलग विषय है लेकिन इसमें तो बस मूल्यांकन में छूट का है ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, आप एक-बार देख लीजिये । मेरा जो प्रश्न है ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, ठीक है । विधेयक में इतनी बहस होनी चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी इसको बता दिये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- विधेयक में इतनी बहस होनी चाहिए । छूट करने की अधिसूचनाएं जारी करने हेतु सशक्त बनाने के लिये यह संशोधन आवश्यक है ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, यह तो उद्देश्य में लिखा हुआ है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, वह बस वही है ।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन जो धारा-59 का संशोधन है उसमें लघु-कुटीर उद्योग की जगह में औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान की जायेगी ।

श्री अमर अग्रवाल :- छूट नहीं की जायेगी, जो निर्धारणकर्ता था उसकी जगह दूसरे को अधिकार प्रायोजित करके सरलीकरण किया गया है, इसमें आर्थिक हानि नहीं है । आप उस एक्ट को पढ़ लीजिये ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मैं इसमें केवल इतना जानना चाहता हूँ, आप उसको बता दीजियेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, अतेक काबर हड़बड़ावत हओ ? कोई अडानी-सडानी ला जमीन देना हे का, आन दिन कर ले हा । कोई पहाड़ थोड़ी टूट जात हे एकेच दिन मा । ओला बने पढ़-लिख लिहा ।

श्री अमर अग्रवाल :- आप यह देख लीजिये कि यह डॉयवर्सन का जो मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्र थे उसके अधिकार दूसरे को प्रायोजित किये जा रहे हैं । न कोई रेट बदली हुआ है और न ही कोई आर्थिक हानि है ।

श्री उमेश पटेल :- आप जो बोल रहे हैं, उससे आर्थिक हानि नहीं होगी, यह मंत्री जी बोल दें । माननीय मंत्री जी, मेरा इसमें सिंपल सा प्रश्न यह है, जो आपति है वह यह है कि इसमें जो छूट प्रदान की जा सकेगी, वह शब्द लिखा गया है । क्या यह सिर्फ पुनर्मूल्यांकन के लिये दूसरे को ऑथोराईज करने की बात कही जा रही है या कोई छूट उसमें विशेष रियायत देने की बात है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह भी स्पष्ट हो कि किसको अधिकृत कर रहे हैं ।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक नीति के तहत ही की जा रही है । इसमें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जा रही है । यह संशोधन जो है, एक प्रक्रिया है ।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा, औद्योगिक नीति के आधार पर की जायेगी ? आप यह बता दीजिये कि क्या औद्योगिक नीति में किसी प्रकार के छूट का इस्तेमाल, उस अधिकार का इसमें इस्तेमाल किया जायेगा ?

श्री रामकुमार यादव :- देख लेवा भई, उद्योग मन ला दे बर हे । हमर दस्तखत लेकर फंसन झन दिहा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप जो संशोधन है उसको पढ़ लीजिये । परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रचलित औद्योगिक नीति, विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीति,

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान कर सकेगी। पुनर्निर्धारण, केवल निर्धारण भर का है।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें कहीं, उसको आसान किया गया है।

श्री उमेश पटेल :- आप और अमर भाई जो बोल रहे हैं, वह एकदम क्रिस्टल क्लियर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक नीति के हिसाब से होगा। फिर क्या औद्योगिक नीति के हिसाब से उसमें स्पेशल छूट का प्रावधान है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें राजस्व विभाग में विभागीय नीतियों, योजनाओं माने जो हमारी राजस्व विभाग की भूमिका होगी, उसमें जो सरलीकरण है, वह किया गया है।

श्री उमेश पटेल :- इसीलिए तो वह उसको स्पष्ट कर दें कि औद्योगिक नीति के हिसाब कोई छूट नहीं दी जायेगी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, बतायें। अगर आप कहेंगे तो ...।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। फिर मैं माननीय मंत्री जी से बोलवाता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, क्या है रामकुमार जी। वह विधेयकों में बहस कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। कानून बहुत सोच समझ कर बनना चाहिए, लेकिन आपको यह बात समझ में आयेगी तब तो।

श्री रामकुमार यादव :- मोला सब समझ आवत हे। आप मन उद्योग बर हड़बड़ावत हौ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपको क्या कहना है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन से कोई वित्तीय हानि नहीं होगी और औद्योगिक नीति के तहत जो वित्तीय भार है, वह विनियोग विधेयक में शामिल है।

सभापति महोदय :- यह पेश हो गया न।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। यह पेश नहीं हुआ है।

सभापति महोदय :- आप पेश कर दीजिए।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- श्री उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें संशोधन विधेयक लाया है और ज्यादातर चीजें चाहे धारा-44 हो, धारा-50 हो, धारा-59 हो, धारा-44 जो धारा है जितना मैं समझता हूँ यह अपील धारा है इसमें अपील करने का प्रावधान है और इसमें जो इन्होंने

(क-क) करके बदलाव किया है, उसमें कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा, तो आयुक्त को होगी। तो इसका मतलब है कि यह आयुक्त को अपील करने की बात है। इस विधेयक में जो चेंज है इसमें आप आयुक्त को भी इंकलूड कर रहे हैं। केवल इतना ही है। धारा-44 में जो बदलाव है। यह आयुक्त तक तो पहले भी जा रहे थे। इसमें अपीलीय कार्यवाही में कोई अलग नहीं हो रहा है। अपीलीय कार्यवाही के लिए जो आयुक्त को होगी, इसका मतलब है कि इसमें आयुक्त को भी इंकलूड किया जा रहा है। तो इसी तरह से धारा-50 में जो पुनरीक्षण और निराकरण में भी रिविजन का बेसिकली, धारा-50 तो रिविजन का होगा। रिविजन के लिए 30 दिन और 90 दिन, यह पहले दोनों 60-60 दिन हुआ करता था, उसको 30 दिन और 90 दिन किया गया है। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कोई नये व्यक्ति हों, कोई नया तहसीलदार हो, कोई नया आदमी उस पोस्ट में पहुंचा हो तो 30 दिन, इसको समझ लीजिए कि यह कम न पड़ जाये। मतलब ऐसी स्थिति न हो जाये कि आपने 30 दिन के अंदर में लिख तो दिया। जैसे हमने कह दिया है जो हमारे कुछ काम है, जो 15 दिनों के अंदर में होने चाहिए, लेकिन आज तक आप प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे तो वह होते नहीं हैं, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे अन्य विषय हैं जिसको आपके राजस्व संहिता में 15 दिनों के अंदर में निपटारा करना है, लेकिन वह प्रैक्टिकली नहीं होता है तो हम लोग ऐसा कानून न बनायें जो प्रैक्टिकली संभव न हो। तो आप उसको दिखवा लीजिए कि कहीं 30 दिन और 90 दिन तो मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन 30 दिन कहीं कम न हो जाए। आप उसको भी देख लीजिए। मेरा धारा - 59 में जो मेन कंसर्न है धारा-59 में जो कहा गया है कि औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों/ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान की जायेगी। मेरा उसमें फिर से यही रहेगा, मैं यह चाहूंगा कि आप उत्तर में इसको जरूर स्पष्ट करें कि औद्योगिक नीति के कारण किसी तरह की छूट दी जा रही है क्योंकि इसमें जो पहले स्पष्ट था, उसमें लघु एवं कुटीर उद्योग था, औद्योगिक नीति की जगह लघु एवं कुटीर उद्योग को पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान की जायेगी तो किसी तरह के कोई छूट तो इसमें स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। आप इन तीनों चीजों को जरूर स्पष्ट करेंगे। मैं इतना ही शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- श्री दीपेश साहू।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 में धारा 44 में लाए गए संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस कानून की धारा 44 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह संशोधन आम जनता को राजस्व न्यायालय में सुविधा पहुंचाएगी। जनता से कई जुड़े मामलों का आदेश तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। जैसे नामांतरण है या बंटवारा है। किसी पक्षकार को इसके खिलाफ पहले अपील अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में करना होता है, पहले अपील के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील करने के लिए

अभी तक कमिश्नर न्यायालय में जाना पड़ता है। इस संशोधन के बाद ऐसी दूसरी अपील करने के लिए लंबी दूरी तय करके कमिश्नर न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कलेक्टर न्यायालय से भी काम हो जाएगा। इस भूमि विवादों के लंबे समय तक चलने वाले वित्तीय नुकसान में कमी आएगी। इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कुछ बोलना है तो बोल लीजिए ।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में किसानों को और भू मालिकों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं के निपटारा करने के लिए कई बार भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है और उसका फायदा प्रदेश के किसानों को, भू मालिकों को मिला है । राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारा को सुनिश्चित करने, राजस्व न्यायालय प्रणाली को मजबूत करने और छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अधीन विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारणों को सुगम बनाने के लिए अभी यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, पहला संशोधन प्रस्ताव छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 क्रमांक 20 सन् 1959 के मूल अधिनियम की धारा 44 की उप धारा 2 के खण्ड "क" में एक संशोधन आया है । पहले तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के पास किया जाता था, उसके बाद द्वितीय अपील सीधे आयुक्त को होता था । इसके कारण समय भी बहुत लगता था, लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था, धन का भी अपव्यय होता था और कमिश्नर के पास पूरे संभाग के बहुत सारे प्रकरण आते थे । किसानों को या जो भूमि स्वामी हैं, उनको न्याय पाने में बहुत समय लगता था । लोग दूर-दूर से एक, दो दिन पहले 100 किलो मीटर, 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आते थे । हमारे सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए जो प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय है, उसके बाद द्वितीय अपील के अधिकार को जिला के कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। इससे वहीं के वहीं उनको अपील करने का अधिकार होगा । इससे आम जनता का समय बचेगा, धन बचेगा और उनके जो प्रकरण हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी जल्दी हो जाएगा । यदि हम रायपुर की बात करें या गरियाबंद की बात करें, रायपुर में भी कई लोग बाहर से आते हैं । बस्तर या अंबिकापुर, सरगुजा की बात करें या दूरस्थ के लोग अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पारित आदेश की द्वितीय अपील के लिए कितने दूर जाते हैं तो संशोधन करने से किसानों को या भू राजस्व से जुड़े हुए लोगों के लिए सहूलियत होगी । दूसरा जो संशोधन आया है, उसमें मूल अधिनियम की धारा 50 की उप धारा 2 (4) में पुनरीक्षण का है । पुनरीक्षण भी समय-सीमा से संबंधित है । इनके समय का निर्धारण किया गया है । समय-सीमा निर्धारित न होने के कारण भी इनके निराकरण में, इनके निपटारे में, फैसले में बहुत समय लगता था, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है । यदि कोई विषय स्वप्रेरणा में या संज्ञान में

बिना शिकायत में आता है तो उसमें 30 दिवस के भीतर और किसी पक्षकार के द्वारा दर्ज कराये पर 90 दिवस के भीतर निपटारा किया जायेगा। समय अवधि निर्धारित होने से पक्षकारों को जल्द न्याय मिलेगा।

सभापति महोदय, तीसरा, जिनके बारे में चर्चा चल रही थी। मूल अधिनियम की धारा 59 की उप धारा 2 के विषय में बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 2024-2030 औद्योगिक नीति प्रचलित है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उनको कुछ उपलब्ध कराती है। कई चीजों में छूट भी देती है। चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, स्टाम्प ड्यूटी की बात करें, इसलिए इसमें थोड़ा संशोधन कर डायवर्सन शुल्क वर्तमान नवीन श्रेणी के सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उनको डायवर्सन शुल्क में छूट देने का प्रावधान है। हमारे जो अन्य श्रेणी के उद्योग हैं, उनको नहीं है। इसलिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणी के जो हमारे उद्योग हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, यही तो मेरा प्रश्न था। इसीलिए तो वित्तीय पत्रक की आवश्यकता है। उन्होंने इस चीज को माना कि वह छूट दे रहे हैं।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं इसका उत्तर भी दे रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट उनकी बात सुन लीजिये। बोलिये, आप क्या बोल रहे थे।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा यही प्रश्न था। माननीय मंत्री जी जब मान रहे हैं कि पहले लघु, कुटीर उद्योगों को छूट देते थे। अब उसमें अन्य श्रेणियों के उद्योगों को छूट देंगे, मतलब वित्तीय हानि तो आयेगा ही आयेगा। जब वित्तीय हानि होगी तो वित्तीय पत्रक आना ही चाहिए। यही तो मेरी आपत्ति थी।

सभापति महोदय :- आपको (श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य) भी कुछ कहना है। ? आप बोलने के लिए खड़े हुए थे, आप बोलिये।

द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदणीय उमेश भईया जिस को शुरू में रखा था, वही स्पष्ट है कि इसमें बड़े उद्योगपतियों को छूट दिया जायेगा और शासन को राजस्व की हानि होगी। यह विधेयक राज्य के राजस्व के हित में नहीं है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये, आप अपनी बात कह लिए। मंत्री जी बोलिये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस संशोधन से सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी। यह विनियोग विधेयक में शामिल है। एक बार डायवर्सन के विषय में प्रावधान होने जाने के बाद बार-बार कोई नया उद्योग आयेगा, चाहे सूक्ष्म या लघु या किसी प्रकार उद्योग है, उसमें फिर से संशोधन नहीं लाना पड़ेगा। औद्योगिक नीति में जो बातें आई हैं, अधिनियम में जो अलग-अलग श्रेणी के ..।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप उसी चीज को बार-बार कन्फर्म कर रहे हैं, जो मेरी आपत्ति थी। मेरी आपत्ति यही है कि आप इसमें पहले धारा 59 को देख लीजिये। मैं चाहूंगा कि आप 59 में जो संशोधन प्रस्तावित है, उसको देख लें। धारा 59 के संशोधन में इन्होंने लिखा है कि "प्रचलित औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय नीतियों/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, पुनर्निर्धारण से छूट प्रदान कर सकेगी।" अभी माननीय मंत्री जी इसी चीज को मान रहे हैं कि पहले कुटीर, लघु उद्योगको छूट देते थे। अब डायवर्सन में अन्य उद्योगों को भी शामिल किया जायेगा, जिस तरह से औद्योगिक नीति कहेगी। मंत्री जी, मैं सही समझ रहा हूँ न ? माननीय मंत्री जी, आपने अभी यही कहा न ? आपने अभी यही कहा न ?

सभापति महोदय :- चलिये हो गया। मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास नीति एवं अन्य विभागीय योजनाओं में प्रावधानित है, जो सदन में पारित हो चुका है और विनियोग विधेयक में पारित होगा, वही धारा 59 में ही प्रावधान है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप औद्योगिक नीति से बाहर जाकर, अपने विभाग की विशेष योजना से बाहर जाकर करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या यह नियम बनने से अन्य उद्योगों को डायवर्सन से छूट देंगे या नहीं ? अगर आप छूट देंगे ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके प्रावधान औद्योगिक नीति में है। उन्होंने दोनों नीतियों में कहा। अभी आप सुने होंगे।

श्री उमेश पटेल :- भैया, यह राजस्व का आप कानून बदल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है तो वित्तीय पत्रक आवश्यक है। अगर इसमें लॉस हो रहा है, सभापति महोदय, मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, इसको आप कल के लिए रख लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक बार और चर्चा हो जाएगी, सारे अधिकारियों से बातचीत हो जाएगी और कल वह प्रस्तुत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अभी जवाब दे रहे हैं, बोलिए।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि अभी थोड़ा सा संशोधन है। पहले भी नवीन श्रेणी के हमारे जो उद्योग हैं, चाहे लघु हों, सूक्ष्म हों, उसमें प्रक्रिया में केवल संशोधन हो रहा है और इनके लिए हमारे...।

श्री उमेश पटेल :- डायवर्सन में किसी नए व्यक्ति को जो नया उद्योग लग रहा है, पहले लघु-कुटीर था, ये सही है न? अभी अन्य उद्योग भी आ सकते हैं।

सभापति महोदय :- उमेश पटेल जी, अब चर्चा हो चुकी है, मंत्री जी का जवाब आ रहा है, सुन लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, सभापति महोदय, आप मेरी आपत्ति को समझिए।

सभापति महोदय :- नहीं, आप तो अभी भाषण में बोले तो आवश्यक बात क्यों आ गई?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, नहीं-नहीं, मैं विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही इस आपत्ति को दर्ज करा चुका हूँ और मुझे यह पहले कहा गया कि कोई वित्तीय लॉसेस नहीं होगा, लेकिन माननीय मंत्री जी के भाषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें वित्तीय लॉस होगा। अगर वित्तीय लॉस है, तो वित्तीय पत्रक की जरूरत है, बिना वित्तीय पत्रक के यह पास नहीं हो सकता।

सभापति महोदय :- मंत्री बताइए।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई वित्तीय हानि नहीं होगी, इनके लिए पहले भी इस सदन में प्रावधान रखा जा चुका है। हमारे सदन में पारित हो चुका है और विनियोग विधेयक में भी वही धारा 59 में प्रावधान रखा गया है और मैं तो आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन 2026) पर विचार किया जाए।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह जो आपत्ति है, इसको मैं कोई विरोध के स्वरूप में नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- जी।

श्री उमेश पटेल :- हमारे इस सदन से कोई ऐसा कानून पास मत हो जाए या ऐसा कोई विधेयक संशोधन पास मत हो जाए जो कल हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं हो।

श्री रामकुमार यादव :- हासी निंदा हो जाए।

श्री उमेश पटेल पटेल :- हम सबको प्रक्रिया का पालन करना है।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जब मंत्री जी ने जवाब दे दिया, इसमें कोई आर्थिक हानि नहीं है...।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन उनके जवाब में तो लग रहा है न।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, अब उनके बोलने के बाद तो मानना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके सहमत होने के बाद ही बहस शुरू हुई। आपके सहमत होने के बाद ही बहस शुरू हुई। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सदन में मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है। मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- छत्तीसगढ़ की जनता को यदि हानि हो रही है। माननीय विधायक जी बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसमें जवाब आये न। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एकट में घूमा-घूमाकर बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय विधायक जी, बहुत स्पष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री द्वाकिधीश यादव :- प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन 2026) पर विचार किया जाए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह जो आपति है, वह एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अभी संख्या बल है, आप पास कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ विधेयक...।

श्री अजय चन्द्राकर :- संख्या बल का सवाल नहीं है। आपकी आपति में हमने बहस की।

सभापति महोदय :- उमेश जी, माननीय मंत्री जी ने पहले ही बताया है कि कोई वित्तीय हानि नहीं है, इसलिए स्थिति स्पष्ट है। अब इसमें आपति का विषय नहीं आता है।

श्री उमेश पटेल :- लेकिन उन्होंने अन्य उद्योगों की भी बात की है। अन्य उद्योगों को डायवर्सन में छूट देंगे।

सभापति महोदय :- अब इसको आप समाप्त करिए। आपका भाषण भी हो गया। आपकी आपति भी आ गई, मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अब मैं इसको आगे बढ़कर कार्यवाही को आगे बढ़ाता हूँ।

श्री उमेश पटेल :- बस मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। आखिरी बात।

सभापति महोदय :- आप एक बार और बोल लीजिए। रिकॉर्ड में आपकी बात आ जायेगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री ने यह ज़रूर कहा है कि कोई वित्तीय पत्रक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वित्तीय लॉस नहीं है। मैं मान गया। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि हम कुछ अलग नए उद्योग जो अलग श्रेणी के हैं, वे भी इसमें छूट पाएंगे। यह उन्होंने कहा, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। अगर नए उद्योगों को उसमें इंकलूड किया गया है, तो वित्तीय लॉस होगा और वित्तीय पत्रक की आवश्यकता है। बाकी आपके ऊपर है डिजीजन।

सभापति महोदय :- अब मंत्री जी ने बोल दिया कि वित्तीय लॉस नहीं होगा, रिकॉर्ड में है।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन 2026) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आज की कार्य सूची में दो और अन्य विधेयक सूचीबद्ध हैं। मेरा आपसे आग्रह है क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इसलिए कल की कार्य सूची में उन विधेयकों को लिया जाए।

सभापति महोदय :- ठीक है।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्य सूची के पद क्रमांक 5 के उप पद (5) एवं (6) का कार्य कल दिनांक 19 मार्च, 2026 को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 7 बजकर 46 मिनट पर विधान सभा गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 (फाल्गुन 28, शक संवत् 1947) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई.)

नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 18 मार्च, 2026

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा